SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-6
(अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-6

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
प्राक्कथन	--	vii
विहंगावलोकन	--	ix-xiv
अध्याय-I		
प्रस्तावना		
प्रस्तावना	1.1	1
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.2	1-2
लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया	1.3	2-3
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्रवाई	1.4	4-6
संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति	1.5	6-7
राज्य विधान मण्डल में संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.6	7-8
लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ	1.7	9-10
निष्कर्ष	1.8	10
अध्याय-II		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन		
प्रस्तावना	2.1	11
सरकारी कम्पनियों, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की परिभाषा	2.1.1	11
लेखापरीक्षा के अधिदेश	2.1.2	11-12
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वरूप एवं इस अध्याय में इनकी व्याप्ति	2.1.3	12
राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का टर्नओवर	2.1.4	12-13
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश एवं बजटीय सहायता	2.2	14-15
ऋण देयताओं को पूर्ण करने के लिए सम्पत्ति की पर्याप्तता	2.2.1	15-16
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	2.2.2	16-18
उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों से मिलान	2.2.2.1	18-19
लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2.3.1	19
लाभांश का भुगतान	2.3.2	20-21
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण (ऋण शोधन)	2.4	21

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
ब्याज व्याप्ति अनुपात	2.4.1	21-22
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण	2.4.2	22-23
पीएसयू में नियोजित पूँजी एवं कुल सम्पत्ति के सापेक्ष टर्नओवर	2.5.1	23-24
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	2.5.2	24-26
पूँजी पर प्रतिफल	2.5.3	26-28
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वहन की गयी हानि	2.6.1	28-29
निवल मूल्य का क्षरण	2.6.2	29-31
निष्कर्ष	2.7	32
संस्तुतियाँ	2.8	32
अध्याय-III		
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका - पीएसयू के लेखाओं की लेखापरीक्षा		
प्रस्तावना	3.1	33
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा, विधि उपबन्ध इत्यादि	3.1.1	33
सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	3.2	33
समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता	3.3.1	33-34
पीएसयू द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता	3.3.2	34-36
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव	3.3.2.1	36
अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	3.3.2.2	37
अकार्यरत पीएसयू के बकाया लेखे	3.3.2.3	37
वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा	3.4.1	37
सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	3.4.2	38
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा	3.4.3	38
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	3.5.1	39
वित्तीय विवरणों में संशोधन	3.5.2	39

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का संशोधन	3.5.3	39
सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में तथा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर एकल लेखापरीक्षक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ	3.5.4	39-54
लेखांकन मानकों/इंड एएस के प्रावधानों का गैर अनुपालन	3.6	54-58
प्रबन्धन पत्र	3.7	58-59
निष्कर्ष	3.8	59
संस्तुति	3.9	59
अध्याय-IV		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
ऊर्जा विभाग		
उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन' की लेखापरीक्षा	4.1	61-81
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
विद्युत शुल्क की वसूली में विफलता	4.2	82-83
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
प्रोटेक्टिव लोड प्रभार न लगाने के कारण ₹ 2.79 करोड़ की हानि	4.3	83-85
लेखापरीक्षा प्रभाव		
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर ₹ 2.66 करोड़ के प्रोटेक्टिव लोड प्रभारों की वसूली	4.4	85
अध्याय-V		
विभागों एवं संस्थाओं (पीएसयू के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण		
लोक निर्माण विभाग		
'वित्तीय नियमों के उल्लंघन के कारण निधियों के व्यपवर्तन और अनियमित पार्किंग' पर लेखापरीक्षा प्रस्तर	5.1	87-91

विवरण	संदर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ
अतिरिक्त सड़क परत बिछाने के कारण परिहार्य व्यय	5.2	92-93
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग		
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण		
अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण राजकोष को हानि	5.3	94-96
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण		
लोकेशन प्रभार की वसूली में विफलता	5.4	96-98
पर्यटन विभाग		
टूरिस्ट कॉम्पलेक्स एवं मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण पर व्यर्थ व्यय	5.5	98-100
विद्युत प्रभार का परिहार्य भुगतान	5.6	100-102
लेखापरीक्षा प्रभाव		
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग		
वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य का कम आरोपण	5.7	102-103

परिशिष्टियाँ	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ
विभागों और पीएसयू एवं उनके अधीन अन्य संस्थाओं के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी	1	105-107
नवीनतम वर्ष जिसके लिए लेखे अन्तिमीकृत किये गये हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला विवरण	2.1	108-110
31 मार्च 2022 तक पीएसयू से सम्बन्धित पूँजी और बकाया ऋणों (लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या निष्क्रिय/ परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे) की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	2.2	111-121
31 मार्च 2022 तक पूँजी एवं बकाया ऋणों (पीएसयू जिन्होंने 2019-20 या बाद के वर्षों के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किये हैं) की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	2.3	122-126

परिशिष्टियाँ	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ
नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार पीएसयू (जिन्होंने 2019-20 या बाद के वर्षों के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए) में कुल परिसम्पत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋणों की व्याप्ति को दर्शाने वाला विवरण	2.4	127-128
31 मार्च 2022 तक पूँजी, ऋण एवं गारंटियों के शेष के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के मध्य अंतर को दर्शाने वाला विवरण	2.5	129-136
उस अवधि के दौरान जिसके अन्तर्गत लेखे बकाया थे, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	3.1	137-142
1 दिसम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2022 के दौरान अपने लेखे प्रस्तुत करने वाले पीएसयू की सूची को दर्शाने वाला विवरण	3.2	143-144
1 दिसम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2022 के दौरान जहाँ सीएजी द्वारा टिप्पणियाँ निर्गत की गई, उन पीएसयू की सूची को दर्शाने वाला विवरण	3.3	145-146
भूमि के हस्तान्तरण में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण	4.1	147
विभिन्न प्राधिकरणों को एनओसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण	4.2	148-149
परफॉरमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) की कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण	4.3	150
बिलों से रॉयल्टी काटे बिना ठेकेदारों को किये गये भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	4.4	151-155
ठेकेदारों के बिलों से कम/नहीं काटे गये परिसमापन हर्जाने को दर्शाने वाला विवरण	4.5	156-159
जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड से विद्युत शुल्क वसूल नहीं किये जाने के कारण राजकोष को हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण	4.6	160
प्रोटेक्टिव लोड प्रभारों को आरोपित न करने वाले विवरण को दर्शाने वाली विवरणी	4.7	161
अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों की अनियमित पार्किंग को दर्शाने वाला विवरण	5.1	162-164

परिशिष्टियाँ	परिशिष्ट संख्या	पृष्ठ
तेल कम्पनियों के पास अभी भी बकाया पड़ी धनराशि को दर्शाने वाला विवरण	5.2	165
आवंटन को दर्शाने वाला विवरण	5.3	166-167
वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान मार्च माह में दिये गये अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण	5.4	168
सड़क की परत में डेंस बिटुमिनस मैकडैम एवं बिटुमिनस कंक्रीट की अधिक मोटाई को दर्शाने वाला विवरण	5.5	169
सड़क की अतिरिक्त परत की मोटाई पर परिहार्य व्यय को दर्शाने वाला विवरण	5.6	169
ठेकेदारों से सांविधिक बकायों की कम/गैर-वसूली को दर्शाने वाला विवरण	5.7	170
विद्युत प्रभार के परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	5.8	171-177

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों, सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगमों एवं अन्य संस्थाओं की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्धित है। यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

सरकारी कम्पनियों के लेखों (सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अधीन होते हैं एवं सीएजी अपनी टिप्पणी देतें हैं या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों को अनुपूरित करते हैं। इसके अतिरिक्त, ये कम्पनियाँ सीएजी द्वारा की जाने वाली नमूना लेखापरीक्षा के अधीन होती हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा की व्यवस्था सम्बन्धित अधिनियमों जिनके तहत ये निगम स्थापित किये गये हैं, के अन्तर्गत निर्धारित की गयी है। सरकारी विभागों एवं अन्य संस्थाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, समय-समय पर यथा संशोधित, के अन्तर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में पाँच अध्याय हैं, अध्याय-I में कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों एवं अन्य संस्थाओं का परिचय सम्मिलित है। अध्याय-II में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन सम्मिलित है। अध्याय-III में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका-पीएसयू के लेखाओं की लेखापरीक्षा सम्मिलित है। अध्याय-IV में उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा के परिणाम एवं सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित अन्य अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं। अध्याय-V में विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उन लेखापरीक्षा दृष्टान्तों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2021-22 में की गयी नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए एवं वे जो गत वर्षों में संज्ञान में आए थे परन्तु उनका उल्लेख गत वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नहीं किया जा सका था। वर्ष 2021-22 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्तों को भी, जहाँ सम्बन्धित एवं आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में निम्नलिखित अध्याय हैं:

अध्याय-I : प्रस्तावना

अध्याय-II : राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

अध्याय-III : भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका-पीएसयू के लेखाओं की लेखापरीक्षा

अध्याय-IV :
- 'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन' की लेखापरीक्षा
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-V :
- 'वित्तीय नियमों के उल्लंघन के कारण निधियों के व्यपवर्तन और अनियमित पार्किंग' पर लेखापरीक्षा प्रस्तर
- विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा परिणामों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 322.97 करोड़ है।

अध्याय-I: प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों तथा उनके अन्तर्गत आने वाले 53 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) एवं 19 अन्य संस्थाओं (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों आदि), जो कि महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आते हैं, की लेखापरीक्षा सम्मिलित है। वर्ष 2021-22 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों के अन्तर्गत कुल 2,040 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 156 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी। इस प्रतिवेदन में 'पीएसयू का वित्तीय निष्पादन', 'भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका-पीएसयू के लेखाओं की लेखापरीक्षा', 'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन' की लेखापरीक्षा के परिणाम एवं चार विभागों[1] एवं पीएसयू/प्राधिकरणों से सम्बन्धित आठ अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं।

[1] ऊर्जा विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, पर्यटन विभाग तथा लोक निर्माण विभाग।

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

लेखापरीक्षा के दौरान पाँच विभागों के 35 प्रकरणों में ₹ 11.57 करोड़ की वसूली इंगित की गयी जिसमें से तीन विभागों द्वारा ₹ 7.70 करोड़ की वसूली को स्वीकार किया गया। दो प्रकरणों में ₹ 7.71 करोड़ की वसूली की गयी।

अध्याय-II: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कार्यकलाप

31 मार्च 2022 तक, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 114 राज्य पीएसयू (93 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और छः सांविधिक निगम), 42 अकार्यरत पीएसयू सम्मिलित थे। इस प्रतिवेदन में 37 पीएसयू के वित्तीय निष्पादन को आच्छादित किया गया है जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया नहीं थे और जो कार्यरत थे/परिसमापनाधीन नहीं थे। इन 37 कार्यरत पीएसयू ने अपने नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार ₹ 76,189 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी के 4.09 प्रतिशत के बराबर था।

(प्रस्तर 2.1.3 एवं 2.1.4)

उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी एवं सार्वजनिक उपक्रमों का प्रदर्शन

31 मार्च 2022 तक, 37 पीएसयू जिनका वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है, में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,80,732.97 करोड़ था। निवेश में 58.51 प्रतिशत की पूँजी एवं 41.49 प्रतिशत का दीर्घावधि ऋण सम्मिलित है। उसमें से, इन पीएसयू में उ.प्र. सरकार ने ₹ 1,55,400.63 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें पूँजी ₹ 1,52,384.09 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 3,016.54 करोड़ है।

वर्ष 2021-22 तक, अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 37 पीएसयू में से 16 पीएसयू ने ₹ 378.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 21 पीएसयू ने ₹ 15,856.93 करोड़ की हानि वहन की। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 142.70 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (₹ 105.16 करोड़) मुख्य लाभ कमाने वाले पीएसयू थे। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 8,305.27 करोड़), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,957.52 करोड़) एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,042.20 करोड़) हानि वहन वाले मुख्य पीएसयू थे।

(प्रस्तर 2.2, 2.3.1 एवं 2.6.1)

संस्तुति

राज्य सरकार को हानि वहन करने वाले पीएसयू के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए और इन पीएसयू में सावधानीपूर्वक निवेश करना चाहिए एवं उनके निष्पादन में सुधार के लिए उपाय करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों से मिलान

31 मार्च 2022 तक, 74 पीएसयू के पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति में अन्तर था। आँकड़ों के बीच यह अन्तर विगत कई वर्षों से बना हुआ है, यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित पीएसयू एवं विभागों के साथ अन्तरों के मिलान का मामला भी उठाया गया था।

(प्रस्तर 2.2.2.1)

संस्तुति

उ.प्र. सरकार के वित्त विभाग एवं सम्बन्धित पीएसयू को पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार एवं उ.प्र. सरकार के वित्त लेखे के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़ों के मध्य अन्तर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

2021-22 के दौरान 14 पीएसयू जिनमें ब्याज सहित ऋण देयताएं थीं, में से 11 पीएसयू में ब्याज व्याप्ति अनुपात ऋणात्मक (एक से कम) था, जो यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर अपने व्ययों की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

(प्रस्तर 2.4.1)

निवल मूल्य का क्षरण

संचित हानि के कारण 10 पीएसयू के निवल मूल्य का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया। इन पीएसयू में, ₹ 1,37,041.97 करोड़ के पूँजी निवेश के विरूद्ध इन पीएसयू का निवल मूल्य (-) ₹ 62,779.27 करोड़ था।

(प्रस्तर 2.6.2)

अध्याय-III: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका - पीएसयू के लेखाओं की लेखापरीक्षा

लेखों का बकाया

कार्यरत 72 पीएसयू में से केवल 11 पीएसयू ने वर्ष 2021-22 हेतु अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किये थे और शेष 61 पीएसयू के 308 लेखे बकाया थे। अकार्यरत 42 पीएसयू में से 40 पीएसयू के 698 लेखे[2] बकाया थे। उ.प्र. सरकार ने 38 राज्य पीएसयू को उस अवधि के दौरान जिसमें उनके

[2] इसमें 120 लेखे शामिल हैं, जिनमें 11 पीएसयू परिसमापनाधीन हैं।

लेखे बकाया थे, ₹ 8,610.52 करोड़ (पूँजीः ₹ 3,467.07 करोड़, ऋणः ₹ 1,187.47 करोड़, अनुदानः ₹ 3,547.47 करोड़ तथा सब्सिडीः ₹ 413.51 करोड़) प्रदान किए थे।

(प्रस्तर 3.3.2 एवं 3.3.2.3)

संस्तुति

पीएसयू के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को उनके लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिए सख्ती से अनुश्रवण एवं आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करना चाहिए तथा पीएसयू के लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

अध्याय-IV: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन' की लेखापरीक्षा

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) का निगमन 13 जुलाई 2006 को हुआ था और इसे उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अपनी पारेषण लाइनों और उपकेन्द्रों की सहायता से विभिन्न यूटिलिटी को विद्युत ऊर्जा के पारेषण का कार्य सौंपा गया है।

कम्पनी ने नई पारेषण परियोजनाओं के निर्माण/मौजूदा क्षमता में वृद्धि एवं प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर 2018-19 में ₹ 3,735 करोड़, 2019-20 में ₹ 3,975 करोड़, 2020-21 में ₹ 3,785 करोड़ और 2021-22 में ₹ 2,729 करोड़ का कुल व्यय किया। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस प्रकार हैं:

- नौ उपकेन्द्र परियोजनाओं के प्रकरण में ठेकेदारों को कार्य सौंपने की तिथि से दो माह से 38 माह के पश्चात् भूमि हस्तान्तरित की गयी। भूमि हस्तान्तरित करने में हुए विलम्ब के कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

(प्रस्तर 4.1.9.1)

- नमूना जाँच किये गये 12 पारेषण लाइन कार्यों के प्रकरणों में, कम्पनी ने एनओसी के लिए सम्बन्धित प्राधिकरणों (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय रेलवे, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि) को एसओपी में निर्धारित समय-सीमा से एक से नौ माह के विलम्ब से आवेदन किया।

(प्रस्तर 4.1.9.2)

- अनुबंध की समाप्ति के समय कम्पनी, ठेकेदार को निर्गत की गयी सामग्री एवं उपयोग की गयी सामग्री का मिलान करने में विफल रही तथा अप्रयुक्त कंडक्टर की लागत के मद में ₹ 9.50 करोड़ की हानि वहन की।

(प्रस्तर 4.1.11.4)

- कम्पनी ने ₹ 2.01 करोड़ की रॉयल्टी की धनराशि काटे बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया, जिसे कम्पनी द्वारा काटकर राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप राजकोष को भी उसी सीमा तक हानि हुई।

(प्रस्तर 4.1.11.6)

- ठेकेदारों के कारण हुए विलम्ब के लिए कम्पनी द्वारा उनके बिलों से परिसमापन हर्जाने की धनराशि ₹ 63.39 करोड़ कम/नहीं काटी गयी। इस प्रकार, ठेकेदारों को उसी सीमा तक अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

(प्रस्तर 4.1.11.7)

- यूपीईआरसी से पूँजी निवेश की पूर्व स्वीकृति हेतु यूपीईआरसी विनियमों का अनुपालन न करने के कारण, कम्पनी को ₹ 144.75 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा क्योंकि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए ट्रू-अप कम करके अन्तिमीकृत किया गया था।

(प्रस्तर 4.1.11.10)

लेखापरीक्षा प्रस्तर

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) छूट की अवधि समाप्त होने के पश्चात् जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड के विद्युत बिलों में ₹ 3.94 करोड़ का विद्युत शुल्क लगाने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप उक्त की वसूली नहीं हो सकी एवं उसे राजकोष में जमा नहीं किया जा सका।

(प्रस्तर 4.2)

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ता को 24 घंटे की रोस्टर मुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु ₹ 2.79 का प्रोटेक्टिव लोड प्रभार नहीं लगाया जिसके परिणास्वरूप कम्पनी को उसी सीमा तक हानि हुई।

(प्रस्तर 4.3)

अध्याय-V: विभागों एवं संस्थाओं (पीएसयू के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

लोक निर्माण विभाग ने व्यय न की गयी निधियों की बहुत बड़ी धनराशि को समर्पित नहीं किया और निधियों को समाप्त होने से बचाने के लिए इसे तेल कम्पनियों को अग्रिम के रूप में दे दिया। अग्रेतर, विद्यमान नियमों/निर्देशों के उल्लंघन में इसे बाद के वर्षों में उपयोग करने के लिए निक्षेप साख सीमा (डीसीएल) में परिवर्तित कर दिया गया।

(प्रस्तर 5.1)

लोक निर्माण विभाग ने वाहन क्षति कारक और यातायात वृद्धि के गलत मानों पर विचार करने के कारण ₹ 6.87 करोड़ का परिहार्य व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप सड़क की परत में डेंस बिटुमिनस मैकैडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट की मोटी परत बिछाई गयी।

(प्रस्तर 5.2)

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एवं पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में लगातार विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज एवं पंजीकरण शुल्क के साथ स्टाम्प शुल्क की ₹ 39.61 करोड़ की हानि हुई।

(प्रस्तर 5.3)

औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन के लिए योजना विवरणिका के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में, **ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण** आवंटी से ₹ 3.70 करोड़ का लोकेशन प्रभार वसूल करने में विफल रहा।

(प्रस्तर 5.4)

पर्यटन विभाग की निष्क्रियता के कारण टूरिस्ट कॉम्पलेक्स एवं मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण विगत पाँच वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था, जिससे ₹ 24.26 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

(प्रस्तर 5.5)

अनुबन्धित भार से वास्तविक विद्युत उपभोग, काफी कम होने के बाद भी भार कम करने में **पर्यटन निदेशालय** के उदासीन रवैये के कारण ₹ 1.38 करोड़ के विद्युत प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

(प्रस्तर 5.6)

अध्याय-I

प्रस्तावना

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 उत्तर प्रदेश सरकार के 23 विभागों की लेखापरीक्षा, महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आती है। इस अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में **परिशिष्ट-1** में वर्णित 16 विभागों एवं उनके अन्तर्गत संस्थाओं को सम्मिलित किया गया है और नीचे **तालिका 1.1** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 1.1: लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विभागों एवं संस्थाओं की सूची

क्र. सं.	विभागों का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)	अन्य संस्थाएँ (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, आदि)	योग
1	ऊर्जा विभाग	13	1	14
2	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	-	1	1
3	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	8		8
4	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	14	12[1]	26
5	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग	7	-	7
6	परिवहन विभाग	1	-	1
7	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग	5	-	5
8	खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग	-	1	1
9	पर्यटन विभाग	1	-	1
10	नागरिक उड्डयन विभाग	-	-	-
11	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग	-	-	-
12	संस्कृति विभाग	1	-	1
13	धर्मार्थ कार्य विभाग	-	-	-
14	लोक निर्माण विभाग	2	-	2
15	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1	2	3
16	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	2	2
योग		**53**	**19**	**72**

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

1.2 वर्ष 2021-22 के दौरान, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार के 16 विभागों के अन्तर्गत कुल 2,040 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 156 इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा सम्पादित की। इस प्रतिवेदन में 'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं

[1] इसमें अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग (आईआईडीडी) की चार विभागीय प्रबंधित इकाइयाँ अर्थात् राजकीय मुद्रणालय सम्मिलित है।

कार्यान्वयन' की लेखापरीक्षा के परिणाम तथा चार विभागों[2] एवं पीएसयू/संस्थाओं से सम्बन्धित आठ अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया

1.3 लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों को लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर उनके विचार प्राप्त करने के लिए चार चरणों में अवसर प्रदान करती है, जैसे

लेखापरीक्षा ज्ञापन: लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता हैं, जिनका उत्तर उन्हें लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।

निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर): लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के एक माह के अन्दर जारी किया जाता है, जिस पर लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को चार सप्ताह के अन्दर प्रत्युत्तर देना होता है।

ड्राफ्ट प्रस्तर: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उनको शामिल करने से पूर्व विचार करने हेतु विभागों के प्रमुखों, जिनके अन्तर्गत लेखापरीक्षित इकाइयाँ कार्य करती हैं, को छः सप्ताह की अवधि के अन्दर विभागीय मत प्रस्तुत करने हेतु जारी किये जाते हैं।

समापन गोष्ठी: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रुप देने से पूर्व लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर विभाग/शासन के विचारों को प्राप्त करने हेतु विभागों के प्रमुख और राज्य सरकार को अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षित इकाइयों/विभागों के प्रमुख/राज्य सरकार को खंडन और स्पष्टीकरण देने के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने को प्रयत्नशील रहती है और केवल जब विभागीय उत्तर प्राप्त नहीं होते हैं अथवा स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं, तभी लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन अथवा सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा भी प्रकरण हो, में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है। हालाँकि, अधिकतर प्रकरणों में लेखापरीक्षित संस्थाएँ समय पर एवं संतोषजनक उत्तर प्रदान नहीं करते हैं, जैसा कि नीचे इंगित किया गया है।

- **निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर की स्थिति**

16 विभागों से सम्बन्धित 1,993 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओज़) को मार्च 2022 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से प्रकट हुआ कि 31 मार्च 2022 तक स्वीकार्य योग्य उत्तर की प्रत्याशा में 8,243 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 39,055 प्रस्तर निराकरण हेतु लम्बित थे। इनमें से, 533 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 2,847 प्रस्तरों के प्रारम्भिक उत्तर डीडीओज़ द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, जबकि 7,710

[2] ऊर्जा विभाग; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; पर्यटन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 36,208 प्रस्तरों के सन्दर्भ में डीडीओज़ से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।

लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति **तालिका 1.2** में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.2: 31 मार्च 2022 तक लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रस्तरों (31 मार्च 2022 तक जारी किये गए) की स्थिति

क्रं. सं.	अवधि	लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या (प्रतिशत)	लम्बित प्रस्तरों की संख्या (प्रतिशत)
1	2020-21	31 (0.38)	298 (0.76)
2	1 वर्ष से 3 वर्षों तक	728 (8.83)	5,613 (14.37)
3	3 वर्षों से 5 वर्षों तक	1,305 (15.83)	7,212 (18.47)
4	5 वर्षों से अधिक	6,179 (74.96)	25,932 (66.40)
योग		**8,243 (100)**	**39,055 (100)**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ कोई लेखापरीक्षा समिति बैठक नहीं आयोजित की गयी।

- **लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2021-22 में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों के उत्तरों की स्थिति**

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2021-22 के लिए, 'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन' का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं आठ लेखापरीक्षा प्रस्तरों को सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिवों/प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा आपत्तियों पर उनके विचार जानने के लिए अग्रेषित किया गया था। लेखापरीक्षा और लेखाओं पर विनियम, 2020 (विनियम, 2020) के विनियम 138 में प्रावधान है कि सम्बन्धित विभाग के सरकार के सचिव निर्दिष्ट समय के अन्दर प्रस्तर के उत्तर प्रस्तुत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने विनियम, 2020 के विनियम 138 को संदर्भित करते हुए सभी विभागों को निर्देश दिया (सितम्बर 2020) कि वे विनियम, 2020 में परिभाषित प्रक्रियाओं के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर उत्तर प्रस्तुत करें। मात्र दो लेखापरीक्षा प्रस्तरों एवं 'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन' के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकार का उत्तर/प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। छः लेखापरीक्षा प्रस्तरों[3] के सम्बन्ध में प्रबन्धन के उत्तर प्राप्त हुए हैं। उत्तरों का समावेश कर लिया गया है। बार-बार अनुस्मारक के बाद भी छः लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में सरकार का उत्तर एवं तीन लेखापरीक्षा प्रस्तरों के सम्बन्ध में प्रबन्धन के उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं (मार्च 2024)।

[3] उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा पारेषण परियोजना के नियोजन एवं कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित है।

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्रवाई

1.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा प्रस्तरों पर लम्बित उत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए, यह आवश्यक है कि यह कार्यपालिका से उपयुक्त एवं समय से प्राप्त उत्तर प्रकट करता हो। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, राज्य विधान मण्डल में प्रतिवेदनों के प्रस्तुत होने के दो से तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु, सभी प्रशासनिक विभागों को वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने निर्देश निर्गत किये थे (जून 1987)। अप्राप्त उत्तरों/व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति **तालिका 1.3** में दी गयी है।

तालिका 1.3: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (30 जून 2023 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर		पीए/सीए के प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई[4]	
		पीए	सीए	पीए	सीए
अ. आर्थिक क्षेत्र/नॉन-पीएसयूज					
2012-13	01.07.2014	2	6	2	0
2013-14	17.08.2015	2	5	1	1
2014-15	08.03.2016	4	4	4	4
2015-16	18.05.2017	2	4	0	4
2016-17	19.07.2019	-	4	-	0
2017-18	21.08.2020	-	10	-	9
2018-19	19.08.2021	-	9	-	8
2019-20	17.12.2021	1[5]	0	1	0
	21.09.2022	-	3	-	2
2020-21	22.02.2023	-	10	-	10
योग		**11**	**55**	**8**	**38**
ब. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयूज)					
2011-12	16.09.2013	2	14	1	1
2012-13	20.06.2014	1	19	0	1

[4] पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग; लोक निर्माण विभाग; सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग; ऊर्जा विभाग; आवास एवं शहरी नियोजन विभाग; अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग; अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग; सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग; पर्यटन विभाग; शहरी विकास विभाग; वित्त विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग।

[5] उत्तर प्रदेश में 'नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का आवंटन' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	राज्य विधान मण्डल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अन्तर्गत कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) एवं अनुपालन लेखापरीक्षा (सीए) प्रस्तर		पीए/सीए के प्रस्तरों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं[4]	
		पीए	सीए	पीए	सीए
2013-14	17.08.2015	2	15	1	4
2014-15	08.03.2016	6	12	2	3
2015-16	18.05.2017	6	11	3	0
2016-17	07.02.2019	3	7	2	4
2017-18	21.08.2020	1	12	0	3
2018-19	19.08.2020	-	06	0	1
	17.12.2021	1[6]	0	1	0
2019-20	21.09.2022	-	11	-	8
2020-21	22.02.2023	-	6	-	5
योग		**22**	**113**	**10**	**30**
महायोग (अ + ब)		**33**	**168**	**18**	**68**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

- **लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर विचार-विमर्श**

वर्ष 2012-13 से 2020-21 के दौरान इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागों/स्वायत्त निकायों से सम्बन्धित, 11 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 55 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से, पीएसी ने 17 प्रस्तरों (पीए/सीए) को विचार-विमर्श के लिए चयनित किया। 30 जून 2023 को पीएसी द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति **तालिका 1.4** में दी गयी है।

तालिका 1.4: पीएसी द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति, उत्तर प्रदेश विधान सभा

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2020-21 के लिए आर्थिक क्षेत्र की पीए/सीए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	66 (11 पीए[7] + 55 सीए)
पीएसी द्वारा विचार-विमर्श हेतु लिए गए	17 (7 पीए + 10 सीए)
पीएसी द्वारा की गयी अनुशंसा	शून्य
प्राप्त कृत-कार्रवाई टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

[6] उत्तर प्रदेश में 'राज्य ऊर्जा उपक्रमों द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी बिलिंग' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[7] उत्तर प्रदेश में 'नोएडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों का आवंटन' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सम्मिलित करते हुए।

- **सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (कोपू) का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श**

वर्ष 1982-83 से 2020-21 के दौरान, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सम्बन्धित, 160 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 1,027 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों को प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से, कोपू ने 155 निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं 1,031 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तरों[8] को विचार-विमर्श के लिए चयनित किया। 30 जून 2023 को कोपू द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति **तालिका 1.5** में दी गयी है।

तालिका 1.5: कोपू द्वारा विचार-विमर्श की स्थिति, उत्तर प्रदेश, विधान मण्डल

स्थिति	वर्ष 1982-83 से 2020-21 के लिए पीएसयूज की पीए/सीए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
लेखापरीक्षा प्रस्तरों की कुल संख्या	1,187 (160 पीए [9] + 1,027 सीए)
कोपू द्वारा विचार-विमर्श हेतु लिए गए	1,186 (155 पीए + 1,031 सीए)[10]
कोपू द्वारा की गयी अनुशंसा	270 (29 पीए + 241 सीए)
प्राप्त कृत- कार्रवाई टिप्पणी (एक्शन टेकेन नोट)	शून्य
विभाग द्वारा की गयी कार्रवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

संस्थाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा की स्थिति

1.5 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा के लिये सौंपे गये राज्य सरकार के संस्थाओं के शासी अधिनियमों/शासनादेशों/भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार, इनके लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार किये जाने हैं तथा वार्षिक प्रतिवेदन/लेखाओं के साथ राज्य विधान मण्डल में सरकार द्वारा रखे जाने हैं।

- ***संस्थाओं के बकाया लेखाओं के अन्तिमीकरण एवं उनकी प्रस्तुति***

31 मार्च 2022 तक, उत्तर प्रदेश के 11 संस्थाओं के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गयी थी। 30 जून 2023 तक, केवल एक संस्था[11] ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने लेखाओं को अन्तिम रुप दिया था और शेष के 2021-22 तक 71 लेखे बकाये थे। वर्ष जिनके लिए वार्षिक लेखे बकाया हैं, का विवरण **तालिका 1.6** में दिया गया है।

[8] इनमें 1982-83 से पूर्व की अवधि के पीए /सीए भी सम्मिलित हैं।

[9] (1) 'उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की चीनी मिलों का विक्रय' और (2) 'राज्य ऊर्जा उपक्रमों द्वारा संचालित केन्द्रीयकृत सूचना प्रौद्योगिकी बिलिंग प्रणाली' पर एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सम्मिलित है।

[10] कोपू द्वारा वर्ष 1976-77 से 2020-21 तक चर्चा किये गए पीए/सीए सम्मिलित हैं।

[11] उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)।

तालिका 1.6: विभिन्न संस्थाओं के लेखाओं के बकाये का विवरण

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं	बकाया लेखाओं की संख्या
1	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2021-22	04
2	यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2021-22	01
3	लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2020-21	16
4	गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2021-22	17
5	सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2005-06 से 2021-22	17
6	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2018-19 से 2021-22	04
7	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2020-21 से 2021-22	02
8	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	2017-18 से 2021-22	05
9	उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	2019-20 से 2021-22	03
10	प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण	2020-21 से 2021-22	02
योग			**71**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

राज्य विधान मण्डल में संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

1.6 छः संस्थाओं के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (एसएआर) सहित वार्षिक प्रतिवेदन/लेखे जिनका राज्य विधान मण्डल में 30 जून 2023 तक रखा जाना बाकी है, का विवरण **तालिका 1.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जाने हेतु बकाया वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थिति

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष जहाँ तक वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जा चुके हैं	विधान मण्डल में प्रस्तुत न किये गए वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर की स्थिति	
			वार्षिक प्रतिवेदन/लेखों के साथ एसएआर का वर्ष	सरकार को एसएआर निर्गत करने की तिथि
1	उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी)	शून्य	2003-04	19 अक्टूबर 2006
			2004-05	5 अक्टूबर 2007
			2005-06	5 अक्टूबर 2007
			2006-07	3 अक्टूबर 2008
			2007-08	17 अगस्त 2009
			2008-09	15 अगस्त 2010
			2009-10	26 मई 2011
			2010-11	08 जून 2012
			2011-12	24 सितम्बर 2014
			2012-13	20 फरवरी 2015
			2013-14	22 जून 2015
			2014-15	28 दिसम्बर 2015
			2015-16	18 मई 2017
			2016-17	08 मार्च 2019

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष जहाँ तक वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर विधान मण्डल में प्रस्तुत किये जा चुके हैं	विधान मण्डल में प्रस्तुत न किये गए वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर की स्थिति	
			वार्षिक प्रतिवेदन/लेखों के साथ एसएआर का वर्ष	सरकार को एसएआर निर्गत करने की तिथि
			2017-18	15 मई 2020
			2018-19	18 दिसम्बर 2020
			2019-20	20 अप्रैल 2023
2	प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	शून्य	2010-11	2 मई 2019
			2011-12	1 अक्टूबर 2019
			2012-13	1 अक्टूबर 2019
			2013-14	6 अप्रैल 2022
			2014-15	18 मई 2023
			2015-16	20 जून 2023
3	उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए)	शून्य	2007-08	03 जुलाई 20019
			2008-09	10 जून 2020
			2009-10	18 दिसम्बर 2020
			2010-11	10 अगस्त 2020
			2011-12	29 मार्च 2022
			2012-13	12 अप्रैल 2022
			2013-14	27 अप्रैल 2022
			2014-15	26 मई 2022
			2015-16	20 जून 2022
			2016-17	10 अगस्त 2022
4.	उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	शून्य	2014-15	09 सितम्बर 2022
			2015-16	09 सितम्बर 2022
			2016-17	12 दिसम्बर 2022
			2017-18	27 जनवरी 2023
			2018-19	27 जनवरी 2023
5.	ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	2005-06	2 मार्च 2023
			2006-07	2 मार्च 2023
			2007-08	21 अप्रैल 2023
			2008-09	28 जून 2023
6.	नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	शून्य	2005-06	24 जनवरी 2023
			2006-07	24 जनवरी 2023
			2007-08	21 अप्रैल 2023
			2008-09	10 मई 2023
			2009-10	01 जून 2023
			2010-11	16 जून 2023

लेखापरीक्षा के दृष्टान्त पर वसूलियाँ

1.7 लेखापरीक्षा के दौरान पाँच विभागों के 35 प्रकरणों में ₹ 11.57 करोड़ की वसूली इंगित की गयी जिनमें से तीन विभागों द्वारा ₹ 7.70 करोड़ की वसूली स्वीकार की गयी। दो प्रकरणों में ₹ 7.71 करोड़ की वसूली सम्पन्न की गयी। वसूली का विवरण **तालिका 1.8** में दिया गया है।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित और विभागों/संस्थाओं द्वारा स्वीकार/ सम्पन्न की गयी वसूलियाँ

(₹ करोड़ में)

विभाग	वसूलियों का विवरण	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी वसूलियाँ		विभाग/संस्था द्वारा स्वीकार की गयी वसूलियाँ		सम्पन्न की गयी वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि
ऊर्जा विभाग	आरसीएम के अन्तर्गत ठेकेदार के बिलों से जीएसटी की कटौती नहीं होना	01	0.72	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वतंत्र फीडर पर कनेक्शन निर्गत करना	01	0.25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुबंधित भार के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण कम जमा धनराशि	01	0.49	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	प्रोटेक्टिव लोड प्रभार की वसूली	01	2.68	01	2.66	01	2.66
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	सेंटेज धनराशि की वसूली न होना	01	2.23	01	2.23	शून्य	शून्य
	वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य का कम शुल्क लेना	01	1.08	01	1.08	01	5.05
लोक निर्माण विभाग	निर्माण एवं दोषपूर्ण कार्यों के लिए बीमा की कटौती न करने के कारण ठेकेदार को अनुचित लाभ दिया गया	01	1.73	01	1.73	शून्य	शून्य
परिवहन विभाग	स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का कम आरोपण	27	0.04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विभाग	वसूलियों का विवरण	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गयी वसूलियाँ		विभाग/संस्था द्वारा स्वीकार की गयी वसूलियाँ		सम्पन्न की गयी वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सम्मिलित धनराशि
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग	यूपीईडा की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं में फ्लाईएश के उपयोग में ईपीसी ठेकेदार को अनुचित लाभ	01	2.35	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योग		**35**	**11.57**	**04**	**7.70**	**02**	**7.71**

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

निष्कर्ष

1.8 लेखापरीक्षा को उत्तर प्रस्तुत नहीं करना, अधिकांश राज्य संस्थाओं के वार्षिक लेखे तैयार करने में अधिक बकाया और राज्य विधान मण्डल में वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों के साथ एसएआर प्रस्तुत नहीं करना सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए यह चिंता का कारण है।

अध्याय-II

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

अध्याय-II

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

प्रस्तावना

2.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन हेतु की जाती है और ये राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पीएसयू में राज्य सरकार की कम्पनियाँ, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। यह अध्याय पीएसयू के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करता है।

सरकारी कम्पनियों, सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की परिभाषा

2.1.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में सरकारी कम्पनी को एक ऐसी कम्पनी के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें प्रदत्त शेयर पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कम्पनी भी सम्मिलित है जो सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी को इस अध्याय में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के रूप में दर्शाया गया है। सांविधिक निगम वे निगम हैं जो विधानमंडल द्वारा अधिनियमित विधियों के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा के अधिदेश

2.1.2 सरकारी कम्पनियों एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों[1] की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) से 143(7) के प्रावधानों के साथ पठित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में चार्टर्ड एकाउंटेंट की नियुक्ति करते हैं एवं उन तरीकों पर निर्देश देते हैं जिनसे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, सीएजी अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली

[1] राजपत्रित अधिसूचना दिनांक 04 सितम्बर 2014 द्वारा निर्गत कम्पनियाँ (कठिनाइयों का निवारण), सातवाँ आदेश, 2014।

संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल सीएजी द्वारा किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का स्वरूप एवं इस अध्याय में इनकी व्याप्ति

2.1.3 31 मार्च 2022 तक, उत्तर प्रदेश में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 114 पीएसयू (93 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम[2]), 42 अकार्यरत पीएसयू[3] सम्मिलित थे। वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान, एक सरकारी कम्पनी अर्थात् उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम को हटा दिया गया क्योंकि यह कम्पनी बन्द हो गयी है। राज्य के कोई भी पीएसयू स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थे।

इस अध्याय में 30 सितम्बर 2022 तक प्राप्त नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर 37 पीएसयू (ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू, जिनका विस्तृत वर्णन **परिशिष्ट-2.1** में दिया गया है) के वित्तीय निष्पादन को सम्मिलित किया गया है। इस अध्याय में 77 पीएसयू (70 सरकारी कम्पनियाँ, चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम सहित) के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण शामिल नहीं हैं क्योंकि इनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या निष्क्रिय/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे 30 सितम्बर 2022 तक प्राप्त नहीं हुए थे, जैसा कि **परिशिष्ट-2.2** में वर्णित है। हालाँकि, यह अध्याय राज्य के सभी पीएसयू के सम्बन्ध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश, बजटीय सहायता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के साथ मिलान **(प्रस्तर 2.2, 2.2.2 एवं 2.2.2.1)** को सम्मिलित करता है।

राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का टर्नओवर

2.1.4 पीएसयू राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, ये पीएसयू राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में भी उल्लेखनीय योगदान प्रदान करते हैं। पीएसयू के टर्नओवर से जीएसडीपी का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन पीएसयू की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। 31 मार्च 2022[4] को समाप्त चार वर्ष की अवधि के लिए पीएसयू के टर्नओवर (**परिशिष्ट-2.1** में पीएसयू-वार विवरण) एवं उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी का विवरण **तालिका 2.1** में दिया गया है।

[2] उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम।

[3] अकार्यरत पीएसयू वे हैं जिन्होंने अपना संचालन बन्द कर दिया हैं।

[4] 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

तालिका 2.1: उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी के सापेक्ष सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू का टर्नओवर	61,857	66,378	67,006	68,932
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू का टर्नओवर	7,245	6,930	7,227	7,257
कुल टर्नओवर (37 पीएसयू)	**69,102**	**73,308**	**74,233**	**76,189**
उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी[5]	15,82,180	17,00,273	16,48,567	18,63,221
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	3.91	3.90	4.06	3.70
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के टर्नओवर का उत्तर प्रदेश के जीएसडीपी से प्रतिशत	0.46	0.41	0.44	0.39
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के टर्नओवर में परिवर्तन का प्रतिशत	-	7.31	0.95	2.87
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के टर्नओवर में परिवर्तन का प्रतिशत	-	(-)4.35	4.29	0.42
पूर्ववर्ती वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में परिवर्तन का प्रतिशत	-	7.46	(-)3.04	13.02

स्रोतः सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी जीएसडीपी आँकड़ों एवं पीएसयू के टर्नओवर के आँकड़ों के आधार पर संकलित

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू के टर्नओवर में वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान 0.95 प्रतिशत से 7.31 प्रतिशत के मध्य वृद्धि के साथ बढ़त की प्रवृत्ति दिखाई दी। ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू के टर्नओवर में वर्ष 2019-20 के दौरान 4.35 प्रतिशत की कमी एवं वर्ष 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः 4.29 प्रतिशत एवं 0.42 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई दी। उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी में 2020-21 के दौरान 3.04 प्रतिशत की कमी एवं वर्ष 2019-20 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः 7.46 प्रतिशत एवं 13.02 प्रतिशत की वृद्धि देखी गयी है।

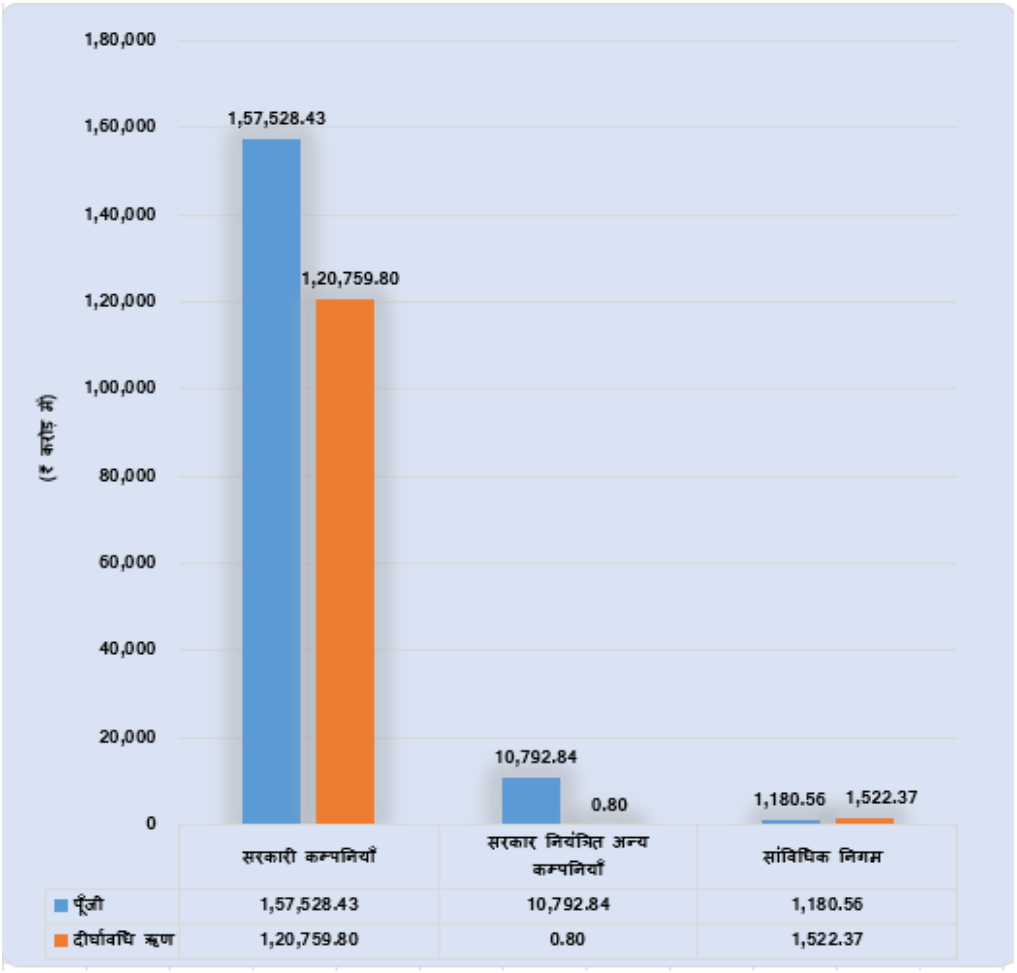
चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दीर्घकालिक अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जीएसडीपी के 5.60 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष 37 पीएसयू के टर्नओवर में पिछले तीन वर्षों के दौरान 3.31 प्रतिशत की कम चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी। इससे 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान जीएसडीपी में ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू के टर्नओवर की हिस्सेदारी घटकर क्रमशः 3.91 प्रतिशत से 3.70 प्रतिशत एवं 0.46 प्रतिशत से 0.39 प्रतिशत हो गयी।

[5] वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए वर्तमान कीमतों पर जीएसडीपी को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया था, इसलिए 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसडीपी के संदर्भ में विभिन्न मानकों का प्रतिशत अनुपात/उछाल जो कि पूर्व की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया है को भी संशोधित किया गया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

2.2 31 मार्च 2022 को 114 पीएसयू (93 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और छः सांविधिक निगम) में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य[6] द्वारा निवेशित पूँजी को **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: सरकारी कम्पनियों, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों और सांविधिक निगमों में निवेश की संरचना



31 मार्च 2022, को 114 राज्य पीएसयू में क्षेत्र-वार निवेश (पूँजी और दीर्घावधि ऋण) का सारांश **तालिका 2.2** में दिया गया है।

[6] अन्य में होल्डिंग कम्पनी, वित्तीय संस्थानों, बैंकों इत्यादि द्वारा किया गया निवेश सम्मिलित है।

तालिका 2.2: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्र-वार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश								महायोग
		पूँजी				दीर्घावधि ऋण				
		उ.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	उ.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	
अ. पीएसयू जिन्होंने अपने लेखे 2019-20 तक अथवा उसके पश्चात् प्रस्तुत किये (परिशिष्ट-2.3)										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	11	1,45,389.99	0.00	2,213.43	1,47,603.42	433.92	0.00	1,04,361.55	1,04,795.47	2,52,398.89
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू	26	6,994.10	3,144.42	6,501.26	16,639.78	2,582.62	7,582.83	1,528.85	11,694.30	28,334.08
योग अ	**37**	**1,52,384.09**	**3,144.42**	**8,714.69**	**1,64,243.20**	**3,016.54**	**7,582.83**	**1,05,890.40**	**1,16,489.77**	**2,80,732.97**
ब. पीएसयू जिनके लेखे 31 मार्च 2022 को तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या निष्क्रिय/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे (परिशिष्ट -2.2)										
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू	2	0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू	75	3,970.81	605.99	679.56	5,256.36	2,582.20	12.27	3,198.73	5,793.20	11,049.56
योग ब	**77**	**3,970.81**	**605.99**	**681.83**	**5,258.63**	**2,582.20**	**12.27**	**3,198.73**	**5,793.20**	**11,051.83**
महायोग (अ + ब)	**114**	**1,56,354.90**	**3,750.41**	**9,396.52**	**1,69,501.83**	**5,598.74**	**7595.10**	**1,09,089.13**	**1,22,282.97**	**2,91,784.80**

स्रोतः वार्षिक लेखों एवं पीएसयू से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित आँकड़े

31 मार्च 2022 तक, इस अध्याय में सम्मिलित 11 ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,52,398.89 करोड़ था। निवेश में 58.48 प्रतिशत पूँजी एवं 41.52 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण (₹ 433.92 करोड़), कुल दीर्घावधि ऋणों का 0.41 प्रतिशत थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 99.59 प्रतिशत (₹ 1,04,361.55 करोड़) वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था, जिसका विस्तृत वर्णन **परिशिष्ट-2.3** में है।

31 मार्च 2022 तक, इस अध्याय में सम्मिलित 26 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 28,334.08 करोड़ था। निवेश में 58.73 प्रतिशत पूँजी एवं 41.27 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण सम्मिलित था। राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण (₹ 2,582.62 करोड़), कुल दीर्घावधि ऋणों का 22.08 प्रतिशत थे जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 77.92 प्रतिशत (₹ 9,111.68 करोड़) भारत सरकार एवं वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया गया था, जिसका विस्तृत वर्णन **परिशिष्ट-2.3** में है।

ऋण देयताओं को पूर्ण करने के लिए सम्पत्ति की पर्याप्तता

2.2.1 कुल ऋण का कुल सम्पत्ति से अनुपात यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किये जाने वाले मापदंडों में से एक है कि क्या कोई कम्पनी शोधनक्षम रह सकती है। शोधनक्षम माने जाने के लिए, इकाई की सम्पत्ति का मूल्य उसके ऋण/कर्ज के योग से अधिक होना चाहिए। 31 मार्च 2022 को नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 21 पीएसयू (18 सरकारी कम्पनियाँ, दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) जिनमें अदत्त ऋण था, में दीर्घावधि ऋणों का कुल सम्पत्ति के मूल्य से व्याप्ति **परिशिष्ट-2.4** में दिया गया है और इसका संक्षिप्त विवरण **तालिका 2.3** के अन्तर्गत दिया गया है।

तालिका 2.3: दीर्घावधि ऋणों की कुल सम्पत्ति से व्याप्ति

	पीएसयू की संख्या	सकारात्मक व्याप्ति			नकारात्मक व्याप्ति			ऋण के लिए सम्पत्ति का प्रतिशत
		दीर्घावधि ऋण	सम्पत्ति	ऋण के लिए सम्पत्ति का प्रतिशत	पीएसयू की संख्या	दीर्घावधि ऋण	सम्पत्ति	
		(₹ करोड़ में)				(₹ करोड़ में)		
सरकारी कम्पनियाँ	18	1,16,771.52	3,02,554.31	259.10	-	-	-	-
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	2	3,607.51	3,633.47	100.72	-	-	-	-
सांविधिक निगम	1	35.00	3,152.03	9,005.80	-	-	-	-
योग	**21**	**1,20,414.03**	**3,09,339.81**	**-**	**-**	**-**	**-**	-

यद्यपि सभी 21 पीएसयू में सकारात्मक व्याप्ति थी, जबकि दो पीएसयू यथा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड एवं दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन आफ यूपी लिमिटेड के कुल बकाया दीर्घावधि ऋण के सापेक्ष सम्पत्ति व्याप्ति क्रमशः 100.09 प्रतिशत एवं 106.17 प्रतिशत था जो इंगित करता है कि कोई भी अतिरिक्त ऋण इन पीएसयू की वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

2.2.2 उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में पीएसयू को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2022 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए पीएसयू के सम्बन्ध में बजटीय बहिर्गमन (पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी) का संक्षिप्त विवरण **तालिका 2.4** में दिया गया है।

तालिका 2.4: वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान पीएसयू को बजटीय सहायता का विवरण

विवरण	2019-20		2020-21		2021-22	
	पीएसयू की संख्या	धनराशि[7] (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
(अ) ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू						
अंशपूँजी बहिर्गमन (i)	3[8]	8,248.83	3[8]	10,568.47	3[8]	10,874.05
दिए गए ऋण (ii)	-	0.00	-	0.00	-	0.00
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	2	19,065.56	2	10,349.30	2	22,432.27
कुल सहायता (i+ii+iii)	**3[9]**	**27,314.39**	**3[9]**	**20,917.77**	**3[9]**	**33,306.32**

[7] धनराशि केवल राज्य बजट से बहिर्गमन का प्रतिनिधित्व करती है।

[8] उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार उनकी सहायक कम्पनियों में निवेश हेतु पूँजी अवमुक्त करती है। अतः पूँजी के निवेश के उद्देश्य से, केवल होल्डिंग कम्पनियों पर, उनकी सहायक कम्पनियों की ओर से, विचार किया गया है।

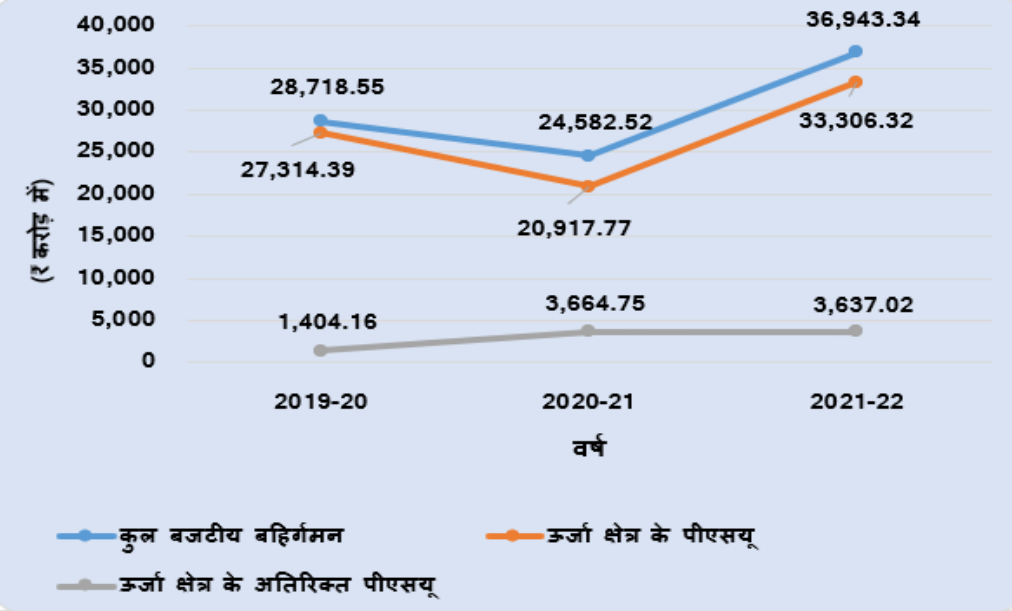
[9] यह आँकड़ा उन पीएसयू की संख्या को दर्शाते हैं जिन्हें एक या अधिक मद यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी के तहत बजट से भुगतान प्राप्त हुआ है।

विवरण	2019-20		2020-21		2021-22	
	पीएसयू की संख्या	धनराशि[7] (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
(ब) ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू						
अंशपूँजी बहिर्गमन (i)	4[8]	288.63	7[8]	529.13	8[8]	808.92
दिए गए ऋण (ii)	8	403.32	6	1,673.16	5	330.01
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	17	712.21	18	1,462.46	19	2,498.09
कुल सहायता (i+ii+iii)	**27**[9]	**1,404.16**	**25**[9]	**3,664.75**	**26**[9]	**3,637.02**
महायोग (अ) + (ब)	**30**	**28,718.55**	**28**	**24,582.52**	**29**	**36,943.34**

स्रोतः वार्षिक लेखाओं, सरकारी आदेशों और पीएसयू से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित संकलित आँकड़े

मार्च 2022 को समाप्त हुए विगत तीन वर्षों के लिए पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के लिए बजटीय बहिर्गमन से सम्बन्धित विवरण **चार्ट 2.2** में दिया गया है।

चार्ट 2.2: पूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के सापेक्ष बजटीय बहिर्गमन



उपर्युक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान राज्य पीएसयू को उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त कुल वार्षिक बजटीय सहायता का 85 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक का बड़ा भाग ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू को प्राप्त हुआ था। 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 33,306.32 करोड़ की बजटीय सहायता में क्रमशः ₹ 10,874.05 करोड़ एवं ₹ 22,432.27 करोड़ पूँजी एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में थी।

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जाने वाले अनुदान/सब्सिडी में, विगत वर्षों की तुलना में 2020-21 में 46 प्रतिशत की कमी एवं 2021-22 में 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2020-21 के दौरान अनुदान/सब्सिडी में कमी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को राजस्व अनुदान सहायता में कमी की वजह से जो 2019-20 में

₹ 6,302.57 करोड़ से 2020-21 में ₹ 621.65 करोड़ होने के कारण तथा 2021-22 के दौरान अनुदान/सब्सिडी में वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को राजस्व अनुदान सहायता में वृद्धि जो 2020-21 में ₹ 9,657.17 करोड़ से 2021-22 में ₹ 21,888.16 करोड़ होने के कारण था।

2019-20 से 2021-22 के दौरान राज्य पीएसयू को उ.प्र. सरकार की कुल वार्षिक बजटीय सहायता में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य पीएसयू की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक थी। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल ₹ 2,498.09 करोड़ के अनुदान/सब्सिडी में से, मुख्य रूप से अनुदान आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (₹ 782.50 करोड़), उत्तर प्रदेश जल निगम (₹ 322.84 करोड़), नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 320.65 करोड़) एवं उ.प्र. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 235 करोड़) को प्रदान किया गया था।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों से मिलान

2.2.2.1 राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियों से सम्बन्धित आँकड़े उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़ों से मेल खाने चाहिए। यदि उक्त आँकड़े समानता नहीं खाते है तो सम्बन्धित पीएसयू एवं वित्त विभाग को अन्तर का मिलान करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 मार्च 2022 को 74 पीएसयू (57 सरकारी कम्पनियाँ, 12 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ और पाँच सांविधिक निगम) के सम्बन्ध में ऐसे अंतर विद्यमान थे जिसका विवरण **परिशिष्ट-2.5** में दिया है एवं **तालिका 2.5** में संक्षेपित है।

तालिका 2.5: राज्य पीएसयू के अभिलेखों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं अदत्त प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

अदत्त के सम्बन्ध में	क्षेत्र	राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार धनराशि	वित्त लेखों के अनुसार धनराशि	अन्तर
पूँजी	ऊर्जा क्षेत्र	1,47,605.28	1,32,877.22	14,728.06
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	10,910.65	6,108.80	4,801.85
	योग	**1,58,515.93**	**1,38,986.02**	**19,529.91**
ऋण	ऊर्जा क्षेत्र	433.92	516.82	(-)82.90
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	5,164.81	3,474.41	1,690.40
	योग	**5,598.73**	**3,991.23**	**1,607.50**
प्रत्याभूतियाँ	ऊर्जा क्षेत्र	1,21,555.08	1,29,374.07	(-)7,818.99
	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	389.84	634.47	(-)244.63
	योग	**1,21,944.92**	**1,30,008.54**	**(-)8,063.62**

स्रोतः पीएसयू एवं वित्त लेखाओं से प्राप्त सूचनाएं

आँकड़ो के अन्तर विगत वर्षों से विद्यमान है। अन्तर के समाधान हेतु लेखापरीक्षा द्वारा सम्बन्धित पीएसयू एवं विभागों के साथ इस मामले को

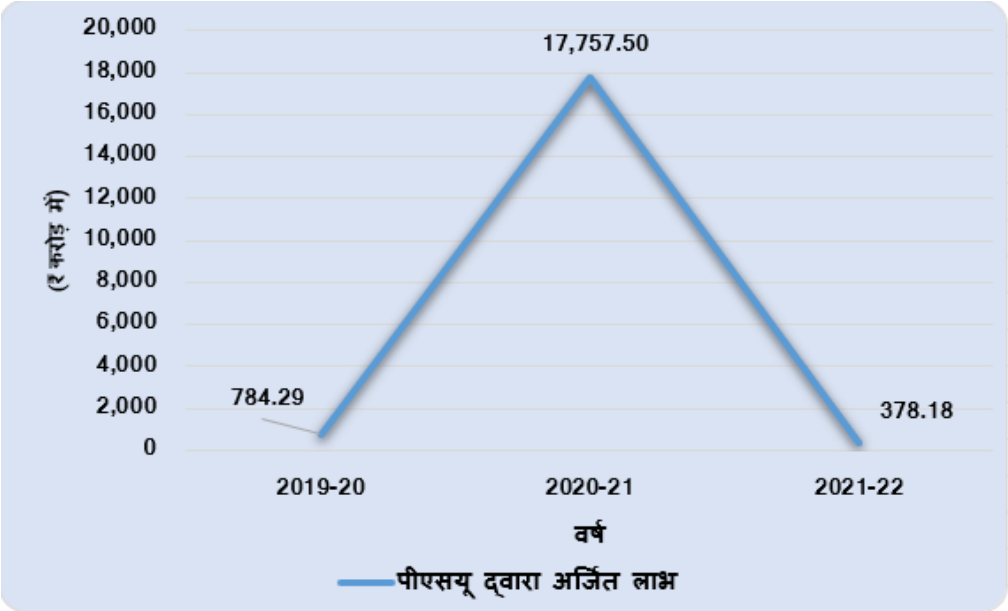
समय-समय पर उठाया गया है। तीन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू[10] और पाँच ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू[11] के मामलों में शेष राशियों में बड़ा अन्तर देखा गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रतिफल

लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

2.3.1 2019-20 से 2021-22 के दौरान पीएसयू[12] द्वारा अर्जित लाभ को **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.3: पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ



2019-20 से 2020-21 के दौरान 37 पीएसयू में से, 17 पीएसयू ने लाभ अर्जित किया। 2021-22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू की संख्या घटकर 16 हो गयी। लाभ अर्जित करने वाले पीएसयू ने 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 784.29 करोड़, ₹ 17,757.50 करोड़ एवं ₹ 378.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया। वर्ष 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ₹ 17,381.56 करोड़ की धनराशि के अशोधक ऋणों के प्रावधान को राइट बैक करने के कारण लाभ में असाधारण वृद्धि हुई। पीएसयू के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 2021-22 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 142.70 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (₹ 105.16 करोड़) मुख्य लाभ कमाने वाले पीएसयू थे **(परिशिष्ट-2.1)**।

[10] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[11] उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।

[12] 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

लाभांश का भुगतान

2.3.2 राज्य सरकार ने लाभांश नीति (अक्टूबर 2002) तैयार की जिसके अन्तर्गत लाभ में चल रहे पीएसयू को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी अंशपूँजी पर न्यूनतम पाँच प्रतिशत के प्रतिफल का भुगतान करना होता है।

पीएसयू जिसमें उ.प्र. सरकार द्वारा अंशपूँजी का निवेश किया गया था, के द्वारा 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान लाभांश के भुगतान को **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: 2019-20 से 2021-22 के दौरान पीएसयू द्वारा लाभांश का भुगतान

वर्ष के दौरान	कुल पीएसयू जहां उ.प्र. सरकार द्वारा पूँजी का निवेश किया गया है		वर्ष के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयू		पीएसयू जिनके द्वारा वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/प्रदत्त किया गया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	पीएसयू की संख्या	उ.प्र. सरकार द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	उ.प्र. सरकार द्वारा निवेशित पूँजी (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या	पीएसयू द्वारा लाभांश की घोषणा/प्रदत्त (₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/5 x 100)
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू							
2019-20	4	1,26,160.55	2	30,776.70	-	-	-
2020-21	4	1,34,515.87	2	1,02,660.29	-	-	-
2021-22	4	1,45,389.99	-	-			
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू							
2019-20	9	2,387.35	4	995.72	2[13]	0.04	0.004
2020-21	3	1,678.48	2	0.48	1[14]	0.02	4.17
2021-22	4	2,641.42	2	107.05	-	-	-

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2019-20 में तथा उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2020-21 में लाभ में चल रहे थे। हालाँकि, इन कम्पनियों ने उ.प्र. सरकार को कोई भी लाभांश घोषित/प्रदत्त नहीं किया था। ऊर्जा क्षेत्र के सात पीएसयू ने वर्ष 2021-22 हेतु अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत किया लेकिन सभी घाटे में चल रहे थे।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सम्बन्ध में, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान लाभ में चल रहे पीएसयू की संख्या दो से लेकर चार के मध्य थी। 2019-20 के दौरान, दो पीएसयू एवं 2020-21 के दौरान एक पीएसयू ने उत्तर प्रदेश सरकार को लाभांश घोषित/प्रदत्त किया। ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त दो पीएसयू यथा आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपने अर्जित लाभ को

[13] उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[14] उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड।

अन्तिमीकृत किया, हालाँकि कम्पनी द्वारा कोई भी लाभांश घोषित नहीं किया गया। लाभांश भुगतान अनुपात 2019-20 में 0.004 प्रतिशत एवं 2020-21 में 4.17 प्रतिशत था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण (ऋण शोधन)

2.4 2019-20 से 2021-22 के दौरान पीएसयू के दीर्घावधि ऋणों जिनमें सरकार, बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों आदि की ब्याज देयताएं थीं, का विश्लेषण पीएसयू द्वारा धारित ऋणों के भुगतान की क्षमता का आंकलन करने के लिए किया गया। इसे ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से आंकलित किया जाता है।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

2.4.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज व्ययों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी कम होगी। एक से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात इंगित करता है कि कम्पनी अपने ब्याज के व्ययों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। पीएसयू जिनमें 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, से सम्बन्धित ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण **तालिका 2.7** में दिया गया है।

तालिका 2.7: दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज के दायित्व वाले पीएसयू का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष के दौरान	पीएसयू के प्रकार	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या जिनमें ऋणों पर ब्याज की देयता है	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू						
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	6,892.20	3,776.62	8	2	6
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	8,008.39	2,625.34	8	2	6
2021-22	सरकारी कम्पनियाँ	10,174.48	3,202.78	8	1	7
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू						
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	85.21	-257.69	4	1	3
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	0.04	-0.93	1	-	1
	सांविधिक निगम	1.12	143.82	1	1	-
	योग	**86.37**	**-114.80**	**6**	**2**	**4**
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	107.92	-298.78	4	1	3
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	0.06	-1.46	1	-	1
	सांविधिक निगम	1.12	143.82	1	1	0
	योग	**109.10**	**-156.42**	**6**	**2**	**4**

वर्ष के दौरान	पीएसयू के प्रकार	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ (₹ करोड़ में)	पीएसयू की संख्या जिनमें ऋणों पर ब्याज की देयता है	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	पीएसयू की संख्या जिनमें ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
2021-22	सरकारी कम्पनियाँ	107.43	-300.93	4	1	3
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	0.06	-1.46	1	-	1
	सांविधिक निगम[15]	1.12	143.82	1	1	-
	योग	**108.61**	**-158.57**	**6**	**2**	**4**

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में, 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऋणों पर ब्याज देयता के दायित्व वाले आठ पीएसयू में से, 2019-20 एवं 2020-21 में केवल दो पीएसयू[16] और 2021-22 में एक पीएसयू[17] का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था जबकि शेष छः/सात पीएसयू का ब्याज व्याप्ति अनुपात नकारात्मक/एक से कम था। यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर अपने व्ययों को पूर्ण करने तक के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त छः पीएसयू जिनमें ऋण की देयता थी, में से केवल दो पीएसयू[18] में ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था। चार पीएसयू का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था जो यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर अपने व्ययों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

2.4.2 31 मार्च 2022 तक, उ.प्र. सरकार द्वारा पाँच पीएसयू को प्रदान किये गये दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 559.40 करोड़ का ब्याज बकाया था। पीएसयू में उ.प्र. सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण **तालिका 2.8** में दिया गया है।

[15] चूँकि वर्ष 2021-22 के लिए सांविधिक निगमों का कोई लेखा प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए सांविधिक निगमों का वित्तीय निष्पादन वर्ष 2020-21 के समान ही माना गया है।

[16] 2019-20 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा 2020-21 में उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[17] उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड।

[18] श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।

तालिका 2.8: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर बकाया ब्याज का आयु-वार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

पीएसयू का नाम	31 मार्च 2022 तक ऋणों पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम बकाया	1 से 3 वर्षों का बकाया	3 वर्षों से अधिक का बकाया
I. ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू				
उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	246.56	10.59	21.19	214.78
उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	185.76	47.77	100.83	37.16
उप योग (I)	**432.32**	**58.36**	**122.02**	**251.94**
II. ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू				
दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	34.63	0.00	0.00	34.63
उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	53.62	2.16	6.47	44.99
उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	38.83	4.99	13.29	20.55
उप योग (II)	**127.08**	**7.15**	**19.76**	**100.17**
महायोग	**559.40**	**65.51**	**141.78**	**352.11**

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि ₹ 559.40 करोड़ की कुल ब्याज धनराशि में से ₹ 352.11 करोड़ तीन वर्ष से अधिक से बकाया है, जो यह दर्शाता है कि ये पीएसयू नियमित रूप से ब्याज का भुगतान नहीं कर रहे थे।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिचालन दक्षता

पीएसयू में नियोजित पूँजी एवं कुल सम्पत्ति के सापेक्ष टर्नओवर

2.5.1 31 मार्च 2022 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सम्बन्ध में टर्नओवर, कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूँजी का विवरण **तालिका 2.9** में दिया गया है।

तालिका 2.9: ऊर्जा क्षेत्र एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का टर्नओवर, सम्पत्ति एवं नियोजित पूँजी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	पीएसयू की संख्या	टर्नओवर	कुल सम्पत्ति	नियोजित पूँजी
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	11	66,378.02	3,29,501.90	30,223.19
2020-21		11	67,006.25	4,10,377.35	1,14,120.68
2021-22		11	68,931.87	4,15,720.42	1,03,215.16
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	12	1,649.72	19,021.88	11,303.26
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	24.27	6,323.37	5,213.71
	सांविधिक निगम	3	5,256.32	24,607.56	6,713.79
	योग	**26**	**6,930.31**	**49,952.81**	**23,230.76**
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	12	1,524.07	20,648.45	12,617.31
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	21.73	7,169.27	5,413.34

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	पीएसयू की संख्या	टर्नओवर	कुल सम्पत्ति	नियोजित पूँजी
	सांविधिक निगम	3	5,681.08	25,110.76	6,875.25
	योग	**26**	**7,226.88**	**52,928.48**	**24,905.90**
2021-22	सरकारी कम्पनियाँ	12	1,553.97	24,937.36	16,098.88
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	11	21.73	7,377.37	5,413.35
	सांविधिक निगम	3	5,681.08	25,110.76	6,875.25
	योग	**26**	**7,256.78**	**57,425.49**	**28,387.48**
2019-20	**सभी पीएसयू**	**37**	73,308.33	3,79,454.71	53,453.95
2020-21	**सभी पीएसयू**	**37**	74,233.13	4,63,305.83	1,39,026.58
2021-22	**सभी पीएसयू**	**37**	76,188.65	4,73,145.91	1,31,602.64

अध्याय में सम्मिलित 37 पीएसयू में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में टर्नओवर एवं कुल सम्पत्ति में वृद्धि थी जबकि नियोजित पूँजी में कमी थी। टर्नओवर, कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूँजी का पीएसयू-वार विवरण **परिशिष्ट-2.1** में दिया गया है।

ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू के सम्बन्ध में, विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 से 2021-22 में टर्नओवर एवं कुल सम्पत्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति थी जबकि नियोजित पूँजी में 2020-21 में वृद्धि एवं 2021-22 में कमी थी। टर्नओवर में वृद्धि मुख्य रूप से पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में हुई, जबकि कुल सम्पत्ति में वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हुई। 2020-21 में नियोजित पूँजी में वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में थी, जबकि 2021-22 में नियोजित पूँजी में कमी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में थी।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू के सम्बन्ध में, विगत वर्षों की तुलना में 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान टर्नओवर, कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूँजी में बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गयी है। कुल सम्पत्ति एवं नियोजित पूँजी में वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कुल संपत्ति के साथ-साथ नियोजित पूँजी में वृद्धि के कारण हुई, जबकि टर्नओवर में वृद्धि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के टर्नओवर में वृद्धि के कारण हुई।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

2.5.2 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी पूँजी के नियोजन की दक्षता को मापता है।

आरओसीई की गणना कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व लाभ (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी[19] द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू (सभी सरकारी कम्पनियाँ) के आरओसीई का विवरण **तालिका 2.10** में दिया गया है।

तालिका 2.10: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू			
2019-20	619.76	30,223.19	2.05
2020-21	14,826.12	1,14,120.68	12.99
2021-22	-5,101.75	1,03,215.16	(-)4.94

2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का कुल आरओसीई (-) 4.94 प्रतिशत एवं 12.99 प्रतिशत के मध्य था। 2020-21 में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का आरओसीई मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ईबीआईटी में वृद्धि के कारण बढ़ा। 2021-22 में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का आरओसीई कम हो गया, जिसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ईबीआईटी में कमी है।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू (12 सरकारी कम्पनियाँ, 11 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ, एवं तीन सांविधिक निगम) के आरओसीई का विवरण **तालिका 2.11** में दिया गया है।

तालिका 2.11: ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	(-)179.35	11,303.26	(-)1.59
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	28.97	5,213.71	0.56
	सांविधिक निगम	195.37	6,713.79	2.91
	योग	**44.99**	**23,230.76**	**0.19**
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	(-)229.66	12,617.31	(-)1.82
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	2.92	5,413.34	0.05
	सांविधिक निगम	277.47	6,875.25	4.04
	योग	**50.73**	**24,905.90**	**0.20**
2021-22	सरकारी कम्पनियाँ	(-)232.41	16,098.88	(-)1.44
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	2.92	5,413.35	0.05
	सांविधिक निगम	277.47	6,875.25	4.04
	योग	**47.98**	**28,387.48**	**0.17**

स्रोतः 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आँकड़े

[19] नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियाँ - आस्थगित राजस्व व्यय।

2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का कुल आरओसीई 0.17 प्रतिशत एवं 0.20 प्रतिशत के मध्य था। सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के साथ-साथ सांविधिक निगमों का आरओसीई 2019-20 से 2021-22 के दौरान क्रमशः 0.05 प्रतिशत से 0.56 प्रतिशत तथा 2.91 प्रतिशत से 4.04 प्रतिशत के मध्य सकारात्मक रहा। हालाँकि, सरकारी कम्पनियों का आरओसीई 2019-20 से 2021-22 के दौरान (-) 1.44 प्रतिशत एवं (-) 1.82 प्रतिशत के मध्य नकारात्मक रहा।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के अन्य सरकारी कम्पनियों का नकारात्मक आरओसीई विगत वर्ष की तुलना में 2020-21 में और बढ़ गया, जिसका मुख्य कारण ईबीआईटी में कमी एवं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड की नियोजित पूँजी में वृद्धि है। विगत वर्ष की तुलना में 2021-22 में नकारात्मक आरओसीई में कमी आयी, जिसका मुख्य कारण उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की नियोजित पूँजी में 2020-21 में ₹ 8,073.06 करोड़ से 2021-22 में ₹ 11,709.19 करोड़ की उल्लेखनीय वृद्धि है।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के अलावा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों का आरओसीई 0.56 प्रतिशत से घटकर 0.05 प्रतिशत हो गया, जिसका मुख्य कारण डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड एवं मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ईबीआईटी में कमी तथा 2019-20 से 2020-21 के दौरान वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड की नियोजित पूँजी में वृद्धि थी।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सांविधिक निगम का आरओसीई 2.91 प्रतिशत से बढ़कर 4.04 प्रतिशत हो गया, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की ईबीआईटी के 2019-20 में ₹ 29.25 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 105.06 करोड़ हो जाने के कारण हुआ।

पूँजी पर प्रतिफल

2.5.3 पूँजी पर प्रतिफल (आरओई)[20] कम्पनी/निगम के वित्तीय निष्पादन की माप है इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात करों के बाद शुद्ध लाभ) को शेयरधारकों के कोष से विभाजित करके की जाती है। इसे शेयरधारक के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है एवं किसी भी कम्पनी/निगम के लिए जिसके शेयरधारकों का कोष सकारात्मक है, इसकी गणना की जा सकती है।

2019-20 से 2021-22 के अवधि के दौरान इस अध्याय में सम्मिलित ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू का आरओई **तालिका 2.12** में दिया गया है।

[20] पूँजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/पूँजी) X 100 जबकि पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

तलिका 2.12: ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

पीएसयू के प्रकार	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22
सरकारी कम्पनियाँ	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	-6,499.10	6,680.53	-15,399.66
	शेयरधारक का कोष	-50,030.12	6,603.68	(-)1,994.66
	आरओई (प्रतिशत में)	-	101.16	-

स्रोतः 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आँकड़े

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के मामले में, शुद्ध आय एवं शेयरधारकों का कोष 2019-20 और 2021-22 में नकारात्मक तथा 2020-21 के दौरान सकारात्मक था। यह देखा गया कि 2020-21 में ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू की सकारात्मक शुद्ध आय मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष के दौरान दिखाए गए ₹ 17,378.72 करोड़ के शुद्ध लाभ के कारण थी, जबकि 2019-20 में ₹ (-) 3,158.92 करोड़ का घाटा हुआ था। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिखाया गया शुद्ध लाभ मुख्य रूप से ₹ 17,380.02 करोड़ (सम्पत्ति की हानिः ₹ 17,111.68 करोड़ और अन्य प्रावधानः ₹ 268.34 करोड़) के प्रावधानों के प्रत्यावर्तन होने के कारण था। 2021-22 में, ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू की शुद्ध आय पुनः नकारात्मक (₹ -15399.66 करोड़) हो गयी।

अग्रेतर, ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के शेयरधारकों का कोष 2020-21 में सकारात्मक हो गया, जिसका मुख्य कारण दिनांक 5 मार्च 2021 को जारी उ.प्र. सरकार के आदेश के आधार पर 2021-22 से शुरू होने वाली 10 वर्षों की अवधि में अतिरिक्त राजस्व सब्सिडी जारी करने हेतु पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा क्रमशः ₹ 11,925.59 करोड़ एवं ₹ 2,159.69 करोड़ के जनरल रिजर्व का निर्माण करने के कारण था। तदनुसार, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के शेयरधारकों का कोष 2020-21 में सकारात्मक रूप से क्रमशः ₹ 6996.21 एवं ₹ 435.35 करोड़ हो गया, जो कि 2019-20 में क्रमशः ₹ (-) 2067.34 एवं ₹ (-) 8713.04 था।

चूँकि ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की शुद्ध आय और शेयरधारकों का कोष 2019-20 एवं 2021-22 में नकारात्मक था, इसलिए इन वर्षों के लिए आरओई पर कार्य नहीं किया जा सका। 2020-21 में सकारात्मक आरओई मुख्य रूप से उपरोक्त चर्चा के अनुसार ₹ 17,380.02 करोड़ के प्रावधानों के परिवर्तित होने के कारण यूपीपीसीएल द्वारा दिखाये गये ₹ 17,378.72 करोड़ के शुद्ध लाभ के कारण था। 2021-22 में नकारात्मक शेयरधारकों का कोष इंगित करता है कि इन पीएसयू की देनदारियाँ सम्पत्ति से अधिक हो गयी हैं

और शेयर पूँजी पर रिटर्न का भुगतान करने के बजाय, संचित घाटे ने सम्पूर्ण शेयर पूँजी को खत्म कर दिया है।

वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान इस अध्याय में सम्मिलित ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू (12 सरकारी कम्पनियाँ, 11 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) का आरओई **तालिका 2.13** में दिया गया है।

तालिका 2.13: ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू में पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

		2019-20	2020-21	2021-22
सरकारी कम्पनियाँ	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	-274.55	-347.47	-349.73
	शेयरधारक का कोष	3,564.34	3,960.11	4,537.18
	आरओई (प्रतिशत में)	-7.70	-8.77	-7.71
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	17.00	-5.71	-5.71
	शेयरधारक का कोष	1,606.29	1,805.83	1,805.84
	आरओई (प्रतिशत में)	1.06	-0.32	-0.32
सांविधिक निगम	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	194.25	276.35	276.35
	शेयरधारक का कोष	6,678.79	6,840.25	6,840.25
	आरओई (प्रतिशत में)	2.91	4.04	4.04
	वर्ष की शुद्ध आय/कुल उपार्जन	**-63.30**	**-76.83**	**-79.09**
	शेयरधारक का कोष	**11,849.42**	**12,606.19**	**13,183.27**
	आरओई (प्रतिशत में)	**-0.53**	**-0.61**	**-0.60**

स्रोतः 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित आँकड़े

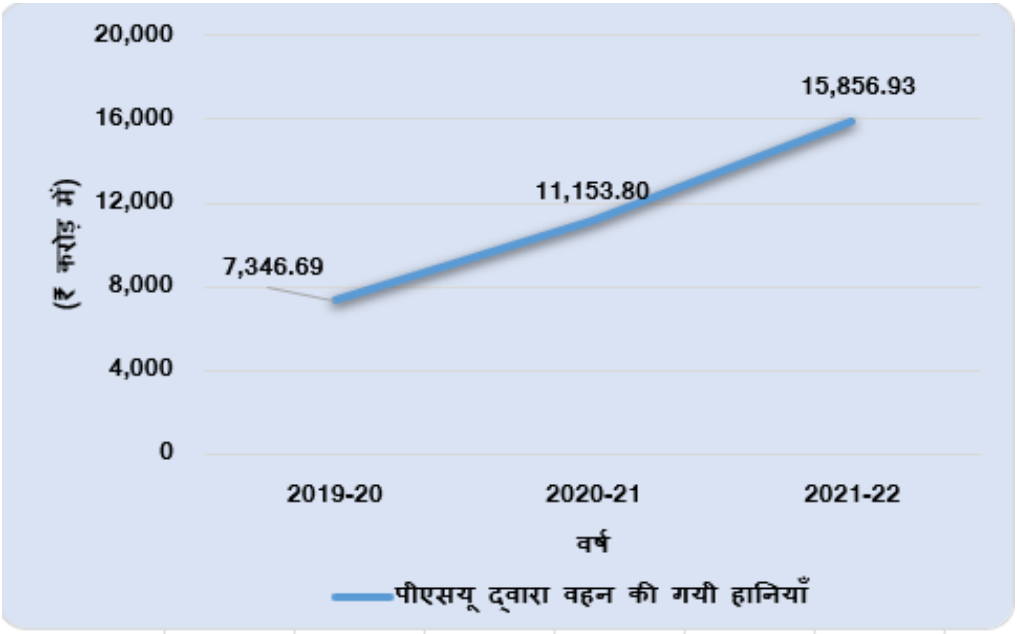
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू के सम्बन्ध में, वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान कुल आरओई एवं सरकारी कम्पनियों का आरओई ऋणात्मक था। हालाँकि, सांविधिक निगमों का आरओई सकारात्मक रहा एवं यह 2.91 प्रतिशत एवं 4.04 प्रतिशत के मध्य था। वर्ष 2019-20 के दौरान सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों का आरओई सकारात्मक था तथा यह 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान ऋणात्मक था।

हानि वहन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वहन की गयी हानि

2.6.1 2019-20 से 2021-22 के दौरान पीएसयू द्वारा वहन की गयी हानियाँ **चार्ट 2.4** में दर्शायी गयी है।

चार्ट 2.4: पीएसयू द्वारा वहन की गयी हानियाँ



अध्याय में सम्मिलित कुल 37 पीएसयू में से, 2019-20 से 2020-21 के दौरान 20 पीएसयू ने हानि वहन की। 2021-22 में घाटे में चल रहे पीएसयू की संख्या बढ़कर 21 हो गयी है। इन पीएसयू को वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान क्रमशः ₹ 7,346.69 करोड़, ₹ 11,153.80 करोड़ एवं ₹15,856.93 करोड़ की हानि हुई। 2021-22 के दौरान पीएसयू के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 8,305.27 करोड़), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,957.52 करोड़) एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,042.20 करोड़) हानि वहन करने वाले मुख्य पीएसयू थे **(परिशिष्ट-2.1)**।

निवल मूल्य का क्षरण

2.6.2 निवल मूल्य का तात्पर्य प्रदत्त पूँजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष के योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने से है। वास्तव में यह एक माप है कि संस्था स्वामियों के लिए कितनी मूल्यवान है। ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि स्वामियों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के कारण लुप्त हो गया है।

तालिका 2.14, 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार वर्ष 2019-20 से 2021-22 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू के प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को इंगित करती है।

तालिका 2.14: 2019-20 से 2021-22 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त तक संचित लाभ(+)/हानि(-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (2)+(3)-(4)
2019-20	1,25,973.16	-1,76,003.10	0.18	-50,030.12
2020-21	1,36,548.49	-1,44,029.92	0.18	6,603.68[21]
2021-22	1,45,387.51	-1,60,387.42	0.18	-1,994.66[22]

31 मार्च 2022[23] तक, ऊर्जा क्षेत्र के 11 पीएसयू की कुल संचित हानि ₹ 1,60,387.42 करोड़ थी। इनमें से, नौ पीएसयू को उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 15,403.54 करोड़ की हानि हुई। अग्रेतर, दो पीएसयू ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 3.88 करोड़ का लाभ अर्जित किया। लाभ अर्जित करने वाले दो पीएसयू में से, एक पीएसयू[24] का संचित लाभ ₹ 4.81 करोड़ जबकि दूसरे पीएसयू[25] की संचित हानि ₹ 419.30 करोड़ थी।

संचित हानि के कारण ऊर्जा क्षेत्र के चार पीएसयू के निवल मूल्य का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया था। 31 मार्च 2022 को इन चार पीएसयू[26] में ₹ 1,36,898.47 करोड़ के पूँजी निवेश के विरूद्ध निवल मूल्य (-) ₹ 62,500.04 करोड़ था **(परिशिष्ट-2.1)**। शेष सात[27] में से दो[28] पीएसयू, जिनका निवल मूल्य मार्च 2022 के अन्त में सकारात्मक था, उनका निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी के आधे से कम था, जो उनकी संभावित वित्तीय रूग्णता को दर्शाता है।

तालिका 2.15, 2019-20 से 2021-22 के दौरान 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त

[21] निवल मूल्यः ₹ 1,36,548.49 करोड़ (प्रदत्त पूँजी) - ₹ 1,44,029.92 करोड़ (संचित हानि) - ₹ 0.18 करोड़ (आस्थगित राजस्व व्यय) + ₹ 11,925.60 करोड़ (मुक्त संचय पीवीवीएनएल) + ₹ 2,159.69 करोड़ (मुक्त संचय डीवीवीएनएल) = ₹ 6,603.68 करोड़।

[22] निवल मूल्यः ₹ 1,45,387.51 करोड़ (प्रदत्त पूँजी) - ₹ 1,60,387.42 करोड़ (संचित हानि) - ₹ 0.18 करोड़ (आस्थगित राजस्व व्यय) + ₹ 11,052.01 करोड़ (मुक्त संचय पीवीवीएनएल) + ₹ 1,953.42 करोड़ (मुक्त संचय डीवीवीएनएल) = ₹ 1,994.66 करोड़।

[23] 30 सितम्बर 2022 तक नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

[24] जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

[25] उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड।

[26] दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड।

[27] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड, जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

[28] उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

26 पीएसयू (12 सरकारी कम्पनियाँ, 11 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम) के प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को इंगित करती है।

तालिका 2.15: 2019-20 से 2021-22 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएसयू का प्रकार	वर्ष के अन्त में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अन्त में संचित लाभ लाभ(+)/हानि(-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)-(4)
2019-20	सरकारी कम्पनियाँ	4,006.94	-442.60	0.00	3,564.34
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1,506.66	99.84	0.21	1,606.29
	सांविधिक निगम	963.62	5,715.17	0.00	6,678.79
	योग	**6,477.22**	**5,372.41**	**0.21**	**11,849.42**
2020-21	सरकारी कम्पनियाँ	4,750.74	-790.63	0.00	3,960.11
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1,656.91	149.32	0.40	1,805.83
	सांविधिक निगम	963.62	5,876.63	0.00	6,840.25
	योग	**7,371.27**	**5,235.32**	**0.40**	**12,606.19**
2021-22	सरकारी कम्पनियाँ	5,736.74	-1,199.56	0.00	4,537.18
	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	1,656.91	149.33	0.40	1,805.84
	सांविधिक निगम	963.62	5,876.63	0.00	6,840.25
	योग	**8,357.27**	**4,826.40**	**0.40**	**13,183.27**

31 मार्च 2022 तक ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 26 पीएसयू में से, नौ पीएसयू की ₹ 2,694.86 करोड़ की संचित हानि थी। इन नौ पीएसयू के नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार, सात पीएसयू को ₹ 441.24 करोड़ की हानि हुई एवं दो पीएसयू ने ₹ 144.31 करोड़ का लाभ अर्जित किया, यद्यपि उनमें ₹ 907.55 करोड़ की संचित हानि थी।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त छः[29] पीएसयू के निवल मूल्य का संचित हानि के कारण पूर्ण रूप से क्षरण हो गया एवं 31 मार्च 2022 तक ₹ 143.50 करोड़ पूँजी निवेश के सापेक्ष उनका निवल मूल्य (-) ₹ 279.23 करोड़ था। हालाँकि, छः पीएसयू में से जिनके निवल मूल्य का क्षरण हो गया था, एक[30] पीएसयू ने अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 1.61 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इन छः पीएसयू में, 31 मार्च 2022 तक बकाया सरकारी ऋण ₹ 1,138.53 करोड़ था।

[29] दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड, प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड, प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड, मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।

[30] नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड।

2.7 निष्कर्ष

- **31 मार्च 2022 तक, 37 पीएसयू जिनका वित्तीय निष्पादन इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है, में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 2,80,732.97 करोड़ था। निवेश में 58.51 प्रतिशत की पूँजी एवं 41.49 प्रतिशत का दीर्घावधि ऋण सम्मिलित है। उसमें से, इन पीएसयू में उ.प्र. सरकार ने ₹ 1,55,400.63 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें पूँजी ₹ 1,52,384.09 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 3,016.54 करोड़ है।**
- **वर्ष 2021-22 तक, अपने नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार 37 पीएसयू में से 16 पीएसयू ने ₹ 378.18 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 21 पीएसयू ने ₹ 15,856.93 करोड़ की हानि वहन की। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (₹ 142.70 करोड़) एवं उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद (₹ 105.16 करोड़) मुख्य लाभ कमाने वाले पीएसयू थे। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 8,305.27 करोड़), दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,957.52 करोड़) एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 2,042.20 करोड़) हानि वहन वाले मुख्य पीएसयू थे।**
- **31 मार्च 2022 तक, 74 पीएसयू के पूँजी, ऋण एवं प्रत्याभूति में अन्तर था। आँकड़ों के बीच यह अन्तर विगत कई वर्षों से बना हुआ है, यद्यपि लेखापरीक्षा द्वारा समय-समय पर सम्बन्धित पीएसयू एवं विभागों के साथ अन्तरों के मिलान का मामला भी उठाया गया था।**
- **2021-22 के दौरान 14 पीएसयू जिनमें ब्याज सहित ऋण देयताएं थीं, में से 11 पीएसयू में ब्याज व्याप्ति अनुपात ऋणात्मक (एक से कम) था जो यह इंगित करता है कि ये पीएसयू ब्याज पर अपने व्ययों की पूर्ति के लिए भी पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके।**
- **संचित हानि के कारण 10 पीएसयू के निवल मूल्य का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया। इन पीएसयू में, ₹ 1,37,041.97 करोड़ के पूँजी निवेश के विरूद्ध इन पीएसयू का निवल मूल्य (-) ₹ 62,779.27 करोड़ था।**

2.8 संस्तुतियाँ

- ***उ.प्र. सरकार के वित्त विभाग एवं सम्बन्धित पीएसयू को पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार एवं उ.प्र. सरकार के वित्त लेखे के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया प्रत्याभूतियों के आँकड़ों के मध्य अन्तर का समयबद्ध तरीके से मिलान करना चाहिए।***
- ***राज्य सरकार को हानि वहन करने वाले पीएसयू के निष्पादन की समीक्षा करनी चाहिए और इन पीएसयू में सावधानीपूर्वक निवेश करना चाहिए एवं उनके निष्पादन में सुधार के लिए उपाय करना चाहिए।***

अध्याय-III

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका-पीएसयू के लेखाओं की लेखापरीक्षा

अध्याय-III

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका - पीएसयू के लेखाओं की लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

3.1 इस अध्याय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वर्ष 2021-22 (या इससे पूर्ववर्ती वर्षों के जो इस वर्ष के दौरान अन्तिमीकृत किये गये) की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप निर्गत महत्वपूर्ण टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है। इस अध्याय में सांविधिक निगमों की वित्तीय विवरणियों पर सीएजी द्वारा निर्गत टिप्पणियों के प्रभाव को भी सम्मिलित किया गया है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा, विधि उपबन्ध इत्यादि

3.1.1 सीएजी, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत सरकारी कम्पनी एवं सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सीएजी के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी निर्गत करने या उसे अनुपूरक करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षित है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाए।

सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

3.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) में प्रावधान है कि सरकारी कम्पनी या सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के मामले में सीएजी द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के अन्दर की जानी चाहिए। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) सरकारी कम्पनी अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी के पंजीकरण की तिथि से 60 दिन के अन्दर सीएजी द्वारा प्रथम सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति को प्रावधानित करती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

3.3.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के कार्यकलाप और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन को उसकी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन माह के अन्दर तैयार किया जाना होता है। इसके तैयार होने के बाद यथाशीघ्र, वार्षिक प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर या उसके पूरक के रूप में सीएजी की

टिप्पणियों के साथ विधायिका के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले सम्बन्धित अधिनियमों में अधिकतर समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह प्रणाली राज्य की संचित निधि से कम्पनियों/निगमों में निवेशित सार्वजनिक निधि के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियन्त्रण प्रदान करती है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करना अपेक्षित है। इसमें यह भी प्रावधान है कि एक एजीएम और उसकी अगली बैठक की तिथि के मध्य 15 माह से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 निर्दिष्ट करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों को उक्त एजीएम में उनके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7), कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर कम्पनी के निदेशकों सहित उत्तरदायी व्यक्तियों पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड का भी प्रावधान करती है।

31 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश में सीएजी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कुल 114 पीएसयू (93 सरकारी कम्पनियाँ, 15 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) में से 72 कार्यरत पीएसयू (53 सरकारी कम्पनियाँ, 13 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं छः सांविधिक निगम) तथा 42 अकार्यरत पीएसयू (40 सरकारी कम्पनियाँ एवं दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) थे। लेखाओं को तैयार करने में पीएसयू द्वारा समयसीमा के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

पीएसयू द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता

3.3.2 सभी पीएसयू को वर्ष 2021-22 हेतु लेखे 30 सितम्बर 2022 तक प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।

- 66 कार्यरत सरकारी कम्पनियों (53 सरकारी कम्पनियाँ एवं 13 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) में से केवल 11 पीएसयू[1] (10 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी) ने 30 सितम्बर 2022 तक वर्ष 2021-22 के अपने लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए प्रस्तुत किये। परिणामस्वरूप, 55 कार्यरत पीएसयू (43 सरकारी कम्पनियाँ एवं 12 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) के लेखे बकाया थे।

[1] मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद (सरकारी कम्पनियाँ) तथा आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड (सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी)।

- छः सांविधिक निगमों में से चार सांविधिक निगमों (उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं उत्तर प्रदेश वन निगम) में सीएजी एकल लेखापरीक्षक हैं। 30 सितम्बर 2022 तक इन चार सांविधिक निगमों में नौ लेखे[2] बकाया थे। अग्रेतर, किसी भी सांविधिक निगम ने वर्ष 2021-22 के लेखे सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु 30 सितम्बर 2022 तक प्रस्तुत नहीं किये।

30 सितम्बर 2022 तक राज्य पीएसयू द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: पीएसयू द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

विवरण		लेखाओं के प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित स्थिति			
		सरकारी कम्पनियाँ	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	योग
31 मार्च 2022 तक सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत पीएसयू की कुल संख्या		93	15	06	114
घटाया: नये पीएसयू जिनके लेखे 2021-22 हेतु देय नहीं थे		-	-	-	-
घटाया: परिसमापन के अधीन पीएसयू जिनके लेखे 2021-22 हेतु देय नहीं थे		12	01	-	13
पीएसयू की संख्या जिनके लेखे 2021-22 हेतु देय थे		81	14	06	101
पीएसयू की संख्या जिन्होनें 30 सितम्बर 2022 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए 2021-22 के लेखे प्रस्तुत किये		10	01	-	11
पीएसयू की संख्या जिनके लेखे बकाया थे		81[3]	14	06	101[4]
बकाया लेखाओं की संख्या		929	55	22	1006
बकाये का विवरण	(i) परिसमापन के अन्तर्गत	112	08	-	120
	(ii) अकार्यरत	551	27	-	578
	(iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किये	53	-	-	53
	(iv) अन्य	213	20	22	255
'अन्य' श्रेणी के विरूद्ध बकाये का आयु-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2021-22)	07	07	02	16
	दो वर्ष (2020-21 एवं 2021-22)	12	06	02	20
	तीन वर्ष एवं अधिक	194	07	18	219

[2] (i) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम; (ii) वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद; (iii) वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम; एवं (iv) वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश वन निगम के लेखे।

[3] 93 (कुल पीएसयू) - 12 (10 पीएसयू ने 2021-22 के लेखे प्रस्तुत किये और परिसमापन के अधीन दो पीएसयू जिनके लेखे बकाया नहीं थे)।

[4] इसमें दो पीएसयू नामतः उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड और उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड सम्मिलित नहीं है, जो परिसमापन के अधीन थे और जिनके कोई लेखे परिसमापन में जाने की तिथि तक बकाये नहीं थे।

उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) ने ऊर्जा क्षेत्र के छः में से एक[5] पीएसयू को ₹ 2,035.05 करोड़ की पूँजी प्रदान की थी, जिसके वर्ष 2021-22 तक के लेखाओं को 30 सितम्बर 2022 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था जबकि शेष पाँच ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में उस अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जिनके लेखे बकाया थे।

अग्रेतर, उ.प्र. सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 95 पीएसयू में से 37 पीएसयू को ₹ 6,575.47 करोड़ (पूँजीः ₹ 1,432.02 करोड, ऋणः ₹ 1,187.47 करोड़, अनुदानः ₹ 3,542.47 करोड़ और सब्सिडीः ₹ 413.51 करोड़) भी प्रदान किये थे, जिनके वर्ष 2021-22 तक के लेखाओं को 30 सितम्बर 2022 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जबकि शेष 58 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू में लेखाओं के बकाया होने की अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जिन वर्षों के लेखे बकाया थे, उन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश का पीएसयू-वार विवरण **परिशिष्ट-3.1** में दर्शाया गया है।

प्रशासनिक विभागों का उत्तरदायित्व है कि वे इन पीएसयू की गतिविधियों की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि इन पीएसयू द्वारा निर्धारित अवधि के अंदर लेखों को अन्तिमीकरण किया जाए तथा उन्हें अंगीकृत किया जाए। सम्बन्धित विभागों को बकाया लेखाओं के सम्बन्ध में नियमित रूप से सूचित किया गया था।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

3.3.2.1 लेखाओं के अन्तिमीकरण में विलम्ब से कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ-साथ धोखाधड़ी तथा सार्वजनिक धन को रिसाव का जोखिम हो सकता है। लेखाओं के बकाया की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए बकाया लेखाओं की अवधि के दौरान वहन हानि/अर्जित लाभ को सम्मिलित करते हुए इन 101 पीएसयू[6] का वास्तविक निष्पादन तथा राज्य के जीडीपी में योगदान, को आंकलित नहीं किया जा सका/राज्य विधानमंडल को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। इन पीएसयू द्वारा लेखाओं को अन्तिमीकृत किये जाने एवं उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि किये गये निवेश एवं व्यय उचित रूप से लेखांकित किये गये हैं तथा निधियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया था, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा इसे उपलब्ध कराया गया। यह प्रकरण उन सांविधिक निगमों के मामले में बड़ी चिन्ता का विषय है, जहाँ प्रमाणन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एकल लेखापरीक्षक के रूप में सीएजी पर है।

[5] उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।

[6] ऊर्जा क्षेत्र के 6 पीएसयू एवं ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 95 पीएसयू।

अकार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

3.3.2.2 31 मार्च 2022 तक, 42 राज्य पीएसयू (40 सरकारी कम्पनियाँ और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) अकार्यरत थे जिनमें पूँजी (₹ 977.48 करोड़) और दीर्घावधि ऋणों (₹ 576.71 करोड़) के रूप में कुल निवेश ₹ 1,554.19 करोड़ था। इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड (₹ 289.15 करोड़), नंदगंज सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 256.80 करोड़) एवं घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (₹ 152.17 करोड़) में मुख्य निवेश था। 42 अकार्यरत पीएसयू में से 13 पीएसयू (12 सरकारी कम्पनियाँ और एक सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी) परिसमापनाधीन हैं, जबकि शेष 29 अकार्यरत पीएसयू ने जून 1990 से सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान अपना परिचालन बंद कर दिया है। राज्य सरकार इन अकार्यरत पीएसयू की स्थिति की समीक्षा कर सकती है।

अकार्यरत पीएसयू के बकाया लेखे

3.3.2.3 अकार्यरत 42 पीएसयू (परिसमापनाधीन 13 पीएसयू को सम्मिलित करते हुए) में से, 30 सितम्बर 2022 तक अकार्यरत 40 पीएसयू (38 सरकारी कम्पनियाँ और दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) के 698 लेखे बकाया थे। इन पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु-वार विश्लेषण **तालिका 3.2** में दिया गया है।

तालिका 3.2: अकार्यरत पीएसयू के बकाया लेखाओं का आयु-वार विश्लेषण

		बकाये का आयु-वार विश्लेषण				योग
		1-5 वर्ष	6-10 वर्ष	11-20 वर्ष	21 वर्ष एवं उससे अधिक	
बकाया लेखाओं वाले अकार्यरत पीएसयू	परिसमापनाधीन	4	1	5	1	11
	अन्य	6	3	5	15	29
बकाये लेखाओं की संख्या	परिसमापनाधीन पीएसयू	9	8	74	29	120
	अन्य अकार्यरत पीएसयू	16	22	67	473	578

सीएजी का निरीक्षण - लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा

वित्तीय प्रतिवेदन ढाँचा

3.4.1 कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में निर्धारित प्रारूप और केन्द्र सरकार द्वारा लेखांकन मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में कम्पनियों द्वारा वित्तीय विवरणियाँ तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों को सीएजी के परामर्श तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से सम्बन्धित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत बनाये गए नियमों में निर्धारित प्रारूप में लेखे तैयार किया जाना चाहिये।

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

3.4.2 सीएजी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन का अनुश्रवण करके पर्यवेक्षक की भूमिका निभाता है जिसका समग्र उद्देश्य है कि सांविधिक लेखापरीक्षक आवंटित कार्यों का निर्वहन उचित एवं प्रभावी रुप से करें। इस कार्य का निष्पादन निम्न शक्तियों का उपयोग करते हुए किया जाता हैः

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश निर्गत करना; और
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को अनुपूरक करना या उन पर टिप्पणी करना।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

3.4.3 कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचा के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने का प्रमुख उत्तरदायित्व इकाई के प्रबन्धन का है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षा परिपाटियों तथा सीएजी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

चयनित सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखाओं के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण, यदि कोई हों, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत प्रतिवेदित की गयी हो, को एजीएम के समक्ष प्रस्तुत करना होता है।

सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

3.5.1 44 पीएसयू[7] से वर्ष 2021-22 तक की वित्तीय विवरणियाँ 30 सितम्बर 2022 तक (01 दिसम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2022 की अवधि के दौरान) प्राप्त हुई जैसा कि **परिशिष्ट-3.2** में वर्णित है। सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान 44 पीएसयू[8] के लेखाओं की समीक्षा और उन पर टिप्पणियाँ की गयी थीं जैसा कि **परिशिष्ट-3.3** में वर्णित है। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत हैं:

वित्तीय विवरणों में संशोधन

3.5.2 ऐसे कोई मामले नहीं थे, जहाँ किसी सरकारी कम्पनी या सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी या सांविधिक निगम ने एजीएम में/विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी वित्तीय विवरणियों को संशोधित किया हो।

लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का संशोधन

3.5.3 ऐसे कोई मामले नहीं थे, जहाँ किसी सरकारी कम्पनी या सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनी या सांविधिक निगम के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन को संशोधित किया हो।

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों के पूरक के रूप में तथा सांविधिक निगमों के लेखाओं पर एकल लेखापरीक्षक के रूप में जारी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

3.5.4 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2021-22 तक की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के उपरांत चयनित सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की वित्तीय विवरणियों की सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की गयी। जिन पीएसयू के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ निर्गत की गयीं थी उनकी सूची **परिशिष्ट-3.3** में दी गयी है। सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की वित्तीय विवरणियों पर निर्गत कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 1,849.41 करोड़ तथा परिसंपत्तियों/दायित्वों पर ₹ 1,930.41 करोड़ था, जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया गया है:

[7] 32 सरकारी कम्पनियाँ, नौ सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं तीन सांविधिक निगम।
[8] 32 सरकारी कम्पनियाँ, 10 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ एवं दो सांविधिक निगम।

(अ) सरकारी कम्पनियाँ

1.लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	1. तीन खण्डों द्वारा परिचालन से राजस्व (रेलवे ट्रैक्शन को विद्युत की बिक्री) की अधिक/कम बुकिंग के कारण 'परिचालन से प्राप्त राजस्व' ₹ 1.56 करोड़ (₹ 6.33 करोड़ - ₹ 4.77 करोड़) की शुद्ध राशि से अधिक बताया गया है। परिणामस्वरूप, 'परिचालन से राजस्व' के साथ-साथ 'व्यापार प्राप्य' अधिक बताया गया और 'वर्ष हेतु हानि' ₹ 1.56 करोड़ से कम बतायी गयी। 2. छः खण्डों द्वारा आंतरिक रूप से उपभोग की गयी विद्युत के कारण ₹ 8.99 करोड़ की धनराशि 'परिचालन से राजस्व' में सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 'परिचालन से राजस्व' और 'प्रशासनिक सामान्य एवं अन्य व्यय', प्रत्येक को ₹ 8.99 करोड़ से कम बताया गया है।
2	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित दरों पर उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा जारी किये गये बिलों पर पारेषण प्रभारों का उपार्जन आधार पर लेखांकन किया जाता है। लेखांकन नीति के उल्लंघन में, अगले वर्ष से सम्बन्धित ₹ 245.38 करोड़ के अनुपार्जित पारेषण प्रभारों का लेखांकन चालू वर्ष में किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 'क्रय की गयी विद्युत की लागत' एवं 'चालू देयताओं' प्रत्येक को ₹ 245.38 करोड़ से अधिक बताया गया है। परिणामस्वरूप, 'वर्ष हेतु हानि' को भी इतनी ही धनराशि से अधिक बताया गया है। 2. वित्त लागत में पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा आर-एपीडीआरपी योजना हेतु प्रदान किये गये ऋण पर ₹ 43.82 करोड़ की ब्याज राशि सम्मिलित नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 'वित्त लागत' एवं 'चालू देयताएं' ₹ 43.82 करोड़ से कम बतायी गयीं। परिणामस्वरूप, 'वर्ष हेतु हानि' को भी इतनी ही धनराशि से कम बताया गया है। 3. आरजीजीवीवाई 11वीं और 12वीं योजनाओं के अन्तर्गत मूल्यह्रास और परिशोधन व्ययों में पूँजीकृत परिसंपत्तियों पर ₹ 58.44 करोड़ की राशि का मूल्यह्रास सम्मिलित नहीं है। चूँकि दोनों योजनाओं के सभी कार्य मार्च 2019 तक पहले ही पूर्ण हो चुके थे, इसलिए लेखों में सम्पूर्ण वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए मूल्यह्रास और परिशोधन व्ययों के साथ-साथ वर्ष हेतु हानि को कम बताया गया और संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण को प्रत्येक ₹ 58.44 करोड़ से अधिक बताया गया।

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
3	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	1. कम्पनी के चार खण्डों, जहां बिलिंग मैनुअल आधार पर की गयी थी, से सम्बन्धित सार्वजनिक प्रकाश (लैम्प) - ₹ 7.86 करोड़, सार्वजनिक जल कार्य- ₹ 15.07 करोड़ और राज्य नलकूप एवं पंप युक्त नहरें- ₹ 5.26 करोड़ की श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं से प्राप्य ₹ 28.19 करोड़ की राशि परिचालन से प्राप्त राजस्व में सम्मिलित नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप 'परिचालन से राजस्व' एवं 'व्यापार प्राप्य' प्रत्येक ₹ 28.19 करोड़ से कम बताये गये। परिणामस्वरूप, वर्ष हेतु हानि को भी इतनी ही धनराशि से अधिक बताया गया है। 2. परिचालन से प्राप्त राजस्व में आंतरिक रूप से उपभोग की गयी ऊर्जा के सम्बन्ध में ₹ 123.23 करोड़ की राशि सम्मिलित नहीं है क्योंकि ₹ 338.70 करोड़ (धारक कम्पनी द्वारा सूचित) के सापेक्ष केवल ₹ 215.47 करोड़ का लेखांकन किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 'परिचालन से राजस्व' और 'प्रशासनिक सामान्य एवं अन्य व्यय' प्रत्येक ₹ 123.23 करोड़ से कम बताये गये। 3. 'प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्ययों' में 2011-12 से 2018-19 की अवधि हेतु यूपीईआरसी की ₹ 21.79 करोड़ की मांग के विरुद्ध लेखाओं में दर्ज लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹ 33.48 करोड़ सम्मिलित है। इसके परिणामस्वरूप 'प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय' एवं 'अन्य चालू देनदारियों' प्रत्येक को ₹ 11.69 करोड़ से अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, 'वर्ष हेतु हानि' को भी इतनी ही धनराशि से अधिक बताया गया। 4. प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्ययों में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत पूँजीगत कार्यों के निष्पादन के लिए ठेकेदारों एवं परामर्शदाताओं को कार्यों/परामर्श सेवाओं हेतु भुगतान किये गये अग्रिम एवं व्ययों के प्रति ₹ 150.33 करोड़ सम्मिलित हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 150.33 करोड़ से 'प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्ययों' को अधिक तथा 'चालू पूँजीगत कार्य' को कम बताया गया। परिणामस्वरूप, 'वर्ष हेतु हानि' को भी ₹ 150.33 करोड़ अधिक बताया गया है।
4	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	तीन खण्डों द्वारा 'परिचालन से राजस्व' (सार्वजनिक जल कार्य) की कम/अधिक बुकिंग के कारण 'परिचालन से राजस्व' ₹ 59.30 करोड़ (₹ 62.38 करोड़ - ₹ 3.08 करोड़) की शुद्ध राशि से कम बताया गया है। इसके परिणामस्वरूप, 'परिचालन से राजस्व' के साथ-साथ 'व्यापार प्राप्यों' को कम बताया गया तथा 'वर्ष हेतु हानि' को ₹ 59.30 करोड़ से अधिक बताया गया है।

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
5	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	अन्य आय में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत पिछले वर्ष (2018-19) की हानियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) से प्राप्त ₹ 516.96 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी सम्मिलित है। उदय के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई), उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) और उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) (सभी डिस्कॉम की ओर से) के बीच हस्ताक्षरित 30 जनवरी 2016 के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2019-20 में 2018-19 की हानियों के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करनी थी। इंड-एएस 20 के अनुसार, पहले ही हो चुकी हानियों के लिए सरकारी अनुदान को उस वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की विवरणी में मान्यता दी जानी चाहिए जिसमें यह प्राप्य हो जाता है। इस प्रकार, 2019-20 की हानियों के विरुद्ध प्राप्य राशि ₹ 645.48 करोड़ (₹ 2,567.16 करोड़ की हानि का 25 प्रतिशत + 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 14.77 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी) को आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी। इसका लेखांकन न करने के कारण 'अन्य आय' एवं अन्य 'चालू परिसंपत्तियां' ₹ 128.52 करोड़ (₹ 645.48 करोड़ - ₹ 516.96 करोड़) से कम बतायी गयी।
6	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	1. अन्य आय में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत पिछले वर्ष (2018-19) की हानियों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) से प्राप्त ₹ 780.02 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी सम्मिलित है। उदय के कार्यान्वयन के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई), उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) और उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) (सभी डिस्कॉम की ओर से) के बीच हस्ताक्षरित 30 जनवरी 2016 के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार को वर्ष 2019-20 में 2018-19 की हानियों के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करनी थी। इंड-एएस 20 के अनुसार, पहले ही हो चुकी हानियों के लिए सरकारी अनुदान को उस वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की विवरणी में मान्यता दी जानी चाहिए जिसमें यह प्राप्य हो। इस प्रकार, 2019-20 की हानि के विरुद्ध प्राप्य राशि ₹ 275.99 करोड़ (₹ 988.89 करोड़ की हानि का 25 प्रतिशत + 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 115.05 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी) को आय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए थी, जबकि शेष राशि ₹ 504.03 करोड़ (₹ 780.02 करोड़ -

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			₹ 275.99 करोड़) को गैर-चालू देयताओं के अन्तर्गत दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'वर्ष हेतु हानि' और 'गैर-चालू देयताएं' ₹ 504.03 करोड़ से कम है। 2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के अनुसार यूपीईआरसी द्वारा अनुमोदित दरों पर उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) द्वारा जारी किये गये बिलों पर पारेषण प्रभारों का लेखांकन उपार्जन आधार पर किया जाता है। लेखांकन नीति के उल्लंघन में, अगले वर्ष से सम्बन्धित ₹ 302.72 करोड़ के अनुपार्जित पारेषण प्रभारों का लेखांकन चालू वर्ष में किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 'क्रय की गयी विद्युत की लागत' एवं 'चालू देयतायें' प्रत्येक ₹ 302.72 करोड़ से अधिक बताये गये। परिणामस्वरूप, 'वर्ष हेतु हानि' भी उसी धनराशि से अधिक बतायी गयी है। 3. मरम्मत एवं रखरखाव व्यय में ₹ 176.05 करोड़ आंतरिक रूप से उपभोग की गयी ऊर्जा की लागत सम्मिलित है, जिसे विद्युत प्रभार के बजाय मरम्मत एवं रखरखाव व्यय के रूप में गलत तरीके से बुक किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 176.05 करोड़ से 'मरम्मत एवं रखरखाव व्यय' को अधिक एवं 'विद्युत व्यय' को कम बताया गया है।
7	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड	2017-18	राज्य सरकार द्वारा गठित प्राधिकृत समिति ने कर्मचारियों के लिए 01 जुलाई 2016 एवं 01 जनवरी 2017 से पूर्वव्यापी प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर दो प्रतिशत से चार प्रतिशत करना अनुमोदित किया (11 फरवरी 2019)। कम्पनी के लेखों को निदेशक मंडल द्वारा 02 मई 2019 को अर्थात महंगाई भत्ते के अनुमोदन के बाद अनुमोदित किया गया था। तथापि, एएस 29 के प्रस्तर 14 के अनुसार यथा अपेक्षित महंगाई भत्ते के बकाये का प्रावधान लेखों में नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 'कर्मचारी लाभ व्यय' एवं 'अन्य चालू देयताओं', प्रत्येक को ₹ 10.26 लाख से कम बताया गया है। परिणामस्वरूप, लाभ को भी ₹ 10.26 लाख से अधिक बताया गया है।
8	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	कम्पनी ग्राहक के पते पर सीधे विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति की गयी वस्तुओं एवं सेवाओं की स्वीकृति पर बैक टू बैक आधार पर क्रय एवं सम्बन्धित परिचालन से राजस्व को मान्यता देती है। तथापि, 2018-19 के दौरान आपूर्ति की गयी ₹ 4.34 करोड़ की वस्तुओं और सेवाओं हेतु, जिनके लिए इनवॉइस जून 2019 तक जारी किये गये थे, को लेखों में मान्यता नहीं दी गयी थी। इसके परिणामस्वरूप 'व्यापारगत स्टॉक का क्रय' और 'परिचालन से राजस्व', प्रत्येक को ₹ 4.34 करोड़ से कम बताया गया।

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
9	प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यू.पी. लिमिटेड	2019-20	अन्य आय में संयुक्त रूप से वित्तपोषित 12 मामलों के यथानुपात हिस्से के विरुद्ध उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यूपीएफसी) से प्राप्य ₹ 2.14 करोड़ सम्मिलित हैं। उपर्युक्त आय पिछले वर्षों से सम्बन्धित है, अतः लेखा मानक-5 के प्रावधान के अनुसार इसे लाभ एवं हानि लेखों में पूर्व अवधि मदों के अन्तर्गत दर्शाया जाना चाहिए। तथापि, इसे अन्य आय के अन्तर्गत गलत तरीके से दिखाया गया है।

2. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	1. पूँजीगत चालू कार्य में एपीडीआरपी योजना कार्यों से सम्बन्धित ₹ 2.11 करोड़ सम्मिलित हैं। चूँकि एपीडीआरपी योजना के कार्य जून 2008 में पूर्ण हो चुके थे, इसलिए इनका पूँजीकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप 'पूँजीगत चालू कार्य' को अधिक और 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण' को कम बताया गया। 2. पूँजीगत प्रगतिशील कार्य में सौभाग्य और आरजीजीवीवाई (10वीं, 11वीं और 12वीं योजना) योजनाओं के विभिन्न कार्यों से सम्बन्धित ₹ 1,182.79 करोड़ सम्मिलित हैं। चूँकि ये कार्य दिसम्बर 2018 तक पहले ही पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए इन्हें 'संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण' के अन्तर्गत पूँजीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1,182.79 करोड़ से 'पूँजीगत चालू कार्य' को अधिक और संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को कम बताया गया। 3. पूँजीगत चालू कार्य में मुख्यालय हेतु क्रय किये गये कम्प्यूटर एवं प्रिंटरों की लागत ₹ 22.26 करोड़ सम्मिलित है। तथापि, इसका पूँजीकरण नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 22.26 करोड़ से पूँजीगत चालू कार्य को अधिक एवं सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को कम बताया गया है।
2.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	1. सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण में आर-एपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए ऋणों पर ₹ 114.27 करोड़ का ब्याज सम्मिलित है जो आर-एपीडीआरपी के अन्तर्गत सभी परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद वहाँ किया गया है (समापन रिपोर्ट मार्च 2018 तक पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भेज दी गयी थी)। कम्पनी ने उपरोक्त ब्याज को व्यय के रूप में चार्ज करने के बजाय पूँजीकृत किया। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 114.27 करोड़ से 'सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण' को अधिक एवं 'वित्तीय लागत' को कम बताया गया है। परिणामस्वरूप, 'वर्ष हेतु हानि' को भी

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			₹ 114.27 करोड़ से कम बताया गया। 2. सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन में 'इम्फैसिस ऑफ मैटर्स' के अन्तर्गत टिप्पणी की है कि पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) को देय ₹ 313.69 करोड़ के ब्याज को संभाव्य देयता के रूप में माना गया है। पीएफसी को ₹ 313.69 करोड़ (चालू वर्ष हेतु ₹ 64.27 करोड़ और पिछले वर्ष हेतु ₹ 249.42 करोड़) का ब्याज देय था। पीएफसी द्वारा ब्याज के भुगतान की मांग नियमित रूप से की जा रही है, तथापि, लेखों में इसके लिए कोई देयता का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 'चालू देयताएं' ₹ 313.69 करोड़, वित्त लागत ₹ 64.27 करोड़ एवं संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण ₹ 249.42 करोड़ से कम बताये गये। परिणामस्वरूप, 'वर्ष हेतु हानि' को भी ₹ 64.27 करोड़ से कम बताया गया है।
3.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	1. पूँजीगत चालू कार्य में एपीडीआरपी कार्यों से सम्बन्धित ₹ 3.87 करोड़ सम्मिलित हैं, जो जून 2008 में पहले ही पूर्ण हो चुके थे, किन्तु उन्हें पूँजीकृत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'पूँजीगत चालू कार्य' अधिक बताये गये तथा 'संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण' (परिसंपत्तियाँ) को कम बताया गया। 2. निजी नलकूप (पीटीडब्ल्यू) उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क (ईडी) से छूट प्राप्त है। तथापि, कम्पनी ने पीटीडब्ल्यू उपभोक्ताओं से प्राप्य ईडी के रूप में 2017-18 में ₹ 19.72 करोड़ लेखांकित किये हैं। इसके परिणामस्वरूप 'व्यापार प्राप्य' के साथ-साथ 'अन्य चालू देयताओं' को ₹ 19.72 करोड़ से अधिक बताया गया हैं।
4.	श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड	2019-20	व्यापार प्राप्य में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से प्राप्य ₹ 2.31 करोड़ की राशि सम्मिलित है, जो वर्ष 2001 से वसूली के लिए लंबित थी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने बीएसएनएल के पक्ष में निर्णय दिया (09 दिसम्बर 2016) तथा न्यायालय में बीएसएनएल द्वारा जमा की गयी राशि को अवमुक्त करने का निर्देश दिया। कम्पनी ने माननीय उच्चतम न्यायालय में इस आदेश को चुनौती देने का निर्णय लिया है और मात्र ₹ 37 लाख के संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद ₹ 2.31 करोड़ की सम्पूर्ण राशि की वसूली संदिग्ध है, किन्तु लेखों में मात्र ₹ 37 लाख का प्रावधान किया गया। इसके परिणामस्वरूप 'लाभ' के साथ-साथ 'व्यापार प्राप्य' प्रत्येक को ₹ 1.94 करोड़ से अधिक बताया गया है।
5.	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	2008-09	कम्पनी पर वर्ष 1999-2000 की अवधि से सम्बन्धित गंगोत्री प्रदर्शनी केन्द्र, मुंबई में हस्तशिल्प और हथकरघा वस्तुओं की बिक्री हेतु

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			मैसर्स अमन एजेंसी, लखनऊ (एजेंसी) को देय राशि के प्रति ₹ 2.10 करोड़ की देयता थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 08 मई 2008 को पारित आदेश के अनुसार, कम्पनी 30 दिनों के अंदर एजेंसी को कुल देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। तथापि, कम्पनी ने न तो एजेंसी को देय राशि के विरुद्ध प्रावधान किया और न ही देयताओं के अन्तर्गत इसका लेखांकन किया। इसके परिणामस्वरूप 'वर्ष के लिए हानि' एवं 'चालू देयताओं' प्रत्येक को ₹ 2.10 करोड़ से कम बताया गया है।
6.	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	तुलन-पत्र के नोट और व्याख्यात्मक नोट के अनुसार, कम्पनी ने नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से 90 वर्षों की अवधि के लिए ₹ 1 प्रति वर्ष के नाम मात्र के पट्टा किराये पर ₹ 339.00 करोड़ मूल्य की लीजहोल्ड भूमि प्राप्त की है। पंजीकरण अधिनियम, 1908 के अनुसार एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अचल संपत्ति के पट्टे को पंजीकृत किया जाना अपेक्षित है, तथापि, कम्पनी ने पट्टे का पंजीकरण नहीं किया और कम्पनी द्वारा स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क के प्रति परिणामी देयता का प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य चालू परिसंपत्तियाँ' एवं 'अन्य चालू देयताओं' को ₹ 27.12 करोड़ से कम बताया गया है।
7.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	व्यापारगत प्राप्य में वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 'डॉ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ' (यूनिट-10ए लखनऊ द्वारा निष्पादित) के कार्यों में खरीदी गयी मदों पर प्रभारित ₹ 3.99 करोड़ की अस्वीकार्य सेंटेज राशि सम्मिलित है। उपरोक्त वर्णित सेंटेज को सरकार (ग्राहक) द्वारा अनुमन्य नहीं किया गया था। इसलिए इसे वर्ष 2014-15 के लेखों में बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 'व्यापार प्राप्य' के साथ-साथ 'पूर्व अवधि आय' प्रत्येक को ₹ 3.99 करोड़ से अधिक बताया गया है।
8.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2016-17	पूँजीगत चालू कार्य में ₹ 29.67 करोड़ के ब्याज वहन करने वाले असमायोजित मोबिलाइजेशन अग्रिम सम्मिलित हैं। चूँकि असमायोजित अग्रिमों को किये जाने वाले पूँजीगत कार्य के विरुद्ध समायोजित किया जाना है, इसलिए इसे ऋण एवं अग्रिम के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 29.67 करोड़ से पूँजीगत चालू कार्य को अधिक एवं 'ऋणों तथा अग्रिमों' को कम बताया गया है।

3. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार, उधार के मामले में, बांडों की परिपक्वता/मोचन या रूपांतरण तिथि, सावधि ऋणों और अन्य ऋणों आदि के पुनर्भुगतान से सम्बन्धित अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यक है। तथापि, ₹ 11,775.60 करोड़ की राशि के ऋणों और बांडों के सम्बन्ध में ऐसे प्रकटनों को कम्पनी के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित नहीं किया गया था।
2.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार, उधार के मामले में, बांडों की परिपक्वता/मोचन या रूपांतरण तिथि, सावधि ऋण और अन्य ऋणों आदि के पुनर्भुगतान से सम्बन्धित अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यक है। तथापि, ₹ 16,987.02 करोड़ की राशि के ऋणों और बांडों के सम्बन्ध में ऐसे प्रकटनों को कम्पनी के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित नहीं किया गया था।
3.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार, उधार के मामले में, बांडों की परिपक्वता/मोचन या रूपांतरण तिथि, सावधि ऋण और अन्य ऋणों आदि के पुनर्भुगतान से सम्बन्धित अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यक है। तथापि, ₹ 13,692.82 करोड़ की राशि के ऋणों और बांडों के सम्बन्ध में ऐसे प्रकटनों को कम्पनी के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित नहीं किया गया था।
4.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार, उधार के मामलों में, बांडों की परिपक्वता/मोचन या रूपांतरण तिथि, सावधि ऋणों और अन्य ऋणों आदि के पुनर्भुगतान से सम्बन्धित अतिरिक्त प्रकटीकरण आवश्यक है। तथापि, ₹ 14,850.09 करोड़ की राशि के ऋणों और बांडों के सम्बन्ध में ऐसे प्रकटनों को कम्पनी के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित नहीं किया गया था।
5.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2019-20	तुलन-पत्र तैयार करने के लिए सामान्य अनुदेशों (कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III) के अनुपालन में, कम्पनी ने लेखों में लेखा टिप्पणी में पूँजी खाते पर निष्पादित किये जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि (₹ 3,391 करोड़) से सम्बन्धित सूचना को प्रकट नहीं किया है।
6.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	कम्पनी ने लेखा टिप्पणी में उल्लेख किया है कि जिला जेल अम्बेडकर नगर (कार्य) के मामले में ठेकेदार के विरुद्ध ₹ 673.73 लाख के असमायोजित अग्रिम की वसूली मध्यस्थता के अधीन है। तथापि, यह प्रकट नहीं किया गया कि ठेकेदार ने कम्पनी से ₹ 14.70 करोड़ का दावा

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			किया था, वह भी मध्यस्थता के अधीन है। अतः कम्पनी की 'लेखा टिप्पणी' उस सीमा तक कम रही।
7.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2017-18	कम्पनी के लेखाओं पर टिप्पणी में निर्णय के लिए लंबित मध्यस्थता मामलों के विरुद्ध ₹ 146.49 करोड़ की संभाव्य देयताएं सम्मिलित नहीं हैं।
8.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2019-20	वित्त अनुभाग के कर्मचारियों और वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक द्वारा 2008-09 से 2019-20 की अवधि के दौरान ₹ 9.54 करोड़ के गबन का मामला रिपोर्ट किया गया है। मामले को आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को हस्तान्तरित कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण तथ्य लेखाओं पर टिप्पणी में प्रकट नहीं किया गया है।
9.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 की धारा 22 के अनुसार, एमएसएमई को देय मूल धन और उस पर देय ब्याज का विवरण लेखों में प्रकट किया जाना अपेक्षित है। तथापि, एमएसएमई को देय मूल धन (₹ 35.84 करोड़) की स्थिति को प्रकट किया गया किन्तु उस पर उपार्जित एवं देय ब्याज को प्रकट नहीं किया गया है।
10.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17	लेखाओं पर टिप्पणी के अनुसार, कम्पनी ने राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत के अनुपात में अंश पूँजी आवंटित की है। तथापि, ₹ 230.42 करोड़ की कुल प्रदत्त पूँजी में से ₹ 123.24 करोड़ और ₹ 107.18 करोड़ क्रमशः राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से सम्बन्धित हैं। इस प्रकार, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार की अंशधारिता का स्वरूप क्रमश: 53.48 प्रतिशत और 46.52 प्रतिशत है। इसलिए, यह प्रकटीकरण उस सीमा तक कम रहा।

4. सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	वार्षिक सामान्य बैठक में वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों को अपनाने से पहले, वर्ष 2020-21 हेतु कम्पनी के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस तथ्य को प्रकट नहीं किया गया था, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (2) के साथ पठित धारा 96 और सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षकों के नियुक्ति पत्र के 'लेखापरीक्षकों हेतु शर्तों' के बिंदु संख्या 4 के अन्तर्गत अपेक्षित है।

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
2.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2018-19	1. सीएजी द्वारा जारी निर्देशों/उप-निदेशों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत प्रतिवेदन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। 2. वार्षिक सामान्य बैठक में वर्ष 2017-18 के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों को अपनाने से पहले, वर्ष 2018-19 हेतु कम्पनी के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस तथ्य को प्रकट नहीं किया गया था।
3.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2019-20	सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के अनुलग्नक ए में 31 मार्च 2020 तक लंबित विवादित आयकर देयों को ₹ 45.29 करोड़ प्रतिवेदित किया गया है, जबकि लेखा टिप्पणी में इसे ₹ 54.40 करोड़ प्रतिवेदित किया गया है।
4.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2020-21	वार्षिक सामान्य बैठक में वर्ष 2019-20 के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों को अपनाने से पहले, वर्ष 2020-21 हेतु कम्पनी के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस तथ्य को प्रकट नहीं किया गया था।
5.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2017-18	वार्षिक सामान्य बैठक में वर्ष 2016-17 के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों को अपनाने से पहले वर्ष 2017-18 हेतु कम्पनी की वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस तथ्य को प्रकट नहीं किया गया था।
6.	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड	2018-19	1. सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन में प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के अन्तर्गत प्रतिवेदित किया कि कम्पनी ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 100 लाख के संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान किया है। तथापि, वर्ष के दौरान लेखों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। 2. 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन' के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि विवादित सांविधिक देयों के लिए ₹ 9.91 करोड़ की धनराशि लंबित है। तथापि, वास्तविक राशि ₹ 20.69 करोड़ की है।
7.	श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड	2019-20	वार्षिक सामान्य बैठक में वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी के वित्तीय विवरणों को अपनाने से पहले, वर्ष 2019-20 हेतु कम्पनी के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित और सांविधिक

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस तथ्य को प्रकट नहीं किया गया था, जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (2) के साथ पठित धारा 96 और सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षकों के नियुक्ति पत्र के 'लेखापरीक्षकों हेतु शर्तों' के बिंदु संख्या 4 के अन्तर्गत अपेक्षित है।
8.	यू.पी. स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड	2020-21	सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन में मत के आधार के अन्तर्गत बताया कि बांदा और रसड़ा (बलिया) इकाइयों से सम्बन्धित ₹ 51.34 लाख के अल्पावधिक ऋण और अग्रिमों के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, लेखों पर इसके प्रभाव की टिप्पणी नहीं की गयी है।

(ब) सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ

1. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	भारत सरकार/उ.प्र. सरकार से प्रशासनिक और अन्य व्ययों (ए एंड ओई) के लिए प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान पर वर्ष के दौरान अर्जित ₹ 58.16 लाख की ब्याज की धनराशि अन्य आय में सम्मिलित है। कम्पनी ने सामान्य वित्तीय नियम 2017 के प्रस्तर 230 (8) और 21 मार्च 2012 के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार, अप्रयुक्त सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज को देयता के रूप में लेखांकित करने के बजाय उसे अन्य आय के रूप में लेखांकित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.16 लाख से 'अन्य आय' अधिक एवं 'अन्य चालू देयताएं' कम बतायी गयी थीं। परिणामस्वरुप, 'वर्ष हेतु लाभ' ₹ 58.16 लाख से अधिक बताया गया था।

2. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार (जीओआई) स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के चरण से लेकर इसके दैनिक संचालन तक स्मार्ट सिटी कम्पनी के व्ययों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक और परिचालनगत व्यय (ए एंड ओई) अनुदान एवं परियोजना व्यय को पूरा करने के लिए परियोजना अनुदान स्वीकृत करती है। कम्पनी ने भारत सरकार से प्राप्त अनुदान पर अर्जित ब्याज सहित परियोजना अनुदान के रूप में ₹ 52.23 करोड़, परिचालन पूर्व व्ययों के लिए अनुदान के रूप में ₹ 1.26 करोड़ और ए एंड ओई अनुदान के रूप में ₹ 3.31 करोड़ का चालू देयताओं के अन्तर्गत

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			लेखांकन के बजाय शेयरधारकों की निधियों के रूप में लेखांकन किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 56.80 करोड़ से 'शेयरधारकों की निधियाँ' अधिक एवं 'चालू देयताएं' कम बतायी गयी थीं।
2.	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार (जीओआई) स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के चरण से लेकर इसके दैनिक संचालन तक स्मार्ट सिटी कम्पनी के व्ययों को पूरा करने के लिए प्रशासनिक और परिचालनगत व्यय (ए एंड ओई) अनुदान एवं परियोजना व्यय को पूरा करने के लिए परियोजना अनुदान स्वीकृत करती है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दिये गये अंशदान के समतुल्य अनुदान का अंशदान करना अपेक्षित है। कम्पनी ने सरकारी अनुदान के रूप में भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज सहित ₹ 129.27 करोड़ (परियोजना अनुदान: ₹ 100 करोड़, ए एंड ओई अनुदान: ₹ 19 करोड़ और अर्जित ब्याज: ₹ 10.27 करोड़) का लेखांकन 'चालू देयताओं' के रूप में करने के बजाय 'रिज़र्व एवं अधिशेष' के रूप में किया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 129.27 करोड़ से 'रिज़र्व एवं अधिशेष' अधिक एवं 'चालू देयताएं' कम बतायी गयी थीं।
3.	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	अल्पावधि प्रावधानों में अलीगढ़ में एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केन्द्र (आईसीसीसी) और ई-गवर्नेंस पर आधारित स्मार्ट सिटी समाधान के कार्यान्वयन हेतु मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के कार्य के लिए मैसर्स एफकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एबीएम नॉलेज वेयर लिमिटेड को किए गए ₹ 20.81 करोड़ की धनराशि का भुगतान सम्मिलित है। उक्त कार्य प्रगति पर है, किन्तु इसे पूँजीगत चालू कार्य के बजाय अन्य चालू परिसंपत्तियों के रूप में दिखाया गया है। गलत वर्गीकरण के कारण, 'अन्य चालू परिसंपत्तियों' को ₹ 20.81 करोड़ से अधिक बताया गया है एवं 'पूँजीगत चालू कार्य' उसी सीमा तक कम बताये गये है।

3. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	भारत सरकार (जीओआई) द्वारा जारी स्मार्ट शहरों के लिए मिशन विवरण दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा दिये गये अंशदान के अनुरूप समतुल्य अनुदान का अंशदान करना अपेक्षित है। वर्ष 2019-20 तक भारत सरकार ने ए एंड ओई तथा परियोजना व्यय के प्रति सहायता अनुदान के रूप में ₹ 60 करोड़ जारी किये हैं जिसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
			समतुल्य अंशदान जारी नहीं किया है। यह महत्त्वपूर्ण तथ्य लेखा टिप्पणी में प्रकट नहीं किया गया है।
2.	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	2019-20	पक्षों (अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार), नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा), ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा) और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा)) के मध्य समझौता ज्ञापन (दिनांक 29 मई 2018) के खंड 4 (सी) में प्रावधान है कि परियोजना विकास व्यय की प्रतिपूर्ति इन पक्षों को संयुक्त उद्यम कम्पनी के गठन के बाद कर दी जाएगी या सम्बन्धित पक्षों के पूँजी योगदान के विरूद्ध समायोजित कर दी जाएगी। उपर्युक्त संस्थाओं ने 31 मार्च 2020 तक ₹ 3,607.12 करोड़ का कुल परियोजना विकास व्यय (भूमि अधिग्रहण के प्रति) किया। कम्पनी ने सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा किये गये कुल व्यय की प्रतिपूर्ति न तो की है और न ही इसे पूँजी योगदान के रूप में समायोजित किया है। यह महत्त्वपूर्ण तथ्य लेखा टिप्पणी में प्रकट नहीं किया गया।

4. सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	टिप्पणी
1	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों/उप निर्देशों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

सांविधिक निगम जहां सीएजी एकल लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी द्वारा जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जहां सीएजी एकल लेखापरीक्षक है, नीचे विस्तृत रूप से दी गयी हैं:

1. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (2018-19)

- बचत बैंक/फ्लेक्सी खातों के ब्याज में ₹ 8.59 करोड़ सम्मिलित हैं, जो डिपाजिट कार्यों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गयी निधियों पर परिषद की 18 फील्ड इकाइयों द्वारा अर्जित ब्याज है और डिपाजिट खाते में क्रेडिट नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.59 करोड़ से 'आय एवं अधिशेष' को अधिक एवं 'चालू देयताओं' को कम बताया गया।
- विविध प्राप्य के अन्तर्गत सार्वजनिक ऋणों में 1984-1996 के दौरान परिषद द्वारा संवितरित ₹ 6.38 करोड़ सम्मिलित हैं, जो राज्य सरकार की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और न्यायालय में जाँच के अधीन था। ऋण लेने वालों को जारी किये गये वसूली प्रमाण पत्र, ऋण लेने वालों

के पते अमान्य होने के कारण परिषद को वापस कर दिए गये थे। तथापि, लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, अप्राप्त धनराशि हेतु प्रावधान को ₹ 6.38 करोड़ से कम बताया गया एवं 'विविध प्राप्य' को अधिक बताया गया है। परिणामस्वरूप, 'अधिशेष' ₹ 6.38 करोड़ से अधिक बताया गया।

2. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (2019-20)

- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए परिषद को गतिविधियाँ शुरू करने हेतु निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। तथापि, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार परिषद को अवसंरचना निधि के माध्यम से संस्वीकृत करने के अलावा मेट्रो रेल परियोजनाओं में अपनी ओर से व्यय करने का निर्देश दे सके। परिषद ने राज्य सरकार के निर्देश पर अपनी निधि से 2019-20 तक यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (तत्कालीन लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (गाजियाबाद में मेट्रो परियोजना के लिए) को क्रमशः ₹ 145 करोड़ एवं ₹ 324.91 करोड़ का भुगतान किया, जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। उपरोक्त व्यय अवसंरचना निधि के बजाय परिषद निधि से किया गया था। इस प्रकार, ₹ 469.91 करोड़ से 'परिषद निधि' को कम बताया गया एवं 'अवसंरचना निधि' को अधिक बताया गया है।
- सीपीएफ निधि/जीआईएस में परिषद के 31 मार्च 2020 तक ब्याज सहित जीपीएफ योगदान के ₹ 40.82 करोड़ की राशि सम्मिलित है। चूँकि, परिषद ने अपने कर्मचारियों को पेंशन सुविधा प्रदान करने के बाद जीपीएफ को अपना लिया है, इसलिए परिषद के अंशदान को जीपीएफ फंड के बजाय पेंशन फंड (सृजित किया जाना है) में जमा किया जाना चाहिए। यह देखा गया कि नियोक्ता के अंशदान का कोई अनुरूप व्यय आय और व्यय लेखों में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार, 'जीपीएफ निधि' को अधिक बताया गया, 'पेंशन निधि को कम बताया गया और व्यय (पेंशन निधि में अंशदान)' को ₹ 40.82 करोड़ कम बताया गया है। परिणामस्वरूप, 'अधिशेष' को भी उसी सीमा तक अधिक बताया गया है।
- नये प्रस्ताव एवं आवंटनों और भंडार के विवरणों के संकलन के अनुसार वृंदावन योजना और अवध विहार योजना के लिए भंडार/संपत्तियों के अंतिम स्टॉक का मूल्य क्रमशः ₹ 103.71 करोड़ और ₹ 660.11 करोड़ था। तथापि, अभिलेखों के अनुसार ये क्रमशः ₹ 1,355.08 करोड़ एवं ₹ 989.68 करोड़ थे। इस प्रकार, भंडार के आंकड़े ₹ 1,580.94 करोड़ अधिक प्रतिवेदित किये जा रहे हैं।

3. उत्तर प्रदेश वन निगम (2020-21)

- वन विकास गतिविधियों में 26 एवं 27 नवम्बर 2016 को इटावा (सैफई) से आगरा तक अंतर्राष्ट्रीय साइकिल रैली (आईसीआर) आयोजित करने के लिए पर्यटन विभाग को देय ₹ 1.75 करोड़ सम्मिलित नहीं हैं। आईसीआर के लिए कुल बजट आवंटन ₹ 3.50 करोड़ था। ₹ 3.50 करोड़ के कुल बजट आवंटन के विरुद्ध, निगम द्वारा पर्यटन विभाग को ₹ 1.75 करोड़ जारी किये गये थे जबकि शेष ₹ 1.75 करोड़ की धनराशि जारी नहीं की गयी थी किन्तु इसके लिए लेखों में देयता का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.75 करोड़ से चालू देयताएं एवं प्रावधान कम बताये गये तथा लाभ को अधिक बताया गया था।

लेखांकन मानकों/इंड एएस के प्रावधानों का गैर अनुपालन

3.6 कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (1), धारा 132 एवं धारा 133 के साथ पठित, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 7 एवं 9 से 29 निर्धारित किये हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 तथा समय-समय पर संशोधनों के माध्यम से 41 भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अधिसूचित किया है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि 24 कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/इंड एएस का अनुपालन नहीं किया जिसका विवरण **तालिका 3.3** में वर्णित है।

तालिका 3.3: लेखांकन मानकों/इंड एएस के प्रावधानों के गैर-अनुपालन पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी टिप्पणियों का विवरण

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	लेखांकन मानक/इंड एएस का पालन नहीं किया गया
अ.	**सरकारी कम्पनियाँ**		
1	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 2 एवं इंड एएस 16
		2021-22	इंड एएस 1, इंड एएस 2, इंड एएस 16, इंड एएस 19, इंड एएस 20 एवं इंड एएस 109
2	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 1, इंड एएस 2, इंड एएस 16, इंड एएस 19, इंड एएस 20, इंड एएस 23, इंड एएस 36, इंड एएस 37 एवं इंड एएस 109
		2021-22	इंड एएस 1, इंड एएस 2, इंड एएस 16, इंड एएस 19, इंड एएस 20, इंड एएस 23, इंड एएस 36, इंड एएस 37 एवं इंड एएस 109
3	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 2, इंड एएस 7, इंड एएस 16, इंड एएस 19, इंड एएस 20, इंड एएस 23, इंड एएस 36, इंड एएस 37, इंड एएस 38, इंड एएस 109 एवं इंड एएस 115
		2021-22	इंड एएस 115
4	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 2, इंड एएस 36 एवं इंड एएस 37

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	लेखांकन मानक/इंड एएस का पालन नहीं किया गया
5	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 2, इंड एएस 16, इंड एएस 19 एवं इंड एएस 36
		2021-22	इंड एएस 2, इंड एएस 16, इंड एएस 19 एवं इंड एएस 36
6	उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 1, इंड एएस 16, इंड एएस 19, इंड एएस 36, इंड एएस 109, इंड एएस 115 एवं इंड एएस 116
		2021-22	इंड एएस 1, इंड एएस 2, इंड एएस 16, इंड एएस 19, इंड एएस 36, इंड एएस 107 एवं इंड एएस 109
7	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 1, इंड एएस 2, इंड एएस 16, इंड एएस 19, इंड एएस 20, इंड एएस 36, इंड एएस 109 एवं इंड एएस 116
		2021-22	इंड एएस 1, इंड एएस 2, इंड एएस 16, इंड एएस 19, इंड एएस 20, इंड एएस 36, इंड एएस 107, इंड एएस 109 एवं इंड एएस 116
8	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 19
9	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2020-21	एएस 2, एएस 22 एवं एएस 28
10	श्रीटॉन इण्डिया लिमिटेड	2020-21	एएस 13 एवं एएस 15
11	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड	2019-20	एएस 5 एवं एएस 10
		2020-21	एएस 2
12	यू.पी. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	एएस 13 एवं एएस 15
13	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 21 एवं इंड एएस 109
14	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2020-21	एएस 15
15	उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम	2011-12	एएस 3, एएस 15, एएस 22 एवं एएस 29
16	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2019-20	एएस 2, एएस 7 एवं एएस 29
17	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17	एएस 1, एएस 3, एएस 5 एवं एएस 29
18	उत्तर प्रदेश हथकरघा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	2008-09	एएस 2, एएस 12, एएस 15, एएस 22 एवं एएस 29
19	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2016-17	इंड एएस 1, इंड एएस 2, इंड एएस 10, इंड एएस 12, इंड एएस 19, इंड एएस 24, इंड एएस 27, इंड एएस 36, इंड एएस 105 एवं इंड एएस 112
20	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड	2017-18	एएस-15 एवं एएस-28
ब.	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**		
1	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	एएस 12
2	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	एएस 3 एवं एएस 10

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	लेखांकन मानक/इंड एएस का पालन नहीं किया गया
3	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	एएस 12
4	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	इंड एएस 20

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान, सीएजी ने पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने भी लेखांकन मानकों/इंड एएस का अनुपालन नहीं किया था, जिनको उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रतिवेदित नहीं किया गया था जैसा कि **तालिका 3.4** में विस्तृत किया गया है।

तालिका 3.4: लेखांकन मानकों/इंड एएस के प्रावधानों के गैर-अनुपालन पर सीएजी द्वारा की गयी टिप्पणियों का विवरण

लेखा मानक/इंड एएस		कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	विचलन
एएस-3	नकद प्रवाह विवरणियाँ	श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड	2019-20	नकद और नकद समतुल्य में ₹ 36.42 लाख सम्मिलित हैं, जो कम्पनी द्वारा दो विभागों में निष्पादन प्रतिभूति/बैंक गारंटी के रूप में गिरवी रखे गये हैं। अतः, कम्पनी द्वारा उपयोग के लिए उक्त धनराशि उपलब्ध नहीं थी। इस तथ्य का प्रकटन प्रबंधन द्वारा नकद प्रवाह विवरणी में टिप्पणी के साथ नहीं किया गया है, जैसा कि एएस के अन्तर्गत अपेक्षित था।
एएस-12	सरकारी अनुदान	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	कम्पनी को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 390.46 करोड़ का सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ। तथापि, लेखांकन मानक की अपेक्षाओं के अनुसार सरकारी अनुदानों की प्राप्ति और उपयोग के लिए लेखांकन नीति नहीं अपनायी गयी थी।
एएस-18	सम्बन्धित पक्षों का प्रकटीकरण	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2018-19	कम्पनी के वित्तीय विवरणियों में मुख्य प्रबंधन कार्मिकों यथा कम्पनी सचिव और मुख्य वित्त अधिकारी के नाम एवं उनको भुगतान किये गये पारिश्रमिक का प्रकटन नहीं किया गया है, जैसा कि एएस के अन्तर्गत अपेक्षित था।
इंड एएस-7	नकद प्रवाह विवरणियाँ	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	कम्पनी द्वारा न्यायालय में प्रतिभूति के रूप में ₹ 1.13 करोड़ की धनराशि जमा की गयी थी। यह कम्पनी द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थी। इंड एएस की आवश्यकता के अनुसार नकद प्रवाह विवरणी में इस तथ्य का प्रकटन नहीं किया गया था।

लेखा मानक/इंड एएस		कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	विचलन
इंड एएस-8	लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियाँ	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	1. वित्त लागत में पिछले वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) से लिए गये ऋण पर ब्याज के रूप में ₹ 22.73 करोड़ सम्मिलित हैं। तथापि, इंड एएस के अन्तर्गत यथा अपेक्षित इसका लेखांकन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त लागत और वर्ष हेतु हानि को अधिक बताया गया। 2. कम्पनी ने भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अप्रयुक्त निधियों पर पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज के गलत लेखांकन के समायोजन के कारण अन्य आय में ₹ 5.95 करोड़ की कमी की और उस पूर्व अवधि के लिए तुलनात्मक धनराशि को पुनः प्रस्तुत करने के बजाय 'अन्य आय' को कम कर दिया, जिसमे त्रुटि हुई थी। जैसा कि इंड एएस के अन्तर्गत अपेक्षित है। इसके परिणामस्वरुप वर्ष हेतु हानि को अधिक बताया गया तथा अन्य आय को कम बताया गया।
इंड एएस-10	प्रतिवेदित अवधि के बाद की घटनाएँ	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2019-20	लेखों पर टिप्पणियों में वित्तीय विवरणों को जारी करने की तिथि एवं अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का प्रकटन नहीं किया गया है जैसा कि इंड एएस के अन्तर्गत अपेक्षित था।
		यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2019-20	लेखों पर टिप्पणियों में वित्तीय विवरणियों को जारी करने की तिथि एवं अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी का प्रकटन नहीं किया गया है जैसा कि इंड एएस के अन्तर्गत अपेक्षित था।
इंड एएस-23	उधार लेने की लागत	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	इंड एएस के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात ब्याज को लाभ एवं हानि विवरणियों के बजाय पूँजीगत चालू कार्य में सम्मिलित किया गया था।
		दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	1. कम्पनी ने ₹ 89.19 करोड़ के ब्याज को वित्त लागत के अन्तर्गत राजस्व व्यय के रूप में बुक करने के बजाय निर्मित सम्पत्तियों पर पूँजीकृत किया है, जैसा कि इंड एएस के अन्तर्गत अपेक्षित है।

लेखा मानक/इंड एएस		कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष	विचलन
				2. इंड एएस के प्रावधान का उल्लंघन करते हुए वित्त लागत में भारत सरकार की योजना के अंतर्गत अपूर्ण कार्य से सम्बन्धित ऋण पर ₹ 4.42 करोड़ का ब्याज सम्मिलित है।

प्रबन्धन पत्र

3.7 लेखापरीक्षक एवं कार्पोरेट इकाई की शासन व्यवस्था के उत्तरदायित्व हेतु प्रभारित लोगों के मध्य वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा मामलों पर सम्प्रेषण स्थापित करना वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्य में से एक है।

पीएसयू के वित्तीय विवरणियों पर महत्वपूर्ण प्रेक्षणों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा टिप्पणियों के रूप में प्रतिवेदित किया गया। इन टिप्पणियों के अतिरिक्त, वित्तीय विवरणियों या प्रतिवेदन प्रक्रिया में सीएजी द्वारा अवलोकित की गयी अनियमितताओं या कमियों को भी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए 'प्रबन्धन पत्र' के माध्यम से प्रबन्धन को सम्प्रेषित किया गया। वर्ष के दौरान, सीएजी ने जिन पीएसयू को 'प्रबन्धन पत्र' निर्गत किये, उनका विवरण **तालिका 3.5** में वर्णित किया गया है।

तालिका 3.5: पीएसयू का विवरण जिन्हें प्रबंधन पत्र निर्गत किये गये है

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष
अ.	**सरकारी कम्पनियाँ**	
1	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19
2	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19
3	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19
4	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21
5	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2018-19
6	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2019-20 एवं 2020-21
7	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19
8	श्रीटॉन इण्डिया लिमिटेड	2019-20
9	अपट्रॉन पॉवरटॉनिक्स लिमिटेड	2019-20
10	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2019-20
11	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	2017-18
12	उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर निगम लिमिटेड	2016-17
13	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15
14	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2018-19
15	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	2020-21
16	उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
17	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21 एवं 2021-22

क्रं. सं.	कम्पनी का नाम	लेखे का वर्ष
18	उत्तर प्रदेश हथकरघा विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	2008-09
19	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19
20	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2019-20 एवं 2020-21
21	दि प्रदेशीय इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश लिमिटेड	2019-20
ब.	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**	
1	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
2	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21
3	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18 & 2018-19
4	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इण्डस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	2020-21
5	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
स.	**सांविधिक निगम**	
1	उत्तर प्रदेश वन निगम	2019-20 एवं 2020-21
2	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2018-19 एवं 2019-20

सामान्य तौर पर कमियाँ सम्बन्धित थीं

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं के अनुप्रयोग और व्याख्या से;
- लेखापरीक्षा प्रेक्षणों से उत्पन्न समायोजनों से जो वित्तीय विवरणियों पर मामूली प्रभाव डाल सकते हैं; तथा
- कुछ सूचनाओं के अपर्याप्त प्रकटीकरण या गैर-प्रकटीकरण से जिस पर सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन ने आश्वासन दिया था कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

3.8 निष्कर्ष

कार्यरत 72 पीएसयू में से केवल 11 पीएसयू ने वर्ष 2021-22 हेतु अपने वार्षिक लेखे प्रस्तुत किये थे और शेष 61 पीएसयू के 308 लेखे बकाया थे। अकार्यरत 42 पीएसयू में से 40 पीएसयू के 698 लेखे बकाया थे। उ.प्र. सरकार ने उस अवधि के दौरान 38 राज्य पीएसयू को उस अवधि के दौरान जिसमें उनके लेखे बकाया थे, ₹ 8,610.52 करोड़ (पूँजीः ₹ 3,467.07 करोड़, ऋणः ₹ 1,187.47 करोड़, अनुदानः ₹ 3,547.47 करोड़ तथा सब्सिडीः ₹ 413.51 करोड़) प्रदान किए थे।

3.9 संस्तुति

पीएसयू के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग को उनके लेखाओं के बकाया को समाप्त करने के लिए सख्ती से अनुश्रवण एवं आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत करना चाहिए तथा पीएसयू के लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

अध्याय-IV

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-IV

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

इस अध्याय में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को सम्मिलित किया गया है।

ऊर्जा विभाग

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड

4.1'उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन' की लेखापरीक्षा

प्रस्तावना

4.1.1 भारत सरकार (जीओआई) द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति (एनईपी) बनायी गयी थी (फरवरी 2005) जिसका उद्देश्य कुशल तरीके से एवं उचित दरों पर निर्दिष्ट मानकों के अनुसार विश्वसनीय एवं गुणवत्तायुक्त विद्युत की आपूर्ति करना था। नीति इस बात पर जोर देती है कि जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 में प्रावधानित है, केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) एवं राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू) का प्रमुख उत्तरदायित्व सभी सम्बन्धित एजेंसियों[1] के साथ समन्वय करते हुए एनईपी आधारित नेटवर्क नियोजन और विकास करना है।

उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) को उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अपनी पारेषण लाइनों और उपकेन्द्रों की सहायता से विभिन्न यूटिलिटी को विद्युत ऊर्जा के पारेषण का कार्य सौंपा गया है। कम्पनी का निगमन 13 जुलाई 2006 को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत हुआ था। कम्पनी, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। उ.प्र. सरकार ने कम्पनी को एसटीयू के रूप में अधिसूचित किया था (जुलाई 2007)।

कम्पनी द्वारा पारेषण परियोजनाओं[2] का निर्माण पीक डिमांड[3] की आवश्यकता को पूरा करने, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने एवं लाइन हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। कम्पनी ने नवीन पारेषण परियोजनाओं के निर्माण/मौजूदा क्षमता में वृद्धि एवं प्रणाली के सुदृढ़ीकरण पर वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान कुल ₹ 14,224 करोड़[4] का कुल व्यय किया।

[1] केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी, राज्य सरकार की उत्पादन कम्पनियाँ, क्षेत्रीय विद्युत समितियाँ, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, अनुज्ञप्तिधारी एवं इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति।

[2] पारेषण परियोजनाओं में निर्दिष्ट पारेषण लाइनें, उपकेन्द्र और सम्बन्धित उपकरण सहित पारेषण प्रणाली सम्मिलित है।

[3] पीक डिमांड विशिष्ट समयावधि में विद्युत ग्रिड की उच्चतम ऊर्जा की माँग है।

[4] 2018-19 में ₹ 3,735 करोड़, 2019-20 में ₹ 3,975 करोड़, 2020-21 में ₹ 3,785 करोड़ एवं 2021-22 में ₹ 2,729 करोड़।

विद्युत पारेषण की प्रक्रिया

4.1.2 विद्युत पारेषण को सामान्यतः 132 केवी और अधिक के उच्च वोल्टेज पर, लम्बी दूरी तक समग्र ऊर्जा के अंतरण के रूप में परिभाषित किया गया है। विद्युत उत्पादन संयंत्रों में अपेक्षाकृत निम्न वोल्टेज पर उत्पादित विद्युत ऊर्जा को पारेषण लाइनों के माध्यम से पारेषण से पूर्व उच्च वोल्टेज पर उच्चीकृत किया जाता है। उपकेन्द्र (एसएस) विद्युत का पारेषण अथवा वितरण करने हेतु ऊर्जा को रुपान्तरित या परिवर्तित करने का केन्द्र होता है।

कम्पनी की पारेषण अवसंरचना

4.1.3 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान कम्पनी की पारेषण अवसंरचना **तालिका 4.1** में दी गयी है।

तालिका 4.1: कम्पनी की पारेषण अवसंरचना

विवरण/वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
वर्ष के अंत तक पारेषण लाइनों की लम्बाई (सीकेएम में)	36,392.855	40,868.192	44,203.859	46,062.715	48,523.996
वर्ष के अंत तक उपकेन्द्रों की संख्या	528	555	576	599	614
वर्ष के अंत तक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (एमवीए में)	1,02,458	1,11,191	1,22,130	1,29,047	1,38,966
वर्ष के दौरान पारेषण नेटवर्क उपलब्धता (प्रतिशत में)	99	99.01	99.47	99.46	99.52
वर्ष के दौरान यूपीपीटीसीएल नेटवर्क पर पारेषित की गयी ऊर्जा (एमयू में)	1,14,321.13	1,11,745.04	1,16,731.81	1,19,091.97	1,24,736.93

नोटः सीकेएम-सर्किट किलोमीटर, एमवीए-मेगा वोल्ट एम्पीयर, एमयू-मिलियन यूनिट
स्रोतः कम्पनी द्वारा प्रदत्त आँकड़े

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि कम्पनी ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान 12,131.141 सीकेएम पारेषण लाइनों एवं 86 नए उपकेन्द्रों का निर्माण किया तथा 36,508 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता जोड़ी।

संगठनात्मक ढांचा

4.1.4 कम्पनी का प्रबंधन निदेशक मण्डल (बीओडी) के पास निहित होता है जिसके सदस्य उ.प्र. सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते है। प्रबंध निदेशक द्वारा दैनिक संचालन सम्बन्धी कार्य निदेशक (परिचालन), निदेशक (कार्य एवं परियोजनाएँ), निदेशक (वाणिज्यिक एवं योजना), निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन) तथा उ.प्र. सरकार/आरईसी/पीजीसीआईएल द्वारा नामित तीन निदेशकों की सहायता से किया जाता है। कम्पनी के मुख्यालय पर, अधीक्षण अभियंताओं के अध्यक्षता में पाँच परिकल्पना मण्डल[5] हैं जो

[5] विद्युत 765/400 केवी उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल, विद्युत 765/400 केवी पारेषण परिकल्पना मण्डल, विद्युत उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल (ईएसडीसी)-I, विद्युत उपकेन्द्र परिकल्पना मण्डल (ईएसडीसी)-II, विद्युत पारेषण परिकल्पना मण्डल (220/132 केवी लाइन)।

पारेषण परियोजनाओं के डिजाईन तैयार करने, सामग्री की खरीद हेतु अनुबन्धों को अंतिम रूप देने एवं भण्डार क्रय/कार्य समितियों[6] के अनुमोदन से पारेषण परियोजनाओं के निष्पादन हेतु कार्यों के आवंटन करने का कार्य करते है। फील्ड स्तर पर, 45 मण्डलीय कार्यालयों के अन्तर्गत 185 खण्ड, पारेषण परियोजनाओं के निष्पादन तथा पारेषण प्रणाली के परिचालन एवं रखरखाव में लगे हुए हैं।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

4.1.5 लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गयी थी कि:

- क्या परियोजनाओं की संकल्पना एवं नियोजन आवश्यकताओं के अनुरुप था तथा उनका निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के अनुसार था,
- क्या परियोजनाओं का निष्पादन**,** मितव्ययतापूर्वक, कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से किया गया था,
- क्या परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र कुशल और प्रभावी थे।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

4.1.6 लेखापरीक्षा मानदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से लिए गये थेः

- विद्युत अधिनियम, 2003 एवं राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005;
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश;
- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) का मैनुअल ऑन ट्रांसमिशन प्लानिंग क्राइटेरिया;
- उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) विनियम, 2014 एवं 2019;
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लागू अधिनियम**,** नियम एवं उ.प्र. सरकार के निर्देश;
- निविदा एवं अनुबन्ध के नियम एवं शर्तें; और
- यूपीपीटीसीएल द्वारा निर्गत आदेश एवं निर्देश।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यविधि

4.1.7 लेखापरीक्षा अगस्त 2022 से जनवरी 2023 तक वर्ष 2018-19 से 2021-22 (दिसम्बर 2022 तक अद्यतन) तक की अवधि को आच्छादित करते हुए की गयी जिसमें कम्पनी के मुख्यालय और 185 क्षेत्रीय इकाइयों में से 28 क्षेत्रीय इकाइयों (15.14 प्रतिशत) पर पारेषण परियोजनाओं के नियोजन

[6] निदेशक भण्डार क्रय/कार्य समिति (डीएसपीसी), प्रबन्ध निदेशक भण्डार क्रय/कार्य समिति (एमडीपीसी) एवं कॉरपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समिति जिनकी निर्धारित वित्तीय सीमा क्रमशः ₹ 1 करोड़ से ₹ 10 करोड़, ₹ 10 करोड़ से ₹ 35 करोड़ के मध्य एवं ₹ 35 करोड़ से अधिक है।

एवं निष्पादन से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच की गयी। लेखापरीक्षा ने ₹ 10,045.76 करोड़[8] मूल्य के नए उपकेन्द्रों एवं उनसे सम्बन्धित लाइनों के निर्माण की 86[7] परियोजनाओं और ₹ 3,411.50 करोड़[8] मूल्य की मौजूदा क्षमता वृद्धि एवं प्रणाली सुदृढ़ीकरण की 417 परियोजनाओं में से, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से चयनित ₹ 3,051.73 करोड़ (30.38 प्रतिशत) मूल्य के नए उपकेन्द्रों और लाइनों की 20 परियोजनाओं[9] तथा ₹ 44.95 करोड़ (1.32 प्रतिशत) मूल्य की क्षमता वृद्धि की 8 परियोजनाओं[10] की जाँच की।

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदण्डों एवं कार्यविधि पर प्रबंधन के साथ 8 जुलाई 2022 को आयोजित एन्ट्री कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गयी। 30 जून 2023 को आयोजित एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस में लेखापरीक्षा परिणामों पर सरकार और प्रबंधन के साथ चर्चा की गयी। प्रबंधन और सरकार से जून 2023 में प्राप्त उत्तरों को सम्बन्धित प्रस्तरों में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम

4.1.8 पारेषण परियोजनाओं के नियोजन एवं कार्यान्वयन, आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में सामने आए लेखापरीक्षा परिणामों पर चर्चा नीचे की गयी है।

पारेषण परियोजनाओं का नियोजन

4.1.9 सामान्यतः पारेषण प्रणाली का नियोजन राज्य के अन्दर स्थित उत्पादन केन्द्रों से ऊर्जा के निकास, अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से ऊर्जा के आहरण और वितरण कम्पनियों तथा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं[11] की अपेक्षित पीक डिमांड के निर्वहन के लिए किया जाता है। अग्रेतर, पारेषण प्रणाली में परिचालन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए तथा ग्रिड के समग्र निष्पादन में सुधार हेतु भी प्रणाली में क्षमता वृद्धि की जा सकती है। उपर्युक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कम्पनी, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के ट्रांसमिशन प्लानिंग क्राइटेरिया, 2013 के अनुसार राज्य पारेषण नेटवर्क की योजना बनाती है।

[7] पाँच परियोजनाओं में, टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली पद्धति के माध्यम से निष्पादित किये गये तत्वों (उपकेन्द्र/लाइन) की लागत को सैम्पलिंग के उद्देश्य से कुल परियोजना लागत से बाहर रखा गया है।

[8] निदेशक मण्डल द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृत लागत।

[9] 14 पूर्ण एवं छः निर्माणाधीन परियोजनाएँ।

[10] पाँच पूर्ण एवं तीन निर्माणाधीन परियोजनाएँ।

[11] ओपन एक्सेस उपभोक्ता वे उपभोक्ता हैं जो अपने आपूर्ति क्षेत्र के वितरण अनुज्ञप्तिधारी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से ओपन एक्सेस के माध्यम से विद्युत उपभोग करते हैं।

निदेशक (वाणिज्यिक एवं योजना) की अध्यक्षता में कम्पनी का नियोजन विंग, परियोजनाओं का नियोजन करने और पारेषण कार्य समिति (टीडब्ल्यूसी)[12] एवं कम्पनी के निदेशक मण्डल (बीओडी) से परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए नोडल विंग होता है। क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा परियोजनाओं के लिए तैयार किये गये डीपीआर को टीडब्ल्यूसी और निदेशक मण्डल के अनुमोदन से पूर्व, निदेशक (परिचालन) एवं निदेशक (कार्य और परियोजनाएँ) द्वारा पुनरीक्षित किया जाता है। निदेशक मण्डल के अनुमोदन के पश्चात्, ₹ 10 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश वाली परियोजनाएँ, यूपीईआरसी के विनियम, 2014 और 2019 के अनुपालन में पूँजी निवेश एवं परियोजना की व्यवहार्यता के पूर्व अनुमोदन हेतु, यूपीईआरसी को प्रस्तुत की जाती हैं और उसके पश्चात्, निवेश अनुमोदन[13] प्राप्त करने के लिए उ.प्र. सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं। अग्रेतर, 400 केवी और उससे अधिक वोल्टेज स्तर की क्षमता वाली परियोजनाएँ और अन्तरराज्यीय पारेषण प्रणाली के साथ कनेक्टिविटी वाली परियोजनाएँ, परियोजनाओं के तकनीकी मानकों और अन्तरराज्यीय ग्रिड से उनकी कनेक्टिविटी के अनुमोदन हेतु सीईए को प्रस्तुत की जाती हैं। सभी अनुमोदनों के पश्चात् निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

पारेषण परियोजनाओं के नियोजन में देखी गयी कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गयी है।

उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि के हस्तान्तरण में विलम्ब

4.1.9.1 यूपीपीटीसीएल द्वारा निर्गत (फरवरी 2017) उपकेन्द्र के निर्माण के लिए भूमि के चयन के समय अपनाए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार भूमि के चयन से पहले भूमि के स्वामित्व, मिट्टी प्रतिरोधकता, पहुँच मार्ग आदि का आंकलन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अग्रेतर, एक अन्य आदेश (अप्रैल 2019) में निर्दिष्ट किया गया है कि उपकेन्द्र के लिए भूमि चिन्हित करते समय, क्षेत्रीय कार्यालयों को टीडब्ल्यूसी की स्वीकृति हेतु, अंतिम प्रस्ताव सभी विवरणों के साथ प्रस्तुत करने से पूर्व भूमि का स्पष्ट एवं कानूनी रुप से वैध स्वामित्व, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई या भवनों के ध्वस्तीकरण से बचना, साइट तक सुगम पहुँच मार्ग की उपलब्धता आदि जैसे कारकों पर विचार कर लेना चाहिए।

[12] टीडब्ल्यूसी समिति में प्रबंध निदेशक, यूपीपीटीसीएल (अध्यक्ष), निदेशक (कार्य एवं परियोजनाएँ), निदेशक (परिचालन), निदेशक (वाणिज्यिक एवं योजना), निदेशक (वित्त) एवं तीन आमंत्रित सदस्य यथा मुख्य अभियंता (ऊर्जा प्रणाली, यूपीपीटीसीएल), मुख्य अभियंता (पीपीएमएम, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड) और मुख्य अभियंता (नियोजन, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) सम्मिलित हैं।

[13] परियोजना की लागत का 30 प्रतिशत उ.प्र. सरकार द्वारा पूँजी निवेश के रुप में प्रदान किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए टीडब्ल्यूसी को प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय क्षेत्रीय कार्यालयों ने यह उल्लेख किया कि उपकेन्द्र के लिए भूमि चिन्हित/उपलब्ध थी। हालाँकि, कार्य प्रदान करने के पश्चात् ठेकेदार को भूमि हस्तान्तरित करते समय, विभिन्न विसंगतियाँ जैसे सीमांकन में विलम्ब, पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से एनओसी प्राप्त करने में विलम्ब, मौजूदा वितरण लाइनों को प्रतिस्थापित करने में विलम्ब और चयनित भूमि पर विवाद आदि की समस्याएँ संज्ञान में आयीं, जिसके कारण ठेकेदारों को समय पर भूमि हस्तान्तरित नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि नौ उपकेन्द्र परियोजनाओं के प्रकरण में ठेकेदारों को कार्य प्रदान करने की तिथि से दो माह से 38 माह के पश्चात् भूमि हस्तान्तरित की गयी जैसा कि **परिशिष्ट-4.1** में उल्लिखित है। भूमि हस्तान्तरित करने में हुए विलम्ब के कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

सरकार और प्रबंधन ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये प्रकरणों में अनापत्ति/भूमि के हस्तान्तरण में विलम्ब के कारक कम्पनी के नियंत्रण में नहीं थे। हालाँकि, वर्तमान में, उपयुक्त भूमि की उपलब्धता की पुष्टि के पश्चात् ही परियोजनाओं को टीडब्ल्यूसी द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित किये गये प्रकरणों में ठेकेदार को बाधा रहित स्थल हस्तान्तरित करने में विलम्ब हुआ।

संस्तुति 1:

कम्पनी को बाधा रहित भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिये ताकि परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब से बचा जा सके।

सम्बन्धित प्राधिकरणों से एनओसी हेतु आवेदन में विलम्ब

4.1.9.2 कम्पनी द्वारा निर्गत (अक्टूबर 2019) रुट सर्वे, प्रोफाइल, विभिन्न क्रॉसिंग एवं सांविधिक अनुमतियों के प्रस्तुतीकरण एवं अनुमोदन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार लाइन कार्य को प्रदान करने/आवंटन की तिथि से 12 सप्ताह की अवधि के अन्दर एनओसी के लिए आवेदन किया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच किये गये 12 पारेषण लाइन कार्यों के प्रकरणों में, कम्पनी ने एनओसी के लिए सम्बन्धित प्राधिकारियों (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय रेलवे, पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड आदि) को एसओपी में निर्धारित समय-सीमा से एक से नौ माह के विलम्ब से आवेदन किया **(परिशिष्ट-4.2)**। एनओसी हेतु आवेदन करने एवं उन्हें प्राप्त करने में हुए विलम्ब के परिणामस्वरूप, परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

सरकार और प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि यूपीपीटीसीएल, सटीक मार्ग एवं क्रॉसिंग आदि का सटीक स्थान अंतिम रूप से निर्धारित होने के उपरान्त रुट सर्वेक्षण प्रोफाइल के अनुमोदन के पश्चात् ही एनओसी के लिए आवेदन कर सकता है। कम्पनी स्वयं एनओसी प्राप्त करने में लगने वाले समय को कम करने का प्रयास कर रही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा एसओपी में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप, एनओसी प्राप्त करने में विलम्ब हुआ एवं परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

संस्तुति 2:

कम्पनी को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर एनओसी के लिए आवेदन करना चाहिए ताकि एनओसी प्राप्त करने एवं परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब को कम किया जा सके।

सामग्री का क्रय

4.1.10 कम्पनी स्वयं अलग-अलग निविदाएँ आमंत्रित करके नए पारेषण प्रणाली के निर्माण एवं मौजूदा प्रणालियों के संवर्धन/सुदृढ़ीकरण की परियोजनाओं के लिए प्रमुख सामग्री जैसे परिवर्तक और कंडक्टर क्रय करती है और परियोजनाओं का निष्पादन करने वाले ठेकेदारों को इन सामग्रियों की आपूर्ति करती है। कम्पनी ने पूर्व में, प्रमुख सामग्रियों के क्रय के लिए यूपीपीसीएल के नियमों और विनियमों को अपनाया था। हालाँकि, जून 2022[14] से इन्होंने अपनी स्वयं की कार्य क्रय नीति तैयार करके लागू कर दिया है।

कम्पनी ने 2018-19 से 2021-22 के दौरान कुल 25 निविदाएँ[15] निर्गत करके ₹ 2,289.09 करोड़ मूल्य के परिवर्तक और कंडक्टर क्रय किये। इन 25 निविदाओं में से, लेखापरीक्षा ने ₹ 1,377.66 करोड़ मूल्य की नौ[16] निविदाओं के अभिलेखों की संवीक्षा की। पायी गयी कमियों की चर्चा अगामी प्रस्तरों में की गयी है।

निविदा की दोषपूर्ण शर्तें

4.1.10.1 केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों (दिसम्बर 2002) में प्रावधानित है कि फर्मों को निविदा में भाग लेने की अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए पूर्व-योग्यता मानदण्ड एक पैमाना होता है तथा निविदा प्रक्रिया में कदाचार, पक्षपात् और भ्रष्टाचार से बचने के

[14] यद्यपि, कार्य क्रय नीति जनवरी 2022 में निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत की गयी थी तथापि नयी कार्य क्रय नीति के अनुसार पहली निविदा जून 2022 में आमंत्रित की गयी।

[15] परिवर्तकों के क्रय हेतु 14 निविदाएँ तथा कंडक्टरों के क्रय हेतु 11 निविदाएँ।

[16] परिवर्तकों के क्रय से सम्बन्धित चार निविदाएँ तथा कंडक्टरों के क्रय से सम्बन्धित पाँच निविदाएँ।

लिए न्यूनतम योग्यता, अनुभव एवं न्यूनतम परिमाण के समान कार्यों की संख्या जो गुणवत्ता एवं निष्पादन अवधि के सन्दर्भ में संतोषजनक ढंग से निष्पादित किये गये, को पहले से तय करना आवश्यक होता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसीएसआर मूज कंडक्टर के क्रय से सम्बन्धित तीन निविदाओं[17] में, कम्पनी ने निविदा में न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (एमएएटी) और तरल परिसम्पत्तियों (एलए) की वित्तीय पूर्व-योग्यता मानदण्ड को सम्मिलित किया तथा उसी के आधार पर कार्य आवंटित किया। हालाँकि, परिवर्तकों के क्रय से सम्बन्धित चार निविदाओं[18] एवं एसीएसआर जेब्रा एवं पैंथर कंडक्टरों के क्रय से सम्बन्धित दो निविदाओं[19] के प्रकरण में, कम्पनी ने निविदाओं में एमएएटी एवं एलए की वित्तीय पूर्व-योग्यता मानदण्ड को सम्मिलित नहीं किया एवं फर्मों की वित्तीय अर्हता का मूल्यांकन किये बिना कार्य का आवंटन किया।

इस प्रकार, कम्पनी ने अपनी सामग्री क्रय निविदाओं में वित्तीय पूर्व-योग्यता मानदण्डों को समान रुप से नहीं अपनाया।

सरकार और प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि न तो सीवीसी दिशा-निर्देश और न ही यूपीपीटीसीएल के स्वयं अनुमोदित विनिर्देशों का उल्लंघन किया गया क्योंकि एमएएटी और एलए आदि कभी भी यूपीपीटीसीएल की एसीएसआर पैंथर एवं जेब्रा कंडक्टर के क्रय और विद्युत परिवर्तकों की निविदाओं में अर्हक आवश्यकता का हिस्सा नहीं रहे हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सामग्रियों की आपूर्ति हेतु निविदाओं में एमएएटी एवं एलए की पूर्व-योग्यता शर्तों को समान रूप से सम्मिलित नहीं किया गया। अग्रेतर, लेखापरीक्षा प्रेक्षण निर्गत होने के पश्चात्, कम्पनी ने स्वयं अपने स्टैंडर्ड बिडिंग डाक्यूमेंट्स में सभी निविदाओं के लिए समान पूर्व-योग्यता मानदण्ड अंगीकृत किये (जनवरी 2022)।

पारेषण परियोजनाओं का निष्पादन

4.1.11 पारेषण परियोजना में तीन भाग यथा उपकेन्द्र, उपकेन्द्र की फीडर लाइनें एवं अन्य पारेषण/वितरण उपकेन्द्रों को फीड करने के लिए बहिर्गामी लाइनें शामिल होती हैं। कम्पनी ने पारेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पैकेजों की परिकल्पना की एवं इनको नए उपकेन्द्र के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न टर्नकी ठेकेदारों (टीकेसी) को आवंटित किया। विद्यमान उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि का कार्य भी कम्पनी द्वारा ठेकेदारों/फर्मो को लगाकर निष्पादित कराया गया।

परियोजनाओं को सौंपने हेतु कम्पनी ने खुली निविदाएँ आमंत्रित की एवं

[17] ईटीडी 8-44/17, ईटीडी 8-50/18 एवं ईटीडी 8-62/21

[18] ईएसडी-521/2019, ईएसडी-558/2020, एसडी-881/2020 एवं एसडी-882/2020

[19] टीडी-430/18 एवं टीडी-447/19

भण्डार क्रय/कार्य समिति से अनुमोदन के पश्चात टर्नकी ठेकेदारों/फर्मों (एल-1 निविदाकर्ता) को आशय पत्र (एलओआई) निर्गत किया। एलओआई निर्गत करने के पश्चात् कम्पनी के सम्बन्धित विद्युत पारेषण खण्डों द्वारा कार्यों को निष्पादित कराया गया।

परियोजनाओं को सौंपने एवं उनके निष्पादन में देखी गयी कमियों की नीचे चर्चा की गयी है:

पारेषण परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब

4.1.11.1 कम्पनी ने 132 केवी, 220 केवी एवं 400 केवी के उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु पूर्णता अवधि कार्य सौंपने की तिथि या भूमि सौंपे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो, से क्रमशः 12 माह, 18 माह एवं 24 माह निर्धारित की है और पारेषण लाइनों के निर्माण के मामलों में आवंटन की तिथि से आठ माह से 23 माह निर्धारित किये है। अग्रेतर, कम्पनी ने क्षमता वृद्धि/प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यों के मामले में कार्य पूर्णता अवधि कार्य प्रदान करने की तिथि से एक माह से आठ माह तक निर्धारित की है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जाँच की गयी 20 परियोजनाओं जिनमें 20 उपकेन्द्र एवं 53 पारेषण लाइने समाहित थी उनमें केवल चार उपकेन्द्र एवं नौ पारेषण लाइनें अपनी निर्धारित पूर्णता अवधि में पूर्ण हुई। अग्रेतर, 10 उपकेन्द्र एवं 33 पारेषण लाइनें क्रमशः दो से 24 माह एवं एक से 34 माह के विलम्ब से पूर्ण हुई। छः उपकेन्द्र एवं 11 पारेषण लाइनों के कार्य प्रगति पर थे, जिनमें से पाँच उपकेन्द्र एवं 10 पारेषण लाइनों के कार्य दिसम्बर 2022 तक अपने निर्धारित पूर्णता अवधि से क्रमशः 5 से 20 माह एवं छः से 25 माह के विलम्ब से चल रहे थे।

इसके अतिरिक्त, क्षमता वृद्धि/प्रणाली सुदृढ़ीकरण के आठ नमूना जाँच किये गये कार्यों में से तीन कार्य समय पर पूर्ण हुए, दो कार्य 14 से 24 माह के विलम्ब से पूर्ण हुए और तीन कार्य प्रगति पर थे जिनमें से दो कार्य दिसम्बर 2022 तक पाँच से 16 माह के विलम्ब से चल रहे थे।

पूर्णता में विलम्ब होने की स्थिति को नीचे **तालिका 4.2** में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 4.2: नमूना जाँच की गयी परियोजनाओं/कार्यों की पूर्णता में विलम्ब

परियोजना की श्रेणी	घटक	प्रकरणों की संख्या (उपकेन्द्र/ लाइन)	प्रकरणों की संख्या एवं परियोजनाओं के पूर्ण होने में उनकी निर्धारित पूर्णता तिथि से विलम्ब माह में			
			पूर्ण परियोजनाएँ (उपकेन्द्र/लाइन)		प्रगतिशील परियोजनाएँ (उपकेन्द्र/लाइन)	
			समय पर	विलम्ब से (माह में)	समय पर	विलम्ब से चल रहे (माह में)
उपकेन्द्र एवं उनसे सम्बन्धित लाइनें						
132 केवी	उपकेन्द्र	12	4	6 (5 से 24 माह)	1	1 (5 माह)
	लाइन	20	4	12 (1 से 34 माह)	1	3 (6 से 19 माह)
220 केवी	उपकेन्द्र	5	0	3 (2 से 22 माह)	0	2 (10 से 20 माह)
	लाइन	13	1	10 (4 से 30 माह)	0	2 (15 से 21 माह)

परियोजना की श्रेणी	घटक	प्रकरणों की संख्या (उपकेन्द्र/ लाइन)	प्रकरणों की संख्या एवं परियोजनाओं के पूर्ण होने में उनकी निर्धारित पूर्णता तिथि से विलम्ब माह में			
			पूर्ण परियोजनाएँ (उपकेन्द्र/लाइन)		प्रगतिशील परियोजनाएँ (उपकेन्द्र/लाइन)	
			समय पर	विलम्ब से (माह में)	समय पर	विलम्ब से चल रहे (माह में)
400 केवी	उपकेन्द्र	3	0	1 (20 माह)	0	2 (8 से 18 माह)
	लाइन	20	4	11 (8 से 28 माह)	0	5 (18 से 25 माह)
योग		**20/53**	**4/9**	**10/33**	**1/1**	**5/10**
क्षमता वृद्धि/प्रणाली सुदृढ़ीकरण के कार्य						
132 केवी	क्षमता वृद्धि/ प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य	3	2	0	1	0
220 केवी		3	1	2 (14 से 24 माह)	0	0
400 केवी		1	0	0	0	1 (16 माह)
लाइन के कार्य		1	0	0	0	1 (5 माह)
योग		**8**	**3**	**2**	**1**	**2**

स्रोतः कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

लेखापरीक्षा के विश्लेषण के अनुसार विलम्ब के मुख्य कारण, खाली स्थल/बाधा रहित भूमि सौंपने में विलम्ब, टीकेसी द्वारा कार्य की धीमी प्रगति, कम्पनी द्वारा सामग्रियों की विलंबित आपूर्ति, राईट ऑफ वे की समस्याएँ एवं लाइन कार्यों हेतु एनओसी के आवेदन/प्राप्ति में विलम्ब इत्यादि थे, जिन्हें कम्पनी द्वारा बेहतर परियोजना प्रबंधन से नियंत्रित किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया की कम्पनी को शाहजहाँपुर में पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के 400/220 केवी उपकेन्द्र से डाउनस्ट्रीम लाइन[20], जिसे उपकेन्द्र के वाणिज्यिक संचालन की तिथि (5 अगस्त 2016) के साथ समन्वय में पूरा किया जाना था, को समय पर पूर्ण न करने के कारण जून 2022 में पीजीसीआईएल को ₹ 15.43 करोड़ की धनराशि के पारेषण शुल्क[21] का भुगतान करना पड़ा।

सरकार और प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि परियोजनाओं के पूर्ण होने में विलम्ब ठेकेदारों को खाली स्थल सौंपने में विलम्ब एवं सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा एनओसी प्रदान करने में देरी के कारण हुआ, जो कम्पनी के नियंत्रण के बाहर था। अग्रेतर, प्रबंधन ने कहा कि यद्यपि पीजीसीआईएल को ₹ 15.43 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया किन्तु प्रकरण अपटेल को संदर्भित किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य के प्रारम्भ से पूर्व खाली स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित करके एवं एनओसी के समयबद्ध आवेदन द्वारा विलम्ब से बचा जा सकता था।

[20] 220 केवी डीसी शाहजहाँपुर (पीजी)- लखीमपुर।

[21] डाउनस्ट्रीम पारेषण लाइन के विलम्ब से पूर्ण होने के कारण जनवरी 2020 के सीईआरसी आदेश के अनुपालन में यूपीपीटीसीएल द्वारा किया गया प्रभार भुगतान।

निविदा शर्तों का उल्लंघन कर कार्य सौंपना

4.1.11.2 निविदा टीडी-434/2018 में सम्मिलित पूर्व-योग्यता के मापदण्ड के अनुसार, निविदादाता के न्यूनतम औसत वार्षिक टर्नओवर (एमएएटी) की गणना पिछले तीन वर्षों की लेखापरीक्षित आर्थिक चिट्ठे के लाभ एवं हानि लेखे के अनुसार औसत आय के आधार पर की जायेगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बोलियों के मूल्यांकन में कम्पनी ने एमएएटी की गणना पिछले तीन वर्षों की औसत आय के स्थान पर पाँच वर्षों में सर्वोत्तम तीन वर्षों की औसत आय के आधार पर की एवं सफल बोलीदाता को पात्र घोषित किया क्योंकि उसका एमएएटी ₹ 381.04 करोड़ की आवश्यकता के सापेक्ष ₹ 384.60 करोड़ था। यद्यपि फर्म की पिछले तीन वर्षों की औसत आय मात्र ₹ 348.06 करोड़ थी और इस प्रकार निविदादाता एमएएटी के मापदण्ड को पूर्ण नहीं कर रहा था। इसके बावजूद, कम्पनी ने फर्म को निविदा सौंप दी।

सरकार और प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि फर्म का एमएएटी ₹ 335.53 करोड़ की आवश्यकता के सापेक्ष ₹ 348.06 करोड़ था और इसलिए फर्म ने एमएएटी के मापदण्ड को पूर्ण किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बोली के मूल्यांकन में लिया गया अपेक्षित एमएएटी ₹ 381.04 करोड़ था।

अनावश्यक मदों के लिए अवास्तविक दर उद्धृत करने के बावजूद लाइन कार्य का सौंपना

4.1.11.3 कम्पनी ने 400 केवी उपकेन्द्र भौखरी, बस्ती से सम्बद्ध 400 केवी पारेषण लाइन के निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित की (23 जुलाई 2018) और इसे एल-1 निविदादाता होने के कारण मैसर्स आरएस इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (ठेकेदार) को प्रदान किया। कार्य के लिए प्रस्तुत बोलियों का विश्लेषण करने पर लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि रीवरक्रासिंग के टावरों में प्रयुक्त किये जाने वाले स्टील के दो मदों[22] के लिए एल-1 निविदादाता ने ₹ 928 प्रति एमटी (उच्च तन्यता स्टील) और ₹ 885 प्रति एमटी (माइल्ड स्टील) की अवास्तविक रूप से कम दरें उद्धृत की, जबकि उसी उपकेन्द्र से संबद्ध एक अन्य पारेषण लाइन के लिए आमंत्रित एक अन्य निविदा में ठेकेदार ने उसी तिथि अर्थात् 23 जुलाई 2018 को उन्ही वस्तुओं के लिए क्रमशः ₹ 75,400 और ₹ 68,400 प्रति एमटी की दरें उद्धृत की। अन्य निविदादाताओं ने भी उन्ही वस्तुओं के लिए ₹ 69,960 और ₹ 80,758 प्रति एमटी के मध्य दरें उद्धृत कीं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जिन वस्तुओं के लिए एल-1 निविदादाता द्वारा अवास्तविक रूप से कम दरें उद्धृत की गयी थीं, उनकी कार्य के क्रियान्वयन

[22] विशिष्ट रीवरक्रासिंग के टावरो हेतु (i) उच्च तन्यता स्टील और (ii) माइल्ड स्टील।

में आवश्यकता नहीं थी क्योंकि कार्य के टावर शेड्यूल से स्पष्ट है कि लाइन के मार्ग में कोई रीवरक्रासिंग नहीं थी। इससे प्रतीत होता है कि ठेकेदार को इस तथ्य की जानकारी थी कि इन वस्तुओं की आपूर्ति की आवश्यकता नहीं है इसलिए, इसके लिए अवास्तविक रूप से कम दरें उद्धृत करते हुए, वह एल-1 बोलीदाता बन गया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि यदि इन वस्तुओं को बोली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया गया होता, तो एल-1 निविदादाता एल-3 में प्रतिस्थापित हो गया होता और एल-3 बोलीदाता को ₹ 1.01 करोड़ के कम लागत पर निविदा आवंटित की गयी होती।

इस प्रकार, निविदा के मूल्यांकन में कमी के कारण ₹ 1.01 करोड़ की अधिक कीमत पर अनुबंध प्रदान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को हानि हुई।

सरकार और प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि बोली का मूल्यांकन पैकेज के लिए समग्र रूप से किया गया और न्यूनतम निविदादाता को एल-1 निविदादाता के रुप में अन्तिमीकृत किया गया है। इसीलिए, किसी विशिष्ट मदों की दर की तर्कसंगतता के सम्बन्ध में निविदादाता से स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था। अग्रेतर, यूपीपीटीसीएल की पूर्व प्रचलित प्रथा के अनुसार, लाइन का डीपीआर लाइन मार्ग के पूर्व-सर्वेक्षण के बिना प्रति किलोमीटर के आधार पर तैयार किया गया। यद्यपि, इस प्रकरण में फर्म द्वारा किये गये विस्तृत सर्वेक्षण के बाद कोई रीवरक्रासिंग नहीं पायी गयी, इसलिए इन मदों को निष्पादित नहीं किया गया। वर्तमान में, कम्पनी ने उचित सर्वेक्षण के बाद डीपीआर को अन्तिमीकृत करना अनिवार्य कर दिया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा विशिष्ट मदों के साथ-साथ पूरी बोली के लिए उद्धृत दरों की तर्कसंगतता सुनिश्चित की जानी चाहिए जो कि नहीं की गयी। उपरोक्त के अभाव में, अनुबंध अधिक दर पर प्रदान किया गया।

संस्तुति 3:

कम्पनी को परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए और अयोग्य निविदादाताओं को कार्य प्रदान करने से बचने हेतु बोलियों का मूल्यांकन करते समय समुचित सावधानी बरतनी चाहिए।

ठेकेदार के पास पड़े अप्रयुक्त सामग्री के मूल्य की वसूली में विफलता के कारण हानि

4.1.11.4 400 केवी शामली-अलीगढ़ डीसी लाइन के निर्माण का कार्य मैसर्स सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (ठेकेदार) को अनुबंध मूल्य ₹ 229.86 करोड़ (संशोधित ₹ 273.77 करोड़) पर जुलाई 2021 तक निर्धारित समापन तिथि के साथ प्रदान किया गया था (नवम्बर 2018)। कार्य के लिए अपेक्षित मात्रा में कंडक्टरों की आपूर्ति कम्पनी द्वारा की जानी थी।

ठेकेदार के साथ निष्पादित अनुबंध में प्रावधान था कि यदि ठेकेदार कार्य के निष्पादन में लापरवाही दर्शाता है और नोटिस की तिथि के बाद उचित समय के अंदर नोटिस का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो क्रेता कार्य को पूर्ण करने की अतिरिक्त लागत पूर्ववर्ती ठेकेदार से वसूल कर अन्य कर्मकारों को तत्काल नियोजित करने के लिए स्वतंत्र होगा। अनुबंध में यह भी प्रावधान था कि ठेकेदार, उसकी अभिरक्षा में उपलब्ध कम्पनी द्वारा आपूर्ति की गयी सभी सामग्री के भण्डारण और उचित रखरखाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

कम्पनी ने कार्य के निष्पादन हेतु ठेकेदार को 1,837.198 किलोमीटर मूज कंडक्टर निर्गत किया। ठेकेदार समय पर कार्य को निष्पादित नहीं कर सका और बार-बार विफलता के कारण अनुबंध को समाप्त कर दिया गया (फरवरी 2020)। तथापि, ठेकेदार के अनुरोध पर अनुबंध समाप्ति पर रोक लगायी गयी, किन्तु कार्य की धीमी प्रगति के कारण पहले अनुबंध समाप्ति की तिथि से दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद अनुबंध को अंततः समाप्त कर दिया गया (जुलाई 2022)। अग्रेतर, कार्य नए ठेकेदार (मेसर्स के. रामचन्द्र राव और मेसर्स उत्कर्ष इंडिया का संयुक्त उद्यम) को प्रदान किया गया (जनवरी 2023) और कम्पनी ने पिछले ठेकेदार (मैसर्स सिम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड) से ₹ 42.77 करोड़ (अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए ₹ 24.76 करोड़ और परिसमापन हर्जाने के लिए ₹ 18.01 करोड़) की कुल वसूली अन्तिमीकृत की जिसके सापेक्ष कम्पनी के पास ₹ 46.10 करोड़ {नकदीकृत बैंक गारंटी (बीजी): ₹ 25.28 करोड़, रिटेंसन मनी: ₹ 18.62 करोड़, बिल किया गया किन्तु लम्बित भुगतान: ₹ 1.36 करोड़ और कार्य निष्पादित किन्तु बिल नहीं किया गया: ₹ 0.84 करोड़} की कुल धनराशि उपलब्ध थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुबंध की समाप्ति के समय, कम्पनी ने ठेकेदार को निर्गत की गयी सामग्री एवं उपयोग की गयी सामग्री की स्थिति का मिलान नहीं किया। कम्पनी ने बाद में मिलान किया और पाया कि ₹ 12.83 करोड़ मूल्य का 314.45 किमी कंडक्टर ठेकेदार के पास पड़ा था किन्तु अनुबंध की समाप्ति से एक वर्ष बीत जाने के बाद भी कम्पनी इसे ठेकेदार से वसूलने में विफल रही।

चूँकि कम्पनी अनुबंध की समाप्ति के समय मिलान करने में विफल रही, कम्पनी ने अप्रयुक्त कंडक्टर की लागत के मद में ₹ 9.50 करोड़ (₹ 3.33 करोड़[23] की उपलब्ध धनराशि घटाने के बाद) की हानि वहन की।

सरकार और प्रबंधन ने बताया (जून/जुलाई 2023) कि ₹ 61.05 करोड़ (₹ 46.10 करोड़ + अन्य कार्यों से सम्बन्धित ₹ 14.95 करोड़ की बीजी) की

[23] (₹ 46.10 करोड़ - ₹ 42.77 करोड़)

उपलब्ध धनराशि का उपयोग चूककर्ता फर्म से की जाने वाली किसी भी लंबित वसूली के लिए किया जाएगा। अतः यूपीपीटीसीएल को कोई हानि नहीं हुई।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपलब्ध बीजी को जुलाई 2023 तक भुनाया नहीं गया था एवं ठेकेदार के दिवालियापन को देखते हुए नकदीकरण की संभावना बहुत क्षीर्ण है। अग्रेतर, तथ्य यथावत है कि उपलब्ध धनराशि से अप्रयुक्त सामग्री के मूल्य का समायोजन अभी भी लम्बित था (जुलाई 2023)।

परफॉरमेंस बैंक गारंटी की कम वसूली

4.1.11.5 निविदा स्वीकार करने की सीमा तय करने के सम्बन्ध में उ.प्र. सरकार के आदेश (जून 2012) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि निविदादाता द्वारा अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत तक कम बोली उद्धृत करने के मामले में अनुमानित लागत से प्रत्येक एक प्रतिशत कम पर 0.50 प्रतिशत की दर से परफॉरमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) प्राप्त की जा सकेगी। यदि निविदादाता द्वारा उद्धृत दर अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत से अधिक कम है, तो पीबीजी अनुमानित लागत से प्रत्येक एक प्रतिशत कम पर एक प्रतिशत की दर से प्राप्त की जाएगी। इस आदेश को कम्पनी द्वारा जून 2017 में हुई बोर्ड बैठक में अंगीकृत किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने कार्यों के निष्पादन के लिए निर्गत निविदाओं में उपर्युक्त प्रावधान सम्मिलित नहीं किया था और केवल अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत की दर पर पीबीजी की वसूली हेतु क्लॉज सम्मिलित किया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि दिसम्बर 2018 से मई 2019 के दौरान निर्गत उपकेन्द्रों की तीन निविदाओं के मामले में, निविदादाताओं ने अनुमानित लागत से 23 से 36 प्रतिशत तक की कम दरें उद्धृत की थीं और केवल 10 प्रतिशत की दर पर पीबीजी जमा की थी। इस प्रकार, निविदाओं में उ.प्र. सरकार के आदेश के अनुसार पीबीजी की वसूली का प्रावधान सम्मिलित नहीं करने के कारण, कम्पनी तीन टीकेसी से ₹ 16.53 करोड़ **(परिशिष्ट-4.3)** की पीबीजी की वसूली नहीं कर सकी, जिससे ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ।

सरकार/प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि कम्पनी द्वारा अपनाया गया उ.प्र. सरकार का आदेश विशेष रुप से केवल सिविल अनुबंधों के लिए लागू है और उपकेन्द्रों एवं सम्बन्धित सिविल कार्यों हेतु निविदाओं पर लागू नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने उ.प्र. सरकार के आदेश को अंगीकृत करते समय उपकेन्द्रों के कार्यों की निविदाओं पर इस आदेश को लागू करने से बाहर नहीं रखा है।

बिलों से रॉयल्टी नहीं काटने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान

4.1.11.6 उ.प्र. सरकार ने सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त खनिजों पर रॉयल्टी का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित (अक्टूबर 2015) किया कि

सार्वजनिक निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले खनिजों की आपूर्ति प्राप्त करते समय यह सुनिश्चित किया जाए[24] कि खनिज का परिवहन रॉयल्टी जमा करने के बाद ही किया गया हो। ऐसे मामलों में, जहां रॉयल्टी जमा किये बिना सामग्री की आपूर्ति की गयी थी, आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने से पूर्व बिलों से रॉयल्टी धनराशि की कटौती कर ली जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (रियायत) नियमावली, 1963 (समय-समय पर यथा संशोधित) उपखनिजों पर रॉयल्टी की लागू दरों का प्रावधान करती है। इन नियमों के अनुसार, मोटी रेत और पत्थर गिट्टी पर रॉयल्टी क्रमशः ₹ 150 और ₹ 160 प्रति घनमीटर निर्धारित की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 32 पूर्ण हो चुके सिविल कार्यों के मामलों में, 52,223.80 घनमीटर मोटी रेत और 91,391.54 घनमीटर पत्थर गिट्टी की आपूर्ति 28 आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गयी थी। कम्पनी ने आपूर्तिकर्ताओं को अंतिम भुगतान करते समय न तो रॉयल्टी की कटौती की और न ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा रॉयल्टी का सत्यापन किया। इसके कारण, कम्पनी ने ₹ 2.01 करोड़ की रॉयल्टी की धनराशि **(परिशिष्ट-4.4)** काटे बिना आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया, जिसे कम्पनी द्वारा काटकर राजकोष में जमा किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप राजकोष को उसी सीमा तक हानि हुई।

सरकार और प्रबंधन ने प्रेक्षण को स्वीकार किया और कहा (जून 2023) कि चार फर्मों द्वारा ईएमएम-11 प्रस्तुत किये जा चुके हैं। शेष फर्मों को ईएमएम-11 प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मारक नोटिस जारी किये गये हैं और तदनुसार वसूली के लिए कार्रवाई की जाएगी।

ठेकेदारों के बिलों से परिसमापन हर्जाना कम/नहीं काटना

4.1.11.7 टर्नकी ठेकेदारों के साथ निष्पादित आशय-पत्र/समझौते के नियमों और शर्तों में निर्दिष्ट किया गया है कि अनुबंध समापन अवधि के पश्चात् उपकेन्द्र/लाइनों के पूर्ण होने में विलम्ब होने की स्थिति में विलम्ब के प्रति सप्ताह हेतु 0.5 प्रतिशत दर से परिसमापन हर्जाना जो अधिकतम कुल अनुबन्धित मूल्य के 10 प्रतिशत की सीमा तक होगा ठेकेदार के बिलों से काटा जाएगा। शर्तों में आगे निर्दिष्ट किया गया है कि यदि निविदादाता अनुबंध के निर्धारित समय या उसके समय विस्तार के अन्दर अनुबंध निष्पादन में विफल रहता है तो नियत या विस्तारित समय के बीच प्रत्येक सप्ताह के दौरान जैसा भी मामला हो, अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन निविदादाता संयंत्र के केवल ऐसे हिस्से के अनुबंध मूल्य जिसको विलम्ब के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक और कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं किया जा सकता है पर प्रति सप्ताह आधे प्रतिशत की दर से अनुबंध मूल्य में कटौती स्वीकार करने के लिए सहमत होगा।

[24] आपूर्तिकर्ताओं से फॉर्म एमएम-11 (जुलाई 2017 से ईएमएम-11) प्राप्त करते हुए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 29 उपकेन्द्रों/लाइन कार्यों को ठेकेदारों द्वारा विलम्ब से पूर्ण करने के कारण पाँच से 129 सप्ताह के विलम्ब से वाणिज्यिक उपयोग में लाया गया।

अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुसार, कार्य के विलम्ब से पूर्ण करने पर ठेकेदारों के बिलों से परिसमापन हर्जाना काटा जाना था। लेखापरीक्षा ने लाइन के कार्यों के मामले में ऊर्जीकरण की तिथि एवं उपकेन्द्र के कार्यों के मामले में पहले ट्रांसफार्मर की चार्जिंग की तिथि को वास्तविक पूर्णता तिथि के रूप में विचार करते हुए पाया कि ठेकेदारों के कारण हुए विलम्ब के लिए कम्पनी द्वारा उनके बिलों से परिसमापन हर्जाने की धनराशि ₹ 63.39 करोड़ **(परिशिष्ट-4.5)** कम/नहीं काटी गयी। इस प्रकार, ठेकेदारों को उसी सीमा तक अनुचित लाभ पहुंचाया गया।

सरकार और प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि लाइन कार्यों के मामले में परिसमापन हर्जाना को 20 सप्ताह के विलम्ब होने के बाद ही 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर से काटा जाता है एवं अंतिम समायोजन 10 प्रतिशत की रोकी गयी धनराशि से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपकेन्द्रों के मामलों में, परिसमापन हर्जाने का समायोजन कार्यों के पूर्ण होने के बाद एवं समय विस्तार समिति के निर्णय के अनुसार ठेकेदारों के बिलों से रोकी गयी 10 प्रतिशत धनराशि से किया जाएगा। इस प्रकार, इसका समायोजन कार्यों के पूर्ण होने के बाद रोकी गयी धनराशि से किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा परिसमापन हर्जाने की धनराशि की गणना, कम्पनी द्वारा दिये गये समय विस्तार पर विचार करने के बाद की गयी है और समझौते के नियमों एवं शर्तों के अनुसार परिसमापन हर्जाना ठेकेदारों के बिलों से कटौती योग्य था, किन्तु 12 प्रकरणों में कम्पनी द्वारा ठेकेदारों के बिलों से परिसमापन हर्जाने की कटौती नहीं की गयी एवं 17 प्रकरणों में कम्पनी द्वारा परिसमापन हर्जाने की कटौती कम की गयी। इसके अतिरिक्त, छः प्रकरणों में ठेकेदारों के बिलों से कटौती कर रोकी गयी धनराशि भी कम्पनी द्वारा अवमुक्त कर दी गयी।

ठेकेदारों को अधिक भुगतान

4.1.11.8 उत्तर प्रदेश उपखनिज (रियायत) (उन्तालिसवां संशोधन) नियमावली, 2016 के अनुसार, मिट्टी की आपूर्ति पर ₹ 30 प्रति घनमीटर की दर से रॉयल्टी आरोपित की जानी थी। अग्रेतर, उ.प्र. सरकार द्वारा 27 मार्च 2018 से मिट्टी की आपूर्ति पर रॉयल्टी आरोपित करने से छूट दे दी गयी।

कम्पनी, वार्षिक आधार पर दरों की अनुसूची (एसओआर) तैयार करती है (जो सामान्यतः सम्बन्धित वर्ष के अप्रैल माह से लागू होती है) और प्राक्कलन उस समय लागू एसओआर के आधार पर तैयार किये जाते थे। यदि कार्य एसओआर की दरों पर दिये गये थे, जिसमें देय रॉयल्टी भी सम्मिलित थी और अनुबंध के निष्पादन के दौरान रॉयल्टी की दर संशोधित कर दी गयी थी,

अतः ठेकेदार को रॉयल्टी का भुगतान संशोधित दरों पर किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14 सिविल कार्यों में, प्राक्कलन 2016-17 एवं 2017-18 के एसओआर के आधार पर तैयार किये गये जिसमें मिट्टी आपूर्ति मद की दर में रॉयल्टी सम्मिलित थी। ये कार्य उ.प्र. सरकार की मार्च 2018 की अधिसूचना के बाद मार्च 2018 से जून 2020 के दौरान आवंटित/निष्पादित किये गये थे, इसलिए ठेकेदारों को मिट्टी आपूर्ति के कार्य पर रॉयल्टी देय नहीं थी। जबकि, कम्पनी ने उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करते हुए ₹ 58.98 लाख रॉयल्टी की धनराशि का भुगतान ठेकेदारों को किया जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को उसी सीमा तक अधिक भुगतान हुआ।

प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए, सरकार और प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि तीन सम्बन्धित फर्मों से ₹ 9.13 लाख की वसूली की जा चुकी है। शेष फर्मों को अनुस्मारक नोटिस जारी किये जा चुके हैं और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

पारेषण परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऋण एवं पूँजी के अनुपात को बनाये नहीं रखा गया

4.1.11.9 उ.प्र. सरकार की अप्रेजल एंड इवेलुएशन कमेटी के निर्देशानुसार ट्रांसमिशन कार्यों का वित्तपोषण संस्थागत ऋण एवं सरकारी पूँजी से 70:30 के अनुपात में किया जाएगा। यूपीईआरसी भी 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत पूँजी को ध्यान में रखते हुए ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, उ.प्र. सरकार ने अपनी स्वीकृति आदेश में यह भी प्रावधान किया है कि पूँजी के रुप में वित्तीय सहायता का उपयोग स्वीकृत उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

कम्पनी सरकारी पूँजी प्राप्त करने के लिए उपकेन्द्रों के निर्माण/क्षमता वृद्धि हेतु प्रस्ताव उ.प्र. सरकार को प्रस्तुत करती है और परियाजनाओं के अनुमोदनोपरांत उ.प्र. सरकार द्वारा 30 प्रतिशत पूँजी अग्रिम के रुप में प्रदान की जाती है।

नए उपकेन्द्रों की परियोजनाओं की नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि कम्पनी ने तीन पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में इन परियोजनाओं के पूर्ण होने और कम्पनी को सौंपे जाने के छः से 16 माह बीत जाने के उपरांत भी ऋण और पूँजी का अनुपात नहीं बनाये रखा जैसा कि **तालिका 4.3** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

तालिका 4.3: पूर्ण हो चुकी तीन परियोजनाओं में ऋण एवं पूँजी अनुपात दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	निर्माण के दौरान के ब्याज को शामिल करते हुए वास्तविक व्यय	वास्तविक आहरित ऋण (दिसम्बर 2022 तक)	उपयोग की गयी पूँजी	ऋण/उधार प्रतिशत में	वास्तविक पूँजी प्रतिशत में	परियोजना के हस्तानान्तरण का दिनांक
1	2	3	4	5=3-4	6=(4/3)x100	7=100-कॉलम 6	8
1	132/33 केवी उपकेन्द्र तिलोई	23.13	15.66	7.47	68	32	08.12.2021
2	132/33 केवी उपकेन्द्र कैसरगंज	71.34	42.60	28.74	60	40	06.06.2022
3	132/33 एसएस उपकेन्द्र भरवान	21.27	19.01	2.26	89	11	10.08.2021

स्रोतः कम्पनी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि दो पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं में कम्पनी ने उ.प्र. सरकार के अंश 30 प्रतिशत से अधिक पूँजी का उपयोग किया और एक मामले में, पूँजी का उपयोग 30 प्रतिशत से कम था और ऋण का हिस्सा 70 प्रतिशत के निर्धारित अंश के अनुपात में नहीं था।

सरकार और प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि परियोजनाओं के पूर्ण होने और पूंजीकरण पर, 70:30 का ऋण-पूँजी अनुपात सुनिश्चित किया जाता है। तदनुसार, इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर ऋण की धनराशि का दावा उचित समय पर किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त तीन परियोजनाएँ अगस्त 2021 से जून 2022 की अवधि के दौरान पहले ही पूर्ण एवं कम्पनी द्वारा अधिग्रहित हो चुकी हैं, तथापि, परियोजनाओं के अधिग्रहण की तिथि से छः से 16 माह बीत जाने के बाद भी इनका ऋण पूँजी अनुपात बनाये नहीं रखा गया।

यूपीईआरसी विनियमों का अनुपालन न करने के कारण राजस्व से वंचित होना

4.1.11.10 यूपीईआरसी विनियमों, 2014 और 2019 के अनुसार, कम्पनी को चल रही परियोजनाओं और नई परियोजनाओं (₹ 10 करोड़ से अधिक) के लिए पूर्व अनुमोदन हेतु यूपीईआरसी को पूँजी निवेश योजना (सीआईपी) प्रस्तुत करना आवश्यक था। यदि सीआईपी प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आयोग उस वर्ष के ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारण के लिए पूँजीगत व्यय को शामिल करने से मना कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी वर्ष 2018-19 और 2019-20 में ₹ 10 करोड़ से अधिक के पूँजीगत व्यय वाली योजनाओं के निष्पादन के लिए यूपीईआरसी का पूर्व अनुमोदन लेने में विफल रही। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त वर्षों के लिए ट्रांसमिशन टैरिफ का निर्धारण (जनवरी 2019 और अगस्त 2019) करते समय, यूपीईआरसी ने विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण कम्पनी द्वारा अनुमानित कुल पूँजीगत निवेश का 30 प्रतिशत जो ₹ 3463.95 करोड़ था, अस्वीकृत कर दिया। अग्रेतर, यूपीईआरसी ने 2018-19 और 2019-20 के ट्रू-अप को अंतिम रूप देते समय

(नवम्बर 2020 एवं जून 2021), अन्ततः कम्पनी द्वारा किये गये पूँजीगत निवेश का 25 प्रतिशत जो ₹ 1836.94 करोड़ था को अस्वीकृत कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप निवेश पर आय[25] ₹ 144.75 करोड़ भी अस्वीकृत हो गयी।

इस प्रकार, विनियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण कम्पनी को ₹ 144.75 करोड़ के राजस्व से वंचित होना पड़ा क्योंकि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए ट्रू-अप कम करके अन्तिमीकृत किया गया था।

सरकार एवं प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि विनियम 2014 के अनुसार सीआईपी व्यवसाय योजना का हिस्सा था, इसलिए पृथक रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया। अग्रेतर, वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए ट्रू-अप ऑर्डर में 25 प्रतिशत निवेश की अस्वीकृति को अपटेल में चुनौती दी गयी है और अंतिम आदेश प्रतीक्षित है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूँजीगत निवेश को अस्वीकृत करने का मुख्य कारण यूपीईआरसी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त न करना था और इस सम्बन्ध में आयोग के निर्देशों का पालन न करना था।

संस्तुति 4:

कम्पनी को ट्रांसमिशन टैरिफ निर्धारित करने के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय यूपीईआरसी विनियम के प्रावधानों/निर्देशों का पालन करना चाहिए।

आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र

4.1.12 आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण तंत्र में देखी गयी कमियों पर चर्चा नीचे की गयी है।

जनशक्ति की कमी

4.1.12.1 किसी भी कम्पनी में प्रत्येक पद के भिन्न उत्तरदायित्व होते हैं ताकि तैनात अधिकारी/कर्मचारी अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर सकें। जब एक ही अधिकारी द्वारा अनेक प्रभारों का निर्वहन किया जाता है तो कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण कमजोर हो जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनशक्ति की कमी के कारण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी, जैसा कि नीचे **तालिका 4.4** में संक्षेपित किया गया है।

[25] पूँजी पर रिटर्न और ऋण पर ब्याज।

तालिका 4.4: स्वीकृत पद संख्या और वर्तमान तैनाती

पद	स्वीकृत पद संख्या	वर्तमान तैनाती	कमी (प्रतिशत में)
महाप्रबंधक	1	0	1 (100)
वरिष्ठ लेखा अधिकारी	9	0	9 (100)
लेखाकार	186	158	28 (15)
अधीक्षण अभियन्ता	70	47	23 (33)
अधिशाषी अभियन्ता	270	250	20 (7)
सहायक अभियन्ता	760	651	109 (14)
कनिष्ठ अभियन्ता	1603	1356	247 (15)

जनशक्ति की कमी के कारण, कम्पनी के मुख्यालय और फील्ड इकाइयों के कर्मचारियों के पास एक से अधिक कार्यभार थे।

सरकार एवं प्रबंधन द्वारा कोई भी उत्तर नहीं दिया गया।

आंतरिक लेखापरीक्षा

4.1.12.2 आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अंग है। जुलाई 2020 तक कम्पनी के पास अपना आंतरिक लेखापरीक्षा विंग (आईएडब्ल्यू) नहीं था और आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फर्मों को नियुक्त करके संचालित किया जाता था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने जुलाई 2020 में स्वयं का आईएडब्ल्यू बनाया।

यह देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में विस्तृत तकनीकी लेखापरीक्षा या व्यय के औचित्य पर टिप्पणियाँ सम्मिलित नहीं थी। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि योजना विंग, परियोजना नियंत्रण और अनुश्रवण इकाई एवं कम्पनी के मुख्यालय में स्थित पाँच डिजाइन सर्किलों की आन्तरिक लेखापरीक्षा आईएडब्ल्यू/सीए फर्मों के दायरे में नहीं आती थी, इसलिए उनकी लेखापरीक्षा अभी तक नहीं की जा सकी थी (दिसम्बर 2022)। परिणामस्वरूप, समग्र आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र निष्प्रभावी था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि आईएडब्ल्यू की जनशक्ति कम्पनी के काम के आकार और विस्तार के अनुरूप नहीं थी क्योंकि 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल 189[26] इकाइयों में से केवल 12 इकाइयों की लेखापरीक्षा आईएडब्ल्यू द्वारा की गयी थी और शेष इकाइयों की लेखापरीक्षा सीए फर्मों द्वारा की गयी थी।

सरकार और प्रबंधन ने प्रेक्षण को स्वीकार किया और बताया (जून 2023) कि जनशक्ति की कमी के कारण, आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त जनशक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकी। अग्रेतर, लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार, सभी पाँच डिजाइन सर्किलों के साथ-साथ परियोजना नियंत्रण और अनुश्रवण इकाई को वित्तीय वर्ष 2023-24 से आंतरिक लेखापरीक्षा के दायरे में लाया जाएगा।

[26] 185 फील्ड इकाइयाँ और चार मुख्यालय की इकाइयाँ।

अनुश्रवण तंत्र

4.1.12.3 प्रभावी अनुश्रवण तंत्र परियोजनाओं के कुशल कार्यान्वयन और निष्पादन के साथ-साथ पारेषण प्रणाली के कुशल परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रबंधन, उपकेन्द्र के निर्माण के लिए समय पर भूमि सौंपने, एनओसी के लिए आवेदन करने, परियोजनाओं के निष्पादन और ठेकेदारों से वसूली करने जैसा कि पूर्ववर्ती प्रस्तरों **(प्रस्तर 4.1.9.1, 4.1.9.2, 4.1.11.1 एवं 4.1.11.4)** में चर्चा की गयी थी, में आवश्यक कदम उठाने में विफल रहा। ये प्रबंधन की ओर से अनुश्रवण में कमी को दर्शाते हैं।

सरकार और प्रबंधन ने बताया (जून 2023) कि 2022-23 के दौरान 40 नए और 58 मौजूदा उपकेन्द्रों को 18,553 एमवीए की ट्रांसमिशन क्षमता के साथ ऊर्जीकृत किया गया है, जो प्रबंधन के दृढ और प्रभावी अनुश्रवण से ही संभव हो सका है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान (2018-22), परियोजनाओं के निष्पादन में कई कमियाँ थीं, जैसा कि उपर्युक्त प्रस्तरों में देखा गया है, जो उचित अनुश्रवण की कमी को इंगित करते हैं।

निष्कर्ष

कम्पनी ने न तो उपकेन्द्रों के निर्माण के लिए समय पर खाली स्थल सौंपना सुनिश्चित किया और न ही एनओसी के लिए निर्धारित समय पर आवेदन किया, जिसके परिणामस्वरुप परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब हुआ। कम्पनी ने निविदाओं में समान पूर्व-योग्यता मानदण्ड शामिल नहीं किये। अग्रेतर, बोलियों की जाँच में सम्यक सतर्कता नहीं बरती गयी जिसके कारण अयोग्य निविदादाता को कार्य प्रदान किया गया। कम्पनी ने निर्माण कार्यों में प्रयुक्त उपखनिजों पर ठेकेदारों द्वारा लागू अधिनियमों/नियमों के अनुसार प्राधिकरणों को रॉयल्टी का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया। यूपीईआरसी से पूर्व अनुमोदन लेने में विफलता के कारण ट्रू-अप याचिकाओं में पूँजीगत निवेश को अस्वीकृत कर दिया गया।

लेखापरीक्षा प्रस्तर

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.2 विद्युत शुल्क की वसूली में विफलता

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) छूट की अवधि समाप्त होने के पश्चात् जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड के विद्युत बिलों में ₹ 3.94 करोड़ का विद्युत शुल्क लगाने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप उक्त की वसूली नहीं हो सकी एवं उसे राजकोष में जमा नहीं किया जा सका।

उ.प्र. विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 की धारा 3(1) में निर्दिष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को विक्रय की गयी ऊर्जा पर विद्युत शुल्क, उस दर या दरों पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लगाया जाएगा एवं राज्य सरकार को भुगतान किया जाएगा।

अग्रेतर, बड़े पैमाने की परियोजनाओं को कर/शुल्क/उप-कर में छूट हेतु नीति निर्माण से सम्बन्धित दिनांक 22 मई 2009[27] के सरकारी आदेश (शासनादेश) के प्रस्तर 2(v) में निर्दिष्ट है कि बड़े पैमाने के एकीकृत विकास परियोजनाओं को परियोजना क्षेत्र में विद्युत के स्व-उत्पादन या विद्युत के क्रय पर शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 10 वर्षों की अवधि हेतु विद्युत शुल्क (ईडी) में छूट प्रदान की जाएगी।

मैसर्स जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (उपभोक्ता) ने खेलकूद की मुख्य गतिविधियों के लिए 1,000 हेक्टेयर भूमि पर गौतम बुद्ध नगर जिले में एक मेगा प्रोजेक्ट स्थापित किया। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) ने नवम्बर 2010 में उपभोक्ता को 30,000 केवीए का विद्युत संयोजन स्वीकृत किया और 27 अक्टूबर 2011 को हाई वोल्टेज (एचवी)-1 श्रेणी के अन्तर्गत संयोजन जारी किया। अग्रेतर, पीवीवीएनएल ने उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार उपभोक्ता को विद्युत शुल्क में छूट का लाभ प्रदान किया।

लेखापरीक्षा ने पीवीवीएनएल के विद्युत वितरण खण्ड, ग्रेटर नोएडा की लेखापरीक्षा के दौरान पाया (अप्रैल 2022) कि शासनादेश के अनुसार उपभोक्ता को विद्युत शुल्क की छूट का लाभ केवल मई 2019 तक ही उपलब्ध था, किन्तु पीवीवीएनएल ने मई 2019 के बाद भी विद्युत शुल्क में छूट का लाभ देना जारी रखा एवं जून 2019 से नवम्बर 2022 तक की अवधि के लिए उपभोक्ता के बिलों में विद्युत शुल्क आरोपित नहीं किया। परिणामस्वरूप, पीवीवीएनएल की विफलता के कारण उपभोक्ता से ₹ 3.94 करोड़ **(परिशिष्ट-4.6)** का विद्युत शुल्क वसूल नहीं किया जा सका और उसे सरकार को विप्रेषित नहीं किया जा सका।

[27] अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत।

उत्तर में, सरकार एवं प्रबंधन ने बताया (मई 2023) कि त्रुटिवश विद्युत शुल्क को मई 2019 के पश्चात् उपभोक्ता के बिलों में सम्मिलित नहीं किया जा सका और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात् उपभोक्ता के दिसम्बर 2022 के बिल में ₹ 3.94 करोड़ धनराशि के विद्युत शुल्क को सम्मिलित किया गया है। यह भी बताया गया कि बकाया धनराशि का भुगतान न करने के कारण उपभोक्ता का विद्युत संयोजन मार्च 2023 में काट दिया गया है तथा वसूली की कार्रवाई की जा रही है।

तथ्य यह है कि उपभोक्ता से विद्युत शुल्क की धनराशि अभी भी वसूल नहीं की गयी है (मई 2023)।

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.3 प्रोटेक्टिव लोड प्रभार न लगाने के कारण ₹ 2.79 करोड़ की हानि

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ता को 24 घंटे की रोस्टर मुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु ₹ 2.79 का प्रोटेक्टिव लोड प्रभार नहीं लगाया जिसके परिणास्वरूप कम्पनी को उसी सीमा तक हानि हुई।

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के क्लॉज 4.27 में यह प्रावधान है कि अनुज्ञप्तिधारी विनिर्दिष्ट प्रकरणों में चौबीस घंटे विद्युत की आपूर्ति का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ता को प्रोटेक्टिव लोड प्रदान कर सकता है। अग्रेतर, दर अनुसूची[28] के प्रस्तर 9 में प्रावधान है कि उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 केवी और उससे अधिक वोल्टेज के स्वतंत्र फीडर पर आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ता प्रोटेक्टिव लोड की सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं और आपातकालीन रोस्टरिंग को छोड़कर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगायी गयी निर्धारित रोस्टरिंग अवधि के दौरान आपूर्ति का लाभ उठा सकते हैं। स्वीकृत प्रोटेक्टिव लोड पर प्रति माह बेस डिमांड चार्ज के 100 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार प्रोटेक्टिव लोड प्रभारों के रूप में लगाया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि (फरवरी 2022) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) के विद्युत वितरण खण्ड-III, बहराईच, कैसरगंज (खण्ड) ने मैसर्स ऋत्विक स्टील प्राइवेट लिमिटेड (उपभोक्ता) को 4,450 केवीए का विद्युत भार जारी किया (19 जनवरी 2021)। अग्रेतर, उपभोक्ता ने खण्ड से 24 घंटे रोस्टर मुक्त विद्युत आपूर्ति[29] प्रदान करने का अनुरोध करते हुए कहा (21 जनवरी 2021) कि विद्युत कटौती के मामले में आर्क फर्नेस को अपनी स्थिति बहाल करने में एक से दो घंटे लगते है, जिससे फर्म को हानि के साथ-साथ कम्पनी को राजस्व की भी हानि हो रही है। खण्ड ने उपभोक्ता के अनुरोध को आवश्यक कार्रवाई के लिए कम्पनी के मुख्यालय को भेज दिया (27 जनवरी 2021)। कम्पनी के निदेशक (तकनीकी) ने उ.प्र. सरकार की

[28] 2020-21 एवं 2021-22 हेतु लागू।

[29] प्रभाग द्वारा उपभोक्ताओं को 18 घंटे की आपूर्ति की जा रही थी।

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति (औद्योगिक नीति), 2017[30] के अन्तर्गत उपभोक्ता को 24 घंटे रोस्टर मुक्त विद्युत आपूर्ति करने के लिए राज्य स्टेट डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) से संस्तुति की (08 फरवरी 2021)। तद्नुसार, उपभोक्ता को 10 फरवरी 2021 से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति प्रदान कर दी गयी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपभोक्ता उक्त औद्योगिक नीति, 2017 के अन्तर्गत 24 घंटे रोस्टर मुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए पात्र नहीं था क्योंकि नीति का उद्देश्य स्वतंत्र फीडर के साथ न्यूनतम निर्दिष्ट भार वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर को चिन्हित एवं निर्धारित करना और उन्हें विद्युत कटौती से मुक्त करना था। हालाँकि, उपभोक्ता के स्थान बहराईच जिले के लिए कोई इंडस्ट्रियल क्लस्टर चिन्हित और अनुमोदित नहीं किया गया था। अग्रेतर, कम्पनी ने यह भी पुष्टि की (फरवरी 2023) कि विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 के क्लॉज 4.27 के अनुसार प्रोटेक्टिव लोड की मंजूरी के बाद इंडस्ट्रियल क्लस्टर के बाहर स्थित उद्योगों को 24 घंटे रोस्टर मुक्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा सकती है, जिसके लिए लागू दर अनुसूची के अनुसार प्रभार वसूले जायेंगे। इस प्रकार, उपभोक्ता को प्रोटेक्टिव लोड की उचित मंजूरी और प्रोटेक्टिव लोड प्रभार की वसूली के बाद ही 24 घंटे रोस्टर मुक्त विद्युत आपूर्ति दी जानी चाहिए थी। किन्तु, कम्पनी ने आपूर्ति संहिता और औद्योगिक नीति के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए निर्धारित प्रभार वसूल किए बिना उपभोक्ता को 24 घंटे की कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति जारी रखा।

इस प्रकार, 3,337.50 से 4,458 केवीए[31] तक की बिल की गयी डिमांड पर 290 प्रति केवीए की लागू दर पर प्रोटेक्टिव लोड प्रभार की वसूली के बिना उपभोक्ता को 24 घंटे रोस्टर मुक्त विद्युत आपूर्ति के अनुचित प्रावधान के कारण मार्च 2021 से मई 2023 के दौरान कम्पनी को ₹ 2.79 करोड़ **(परिशिष्ट-4.7)** के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन और सरकार ने अपने उत्तर में कहा (मार्च एवं मई 2023) कि यूपीपीसीएल के निदेशक मण्डल (बीओडी) के निर्णय के अनुसार, उन 11 केवी ग्रामीण फीडरों को 24 घंटे रोस्टर मुक्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाएगी जिनपर औद्योगिक भार उस फीडर पर संयोजित कुल भार 50 से 75 प्रतिशत के बीच है। अग्रेतर, उपभोक्ता को 33 केवी स्वतंत्र फीडर पर आपूर्ति मिल रही थी, इसलिए उपभोक्ता का कुल भार औद्योगिक श्रेणी में आता है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी ने औद्योगिक नीति, 2017 के अन्तर्गत उपभोक्ता को 24 घंटे रोस्टर मुक्त विद्युत आपूर्ति प्रदान की थी और इस

[30] नीति का उद्देश्य स्वतंत्र फीडर के साथ न्यूनतम निर्दिष्ट भार वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर को चिन्हित एवं निर्धारित करना और उन्हें विद्युत कटौती से मुक्त करना था।

[31] दर अनुसूची के अनुसार, स्वीकृत प्रोटेक्टिव लोड पर प्रति माह बेस डिमांड चार्ज के 100 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार प्रोटेक्टिव लोड प्रभार के रूप में लगाया जाना था।

प्रकार, यूपीपीसीएल के निदेशक मण्डल का निर्णय इस मामले में लागू नहीं था। अग्रेतर, औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उपभोक्ता 24 घंटे रोस्टर मुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए पात्र नहीं था क्योंकि उपभोक्ता इंडस्ट्रियल क्लस्टर में स्थित नहीं था।

लेखापरीक्षा प्रभाव

निम्नलिखित प्रकरण में लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली की गयीः

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.4 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर ₹ 2.66 करोड़ के प्रोटेक्टिव लोड प्रभारों की वसूली

12 अक्टूबर 2014 से प्रभावी दर अनुसूची के सामान्य प्रावधानों का प्रस्तर 10 निर्दिष्ट करता है कि उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 केवी और उससे अधिक वोल्टेज पर स्वतंत्र फीडरों पर आपूर्ति प्राप्त करने वाले उपभोक्ता प्रोटेक्टिव लोड की सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं और आपातकालीन रोस्टरिंग को छोड़कर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा लगायी गयी निर्धारित रोस्टरिंग की अवधि के दौरान आपूर्ति का लाभ उठा सकते हैं। प्रति माह नियत बेस डिमांड चार्ज के 100 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार प्रत्येक माह अनुबंधित प्रोटेक्टिव लोड पर लगाया जाएगा।

सितम्बर 2022 में लेखापरीक्षा द्वारा यह इंगित किये जाने कि दो उपभोक्ताओं[32] के बिलों में प्रोटेक्टिव लोड प्रभार नहीं लगाया गया था, के पश्चात् अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड-I, गोंडा ने दोनों संयोजनों के दिसम्बर 2022 के बिलों में ₹ 2.66 करोड़ का बकाया प्रोटेक्टिव लोड प्रभारों को प्रभारित किया और अप्रैल/मई 2023 में उपभोक्ताओं से इसकी वसूली कर ली।

[32] रेलवे फ्लैश बट प्लांट एवं रेलवे एनईआर कॉलोनी।

अध्याय-V

विभागों एवं संस्थाओं (पीएसयू के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

अध्याय-V

विभागों एवं संस्थाओं (पीएसयू के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

विभिन्न विभागों/संस्थाओं द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच में पाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया हैं।

लोक निर्माण विभाग

5.1 'वित्तीय नियमों के उल्लंघन के कारण निधियों के व्यपवर्तन और अनियमित पार्किंग' पर लेखापरीक्षा प्रस्तर

प्रस्तावना

5.1.1 उत्तर प्रदेश का लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) सड़कों एवं पुलों के निर्माण, सुधार सुदृढ़ीकरण और रखरखाव का कार्य करता है।

बिटुमिन एवं इमल्शन सामग्रियों का उपयोग नई सड़कों के निर्माण, सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत में किया जाता है। ये सामग्रियाँ विभाग द्वारा इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) एवं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) से क्रय की जाती है और सम्बन्धित कार्यों को निर्गत की जाती है। विभाग ने बिटुमिन एवं इमल्शन आदि के क्रय हेतु तेल कम्पनियों को अग्रिम धनराशि प्रदान की। ये अग्रिम विभिन्न कार्यों पर प्राप्त आवंटन से दिये गये थे और इन अग्रिमों एवं क्रय के लिए धन का कोई पृथक आवंटन उपलब्ध नहीं था।

बिटुमिन एवं इमल्शन के क्रय और उसके उपयोग के लिए तेल कम्पनियों को इन अग्रिमों के भुगतान की नमूना जाँच दस लोक निर्माण खण्डों में की गयी (जून 2022 एवं अक्टूबर 2022 के मध्य) और निम्नलिखित कमियाँ पायी गयीं।

लेखापरीक्षा परिणाम

अनुदान व्यपगत होने से बचाने के लिए, नकद साख सीमा (सीसीएल) के व्यपवर्तन द्वारा निधियों की अनियमित पार्किंग

5.1.2.1 उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल में प्रावधान है कि सभी अंतिम बचत 25 मार्च तक वित्त विभाग को सौंप दी जानी चाहिए और किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड-VI) के प्रस्तर 196 में प्रावधान है कि प्राप्तियों और स्टॉक जारी करने के सभी लेनदेनों को नियमों के अनुसार, कड़ाई से घटित होने के क्रम में और घटित होते ही दर्ज किया जाना चाहिए। काल्पनिक स्टॉक समायोजन कड़ाई से प्रतिबन्धित हैं, जैसे (1) अनावश्यक अथवा वास्तविक आवश्यकताओं से अधिक सामग्री की लागत

को किसी कार्य पर डेबिट करना, (2) किसी अन्य कार्य, जिसके लिए कोई विनियोग स्वीकृत नहीं किया गया है, पर उपयोग करने के इरादे से किसी कार्य विशेष, जिसके लिए धन उपलब्ध है, को उक्त मूल्य की सामग्री से डेबिट करना, (3) विनियोग आदि पर अतिरिक्त परिव्यय से बचने के लिए किसी कार्य पर उपयोग की गयी सामग्री के मूल्य का अपलेखन। इन नियमों का कोई भी उल्लंघन गंभीर वित्तीय अनियमितता का गठन करता है।

जैसा कि कार्यालय ज्ञापन[1] में उल्लिखित है, नकद साख सीमा (सीसीएल) और निक्षेप साख सीमा (डीसीएल) की धनराशि किसी भी परिस्थिति में एक-दूसरे में परिवर्तित नहीं की जाएगी। सीसीएल और डीसीएल का अलग-अलग खाता कोषागार में रखा जायेगा।

लोक निर्माण खण्डों के दस में से आठ[2] खण्डों की नमूना जाँच से प्राप्त अभिलेखों और सूचनाओं की जाँच में पाया गया कि विगत तीन वित्तीय वर्षों (2019-20 से 2021-22) में आईओसीएल एवं एचपीसीएल को मुख्य रूप से मार्च[3] माह में बिटुमिन प्राप्ति के लिए 1,765 कार्यों पर सीधे भारित करते हुए ₹ 117.79 करोड़ धनराशि (नकद साख सीमा से) के अग्रिम दिये गये **(परिशिष्ट-5.1)**।

अग्रेतर विश्लेषण से पाया गया किः

- आईओसीएल एवं एचपीसीएल को दिये गये ₹ 117.79 करोड़ अग्रिम में से, ₹ 30.80 करोड़ धनराशि का मात्र 5,617.361 मीट्रिक टन बिटुमिन प्राप्त किया गया और कार्यों पर उपयोग किया गया। इनमें से, ₹ 0.99 करोड़ धनराशि का 182.515 मीट्रिक टन बिटुमिन, 15 कार्यों[4] पर सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में आईओसीएल से प्राप्त हुआ और शेष ₹ 29.81 करोड़ धनराशि का 5,434.846 मीट्रिक टन बिटुमिन, सम्बन्धित वित्तीय वर्षों की समाप्ति के बाद आईओसीएल/एचपीसीएल से खण्डों को प्राप्त हुआ, अधिकतर एक से 12 माह के दौरान एवं 23 प्रकरणों में अग्रिम के 13 से 33 माह बाद में प्राप्त हुए। इससे प्रदर्शित होता है कि सम्बन्धित वर्षों के मार्च माह में बिटुमिन के लिए अग्रिम भुगतान करने की कोई अत्यावश्यकता नहीं थी।

[1] सं ए-2-47/दस-97-10(9)/95 लखनऊ दिनांक 3 मार्च 1997।

[2] नि.ख.-2 फतेहपुर, प्रा.ख. प्रयागराज, नि.ख.-3 प्रयागराज, प्रा.ख. महाराजगंज, प्रा.ख. देवरिया, नि.ख. (भवन) लखनऊ, प्रा.ख. मऊ, नि.ख.-2 बिजनौर (नजीबाबाद); शेष दो खण्डों (प्रा.ख. बस्ती एवं प्रा.ख. बहराइच) में, खण्डों द्वारा विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

[3] प्रा.ख. देवरिया एवं नि.ख.-2 फतेहपुर में क्रमशः माह फरवरी 2020 एवं दिसम्बर 2021 में भी अग्रिम धनराशि दी गयी।

[4] नि.ख.-2 फतेहपुर का एक कार्य वर्ष 2020-21 तथा 14 कार्य वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित हैं।

- आईओसीएल/एचपीसीएल को बिटुमिन की आपूर्ति के लिए भुगतान किये गये अग्रिम में से, ₹ 65.99 करोड़[5] 2019 से 2023 के दौरान आईओसीएल/एचपीसीएल द्वारा वापस कर दिया गया और सीसीएल से डीसीएल में निधियों के गैर अंतरण के सम्बन्ध में सरकार के निर्देशों का उल्लघंन करते हुए निक्षेप शीर्ष (डीसीएल) में क्रेडिट किया गया।

इस प्रकार, बजट प्रावधान को व्यपगत होने से बचाने के लिए, तेल कम्पनियों को दिये गये अग्रिमों को खण्डों द्वारा, कार्यों पर कोई वास्तविक व्यय किये बिना, कार्यों पर सीधे भारित करके व्यय के रूप में दिखाया गया था। यद्यपि अगले 33 माह तक खण्डों को इन अग्रिमों के बदले कुछ बिटुमेन/इमल्शन चरणों में प्राप्त हुए थे, तेल कम्पनियों के पास अवशेष धनराशि वापस ले ली गयी और अग्रेतर उपयोग के लिए डीसीएल में परिवर्तित की गयी। इससे वित्त लेखाओं में व्यय का गलत चित्रण हुआ, जबकि धनराशि डीसीएल में परिवर्तित कर दी गयी थी।

विभाग ने उत्तर में कहा (जून 2023) कि मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन के कारण कार्य कराना संभव नहीं था। वर्ष 2021-22 के दौरान, विधानसभा आम चुनाव की आचार संहिता के कारण, निविदा प्रक्रिया बाधित हो गयी, जिससे शेष रह गये आवंटन को सीधे कार्यों पर भारित किया गया और तेल कम्पनियों को अग्रिम के रूप में दे दिया गया। बाद में, टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने और ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने के बाद, तेल कम्पनियों से धनराशि वापस ले ली गयी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा डीसीएल के रूप में अनुमोदित की गयी। तदुपरान्त, इसको उन कार्यों पर व्यय किया गया जिनपर इसको भारित किया गया था।

उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि तेल कम्पनियों को अग्रिम, उनको व्यपगत होने से बचाने और भविष्य में इसके उपयोग करने की व्यवस्था बनाने हेतु दिया गया था, जबकि सरकार के मौजूदा नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत, किसी भी प्रकरण में सीसीएल के धन को डीसीएल में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं थी।

यह संस्तुति की जाती है कि वित्तीय नियमों, विभागीय परिपत्रों और निर्देशों का अनुपालन न करने पर प्राधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा सकती है।

तेल कम्पनियों के पास अभी भी बकाया पड़ी धनराशि

5.1.2.2 विभागाध्यक्ष द्वारा सभी खण्डों को आईओसीएल/एचपीसीएल के पास उपलब्ध शेष अग्रिम वापस प्राप्त करने के लिये और इसे तीन कार्य दिवसों[6]

[5] यह तेल कम्पनियों के पास संचित अधिशेष के सापेक्ष खण्डों को प्राप्त वापसी है।

[6] अंतिम तिथि 18.01.2023।

के अन्दर उचित लेखा शीर्ष में जमा करने हेतु विशिष्ट आदेश[7] (जनवरी 2023) दिये गये थे अन्यथा सम्बन्धित अधिशासी अभियंताओं से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूली की जाएगी।

इन आदेशों के बावजूद, यह पाया गया कि नमूना जाँच किये गये दस खण्डों में जून 2023 तक एचपीसीएल/आईओसीएल के पास ₹ 10.37 करोड़ **(परिशिष्ट-5.2)** की धनराशि पड़ी हुई थी।

विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (जून 2023) और बताया कि शेष धनराशि वापस ले ली जाएगी और कोषागार में जमा कर दी जाएगी।

निधियों का आवंटन एवं उपयोग

5.1.2.3 बजट मैनुअल के अध्याय XV के प्रस्तर 174 (4) के अनुसार, सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यय करना आवश्यक शर्तों में से एक द्वारा शासित होता है कि व्यय, वित्तीय औचित्य के व्यापक सामान्य सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। अग्रेतर, अव्ययित और असमर्पित विनियोजन और देर से आवंटन को वित्तीय अनियमितताओं में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

तथापि, किये गये दस लोक निर्माण खण्डों की नमूना जाँच में से सात[8] में, अप्रैल 2019 से मार्च 2022 **(परिशिष्ट-5.3)** की अवधि के दौरान निधियों के आवंटन के विश्लेषण से यह पाया गया कि:

- वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 56.24 प्रतिशत से 71.16 प्रतिशत तक निधियों का आवंटन मार्च से पूर्व किया गया।
- वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 5.55 प्रतिशत से 12.65 प्रतिशत तक निधियों का आवंटन पहली मार्च से 15 मार्च के मध्य किया गया।
- वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 13.57 प्रतिशत से 28.37 प्रतिशत तक निधियों का आवंटन 16 मार्च से 25 मार्च के मध्य किया गया।
- वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान 2.75 प्रतिशत से 9.72 प्रतिशत तक निधियों का आवंटन 26 मार्च से 31 मार्च के मध्य किया गया।

अतः 2019-20 से 2021-22 के दौरान खण्डों को वार्षिक निधि आंवटन का 28.84 प्रतिशत से 43.76 प्रतिशत मार्च माह में किया गया। यह भी पाया गया कि तेल कम्पनियों को 95.03 प्रतिशत अग्रिम मार्च माह में दिये गये

[7] 181 लेखा शा/14 लेखा/2022-23 दिनांक 28.12.2022 एवं 166 लेखा शा/14 लेखा/2022-33 दिनांक 12.01.2023।

[8] नि.ख. (भवन) लखनऊ, नि.ख.-2 फतेहपुर, नि.ख.-3 प्रयागराज, प्रा.ख. प्रयागराज, प्रा.ख. महाराजगंज, नि.ख.-2 बिजनौर (नजीबाबाद), प्रा.ख. देवरिया। प्रा.ख. बस्ती, प्रा.ख. बहराइच एवं प्रा.ख. मऊ में, खण्डों द्वारा विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी।

और शेष वर्ष के दौरान तेल कम्पनियों को केवल 4.97 प्रतिशत अग्रिम दिये गये **(परिशिष्ट-5.4)**।

इस प्रकार, आवंटित निधियों का उपयोग सम्बन्धित वित्तीय वर्षों के दौरान खण्डों द्वारा पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका। प्रावधानों के अनुसार व्यय न की गयी धनराशि को समर्पित करने के बजाय, आईओसीएल एवं एचपीसीएल को अग्रिम प्रदान कर इसे व्यय के रूप में दिखाया गया।

विभाग ने कहा (जून 2023) कि कोरोना परिस्थितियों के कारण खण्डों ने निर्धारित प्रक्रियाओं का पूर्णतः पालन नहीं किया है, परन्तु इस प्रकरण में कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। 01.04.2022 से सीसीएल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और कोषागार आधारित ऑनलाइन प्रणाली आरम्भ की गयी है, अतः इस तरह की अनियमितता की पुनरावृत्ति की कोई सम्भावना नहीं है।

विभाग का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि धनराशि को व्यपगत होने से बचाने के लिए उसे नियमों के अनुसार समर्पित करने के बजाय, अग्रिम के रूप में दिया गया था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2023)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

निष्कर्ष

लोक निर्माण विभाग के खण्डों ने वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय न की गयी निधियों की बहुत बड़ी धनराशि को समर्पित नहीं किया, अपितु इन्हें तेल कम्पनियों को अग्रिम के रूप में ज्यादातर मार्च के माह में अर्थात् वर्ष के अंत में दिया। तत्पश्चात्, व्यय न किये गये अग्रिम अगले वर्षों में वापस ले लिए गये और गलत लेखा शीर्ष में जमा किये गये और बाद में उपयोग के लिए डीसीएल में परिवर्तित कर लिए गये। इस प्रकार विभाग द्वारा निर्धारित नियमों एवं विनियमों का पालन नहीं करने के कारण वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुसरण नहीं किया गया।

लोक निर्माण विभाग

5.2 अतिरिक्त सड़क परत बिछाने के कारण परिहार्य व्यय

लोक निर्माण विभाग ने वाहन क्षति कारक और यातायात वृद्धि के गलत मानों पर विचार करने के कारण ₹ 6.87 करोड़ का परिहार्य व्यय किया, जिसके परिणामस्वरूप सड़क की परत में डेंस बिटुमिनस मैकैडम एवं बिटुमिनस कंक्रीट की मोटी परत बिछाई गयी।

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 205 में निर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक जन अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सार्वजनिक धन से किये जाने वाले व्यय के सम्बन्ध में वही सतर्कता बरतें जो सामान्य विवेकशील व्यक्ति अपने स्वयं के धन के व्यय के सम्बन्ध में बरतेगा।

इंडियन रोड कांग्रेस (आईआरसी): 37-2012 के प्रस्तर 4.2.2 में प्रावधान है कि यदि वाणिज्यिक वाहनों की वार्षिक वृद्धि दर का डाटा उपलब्ध नहीं है, तो 5 प्रतिशत की वृद्धि दर का उपयोग किया जाना चाहिए। अग्रेतर, आईआरसीः 37-2012 के प्रस्तर 4.4.6 में प्रावधान है कि जहां एक्सल लोड्स पर पर्याप्त सूचना उपलब्ध नहीं है, वाहन क्षति कारक (वीडीएफ) का डिफ़ॉल्ट मान 3.5 का उपयोग किया जा सकता है, यदि वाणिज्यिक वाहन प्रति दिन (सीवीपीडी) के संदर्भ में प्रारंभिक यातायात मात्रा 150 से 1500 के मध्य है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एनएच-44 के चेनेज 96.800 (ललितपुर कैलगुवां मार्ग पर) से विद्युत उत्पादन संयंत्र, बुरागांव (चिगलौवा) (कुल लम्बाई 30 किलोमीटर) तक सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹ 90.46 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी (जनवरी 2014)। कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, झाँसी वृत्त, लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), झाँसी द्वारा प्रदान की गयी (जनवरी 2014)। अधीक्षण अभियंता, झाँसी वृत्त, लो.नि.वि. ने कार्य के निष्पादन हेतु प्राक्कलित लागत से 13 प्रतिशत अधिक पर ठेकेदार[9] के साथ अनुबंध पत्र निष्पादित किया (फरवरी 2014)। कार्य फरवरी 2014 में आरम्भ किया गया और अक्टूबर 2015 में पूर्ण हो गया।

अधिशासी अभियन्ता (ईई), प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि., ललितपुर के अभिलेखों की संवीक्षा में (मार्च 2022/जनवरी 2023) लेखापरीक्षा ने पाया कि अपेक्षित एक्सल लोड सर्वे[10] किये बिना, वीडीएफ का मान 3.5 के निर्धारित सांकेतिक मान के स्थान पर, गलत तरीके से 10 के रूप में लिया गया था। अग्रेतर, वार्षिक यातायात वृद्धि दर को भी निर्धारित 5 प्रतिशत के स्थान पर गलत तरीके से 7.5 प्रतिशत लिया गया था।

[9] ठेकेदार मेसर्स पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के साथ संख्या 75/एसई-जेएचएस-सर्कल/ 2013-14 दिनांक 06/02/2014।

[10] बारंबार अनुरोधों के बावजूद खण्ड लेखापरीक्षा को कोई भी सर्वे रिपोर्ट प्रदान करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वीडीएफ और वार्षिक यातायात वृद्धि के गलत मानों को अपनाने के कारण, मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल (एमएसए) के संदर्भ में डिजाइन ट्रैफिक 85 एमएसए आगणित किया गया, जिसे 22.9 एमएसए होना चाहिए था **(परिशिष्ट-5.5)**। विस्तृत प्राक्कलन के अनुसार, 85 एमएसए के डिज़ाइन ट्रैफिक लोड एवं सीबीआर[11] 6 पर विचार करते हुए, सड़क का निर्माण 260 मिलीमीटर ग्रेन्युलर सब-बेस की मोटी परत, 250 मिलीमीटर का वेट मिक्स मैकेडेम (डब्ल्यूएमएम) के बाद 146 मिलीमीटर डेंस ग्रेडेड बिटुमिनस मैकेडेम (डीबीएम) एवं 50 मिलीमीटर बिटुमिनस कंक्रीट (बीसी) बिछाकर किया जाना था। तथापि, 30 एमएसए[12] के डिज़ाइन ट्रैफ़िक लोड एवं 6 प्रतिशत सीबीआर के लिए अपेक्षित परत को 260 मिलीमीटर जीएसबी, 250 मिलीमीटर डब्लूएमएम, 105 मिलीमीटर डीबीएम और 40 मिलीमीटर बीसी बिछाकर आईआरसीः 37-2012 की प्लेट-4 के अनुसार प्राप्त किया जा सकता था।

इस प्रकार, एमएसए की गणना में वीडीएफ और वार्षिक यातायात वृद्धि दर के गलत मानों को अपनाने के कारण, लो.नि.वि. द्वारा डीबीएम एवं बीसी की अतिरिक्त मोटी परतें बिछाई गयी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.87 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ **(परिशिष्ट-5.6)**।

उत्तर में, अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, ललितपुर ने बताया कि आईआरसीः 37-2001 के अनुसार वार्षिक यातायात वृद्धि दर 7.5 प्रतिशत ली गयी थी, जिसे प्रारंभिक प्राक्कलन में दर्शाया गया था। अग्रेतर, यह बताया गया कि वास्तविक वीडीएफ सड़क पर चलने वाले यातायात के सिंगल, टेंडेम और ट्राइडेम एक्सल लोड को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। विभाग ने दोनों तरफ दोहरे पहिये (प्रति एक्सल 40) के साथ ट्राइडेम एक्सल हेतु यातायात भार के कारण वीडीएफ की गणना[13] 10 के रूप में की है।

आईआरसीः 37-2001 के अनुसार 7.5 की उच्च वार्षिक यातायात वृद्धि दर के सम्बन्ध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि परत को आईआरसीः 37-2012 के अनुसार डिजाइन किया गया था, जो 5 प्रतिशत की वार्षिक यातायात वृद्धि प्रदान करता था। अग्रेतर, वीडीएफ को 10 के रूप में लेने का उत्तर भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिना एक्सल लोड सर्वे किये सबसे भारी वाहन के लिए वीडीएफ ले लिया गया था।

प्रकरण सरकार एवं प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2023)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

[11] कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियों (सीबीआर) नए कैरिजवे निर्माण के नीचे प्राकृतिक भूमि, सब ग्रेड और बेस कोर्सों की यांत्रिक मजबूती के मूल्यांकन के लिए भेदन परीक्षण है।

[12] प्लेट-4 सीबीआर-6 प्रतिशत से सम्बन्धित पेवमेंट डिजाइन मोटाई और 2 से 150 तक के एमएसए के लिए डिजाइन कैटलॉग है। एमएसए 22.9 के आगणित मान को आईआरसीः 37-2012 में दिये गये 30 एमएसए के अगले मान तक ले जाया गया।

[13] (केएन में एक्सल लोड/224)^4 = वीडीएफ, तात्पर्य (400/224)^4 = 10 है।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण

5.3 अधिनियमों के प्रावधानों का अनुपालन न करने के कारण राजकोष को हानि

यूपीडा द्वारा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क के सम्बन्ध में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 एवं पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में लगातार विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज एवं पंजीकरण शुल्क के साथ स्टाम्प शुल्क की ₹ 39.61 करोड़ की हानि हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (आईएस अधिनियम, 1899) के प्रावधान[14] उपबंधित करते है कि पट्टा विलेखों से सम्बन्धित लिखतों पर निष्पादन से पहले या निष्पादन के समय प्रतिफल मूल्य के दो प्रतिशत की दर से स्टाम्प लगाया जाना चाहिए और सार्वजनिक कार्यालय के प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति को ऐसी लिखतों पर प्रतिफल मूल्य के दो प्रतिशत की दर से विधिवत स्टाम्प लगाया जाना सुनिश्चित करना चाहिए। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण (सितम्बर 2019) में अधिसूचित क्षेत्रों[15] में स्थित संपत्तियों के हस्तांतरित दस्तावेजों[16] पर अतिरिक्त दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की प्रयोज्यता प्रावधानित की गयी। लिखत के निष्पादन की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक गणना की गयी, कम स्टाम्प शुल्क की धनराशि पर प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्रभार्य होता है।

इसके अतिरिक्त, पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 में प्रावधान है कि वर्ष-दर-वर्ष या एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक किराया आरक्षित करने वाले अचल सम्पत्ति के पट्टों के दस्तावेजों को निर्धारित दरों पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (जून 2022) कि उ.प्र. सरकार के स्पष्टीकरण (सितम्बर 2019) के आलोक में, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा

[14] धारा 2 (16) पट्टे के अन्तर्गत आने वाले टोलों से सम्बन्धित विलेखों का प्रावधान करती है। धारा 17 में प्रावधान है कि सभी विलेखों पर निष्पादन से पहले या निष्पादन के समय स्टाम्प लगाया जायेगा; अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद 35 में पट्टा विलेखों पर दो प्रतिशत स्टाम्प शुल्क लागू करने का प्रावधान है; धारा 40 (आई-ए) स्टाम्प शुल्क की कम जमा हुई धनराशि पर प्रति माह डेढ़ प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का प्रावधान करती है; धारा 33(1) में प्रावधान है कि सार्वजनिक कार्यालय के प्रत्येक प्रभारी व्यक्ति को ऐसी लिखतों पर विधिवत स्टाम्प लगाना सुनिश्चित करना चाहिए।

[15] उ.प्र. नगर सुधार अधिनियम, 1919, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 तथा उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अधीन अधिसूचित।

[16] टोल प्लाजा पर टोल वसूली के सम्बन्ध में पट्टा विलेख भी सम्मिलित हैं।

पर प्रीमियम की कुल निर्धारित धनराशि के चार प्रतिशत (दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क सहित) की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) ने उत्तर प्रदेश में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस और गश्ती वाहनों की तैनाती के साथ-साथ उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली और टोल प्लाजाओं के संचालन के लिए तीन पार्टियों के साथ दो वर्ष की अवधि के लिए अपंजीकृत अनुबंध[17] किये। इन अपंजीकृत अनुबंधों द्वारा उक्त एक्सप्रेसवे के लिए उ.प्र. सरकार का टोल शुल्क संग्रहण, दो वर्ष की अवधि के लिए ठेकेदारों को हस्तांतरित कर दिये गये थे। निष्पादित अनुबंधों के विवरण इस प्रकार हैः

क्र. सं.	ठेकेदार का नाम	अनुबंध मूल्य	देय स्टाम्प शुल्क	अनुबंध की तिथि/भुगतान की देय तिथि
1	मेसर्स ईगल इंफ्रा इण्डिया लिमिटेड	4657566898	186302680	12/09/2018
2	मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड	8450190000	338007600	13/10/2020
3	मेसर्स इंदरदीप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड	3897899999	155916000	14/10/2022

अधिनियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुपालन में, यूपीडा को इन पट्टा अनुबंधों पर चार प्रतिशत की दर से सही मुद्रांकन सुनिश्चित करना चाहिए था और इन अनुबंधों को एक प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद पंजीकृत किया जाना अपेक्षित था। किन्तु यूपीडा ने आईएस अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अन्तर्गत सार्वजनिक कार्यालय[18] होने के बावजूद, ठेकेदारों द्वारा न तो सही स्टाम्प शुल्क जमा कराना और न ही इन अनुबंधों का निष्पादन से पहले या निष्पादन के समय पंजीकरण होना सुनिश्चित किया जिसके परिणामस्वरूप कम/विलंबित जमा के कारण ₹ 9.12 करोड़ के ब्याज के साथ, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क क्रमशः ₹ 13.90 करोड़ एवं ₹ 17 करोड़ कम जमा हुआ **(परिशिष्ट 5.7)**।

यूपीडा ने उत्तर में कहा (मई 2023) कि उ.प्र. सरकार ने इन दस्तावेजों के पंजीकरण की आवश्यकता को इंगित नहीं किया। स्टाम्प शुल्क जमा करने और विधि के अनुसार अन्य अपेक्षाओं के सम्बन्ध में लागू कानूनों का पालन करना ठेकेदार का एकमात्र उत्तरदायित्व था। इसमें अग्रेतर बताया गया कि मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड के प्रकरण में, यूपीडा ने एजेंसी को लागू स्टाम्प शुल्क का भुगतान हेतु बाध्य करने के लिए सभी प्रयास किये और ठेकेदार को सूचित किया गया कि ठेकेदार द्वारा कम स्टाम्प शुल्क जमा करने में विफल रहने की स्थिति में यूपीडा परफॉर्मेंस बैंक गारंटी प्रतिसंहरित कर देगा। इसके बाद, ठेकेदार वाणिज्यिक न्यायालय में चला गया, जहां

[17] सितम्बर 2018, अक्टूबर 2020 और अक्टूबर 2022

[18] उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत गठित संविधिक निकाय या प्राधिकरण के रूप में स्थापित, आईएस अधिनियम, 1899 की धारा 33 (1) के अन्तर्गत अपेक्षित, 27 दिसम्बर 2007 को अधिसूचित किया गया।

प्रकरण पर रोक लगा दी गयी और मामला मध्यस्थता के लिए भेज दिया गया। यूपीडा इस चरण पर, ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने में सक्षम नहीं हो सकेगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऐसे अनुबंधों के पंजीकरण की आवश्यकता अधिनियम में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गयी थी। अग्रेतर, आईएस अधिनियम, 1899 की धारा 17 एवं 33 (1) के सन्दर्भ में, यूपीडा सार्वजनिक कार्यालय की सामर्थ्य में पट्टा अनुबंधों पर, उनके निष्पादन के समय या उससे पहले, उचित मुद्रांकन सुनिश्चित करने के अपने दायित्व से बच नहीं सकता।

इस प्रकार, आईएस अधिनियम, 1899 एवं पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में लगातार विफलता के कारण, ब्याज और पंजीकरण शुल्क के साथ स्टाम्प शुल्क के कम जमा होने के कारण राजकोष को ₹ 39.61 करोड़ की हानि हुई।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल 2023)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

5.4 लोकेशन प्रभार की वसूली में विफलता

औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन के लिए योजना विवरणिका के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन में, जीनीडा आवंटी से ₹ 3.70 करोड़ का लोकेशन प्रभार वसूल करने में विफल रहा।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा) ने औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन के लिए 'ओएनएलआईएनडी 2016-02' (योजना) नाम से एक योजना आरम्भ की (नवम्बर 2016)। योजना विवरणिका में 45 मीटर या उससे अधिक आकार की सड़कों पर स्थित 15 एकड़ एवं उससे अधिक के भूखण्डों के सम्बन्ध में पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व कुल प्रीमियम के पाँच प्रतिशत की दर से लोकेशन प्रभार के एकमुश्त भुगतान का प्रावधान था। इस प्रकार, जीनीडा को पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व आवंटी/पट्टाधारक से एकमुश्त लोकेशन प्रभार का आरोपण एवं वसूली सुनिश्चित करना आवश्यक था।

जीनीडा ने सेक्टर ईकोटेक-X ग्रेटर नोएडा में 1,40,633.25 वर्गमीटर (34.75 एकड़[19]) का भूखण्ड संख्या-1, मैसर्स सैमक्वांग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड (आवंटी) को ₹ 74.04 करोड़ के प्रीमियम पर आवंटित किया (14 अगस्त 2019)। आवंटन पत्र के अनुसार, आवंटी को आवंटन पत्र निर्गत

[19] एक एकड़ 4,046.86 वर्गमीटर के बराबर है।

होने के तिथि (14 अगस्त 2019) से 60 दिनों के अंदर अर्थात् 13 अक्टूबर 2019 तक शेष 90 प्रतिशत[20] प्रीमियम अर्थात् ₹ 63.31 करोड़ (कैश डाउन पेमेंट पर लागू पाँच प्रतिशत छूट को समायोजित करने के पश्चात्) का भुगतान करना आवश्यक था। जीनीडा के परियोजना विभाग, भू विभाग, विधि विभाग एवं नियोजन विभाग के अधिकारियों ने पट्टा योजना तैयार की (सितम्बर 2019), जो दर्शाता था कि भूखण्ड 60 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित था।

आवंटी ने शेष धनराशि (₹ 63.31 करोड़) जमा कर दी (14 अक्टूबर 2019)। इसके बाद, जीनीडा ने 60 दिनों के अंदर आवश्यकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु चेकलिस्ट निर्गत की (05 नवम्बर 2019) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवंटी से ₹ 3.70 करोड़ के लोकेशन प्रभार की माँग की गयी।

तत्पश्चात्, आवंटी ने विरोध किया (08 नवम्बर 2019) कि भूखण्ड 30 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित था और शपथ पत्र प्रस्तुत किया (13 दिसम्बर 2019) जिसमें कहा गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), जीनीडा के साथ हुई बैठक के अनुसार, लोकेशन प्रभार का मामला, जीनीडा के बोर्ड के सदस्यों के साथ अगली बैठक तक स्थगित कर दिया गया है। आवंटी ने शपथ पत्र में आगे आश्वासन दिया कि वह ऐसी बोर्ड बैठक के निर्णय का सम्मान करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितम्बर 2022) कि, आवंटी द्वारा दिये गये शपथ पत्र का संज्ञान लेते हुए, उद्योग प्रभाग, जीनीडा ने पट्टा विलेख के निष्पादन हेतु प्रस्ताव दिया (19 दिसम्बर 2019)। अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जीनीडा ने एक उच्च-स्तरीय समिति द्वारा लोकेशन प्रभार के मामले की जाँच का प्रस्ताव रखते हुए, पट्टा विलेख के निष्पादन के मामले को अगले आदेश के लिए सीईओ, जीनीडा को भेज दिया। सीईओ ने निर्देश दिया (20 दिसम्बर 2019) कि लोकेशन प्रभार लगाने के मामले को 10 दिनों के अंदर अंतिम रूप दे दिया जाये, अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। सीईओ के निर्देश पर की गयी कार्रवाई का कोई विवरण अभिलेख में नहीं मिला। तथापि, जीनीडा के परियोजना प्रभाग ने पुष्टि की (07 जून 2023) कि भूखण्ड 60 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि योजना विवरणिका के नियम एवं शर्तों को अनदेखा करते हुए, जीनीडा ने आवंटी से लोकेशन प्रभार की वसूली सुनिश्चित

[20] आवंटन के लिए पंजीकरण के समय आवंटी द्वारा प्रीमियम का 10 प्रतिशत, अर्थात्, ₹ 7.40 करोड़ का भुगतान किया गया था।

किये बिना पट्टा विलेख निष्पादित (23 दिसम्बर 2019) किया, जिसे पट्टा विलेख निष्पादित करने से पूर्व प्राप्त किया जाना आवश्यक था। अग्रेतर, भूमि का कब्जा भी आवंटी को 27 दिसम्बर 2019 को सौंप दिया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाए जाने के पश्चात्, जीनीडा द्वारा आवंटी को नोटिस निर्गत किये गये (31 जनवरी 2023 एवं 31 मई 2023) जिसमें उन्हें लोकेशन प्रभार (ब्याज सहित) जमा करना आवश्यक था।

इस प्रकार, योजना विवरणिका के प्रावधानों का पालन न करने के कारण, जीनीडा जून 2023 तक आवंटी से ₹ 3.70 करोड़ के लोकेशन प्रभार की वसूली करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, जीनीडा को उपरोक्त धनराशि पर ₹ 1.04 करोड़[21] के ब्याज की हानि वहन करनी पड़ी।

प्रकरण सरकार एवं प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2023)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

पर्यटन विभाग

5.5 टूरिस्ट कॉम्पलेक्स एवं मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण पर व्यर्थ व्यय

टूरिस्ट कॉम्पलेक्स एवं मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण विगत पाँच वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था, जिससे ₹ 24.26 करोड़ का व्यय व्यर्थ हो गया।

उ.प्र. बजट मैनुअल (यूपीबीएम) का प्रस्तर 212 (vii) निर्धारित करता है कि पर्याप्त निधियों की उपलब्धता पहले सुनिश्चित किये बिना, नए पूंजीगत कार्य आरम्भ नहीं किये जाएंगे। विभागों को प्राक्कलित लागत का 40 प्रतिशत प्रथम वर्ष में, 40 प्रतिशत द्वितीय वर्ष में तथा शेष 20 प्रतिशत तृतीय वर्ष में प्रदान करना चाहिये। यूपीबीएम में अग्रेतर कहा गया है कि सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव सभी अधूरी परियोजनाओं की मासिक समीक्षा सुनिश्चित करेंगे और लागत वृद्धि को रोकने एवं बड़ी परियोजनाओं से समय पर प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए, नई परियोजनाएं आरम्भ करने के स्थान पर विद्यमान परियोजनाओं को पूर्ण करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार (उ.प्र. सरकार) ने सैफई, इटावा में बढ़ते पर्यटन को ध्यान में रखते हुए ₹ 28.93 करोड़ की लागत से सैफई, इटावा में टूरिस्ट कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान

[21] जनवरी 2020 से जून 2023 की अवधि के लिए 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गणना की गयी जो कि प्राप्त ऋण की धनराशि पर जीनीडा द्वारा भुगतान की गयी दर है।

की (मार्च 2016)। अग्रेतर, विभाग ने पर्यटकों को पर्याप्त पार्किंग सुविधा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित टूरिस्ट कॉम्पलेक्स के पास ₹ 41.89 करोड़ की लागत से मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की (जनवरी 2017)। तथापि, सैफई में फुट-फॉल में वृद्धि के सर्वेक्षण का कोई विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (यूपीआरएनएन) को दोनों कार्यों के लिए कार्यदायी एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। विभाग ने टूरिस्ट कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए कार्यदायी एजेंसी को दो किश्तों में ₹ 20 करोड़ जारी किये (मार्च 2016 एवं अगस्त 2016)। इसी प्रकार, मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के लिए कार्यदायी एजेंसी को ₹ 16.76 करोड़ जारी किये गये (जनवरी 2017)। इसके बाद और कोई धनराशि निर्गत नहीं की गयी। दोनों कार्यों को ₹ 24.26 करोड़[22] व्यय करने के पश्चात् मार्च 2017 में बंद कर दिया गया था। कार्यदायी एजेंसी, टूरिस्ट कॉम्पलेक्स में 68 प्रतिशत एवं मल्टीलेवल पार्किंग पर 16 प्रतिशत की भौतिक प्रगति प्राप्त कर सकी।

यह देखा गया कि क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (आरटीओ), लखनऊ ने कार्यदायी एजेंसी से अनुरोध किया था (अप्रैल 2017) कि पहले से जारी धनराशि के अन्दर टूरिस्ट कॉम्पलेक्स एवं पार्किंग सुविधा को सार्वजनिक उपयोग योग्य बनाया जाए क्योंकि इन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करना संभव नहीं होगा। तथापि, कार्यदायी एजेंसी ने सूचित किया (अप्रैल 2017) कि उपलब्ध धनराशि से कार्यों को उपयोग हेतु नहीं बनाया जा सकता। तत्पश्चात्, कार्यदायी एजेंसी को मल्टीलेवल पार्किंग कार्य के कार्यक्षेत्र को भूतल स्तर तक संशोधित करने और परियोजना को परिचालनगत करने के लिए संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया (नवम्बर 2017)। कार्यदायी एजेंसी ने इसे सार्वजनिक उपयोग योग्य बनाने के लिए मल्टीलेवल पार्किंग के भूतल कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभाग को ₹ 23.53 करोड़ का संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत किया (दिसम्बर 2017), जिसके लिए स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है (अगस्त 2023)। टूरिस्ट कॉम्पलेक्स के निर्माण के लिए कोई संशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अग्रेतर यह देखा गया कि कार्यदायी एजेंसी ने ₹ 24.26 करोड़ के वास्तविक व्यय के सापेक्ष ₹ 35.08 करोड़[23] के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये

[22] टूरिस्ट कॉम्पलेक्स के निर्माण पर ₹ 17.88 करोड़ एवं मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण पर ₹ 6.38 करोड़ का व्यय।

[23] टूरिस्ट कॉम्पलेक्स के निर्माण पर ₹ 20 करोड़ एवं मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण पर ₹ 15.08 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र।

अर्थात साइट पर आपूर्तित सामग्री सहित अपेक्षित व्यय की प्रत्याशा में ऐसे ₹ 10.82 करोड़ के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किये गये थे, जो बिना व्यय के पड़े रहे थे। अग्रेतर, कार्यदायी एजेंसी ने 2016-17 से 2020-21 के दौरान ₹ 1.53 करोड़ की ब्याज धनराशि अर्जित की थी जो विभाग को वापस भी नहीं की गयी थी।

पर्यटन निदेशालय की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2022) कि छः वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी कोई धनराशि जारी नहीं की गयी और मार्च 2017 से कार्य अधूरे पड़े थे। यह भी देखा गया कि गलत उपयोगिता प्रमाण पत्र या बिना व्यय के पड़ी हुई धनराशि के लिए कार्यदायी एजेंसी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी। फलस्वरूप, दोनों कार्यों पर किया गया ₹ 24.26 करोड़ का पूरा व्यय अवरुद्ध एवं व्यर्थ रहा क्योंकि छः वर्ष से अधिक अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् कार्य अभी भी अधूरे हैं।

उत्तर में, कार्यदायी एजेंसी ने कहा (अक्टूबर 2022) कि संशोधित प्राक्कलन पर अनुमोदन लंबित था और अप्रयुक्त धनराशि यूपीआरएनएन मुख्यालय में उपलब्ध है। यूपीआरएनएन द्वारा अग्रेतर बताया गया (अगस्त 2023) कि शेष धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्य योजना के अनुसार साइट के निर्माण सामग्री और 1-2 माह के अंदर कुछ निर्माण कार्यों पर अपेक्षित व्यय के सापेक्ष दिये गये थें। तथ्य यह है कि इन कार्यों पर बिना व्यय के सापेक्ष ₹ 10.82 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी जारी किये गये थे।

प्रकरण सरकार एवं प्रबंधन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2023)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

5.6 विद्युत प्रभार का परिहार्य भुगतान

अनुबन्धित भार से वास्तविक विद्युत उपभोग, काफी कम होने के बाद भी भार कम करने में पर्यटन निदेशालय के उदासीन रवैये के कारण ₹ 1.38 करोड़ के विद्युत प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड-V) का प्रस्तर-169 नियत करता है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सरकारी कारोबार के लेनदेन के सम्बन्ध में किये गये व्यय में उसी तरह की सतर्कता बरतनी चाहिए जैसा कि एक सामान्य विवेक वाला व्यक्ति अपना धन व्यय करने में बरतता है।

उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 (आपूर्ति संहिता) के प्रस्तर 4.41 के

अनुसार, अनुबन्धित भार[24] की कटौती, मांग को अभिलिखित करने के योग्य इलेक्ट्रानिक मीटर को धारण करने वाले उपभोक्ताओं के सभी संवर्ग के लिए अनुज्ञेय होगा, यदि उनका उपभोग पिछले छः माह में या ऐसी अवधि के लिए, जो मौसम को ध्यान में रखते हुए सामान्य उपयोग से कम हो। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की दर अनुसूची के सामान्य प्रावधानों के अनुसार, अनुबन्धित भार के 75 प्रतिशत या वास्तविक भार/मांग, जो भी अधिक हो, पर मांग प्रभार, समय-समय पर लागू दरों पर उपभोग की गयी वास्तविक ऊर्जा के लिए शुल्क के साथ उद्ग्राह्य होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2022) कि कार्यालय महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय (डीजी, पर्यटन), लखनऊ के पास पर्यटन भवन, लखनऊ की आवश्यकता के लिए 888.88 केवीए का अनुबन्धित भार था और इसकी बिलिंग मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमवीवीएनएल) द्वारा एचवी-1 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए दर अनुसूची के अन्तर्गत की जा रही थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीजी, पर्यटन की जनवरी 2013 से मार्च 2023 के दौरान वास्तविक मांग 888.88 केवीए के अनुबन्धित भार के सापेक्ष 78.42 केवीए से 481.38 केवीए[25] के बीच थी। फलस्वरूप, डीजी, पर्यटन को एमवीवीएनएल को प्रति माह[26] 666.66 केवीए के लिए मांग/निर्धारित प्रभारों का भुगतान करना पड़ा, जबकि महानिदेशक, पर्यटन का वास्तविक भार अनुबन्धित भार से बहुत कम था। इसलिए, अधिक भुगतान से बचने के लिए, डीजी, पर्यटन को आपूर्ति संहिता के प्रावधान (प्रस्तर 4.41) के अनुसार अपना भार कम करके 490 केवीए[27] करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि यद्यपि डीजी, पर्यटन ने एमवीवीएनएल को विगत एक वर्ष के बिलों के आधार पर अनुबन्धित भार को 400 केवीए तक कम करने के लिए पत्र (अप्रैल 2015) भेजा था, परन्तु जून 2022 तक वास्तविक मांग पैटर्न के अनुसार भार को कम करने के लिए कोई आगे की कार्रवाई/पत्राचार नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में मामला इंगित करने के पश्चात् ही, जुलाई 2022 से एमवीवीएनएल के साथ आगे का अनुश्रवण किया गया और अप्रैल 2023 से अनुबन्धित भार को घटाकर 450 केवीए कर दिया गया।

[24] "अनुबन्धित भार" का अर्थ है केडब्ल्यू, केवीए या बीएचपी में अधिकतम विद्युत भार जिसे अनुज्ञप्तिधारी आपूर्ति करने के लिए सहमत है, जो कनेक्टेड भार से भिन्न हो सकता है और पार्टियों के बीच समझौते में परिलक्षित होता है।

[25] मार्च 2020 में न्यूनतम 78.42 केवीए एवं जुलाई 2019 में अधिकतम 481.38 केवीए।

[26] 888.88 केवीए के अनुबन्धित भार का 75 प्रतिशत।

[27] विगत 10 वर्षों के दौरान खपत के आधार पर अनुमानित अधिकतम भार।

इस प्रकार, जनवरी 2013 से मार्च 2023 के दौरान वास्तविक उपभोग के आधार पर अनुबन्धित भार को कम करने में डीजी, पर्यटन की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.38 करोड़ **(परिशिष्ट-5.8)** की सीमा तक मांग प्रभार और सम्बन्धित प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ जो कि डीजी, पर्यटन के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का पालन न करने एवं खराब अनुश्रवण के कारण हुआ।

उत्तर में प्रबंधन ने कहा (अप्रैल 2023) कि लेखापरीक्षा की आपत्ति के अनुसार, भार 888.88 केवीए से घटाकर 450 केवीए करवा लिया गया और तदनुसार अप्रैल 2023 से बिल 405 किलोवाट के लिए दिया गया। उत्तर स्वतः व्याख्यात्मक है क्योंकि अप्रैल 2023 में दर्ज किया गया लोड 450 केवीए के घटे हुए अनुबन्धित भार के अंदर था और इस प्रकार आपूर्ति संहिता के प्रावधानों एवं वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का पालन करके ₹ 1.38 करोड़ के भुगतान से बचा जा सकता था।

प्रकरण सरकार को प्रतिवेदित किया गया (नवम्बर 2022)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (मार्च 2024)।

लेखापरीक्षा प्रभाव

निम्नलिखित प्रकरण में लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर वसूली की गयीः

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

5.7 वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य का कम आरोपण

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएफ, भारत सरकार) ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के संग्रह के लिए दिशा-निर्देश निर्गत किये (5 फरवरी 2009)। दिशा-निर्देशों ने गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु वन के मूल्य एवं श्रेणी के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी से एनपीवी के संग्रह के लिए 16 प्रमुख वन प्रकारों को छः पारिस्थितिकी (इको) श्रेणी में पुनर्समूहित किया।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2022) कि प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) गोरखपुर ने 79.76 हेक्टेयर वन भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (प्रयोक्ता एजेंसी) को व्यपवर्तित करते हुए एनपीवी की गणना के लिए सघन वन के इको-श्रेणी-I (₹ 9.39 लाख प्रति हेक्टेयर) के बजाय, सघन वन के इको श्रेणी-III (₹ 8.03 लाख प्रति हेक्टेयर) की एनपीवी की दर गलती से उपयोग में ली, जिससे प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 1.08 करोड़ (79.76 हेक्टेयर के लिए

₹ 1.36 लाख प्रति हेक्टेयर) की धनराशि की एनपीवी का कम प्रभारण हुआ।

उत्तर में, प्रबंधन ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (दिसम्बर 2022) और पहले से जमा की गयी धनराशि ₹ 6.40 करोड़ को समायोजित करने के पश्चात् वन को इको श्रेणी-I मानते हुए जैसा कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण में इंगित किया गया था, ₹ 14.37 लाख प्रति हेक्टेयर की संशोधित दरों (जनवरी 2022) पर प्रयोक्ता एजेंसी से ₹ 5.05 करोड़ वसूल किये।

तान्या सिंह

लखनऊ
दिनांक 15 नवम्बर 2024

(तान्या सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 18 NOV 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट-1

(प्रस्तर 1.1 में संदर्भित)

विभागों और पीएसयू एवं उनके अधीन अन्य संस्थाओं के विवरण को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्था के नाम (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, आदि)	पीएसयू और अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
1	2	3	4	5=3+4
1	ऊर्जा विभाग	1. उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)	1. उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग	14
		2. दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक)		
		3. कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक)		
		4. मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक)		
		5. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक)		
		6. पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल की सहायक)		
		7. उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
		8. उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड		
		9. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल)		
		10. जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (यूपीआरवीयूएनएल की सहायक)		
		11. यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड		
		12. यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड		
		13. सदर्न यू.पी. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड		
2	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	-	1. उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण	1
3	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग	1. अपलीज फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	-	8
		2. अपट्रॉन इंडिया लिमिटेड		
		3. कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड		
		4. इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर (इंडिया) लिमिटेड		
		5. श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड		
		6. अपट्रॉन पॉवरट्रानिक्स लिमिटेड		
		7. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड		

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्था के नाम (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, आदि)	पीएसयू और अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
1	2	3	4	5=3+4
		8. उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
4	अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग	1. दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन आफ यू.पी. लिमिटेड	1. उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	26
		2. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम		
		3. नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	2. गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण	
		4. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कम्पनी लिमिटेड	3. लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण	
		5. डीएमआईसी एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	4. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण	
		6. उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5. नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण	
		7. उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण	
		8. विन्ध्याचल अब्रेसिव्ज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	7. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण	
		9. आटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	8. सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण	
		10. कॉन्टीनैंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	9. राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज	
		11. दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	10. राजकीय मुद्रणालय, रामपुर	
		12. उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	11. राजकीय मुद्रणालय, रामनगर, वाराणसी	
		13. उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	12. राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ	
		14. अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड		
5	लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग	1. उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (यूपीएसआईसीएल)	-	7
		2. उत्तर प्रदेश एस्बेस्टॅस लिमिटेड (यूपीएसआईसीएल की सहायक)		
		3. उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (यूपीएसआईसीएल की सहायक)		
		4. उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
		5. उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड		

क्र. सं.	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) का नाम	अन्य संस्था के नाम (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, आदि)	पीएसयू और अन्य संस्थाओं की कुल संख्या
1	2	3	4	5=3+4
		6. उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद, लखनऊ		
		7. उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)		
6	परिवहन विभाग	1. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	-	1
7	हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग	1. उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-	5
		2. उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
		3. भदोही वूलेन्स कम्पनी लिमिटेड		
		4. उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड		
		5. उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड		
8	खादी और ग्रामोद्योग विभाग	-	1. उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	1
9	पर्यटन विभाग	1. उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	-	1
10	नागरिक उड्डयन विभाग	-	-	-
11	भूतत्व और खनिकर्म विभाग	-	-	-
12	संस्कृति विभाग	1. उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	-	1
13	धर्मार्थ कार्य विभाग	-	-	-
14	लोक निर्माण विभाग	1. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	-	2
		2. उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड		
15	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1. उत्तर प्रदेश वन निगम	1. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	3
			2. प्रातिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा)	
16	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	-	1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद	2
			2. रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर	
योग				**72**

परिशिष्ट-2.1

(प्रस्तर 2.1.3, 2.1.4, 2.3.1, 2.5.1, 2.6.1 एवं 2.6.2 में संदर्भित)

नवीनतम वर्ष जिसके लिए लेखे अन्तिमीकृत किये गये हेतु राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	लेखे की अवधि	ब्याज एवं करों से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	अंश आवेदन राशि सहित प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी[1]	निवल मूल्य/ शेयरधारकों की निधि	संचित लाभ/हानि	कुल सम्पत्ति
अ	सरकारी कम्पनियाँ									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2020-21	867.59	(-) 49.35	8,491.78	16,545.77	33,126.68	16,640.23	1,245.59	44,163.04
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2020-21	25.81	3.28	183.48	435.33	168.11	16.03	(-) 419.30	866.96
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (क्र. सं. 1 की सहायक)	2020-21	0.95	0.60	0.00	1,151.05	6,090.23	1,155.86	4.81	7,118.78
4	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	781.33	(-) 556.26	3,418.97	18,590.01	29,720.06	17,188.41	(-) 1,401.42	40,234.10
5	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्र. सं. 10 की सहायक)	2021-22	2,038.87	(-) 577.99	12,424.70	24,105.15	37,197.23	12,417.37	(-) 11,687.78	61,172.42
6	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्र. सं. 10 की सहायक)	2021-22	748.45	(-) 699.29	18,201.00	17,638.61	16,432.65	7,067.12	(-) 21,623.50	39,219.68
7	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्र. सं. 10 की सहायक)	2021-22	(-) 371.44	(-) 2,042.2	13,050.20	21,509.72	21,782.10	6,020.36	(-) 15,489.36	45,757.00
8	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (क्र. सं. 10 की सहायक)	2021-22	(-) 911.16	(-) 2,957.52	10,417.22	22,436.61	18,182.52	(-) 566.81	(-) 24,956.84	38,852.83
9	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (क्र. सं. 10 की सहायक)	2021-22	23.33	(-) 215.45	2,744.52	2,249.31	516.16	(-) 1,930.15	(-) 4,179.46	5,506.21
10	उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	(-) 8,305.27	(-) 8,305.27	0.00	1,12,212.39	(-) 60,000.85	(-) 60,000.85	(-) 81,877.77	1,32,775.31
11	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड (क्र. सं. 1 का संयुक्त उपक्रम)	2020-21	(-) 0.21	(-) 0.21	0.00	0.16	0.27	(-) 2.23	(-) 2.39	54.09
	उप-योग-अ (क)		**(-) 5,101.75**	**(-) 15,399.66**	**68,931.87**	**2,36,874.11[2]**	**1,03,215.16**	**(-) 1,994.66[3]**	**(-) 1,60,387.42**	**4,15,720.42**
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
12	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (लखनऊ मेट्रो)	2021-22	(-) 303.77	(-) 313.74	45.39	4,146.74	11,709.19	3,108.26	(-) 1,038.48	13,480.47

[1] नियोजित पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण - आस्थगित राजस्व व्यय (डीआरई)।

[2] ₹ 2,36,874.11 करोड़ की प्रदत्त पूँजी में क्रम संख्या 1 (₹ 1,151.13 करोड़) एवं क्रम संख्या 10 (₹ 90,335.47 करोड़) की होल्डिंग कम्पनी में ₹ 91,486.60 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है जो कि उनकी सहायक/एसोसिएट्स/संयुक्त उपक्रम कम्पनियों के लिए सरकार द्वारा दी गयी थी। इसलिए, निवल मूल्य और नियोजित पूँजी की गणना के लिए ₹ 91,486.60 करोड़ की धनराशि को बाहर रखा गया है।

[3] प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय और अधिशेष के कुल योग से संचित हानियों एवं डीआरई घटाकर प्राप्त की गयी कुल धनराशि, निवल मूल्य है। उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रकरण में निवल मूल्य निकालने के लिए ₹ 0.18 करोड़ का डीआरई घटाया गया है।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	लेखे की अवधि	ब्याज एवं करों से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	अंश आवेदन राशि सहित प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी[1]	निवल मूल्य/ शेयरधारकों की निधि	संचित लाभ/हानि	कुल सम्पत्ति
13	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	(-) 0.46	(-) 95.24	26.70	1,400.24	2,876.19	1,071.39	(-) 328.85	4,515.99
14	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2019-20	1.01	(-) 1.56	6.55	135.58	788.34	(-) 245.47	(-) 381.05	1,097.64
15	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2020-21	2.29	1.51	41.51	7.12	16.42	14.56	7.44	51.98
16	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2020-21	3.20	2.40	55.44	4.07	8.24	5.97	1.90	48.73
17	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	1.91	1.41	58.85	91.54	144.93	37.38	13.09	390.91
18	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2020-21	51.35	51.35	477.79	0.43	438.42	438.42	437.99	522.98
19	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2019-20	(-) 7.12	(-) 7.12	89.95	3.00	14.68	14.68	11.68	261.10
20	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	2021-22	0.08	0.08	0.28	0.05	6.83	1.83	1.78	13.39
21	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	28.60	20.65	20.30	10.16	28.38	28.38	18.22	419.53
22	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	(-) 10.90	(-) 10.90	15.19	4.91	(-) 6.09	(-) 11.57	(-) 16.48	10.09
23	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	2019-20	1.40	1.43	716.02	0.15	73.35	73.35	73.20	4,124.55
उप-योग-अ(ख)			**(-) 232.41**	**(-) 349.73**	**1,553.97**	**5,803.99**	**16,098.88**	**4,537.18**	**(-) 1,199.56**	**24,937.36**
कुल योग अ = अ(क) + अ(ख)			**(-) 5,334.16**	**(-) 15,749.39**	**70,485.84**	**2,42,678.10**	**1,19,314.04**	**(-) 2,542.52**	**(-) 1,61,586.98**	**4,40,657.78**
ब	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
उप-योग-ब (क)			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**									
24	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	0.01	0.01	0.00	216.00	216.04	216.04	0.04	804.28
25	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	(-) 11.35	(-) 11.35	0.03	2.00	(-) 11.66	(-) 11.66	(-) 13.66	208.12
26	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	0.00	0.00	0.29	0.50	0.50	0.50	0.00	119.08
27	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	(-) 0.04	(-) 0.26	0.00	0.50	(-) 0.12	(-) 0.12	(-) 0.62	476.87
28	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	0.11	0.08	0.00	200.00	200.13	200.13	0.13	207.15
29	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	(-) 8.19	(-) 8.19	0.00	0.50	(-) 7.67	(-) 7.67	(-) 8.17	109.27
30	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	(-) 3.42	(-) 3.42	0.15	0.50	125.39	125.39	124.89	126.21
31	झाँसी स्मार्ट सिटी	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	97.70

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	लेखे की अवधि	ब्याज एवं करों से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं करों के पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	अंश आवेदन राशि सहित प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी[1]	निवल मूल्य/ शेयरधारकों की निधि	संचित लाभ/हानि	कुल सम्पत्ति
32	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड (139 (5) एवं (7) कम्पनी)	2020-21	(-) 1.46	(-) 1.61	21.26	2.00	5.97	5.58	3.98	23.25
33	नोएडा इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल)	2019-20	2.52	1.61	0.00	0.01	3604.38	(-) 2.74	(-) 2.75	3,610.24
34	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड*	2020-21	24.74	17.42	0.00	1234.40	1279.89	1279.89	45.49	1,595.20
उप-योग-ब(ख)			**2.92**	**(-) 5.71**	**21.73**	**1,656.91**	**5,413.35**	**1,805.84**	**149.33**	**7,377.37**
कुल योग ब = ब(क) + ब(ख)			**2.92**	**(-) 5.71**	**21.73**	**1,656.91**	**5,413.35**	**1,805.84**	**149.33**	**7,377.37**
स	**सांविधिक निगम**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
उप-योग-स (क)			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**									
35	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2019-20	143.82	142.70	4,587.29	963.62	93.82	58.82	(-) 904.80	3,152.03
36	उत्तर प्रदेश वन निगम	2020-21	28.49	28.49	153.33	0.00	1,617.92	1,617.92	1,617.92	1861.40
37	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2020-21	105.16	105.16	940.46	0.00	5,163.51	5,163.51	5,163.51	20,097.33
उप-योग-स(ख)			**277.47**	**276.35**	**5,681.08**	**963.62**	**6,875.25**	**6,840.25**	**5,876.63**	**25,110.76**
कुल योग स=स(क)+स(ख)			**277.47**	**276.35**	**5,681.08**	**963.62**	**6,875.25**	**6,840.25**	**5,876.63**	**25,110.76**
ऊर्जा क्षेत्र का कुल योग=अ(क)+ब(क)+स(क)			**(-) 5,101.75**	**(-) 15,399.66**	**68,931.87**	**2,36,874.11**	**1,03,215.16**	**(-) 1,994.66**	**(-) 1,60,387.42**	**4,15,720.42**
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त का कुल योग = अ(ख)+ब(ख)+स(ख)			**47.98**	**(-) 79.09**	**7,256.78**	**8,424.52[4]**	**28,387.48**	**13,183.27[5]**	**4,826.40**	**57,425.49**
महायोग (अ+ब+स)			**(-) 5,053.77**	**(-) 15,478.75**	**76,188.65**	**2,45,298.63**	**1,31,602.64**	**11,188.61**	**(-) 1,55,561.02**	**4,73,145.91**

[4] क्रम संख्या 17 पर दी गयी होल्डिंग कम्पनी में ₹ 67.25 करोड़ की धनराशि ₹ 8,424.52 करोड़ की प्रदत्त पूँजी में सम्मिलित है जो कि उनकी सहायक कम्पनियों के लिए सरकार द्वारा दी गयी थी। अतः निवल मूल्य तथा नियोजित पूँजी की गणना के लिए ₹ 67.25 करोड़ की धनराशि बाहर रखी गयी है। अग्रेतर, क्रम संख्या 17 पर ₹ 107.55 करोड़ की ऋण धनराशि में, क्रम संख्या 15 एवं 16 पर कम्पनियों को दिये गये ऋण क्रमशः ₹ 2.06 करोड़ एवं ₹ 2.47 करोड़ को बाहर रखा गया।

[5] प्रदत्त पूँजी एवं फ्री रिज़र्व और अधिशेष के कुल योग से संचित हानियों तथा आस्थगित राजस्व व्यय (डीआरई) घटाकर प्राप्त की गयी कुल धनराशि, निवल मूल्य हैं। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड के प्रकरण में निवल मूल्य निकालने के लिए ₹ 0.40 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय को घटाया गया है।

परिशिष्ट-2.2

(प्रस्तर 2.1.3 में संदर्भित)

31 मार्च 2022 तक पीएसयू से सम्बन्धित पूँजी और बकाया ऋणों (लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या निष्क्रिय/ परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे) की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 के अंत में पूँजी				वर्ष 2021-22 के अंत तक बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
I	कार्यरत पीएसयू												
अ	सरकारी कम्पनियाँ												
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू												
1	यूपीएसआईडीसी पॉवर कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	2013-14	2016-17	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
उप-योग-I अ(क)					**0.00**	**0.00**	**0.05**	**0.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.05**
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू												
2	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	2005-06	2017-18	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	40.00
3	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पिछड़ा वर्ग कल्याण	2016-17	2022-23	12.23	0.00	0.00	12.23	76.30	0.00	0.00	76.30	88.53
4	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	2016-17	2022-23	134.18	117.77	0.00	251.95	0.00	0.00	1,381.54	1,381.54	1,633.49
5	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	खाद्य एवं रसद आपूर्ति	2010-11	2018-19	12.34	0.00	0.00	12.34	0.73	0.00	0.00	0.73	13.07
6	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	कृषि	2016-17	2020-21	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
7	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	महिला कल्याण	2015-16	2020-21	4.71	0.48	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 के अंत में पूँजी				वर्ष 2021-22 के अंत तक बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
8	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ	2003-04	2016-17	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
9	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कृषि	2010-11	2016-17	58.32	0.00	0.00	58.32	5.00	0.00	13.00	18.00	76.32
10	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	2014-15	2020-21	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
11	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	2017-18	2020-21	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
12	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन	2011-12	2022-23	5.96	0.00	0.00	5.96	4.75	0.00	0.00	4.75	10.71
13	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	कृषि	2018-19	2022-23	6.25	0.00	0.67	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92
14	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	मछलीपालन	2016-17	2019-20	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
15	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	स्वास्थ्य	2009-10	2012-13	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10
16	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2016-17	2020-21	880.13	0.00	0.00	880.13	0.00	0.00	899.00	899.00	1779.13
17	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2016-17	2022-23	1,648.31	0.00	0.00	1,648.31	909.00	0.00	46.17	955.17	2,603.48

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 के अंत में पूँजी				वर्ष 2021-22 के अंत तक बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
18	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन	2008-09	2022-23	6.34	0.90	0.00	7.24	12.44	0.00	0.00	12.44	19.68
19	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	2017-18	2022-23	32.60	0.00	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00	32.60
20	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	लेखे प्राप्त नही हुए		17.84	0.00	0.00	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84
21	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	2013-14	2019-20	0.00	0.00	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.04
22	आगरा मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	लेखे प्राप्त नही हुए		0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	45.79	45.79	45.84
23	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	लेखे प्राप्त नही हुए		0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.53	0.53	0.63
24	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	परिवहन	लेखे प्राप्त नही हुए		0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	4.77	4.77	4.82
25	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	सहकारिता विभाग	लेखे प्राप्त नही हुए		0.05	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
26	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2017-18	2018-19	0.15	0.00	0.10	0.25	0.00	0.00	2.48	2.48	2.73
27	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पीनिंग कम्पनी लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	2018-19	2020-21	93.24	0.00	0.00	93.24	149.62	0.00	0.00	149.62	242.86
28	उत्तर प्रदेश स्टेट हैण्डलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	2000-01	2020-21	36.45	10.63	0.00	47.08	157.02	0.00	2.70	159.72	206.80

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 के अंत में पूँजी				वर्ष 2021-22 के अंत तक बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
29	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	2018-19	2019-20	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
30	यू.पी. प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सिंचाई	2018-19	2019-20	5.40	1.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
उप-योग- *I* अ(ख)					**3,015.37**	**130.78**	**4.86**	**3,151.01**	**1,314.86**	**10.00**	**2,395.98**	**3,720.84**	**6,871.85**
कुल योग *I* अ = *I* अ(क) + *I* अ(ख)					**3,015.37**	**130.78**	**4.91**	**3,151.06**	**1,314.86**	**10.00**	**2,395.98**	**3,720.84**	**6,871.90**
ब	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**												
उप-योग- *I* ब(क)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**												
31	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	2017-18	2022-23	279.00	279.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558.00
32	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	2018-19	2019-20	186.00	196.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.00
उप-योग- *I* ब(ख)					**465.00**	**475.00**	**0.00**	**940.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**940.00**
कुल योग *I* ब = *I* ब(क) + *I* ब(ख)					**465.00**	**475.00**	**0.00**	**940.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**940.00**
स	**सांविधिक निगम**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**												
उप-योग- *I* स (क)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**												
33	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	2012-13	2015-16	114.51	0.00	64.78	179.29	345.94	0.00	481.92	827.86	1007.15
34	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	2017-18	2020-21	5.40	0.00	5.40	10.80	0.00	0.00	129.83	129.83	140.63
35	उत्तर प्रदेश जल निगम	शहरी विकास	2016-17	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.00	537.96	0.00	0.00	537.96	537.96
उप-योग- *I* स (ख)					**119.91**	**0.00**	**70.18**	**190.09**	**883.90**	**0.00**	**611.75**	**1,495.65**	**1,685.74**

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 के अंत में पूँजी				वर्ष 2021-22 के अंत तक बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
कुल योग I स = I स(क) + I स(ख)					119.91	0.00	70.18	190.09	883.90	0.00	611.75	1,495.65	1,685.74
कार्यरत पीएसयू का कुल योग (कुल योग-I)					3,600.28	605.78	75.09	4,281.15	2,198.76	10.00	3,007.73	5,216.49	9,497.64
II	अकार्यरत पीएसयू												
अ	सरकारी कम्पनियाँ												
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू												
36	सदर्न यू.पी. पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	2020-21 (अन्तिम लेखे 04.01.2021)	2021-22	0.00	0.00	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
उप-योग- *II*अ (क)					0.00	0.00	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2.22
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू												
37	अपलीज फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1997-98	1998-99	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00	0.00	4.15	4.15	5.21
38	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2017-18	2022-23	0.00	0.00	81.38	81.38	0.00	0.00	29.42	29.42	110.80
39	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2017-18	2022-23	0.00	0.00	147.72	147.72	0.00	0.00	4.45	4.45	152.17
40	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2017-18	2022-23	0.00	0.00	256.80	256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	256.80
41	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	2010-11	2012-13	0.22	0.00	0.00	0.22	8.47	0.00	0.00	8.47	8.69

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 के अंत में पूँजी				वर्ष 2021-22 के अंत तक बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
42	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	2017-18	उपलब्ध नहीं	1.78	0.15	0.00	1.93	36.77	0.17	0.51	37.45	39.38
43	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन	2017-18	उपलब्ध नहीं	5.38	0.00	0.00	5.38	5.91	0.00	0.00	5.91	11.29
44	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	2019-20		197.10	0.00	0.00	197.10	92.05	0.00	0.00	92.05	289.15
45	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन	2016-17		5.74	0.00	0.00	5.74	3.42	0.00	0.00	3.42	9.16
46	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	2020-21	2022-23	53.67	0.00	0.00	53.67	66.36	0.00	0.00	66.36	120.03
47	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	पशुपालन एवं डेयरी	2020-21	2021-22	2.73	0.00	0.00	2.73	7.55	0.00	0.00	7.55	10.28
48	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टॉक स्पेशैलटीज़ लिमिटेड	पशुपालन एवं डेयरी	2013-14	2020-21	2.88	0.06	0.00	2.94	0.00	1.1	0.00	1.10	4.04
49	उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हॉर्टीकल्चर एवं खाद्य प्रसंस्करण	1984-85	1988-89	6.41	0.00	0.62	7.03	3.34	0.00	0.56	3.90	10.93
50	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2013-14	2014-15	0.51	0.00	0.15	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 के अंत में पूँजी				वर्ष 2021-22 के अंत तक बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
51	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	पंचायती राज	1995-96	2012-13	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
52	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1988-89	2007-08	1.00	0.00	0.00	1.00	0.18	0.00	0.00	0.18	1.18
53	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1983-84	1991-92	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.51	0.51	1.11
54	बरेली मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1992-93	2005-06	1.25	0.00	0.00	1.25	0.00	0.00	0.65	0.65	1.90
55	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1989-90	2017-18	1.26	0.00	0.00	1.26	0.65	0.00	0.29	0.94	2.20
56	लखनऊ मण्डलीय विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	2009-10	2010-11	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
57	मेरठ मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	2008-09	2010-11	1.00	0.00	0.00	1.00	0.01	0.00	0.00	0.01	1.01
58	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1991-92	2011-12	0.25	0.00	0.00	0.25	0.65	0.00	0.00	0.65	0.90
59	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	1996-97	06-06-1996	0.45	0.00	0.00	0.45	1.25	1.00	0.00	2.25	2.70
60	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	2010-11	2016-17	1.23	0.00	0.00	1.23	0.05	0.00	0.00	0.05	1.28
61	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	वाणिज्यिक कर	2009-10	उपलब्ध नहीं	8.18	0.00	0.00	8.18	7.98	0.00	0.00	7.98	16.16
62	उत्तर प्रदेश पूर्वान्चल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1987-88	1995-96	1.15	0.00	0.00	1.15	0.43	0.00	0.00	0.43	1.58
63	वाराणसी मण्डल विकास निगम लिमिटेड	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1986-87	1993-94	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	0.75	0.75	1.45

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 के अंत में पूँजी				वर्ष 2021-22 के अंत तक बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
64	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2002-03 (1 सितम्बर 2006 से परिसमापन के अधीन)	2003-04	0.31	0.00	0.00	0.31	1.70	0.00	0.00	1.70	2.01
65	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास	2006-07 (1 सितम्बर 2006 से परिसमापन के अधीन)	2008-09	0.38	0.00	0.33	0.71	10.50	0.00	0.00	10.50	11.21
66	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1995-96 (8 दिसम्बर 1999 से परिसमापन के अधीन)	1996-97	68.28	0.00	0.00	68.28	124.77	0.00	0.00	124.77	193.05
67	विन्ध्याचल अब्रेसिव्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1987-88 (28 नवम्बर 2002 से परिसमापन के अधीन)	1995-96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.84
68	ऑटो ट्रैक्टर्स लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1991-92 (14 फरवरी 2003 से परिसमापन के अधीन)	1995-96	5.63	0.00	1.87	7.50	0.38	0.00	0.00	0.38	7.88

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 के अंत में पूँजी				वर्ष 2021-22 के अंत तक बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
69	भदोही वूलेन्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग	1994-95 (20 फरवरी 1996 से परिसमापन के अधीन)	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
70	कॉन्टीनेंटल फ्लोट ग्लास लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1997-98 (1 अप्रैल 2002 से परिसमापन के अधीन)	2002-03	0.00	0.00	46.24	46.24	0.00	0.00	138.85	138.85	185.09
71	कानपुर कम्पोनेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	(10 जून 1996 से परिसमापन के अधीन)	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72	उत्तर प्रदेश एब्स्काट प्राइवेट लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन	1975-76 (14 नवम्बर 2003 से परिसमापन के अधीन)	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
73	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1992-93 (19 फरवरी 1994 से परिसमापन के अधीन)	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	6.59	6.59	11.02	0.00	0.00	11.02	17.61
74	उत्तर प्रदेश प्लाण्ट प्रोटेक्शन एप्लाएन्सेस (प्राइवेट) लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्माल इण्डस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	1974-75 (14 नवम्बर 2003 से परिसमापन के अधीन	1984-85	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 के अंत में पूँजी				वर्ष 2021-22 के अंत तक बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
75	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1995-96 (26 मार्च 2014 से परिसमापन के अधीन)	1997-98	0.00	0.00	57.93	57.93	0.00	0.00	9.70	9.70	67.63
उप-योग- *II* अ (ख)					**370.29**	**0.21**	**604.52**	**975.02**	**383.44**	**2.27**	**190.68**	**576.39**	**1,551.41**
कुल योग *II* अ = *II* अ(क) + *II* अ(ख)					**370.29**	**0.21**	**606.74**	**977.24**	**383.44**	**2.27**	**190.68**	**576.39**	**1,553.63**
ब	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**												
उप-योग- *II* ब (क)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**												
76	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (139 (5) एवं (7) कम्पनी)	भूमि विकास एवं जल संसाधन	1998-99	उपलब्ध नहीं	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.32	0.32	0.56
77	इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर्स (इण्डिया) लिमिटेड (139 (5) एवं (7) कम्पनी)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	(14 जुलाई 1981 से परिसमापन के अधीन)	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-योग- *II* ब (ख)					**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.32**	**0.32**	**0.56**
कुल योग *II* ब = *II* ब(क) + *II* ब(ख)					**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.32**	**0.32**	**0.56**
स	**सांविधिक निगम**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**												
उप-योग- *II*स (क)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**												
उप-योग- *II*स (ख)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
कुल योग *II* स = *II* स(क) + *II*स(ख)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	वर्ष 2021-22 के अंत में पूँजी				वर्ष 2021-22 के अंत तक बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार के ऋण	केन्द्र सरकार के ऋण	स्वामित्व कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
अकार्यरत पीएसयू का कुल योग (कुल योग- *II*)					370.53	0.21	606.74	977.48	383.44	2.27	191.00	576.71	1554.19
ऊर्जा क्षेत्र के पीसएसयू का कुल योग					0.00	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीसएसयू का कुल योग					3,970.81	605.99	679.56	5,256.36	2,582.20	12.27	3,198.73	5,793.20	11,049.56
महायोग (कुल योग- *I* + कुल योग- *II*)					3,970.81	605.99	681.83	5,258.63	2,582.20	12.27	3,198.73	5,793.20	11,051.83

परिशिष्ट-2.3
(प्रस्तर 2.2 में संदर्भित)
31 मार्च 2022 तक पूँजी एवं बकाया ऋणों (पीएसयू जिन्होंने 2019-20 या बाद के वर्षों के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किये हैं) की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर पूँजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार ऋण	केन्द्र सरकार ऋण	होल्डिंग कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
अ	सरकारी कम्पनियाँ												
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू												
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (सहायक कम्पनी जेवीयूएनएल सहित)	ऊर्जा	2	25 अगस्त 1980 (यूपीआरवीयूएन)	18,580.82	0.00	0.00	18,580.82	0.00	0.00	21,093.90	21,093.90	39,674.72
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	ऊर्जा	1	15 अप्रैल 1985	435.33	0.00	0.00	435.33	64.65	0.00	0.00	64.65	499.98
3	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	ऊर्जा	1	13 जुलाई 2006	16,376.74[6]	0.00	2,213.27	18,590.01	0.00	0.00	12,531.65	12,531.65	31,121.66
4	उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूवीवीएनएल, पीवीवीएनएल, डीवीवीएनएल, एमवीवीएनएल एवं केस्को सहित)	ऊर्जा	6	30 नवम्बर 1999 (यूपीपीसीएल)	1,09,997.10[7]	0.00	0.00	1,09,997.10	369.27	0.00	70,733.50	71,102.77	1,81,099.87

[6] इसमें यूपीपीटीसीएल के माध्यम से प्राप्त उ.प्र. सरकार के ₹ 2,213.27 करोड़ के निवेश को सम्मिलित किया गया है।

[7] इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से यूपीपीटीसीएल में ₹ 2,213.27 करोड़ के उ.प्र. सरकार के निवेश को बाहर रखा गया है क्योंकि उसे यूपीपीटीसीएल में उ.प्र. सरकार के निवेश में सम्मिलित किया गया है। अग्रेतर, इसमें यूपीपीसीएल के माध्यम से एसयूपीपीटीसीएल में ₹ 2.22 करोड़ के उ.प्र. सरकार के निवेश को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि एसयूपीपीटीसीएल को इस अध्याय में सम्मिलित नहीं किया गया है। अग्रेतर, ₹1,09,997.10 करोड़ में से, ₹ 0.20 करोड़ वितरण कम्पनियों द्वारा यूपीपीसीएल को आवंटित प्रवर्तक शेयर अर्थात् चारों वितरण कम्पनियों को ₹ 0.05 करोड़ (₹ 1000 प्रत्येक की दर से 500 शेयर) मूल्य के 500 पूँजी शेयर से सम्बन्धित है।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर पूँजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार ऋण	केन्द्र सरकार ऋण	होल्डिंग कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
5	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 1 का संयुक्त उद्यम)	ऊर्जा	1	16 अक्टूबर 2008	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	2.50	2.50	2.66
उप-योग-अ(क)			**11**		**1,45,389.99**	**0.00**	**2,213.43**	**1,47,603.42**	**433.92**	**0.00**	**1,04,361.55**	**1,04,795.47**	**2,52,398.89**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**												
6	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	आवास और शहरी नियोजन	1	25 नवम्बर 2013	2,146.80	1,999.94	0.00	4,146.74	1,305.20	7295.73	0.00	8,600.93	12,747.67
7	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1	11 मई 2014	387.57	687.62	325.05	1,400.24	0.00	283.00	1,521.80	1,804.80	3,205.04
8	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1	29 मार्च 1972	110.58	0.00	25.00	135.58	1,134.43	4.10	0.00	1,138.53	1,274.11
9	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	02 अक्टूबर 1979	0.00	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
10	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की सहायक)	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	04 अक्टूबर 1974	0.00	0.00	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.47

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर पूँजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार ऋण	केन्द्र सरकार ऋण	होल्डिंग कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
11	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स	1	20 मार्च 1974	91.54[8]	0.00	0.00	91.54	111.27[9]	0.00	0.00	111.27	202.81
12	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	समाज कल्याण	1	23 मई 1989	0.43	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
13	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	गृह	1	27 मार्च 1987	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
14	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन	1	11 अगस्त 2016	0.05	0.00	0.00	0.05	5.00	0.00	0.00	5.00	5.05
15	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1	23 मार्च 2018	11.83	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83
16	प्रयागराज सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड परिवहन	परिवहन	1	27 अप्रैल 2010	0.00	0.00	4.91	4.91	0.00	0.00	6.57	6.57	11.48
17	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	समाज कल्याण	1	27 जून 1976	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

[8] क्रम संख्या 11 पर होल्डिंग कम्पनी में ₹ 91.54 करोड़ पूँजी के रूप में उ.प्र. सरकार के निवेश के रूप में ₹ 8.95 करोड़ (₹ 6.35 करोड़ और ₹ 2.60 करोड़) की धनराशि सम्मिलित है जो कि क्रम संख्या 9 एवं 10 में इसकी सहायक कम्पनियों हेतु दी गयी थी। निवेश की दोहरी गणना से बचने के लिए इसे इन सहायक कम्पनियों की पूँजी से बाहर रखा गया है।

[9] क्रम संख्या 11 पर होल्डिंग कम्पनी में ₹ 111.27 करोड़ दीर्घावधि ऋण के रूप में उ.प्र. सरकार के निवेश के रूप में ₹ 4.53 करोड़ की धनराशि सम्मिलित थी जो कि क्रम संख्या 9 (₹ 1.66 करोड़) एवं क्रम संख्या 10 (₹ 2.47 करोड़) पर इसकी सहायक कम्पनियों को दी गयी थी। निवेश की दोहरी गणना से बचने के लिए इसे इन सहायक कम्पनियों के दीर्घावधि ऋण से बाहर रखा गया है।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर पूँजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार ऋण	केन्द्र सरकार ऋण	होल्डिंग कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
उप-योग-अ(ख)			**12**		**2,751.95**	**2,687.56**	**357.20**	**5,796.71**	**2,555.90**	**7,582.83**	**1,528.37**	**11,667.10**	**17,463.81**
कुल योग-अ			**23**		**1,48,141.94**	**2,687.56**	**2,570.63**	**1,53,400.13**	**2,989.82**	**7,582.83**	**1,05,889.92**	**1,16,462.57**	**2,69,862.70**
ब	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**												
उप-योग-ब(क)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**												
18	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	01 सितम्बर 2017	107.00	109.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00
19	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	30 अगस्त 2017	1.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	03 अप्रैल 2018	0.50	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड*	शहरी विकास	1	29 अगस्त 2017	245.00	245.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.00
22	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	29 अक्टूबर 2016	100.00	100.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
23	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	22 नवम्बर 2016	0.25	0.00	0.25	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
24	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	16 जून 2018	50.25	0.00	50.25	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	100.50
25	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास	1	01 मार्च 2018	0.50	1.86	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.36
26	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड (139 (5) एवं (7) कम्पनी)	भू-विज्ञान एवं खनन	1	27 अगस्त 1971	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.48	0.48	2.48
27	नोएडा इन्टरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड	नागर विमानन	1	28 अगस्त 2018	2,807.19	0.00	3,090.55	5,897.74	0.00	0.00	0.00	0.00	5,897.74
28	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास	1	18 मार्च 2014	0.00	0.00	2,940.50	2,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.50
उप-योग-ब(ख)			**11**		**3,311.69**	**456.86**	**6,084.05**	**9,852.60**	**0.00**	**0.00**	**0.48**	**0.48**	**9,853.08**
कुल योग-ब			**11**		**3,311.69**	**456.86**	**6,084.05**	**9,852.60**	**0.00**	**0.00**	**0.48**	**0.48**	**9853.08**
स	**सांविधिक निगम**												
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**												
उप-योग-स(क)					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	पीएसयू की संख्या	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर पूँजी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर दीर्घावधि बकाया ऋण				कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केन्द्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार ऋण	केन्द्र सरकार ऋण	होल्डिंग कम्पनी/अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋण	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7 (ब)	7 (स)	7 (द)	8
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू												
29	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	परिवहन	1	06 जनवरी 1972	930.46	0.00	60.01	990.47	26.72	0.00	0.00	26.72	1,017.19
30	उत्तर प्रदेश वन निगम	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन	1	25 नवम्बर 1974	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	आवास एवं शहरी नियोजन	1	04 मार्च 1966	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-योग-स(ख)			**3**		**930.46**	**0.00**	**60.01**	**990.47**	**26.72**	**0.00**	**0.00**	**26.72**	**1,017.19**
कुल योग-स			**3**		**930.46**	**0.00**	**60.01**	**990.47**	**26.72**	**0.00**	**0.00**	**26.72**	**1,017.19**
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का कुल योग = अ(क)+ब(क)+स(क)			**11**		**1,45,389.99**	**0.00**	**2,213.43**	**1,47,603.42**	**433.92**	**0.00**	**1,04,361.55**	**1,04,795.47**	**2,52,398.89**
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का कुल योग = अ(ख)+ब(ख)+स(ख)			**26**		**6,994.10**	**3,144.42**	**6,501.26**	**16,639.78**	**2,582.62**	**7,582.83**	**1,528.85**	**11,694.30**	**28,334.08**
महायोग (अ+ब+स)			**37**		**1,52,384.09**	**3,144.42**	**8,714.69**	**1,64,243.20**	**3,016.54**	**7,582.83**	**1,05,890.40**	**1,16,489.77**	**2,80,732.97**

परिशिष्ट-2.4

(प्रस्तर 2.2.1 में संदर्भित)

नवीनतम अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार पीएसयू (जिन्होंने 2019-20 या बाद के वर्षों के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए) में कुल परिसम्पत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋणों की व्याप्ति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	दीर्घावधि ऋण	कुल सम्पत्ति	सम्पत्ति व्याप्ति अनुपात (प्रतिशत में)
I.	सकारात्मक व्याप्ति वाले पीएसयू					
अ	सरकारी कम्पनियाँ					
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	16,486.45	44,163.04	267.87
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	152.08	866.96	570.07
3	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	4,934.37	7,118.78	144.27
4	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2022-23	12,531.65	40,234.10	321.06
5	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	24,779.86	61,172.42	246.86
6	पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	9,365.53	39,219.68	418.77
7	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	15,761.74	45,757.00	290.30
8	दक्षिणान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2021-22	2022-23	18,749.33	38,852.83	207.22
9	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड	2021-22	2022-23	2,446.31	5,506.21	225.08
10	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	2.50	54.09	2,163.60
उप-योग-अ(क)				**1,05,209.82**	**2,82,945.11**	**268.93**
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
11	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2022-23	8,600.93	13,480.47	156.73
12	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2022-23	1,804.80	4,515.99	250.22
13	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कॉर्पोरेशन आफ यूपी लिमिटेड	2019-20	2022-23	1,033.81	1,097.64	106.17
14	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड	2020-21	2021-22	1.86	51.98	2,794.62
15	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड	2020-21	2022-23	2.27	48.73	2,146.70
16	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	2021-22	107.55	390.91	363.47
17	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	2021-22	2022-23	5.00	13.39	267.80
18	इलाहाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	2020-21	5.48	10.09	184.12
उप-योग-अ(ख)				**11,561.70**	**19,609.20**	**169.60**
कुल योग अ = अ(क)+अ(ख)				**1,16,771.52**	**3,02,554.31**	**259.10**
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ					
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
उप-योग-ब(क)				**0**	**0**	**-**
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
19	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	2020-21	2021-22	0.39	23.25	5961.54
20	नोएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल)	2019-20	2020-21	3,607.12	3,610.24	100.09
उप योग-ब(ख)				**3,607.51**	**3,633.49**	**100.720**
कुल योग ब = ब(क)+ब(ख)				**3,607.51**	**3,633.49**	**100.72**

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किया गया	दीर्घावधि ऋण	कुल सम्पत्ति	सम्पत्ति व्याप्ति अनुपात (प्रतिशत में)
स	सांविधिक निगम					
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
उप-योग-स(क)				0	0	
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
21	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2019-20	2021-22	35.00	3,152.03	9,005.80
उप-योग-स(ख)				35.00	3,152.03	9,005.80
कुल योग स = स(क)+स(ख)				35.00	3,152.03	9,005.80
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का कुल योग = अ(क)+ब(क)+स(क)				1,05,209.82	2,82,945.11	268.93
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का कुल योग= अ(ख)+ब(ख)+स(ख)				15,204.21	26,394.72	173.60
महायोग (अ+ब+स)				1,20,414.03	3,09,339.81	256.90
II.	नकारात्मक व्याप्ति वाले पीएसयू					
अ	सरकारी कम्पनियाँ					
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
उप-योग-अ(क)				0.00	0.00	-
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
उप-योग-अ(ख)				0.00	0.00	-
कुल योग अ = अ(क)+अ(ख)				0.00	0.00	-
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ					
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
उप-योग-ब(क)				0	0	-
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
उप-योग-ब(ख)				0.00	0.00	-
कुल योग ब = ब(क)+ब(ख)				0.00	0.00	-
स	सांविधिक निगम					
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू					
उप-योग-स(क)				0.00	0.00	-
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू					
उप-योग-स(ख)				0.00	0.00	-
कुल योग स = स(क)+स(ख)				0.00	0.00	-
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का कुल योग = अ(क)+ब(क)+स(क)				0.00	0.00	-
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का कुल योग= अ(ख)+ब(ख)+स(ख)				0.00	0.00	-
महायोग (अ+ब+स)				0.00	0.00	-

परिशिष्ट-2.5

(प्रस्तर 2.2.2.1 में संदर्भित)

31 मार्च 2022 तक पूँजी, ऋण एवं गारंटियों के शेष के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के मध्य अंतर को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =3-6	10 = 4-7	11 = 5-8
I	कार्यरत पीएसयू									
अ	सरकारी कम्पनियाँ									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
1	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सहित उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	18,580.82	0.00	27,546.03	19,701.87	86.00	35,365.02	(-) 1,121.05	(-) 86.00	(-) 7,818.99
2	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	435.33	64.65	0.00	435.33	0.00	0.00	0.00	64.65	0.00
3	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16,376.74	0.00	972.40	15,576.01	0.00	972.40	800.73	0.00	0.00
4	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	यू.पी. पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,12,212.39	369.27	93,036.65	97,164.01[10]	430.82	93,036.65	15,048.38	(-) 61.55	0.00
उप-योग अ(क)		**1,47,605.28**	**433.92**	**1,21,555.08**	**1,32,877.22**	**516.82**	**1,29,374.07**	**14,728.06**	**(-) 82.90**	**(-) 7,818.99**

[10] ₹ 7000.

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =3-6	10 = 4-7	11 = 5-8
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
6	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	2146.80	1,305.20	0.00	1,278.00	1,841.60	0.00	868.80	(-) 536.40	0.00
7	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	387.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.57	0.00	0.00
8	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	110.58	1,134.43	1.39	110.58	411.26	1.39	0.00	723.17	0.00
9	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	91.54	111.27	0.00	91.54	31.23	0.00	0.00	80.04	0.00
10	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	0.05	5.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.05	4.05	0.00
11	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00
12	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	30.00	0.00	0.00	30.00	15.18	0.00	0.00	(-) 15.18	0.00
13	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	12.23	76.30	0.00	13.56	0.00	52.65	(-) 1.33	76.30	(-) 52.65
14	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	134.18	0.00	0.00	126.99	0.00	0.00	7.19	0.00	0.00
15	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	12.34	0.73	0.00	12.34	0.78	0.00	0.00	(-) 0.05	0.00
16	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	58.32	5.00	0.00	58.32	4.69	0.00	0.00	0.31	0.00

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =3-6	10 = 4-7	11 = 5-8
17	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.96	4.75	0.00	5.96	0.41	0.00	0.00	4.34	0.00
18	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी एवं गन्ना विकास निगम	880.13	0.00	200.00	880.13	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00
19	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1,648.31	909.00	183.96	1648.31	406.96	423.96	0.00	502.04	(-) 240.00
20	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड)	6.34	12.44	0.00	6.34	5.00	0.00	0.00	7.44	0.00
21	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	32.60	0.00	0.00	32.60	2.76	0.00	0.00	(-) 2.76	0.00
22	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.84	0.00	0.00
23	आगरा-मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
24	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 28-04-10 से निगमित)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
25	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 15-06-10 से निगमित)	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
26	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
27	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	93.24	149.62	0.00	93.24	18.21	0.00	0.00	131.41	0.00
28	उत्तर प्रदेश (मध्य) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	1.80	0.00	0.00	(-) 1.80

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =3-6	10 = 4-7	11 = 5-8
29	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड	36.45	157.02	0.00	36.45	12.53	2.34	0.00	144.49	-2.34
उप-योग अ(ख)		**5716.71**	**3870.76**	**385.35**	**4424.51**	**2751.56**	**482.13**	**1292.20**	**1119.20**	**(-)96.78**
उप-योग अ		**153321.99**	**4304.68**	**121940.43**	**137301.73**	**3268.38**	**129856.20**	**16020.26**	**1036.30**	**(-)7915.77**
ब	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
उप-योग ब(क)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**									
30	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00
31	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
32	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
33	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00
34	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
35	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00
36	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	50.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.25	0.00	0.00
37	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00
38	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00	0.00
39	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	0.00	0.00
40	नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल)*	2,807.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.19	0.00	0.00
उप-योग ब(ख)		**3,776.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,776.69**	**0.00**	**0.00**
उप-योग अ		**3,776.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,776.69**	**0.00**	**0.00**
स	**सांविधिक निगम**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =3-6	10 = 4-7	11 = 5-8
उप-योग स(क)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**									
41	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	930.46	26.72	0.00	766.18	34.65	0.00	164.28	-7.93	0.00
42	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	-0.31	0.00
43	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	114.51	345.94	2.46	114.51	15.11	2.46	0.00	330.83	0.00
44	उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम	5.40	0.00	1.47	7.60	0.63	146.86	(-) 2.20	(-) 0.63	(-) 145.39
45	उत्तर प्रदेश जल निगम	0.00	537.96	0.00	0.00	388.77	0.00	0.00	149.19	0.00
उप-योग स(ख)		**1,050.37**	**910.62**	**3.93**	**888.29**	**439.47**	**149.32**	**162.08**	**471.15**	**(-) 145.39**
उप-योग स		**1,050.37**	**910.62**	**3.93**	**888.29**	**439.47**	**149.32**	**162.08**	**471.15**	**(-) 145.39**
कार्यरत पीएसयू का कुल योग (I)		**158149.05**	**5215.30**	**121944.36**	**138190.02**	**3707.85**	**130005.52**	**19959.03**	**1507.45**	**(-)8061.16**
II	**अकार्यरत पीएसयू**									
अ	**सरकारी कम्पनियाँ**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
उप-योग अ(क)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**									
46	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	81.38	0.00	0.00	(-) 81.38	0.00	0.00
47	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	147.72	0.00	0.00	(-) 147.72	0.00	0.00
48	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	0.00	0.00	0.00	256.80	0.00	0.00	(-) 256.80	0.00	0.00

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =3-6	10 = 4-7	11 = 5-8
49	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोज़िन कम्पनी लिमिटेड	0.22	8.47	0.00	0.30	1.99	1.76	(-) 0.08	6.48	(-) 1.76
50	उत्तर प्रदेश इन्स्ट्रूमेन्ट्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	1.78	36.77	0.00	0.09	0.00	0.00	1.69	36.77	0.00
51	उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.38	5.91	0.00	5.28	0.15	0.00	0.10	5.76	0.00
52	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	197.10	92.05	0.00	160.79	206.30	0.00	36.31	(-) 114.25	0.00
53	उत्तर प्रदेश स्टेट लेदर डेवलपमेण्ट एण्ड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.74	3.42	0.00	5.74	1.40	0.00	0.00	2.02	0.00
54	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	53.67	66.36	0.00	31.91	13.21	0.00	21.76	53.15	0.00
55	उत्तर प्रदेश पशुधन उद्योग निगम लिमिटेड	2.73	7.55	0.00	2.73	1.10	0.00	0.00	6.45	0.00
56	उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टॉक स्पेशलटीज लिमिटेड	2.88	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00
57	उत्तर प्रदेश स्टेट हॉर्टीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एण्ड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6.41	3.34	0.56	6.41	0.00	0.56	0.00	3.34	0.01
58	उत्तर प्रदेश (पश्चिम) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.51	0.00	0.00	0.51	0.00	0.70	0.00	0.00	-0.70
59	उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1.50	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =3-6	10 = 4-7	11 = 5-8
60	आगरा मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.00	0.18	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
61	इलाहाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.60	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	(-) 0.07	0.00	0.00
62	गोरखपुर मण्डल विकास निगम लिमिटेड	1.26	0.65	0.00	0.93	0.00	0.00	0.33	0.65	0.00
63	मुरादाबाद मण्डल विकास निगम लिमिटेड	0.25	0.65	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00
64	तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	0.45	1.25	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00
65	उत्तर प्रदेश बुन्देलखण्ड विकास निगम लिमिटेड	1.23	0.05	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
66	उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम लिमिटेड	8.18	7.98	0.00	8.18	0.31	0.00	0.00	7.67	0.00
67	उत्तर प्रदेश पूर्वांचल विकास निगम लिमिटेड	1.15	0.43	0.00	1.30	0.00	0.00	(-) 0.15	0.43	0.00
68	उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.31	1.70	0.00	0.23	1.63	0.00	0.08	0.07	0.00
69	उत्तर प्रदेश (रूहेलखण्ड तराई) गन्ना बीज एवं विकास निगम लिमिटेड	0.38	10.50	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00
70	उत्तर प्रदेश सीमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	68.28	124.77	0.00	68.28	37.45	0.00	0.00	87.32	0.00
71	ऑटो टैक्टर्स लिमिटेड	5.63	0.38	0.00	5.63	14.89	0.00	0.00	(-) 14.51	0.00
72	उत्तर प्रदेश कार्बाइड एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश स्टेट मिनरल डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	0.00	11.02	0.00	6.59	0.00	0.00	(-) 6.59	11.02	0.00

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अन्तर		
		पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी	पूँजी (आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि सहित)	बकाया ऋण	बकाया गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9 =3-6	10 = 4-7	11 = 5-8
73	अपट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	0.00	(-) 2.85	0.00
उप-योग अ(ख)		**403.09**	**540.45**	**0.56**	**832.45**	**293.81**	**5.35**	**(-) 429.36**	**246.64**	**(-) 4.79**
उप-योग अ		**403.09**	**540.45**	**0.56**	**832.45**	**293.81**	**5.35**	**(-) 429.36**	**246.64**	**(-) 4.79**
ब	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
उप-योग ब(क)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**									
74	कमाण्ड एरिया पोल्ट्री डेवलपमेण्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.24	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.24	(-) 2.10	0.00
उप-योग ब(ख)		**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.10**	**0.00**	**0.24**	**(-) 2.10**	**0.00**
उप-योग ब		**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2.10**	**0.00**	**0.24**	**(-) 2.10**	**0.00**
स	**सांविधिक निगम**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
उप-योग स(क)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**									
उप-योग स(ख)		**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.24**	**0.00**	**0.00**
उप-योग स		**0.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.24**	**0.00**	**0.00**
अकार्यरत पीएसयू का कुल योग (II)		**367.12**	**383.43**	**0.56**	**796.00**	**283.38**	**3.01**	**(-)428.88**	**100.05**	**(-)2.45**
ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का कुल योग		**1,47,605.28**	**433.92**	**1,21,555.08**	**1,32,877.22**	**516.82**	**1,29,374.07**	**14,728.06**	**(-)82.90**	**(-)7,818.99**
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू का कुल योग		**10,910.89**	**5,164.81**	**389.84**	**6,108.80**	**3,474.42**	**634.46**	**4,802.09**	**1,690.39**	**(-)244.62**
महायोग (कुल योग-I + कुल योग- II)		**1,58,516.17**	**5,598.73**	**1,21,944.92**	**1,38,986.02**	**3,991.24**	**1,30,008.53**	**19,530.15**	**1,607.49**	**(-)8,063.61**

परिशिष्ट-3.1

(प्रस्तर 3.3.2 में संदर्भित)

उस अवधि के दौरान जिसके अन्तर्गत लेखे बकाया थे, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अवधि जहाँ तक लेखे अन्तिमीकृत किये गये	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया थे	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार अंश आवेदन राशि सहित प्रदत्त पूँजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश, जिस अवधि में उनके लेखे बकाया थे				
						पूँजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
I	कार्यरत पीएसयू									
अ	सरकारी कम्पनियाँ									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
1	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1	2020-21	2021-22	16,545.77	2,035.05	0.00	0.00	0.00	2,035.05
उप-योग-I अ(क)		**1**			**16,545.77**	**2,035.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,035.05**
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
2	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	10.16	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
3	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	91.54	0.00	0.00	90.87	0.00	90.87
4	उत्तर प्रदेश डेवलपमेण्ट सिस्टम्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2021-22	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2021-22	93.24	0.00	8.43	0.00	0.00	8.43
6	लखनऊ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 1 फरवरी 2010 से निगमित)	1	शून्य	2009-10 से 2021-22	0.00	17.84	0.00	182.67	0.00	200.51

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अवधि जहाँ तक लेखे अन्तिमीकृत किये गये	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया थे	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार अंश आवेदन राशि सहित प्रदत्त पूँजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश, जिस अवधि में उनके लेखे बकाया थे				
						पूँजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
7	मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1	2013-14	2014-15 से 2021-22	4.04	0.00	0.00	29.88	0.00	29.88
8	प्रयागराज सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	4.91	0.00	0.00	31.14	0.00	31.14
9	आगरा मथुरा सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 8 जुलाई 2010 से निगमित)	1	शून्य	2010-11 से 2021-22[11]	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25	7.25
10	कानपुर सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 28 अप्रैल 2010 से निगमित)	1	शून्य	2010-11 से 2021-22	0.00	0.05	0.00	67.03	60.89	127.97
11	वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (दिनांक 15 जून 2010 से निगमित)	1	शून्य	2010-11 से 2021-22	0.00	0.05	0.00	35.85	0.00	35.90
12	उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1	2005-06	2006-07 से 2021-22	30.00	0.00	0.00	64.22	0.00	64.22
13	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1	2016-17	2017-18 से 2021-22	12.23	0.00	57.43	0.00	0.00	57.43
14	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	1	2016-17	2017-18 से 2021-22	251.95	9.95	2.21	0.00	345.37	357.53
15	उत्तर प्रदेश खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लिमिटेड	1	2010-11	2011-12 से 2021-22	5.50	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83
16	उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लिमिटेड	1	2015-16	2016-17 से 2021-22[12]	5.19	0.00	0.00	12.83	0.00	12.83

[11] वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार की निवेश सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही की गयी है।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अवधि जहाँ तक लेखे अन्तिमीकृत किये गये	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया थे	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार अंश आवेदन राशि सहित प्रदत्त पूँजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश, जिस अवधि में उनके लेखे बकाया थे				
						पूँजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
17	उत्तर प्रदेश वक्फ विकास निगम लिमिटेड	1	2003-04	2004-05 से 2021-22	5.25	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75
18	उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2010-11	2011-12 से 2021-22	46.30	10.41	0.00	0.00	0.00	10.41
19	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1	2016-17	2017-18 से 2021-22[13]	1,648.31	0.00	899.00	0.00	0.00	899.00
20	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड	1	2008-09	2009-10 से 2021-22[14]	7.24	0.00	5.00	2.68	0.00	7.68
21	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2021-22	6.92	0.00	0.00	17.27	0.00	17.27
22	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	1	2017-18	2018-19 से 2021-22	1.50	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
23	उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1	2016-17	2017-18 से 2021-22	1.07	0.00	0.00	52.78	0.00	52.78
24	उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड	1	2000-01	2001-02 से 2021-22[15]	47.07	0.00	109.51	0.00	0.00	109.51
उप-योग-I अ(ख)		**23**			**2,273.42**	**50.71**	**1,081.58**	**738.22**	**413.51**	**2,284.02**
I अ का योग = I अ(क)+ I अ(ख)		**24**			**18,819.19**	**2,085.76**	**1,081.58**	**738.22**	**413.51**	**4,319.07**

[12] वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार की निवेश सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही की गयी है।
[13] वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार की निवेश सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही की गयी है।
[14] वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार की निवेश सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही की गयी है।
[15] वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार की निवेश सूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही की गयी है।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अवधि जहाँ तक लेखे अन्तिमीकृत किये गये	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया थे	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार अंश आवेदन राशि सहित प्रदत्त पूँजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश, जिस अवधि में उनके लेखे बकाया थे				
						पूँजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
ब	**सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
उप-योग-I ब(क)		**0**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	**ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू**									
25	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	2.00	0.00	0.00	176.50	0.00	176.50
26	लखनऊ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2018-19	2019-20 से 2021-22	382.00	0.00	0.00	98.00	0.00	98.00
27	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2020-21	2021-22	0.50	0.00	0.00	97.00	0.00	97.00
28	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2020-21	2021-22	200.00	0.00	0.00	97.50	0.00	97.50
29	नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल)	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	0.01	1,273.35	0.00	0.00	0.00	1,273.35
30	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2020-21	2021-22	0.50	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00
31	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2017-18	2018-19 से 2021-22	558.00	46.50	0.00	2.00	0.00	48.50
32	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	0.50	0.50	0.00	159.50	0.00	160.00
उप-योग-I ब(ख)		**8**			**1,143.51**	**1,320.35**	**0.00**	**766.50**	**0.00**	**2,086.85**
I ब का योग = I ब(क)+ I ब(ख)		**8**			**1,143.51**	**1,320.35**	**0.00**	**766.50**	**0.00**	**2,086.85**
स	**सांविधिक निगम**									
क	**ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू**									
उप-योग-I स(क)		**0**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अवधि जहाँ तक लेखे अन्तिमीकृत किये गये	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया थे	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार अंश आवेदन राशि सहित प्रदत्त पूँजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश, जिस अवधि में उनके लेखे बकाया थे				
						पूँजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
33	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1	2019-20	2020-21 से 2021-22	963.62	29.05	0.00	0.00	0.00	29.05
34	उत्तर प्रदेश जल निगम	1	2016-17	2017-18 से 2021-22	0.00	0.00	0.00	2,037.75	0.00	2,037.75
35	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	1	2012-13	2013-14 से 2021-22	179.28	0.00	102.60	0.00	0.00	102.60
उप-योग-I स(ख)		**3**			**1,142.90**	**29.05**	**102.60**	**2,037.75**	**0.00**	**2,169.40**
I स का योग = I स(क)+ I स(ख)		**3**			**1,142.90**	**29.05**	**102.60**	**2,037.75**	**0.00**	**2,169.40**
कार्यरत पीएसयू का योग (योग- I)		**35**			**21,105.60**	**3,435.16**	**1,184.18**	**3,542.47**	**413.51**	**8,575.32**
II	अकार्यरत पीएसयू									
अ	सरकारी कम्पनियाँ									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
उप-योग-II अ(क)		**0**			**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
36	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	2019-20	2020-21 एवं 2021-22	197.10	0.00	1.19	0.00	0.00	1.19
37	दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड	1	2010-11	2011-12 से 2021-22[16]	0.22	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34
38	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	1	2020-21	2021-22	53.67	31.91	1.76	0.00	0.00	33.67
उप-योग-II अ(ख)		**3**			**250.99**	**31.91**	**3.29**	**0.00**	**0.00**	**35.20**
II अ का योग = II अ(क)+ II अ(ख)		**3**			**250.99**	**31.91**	**3.29**	**0.00**	**0.00**	**35.20**

[16] वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार की निवेश सचना लेखापरीक्षा को प्रस्तत नही की गयी है।

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू की संख्या	अवधि जहाँ तक लेखे अन्तिमीकृत किये गये	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया थे	अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार अंश आवेदन राशि सहित प्रदत्त पूँजी	उस अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश, जिस अवधि में उनके लेखे बकाया थे				
						पूँजी	ऋण	अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)
ब	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
उप-योग-II ब(क)		0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
उप-योग-II ब(ख)		0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II ब का योग = II ब(क)+ II ब(ख)		0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स	सांविधिक निगम									
क	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू									
उप-योग-II स(क)		0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ख	ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त पीएसयू									
उप-योग-II स(क)		0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II स का योग = II स(क)+ II स(ख)		0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अकार्यरत पीएसयू का योग (योग- II)		3			250.99	31.91	3.29	0.00	0.00	35.20
ऊर्जा क्षेत्र का योग		1			16,545.77	2,035.05	0.00	0.00	0.00	2,035.05
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त का योग		37			4,810.82	1,432.02	1,187.47	3,542.47	413.51	6,575.47
महायोग (योग-I + योग- II)		38			21,356.59	3,467.07	1,187.47	3,542.47	413.51	8,610.52

परिशिष्ट-3.2
(प्रस्तर 3.5.1 में संदर्भित)
1 दिसम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2022 के दौरान अपने लेखे प्रस्तुत करने वाले पीएसयू की सूची को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष, जहाँ तक के लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	वर्ष जिसके लिए लेखाओं को प्रस्तुत किया गया
	अ. सरकारी कम्पनियाँ			
1.	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2020-21	1	2020-21
2.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	2020-21	1	2020-21
3.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2020-21	1	2020-21
4.	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2	2020-21 एवं 2021-22
5.	उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	2	2020-21 एवं 2021-22
6.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	2021-22	2	2020-21 एवं 2021-22
7.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	2021-22	2	2020-21 एवं 2021-22
8.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	2021-22	2	2020-21 एवं 2021-22
9.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	2021-22	2	2020-21 एवं 2021-22
10.	कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन की सहायक कम्पनी)	2021-22	2	2020-21 एवं 2021-22
11.	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2020-21	1	2020-21
12.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	1	2019-20
13.	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक कम्पनी)	2020-21	2	2019-20 एवं 2020-21
14.	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड (उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सहायक)	2020-21	1	2020-21
15.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17	1	2016-17
16.	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निर्गम लिमिटेड)	2019-20	2	2018-19 एवं 2019-20
17.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2016-17	1	2016-17
18.	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन निगम लिमिटेड)	2008-09	1	2008-2009
19.	उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड)	2021-22	1	2021-22
20.	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2021-22	1	2021-22
21.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेण्ट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2019-20	1	2019-20
22.	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	1	2011-12

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष, जहाँ तक के लेखाओं को अन्तिमीकृत किया गया	प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	वर्ष जिसके लिए लेखाओं को प्रस्तुत किया गया
23.	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2017-18	1	2017-18
24.	नन्दगंज-सिहोरी शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2017-18	1	2017-18
25.	घाटमपुर शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2017-18	1	2017-18
26.	छाता शुगर कम्पनी लिमिटेड (उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की सहायक)	2017-18	1	2017-18
27.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2020-21	1	2020-21
28.	उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17	1	2016-17
29.	प्रयागराज सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2019-20	2	2018-19 एवं 2019-20
30.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2019-20	1	2019-20
31.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम	2018-19	1	2018-19
32.	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	2021-22	1	2021-22
	ब. सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ			
1.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2021-22	2	2020-21 एवं 2021-22
2.	झाँसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	4	2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20
3.	कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18	2	2016-17 एवं 2017-18
4.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	1	2020-21
5.	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	1	2020-21
6.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2	2019-20 एवं 2020-21
7.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2	2019-20 एवं 2020-21
8.	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	1	2020-21
9.	अल्मोड़ा मैग्नेसाईट लिमिटेड	2020-21	1	2020-21
	स. सांविधिक निगम			
1.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	2019-20	1	2019-20
2.	उत्तर प्रदेश वन निगम	2020-21	1	2020-21
3.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2020-21	1	2020-21

परिशिष्ट-3.3
(प्रस्तर 3.5.1 एवं 3.5.4 में संदर्भित)
1 दिसम्बर 2021 से 30 सितम्बर 2022 के दौरान जहाँ सीएजी द्वारा टिप्पणियाँ निर्गत की गई, उन पीएसयू की सूची को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	कम्पनियों/निगमों के नाम	वर्ष जिसके लिए टिप्पणी निर्गत की गयी
	अ. सरकारी कम्पनियाँ	
1.	जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2019-20 एवं 2020-21
2.	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
3.	उत्तर प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21
4.	मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
5.	पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
6.	दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
7.	पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19
8.	यूसीएम कोल कम्पनी लिमिटेड	2019-20 एवं 2020-21
9.	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2017-18
10.	उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19
11.	श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड	2019-20
12.	अपट्रॉन पॉवरट्रॉनिक्स लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
13.	उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19
14.	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2016-17
15.	उत्तर प्रदेश स्टेट कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड)	2018-19
16.	उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प एवं विपणन विकास निगम लिमिटेड (पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन निगम लिमिटेड)	2008-09
17.	नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21 एवं 2021-22
18.	उत्तर प्रदेश स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11 एवं 2011-12
19.	उत्तर प्रदेश स्टेट टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19 एवं 2019-20
20.	उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड	2016-17
22.	उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड लिमिटेड	2017-18
23.	दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ यूपी लिमिटेड	2019-20
24.	उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड	2019-20 एवं 2020-21
25.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15
26.	उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड	2019-20
27.	उत्तर प्रदेश पॉल्टरी एवं लाइवस्टॉक स्पेशलिटीज़ लिमिटेड	2013-14
28.	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कम्पनी लिमिटेड	2020-21
29.	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड	2018-19
30.	उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन परिषद	2020-21
31.	उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम	2017-18
32.	उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम	2016-17 एवं 2017-18
	ब. सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	
1.	आगरा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20
2.	अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20
3.	प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18, 2018-19 एवं 2019-20

क्र. सं.	कम्पनियों/निगमों के नाम	वर्ष जिसके लिए टिप्पणी निर्गत की गयी
4.	वाराणसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21
5.	बरेली स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20
6.	मुरादाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20
7.	सहारनपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19, 2019-20 एवं 2020-21
8.	नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एनआईएएल)	2018-19 एवं 2019-20
9.	डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीयल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	2020-21
10.	अल्मोड़ा मैग्नेसाईट लिमिटेड	2020-21
	स. सांविधिक निगम	
1.	उत्तर प्रदेश वन निगम	2019-20 एवं 2020-21
2.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	2018-19 एवं 2019-20

परिशिष्ट-4.1
(प्रस्तर 4.1.9.1 में संदर्भित)
भूमि के हस्तान्तरण में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	उपकेन्द्र का नाम	प्रदान किये जाने की तिथि	भूमि हस्तान्तरण की तिथि	भूमि हस्तान्तरण में विलम्ब (माह में)	भूमि हस्तान्तरण में विलम्ब के कारण
1	132 केवी एसएस बघरा, मुजफ्फरनगर	28-जुलाई-18	13-दिसम्बर-18	4	किसानों से भूमि विवाद के कारण यूपीपीटीसीएल द्वारा भूमि का सीमांकन विलम्ब से किया गया।
2	132 केवी एसएस इटियाथोक, गोंडा	13-दिसम्बर-18	20-जून-19	6	पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से एनओसी मिलने में विलम्ब के कारण।
3	132 केवी जीआईएस एसएस करेली, प्रयागराज	24-जुलाई-19	14-नवम्बर-19	3	मौजूदा ढाँचे को तोड़ने में विलम्ब एवं 11 केवी लाइनों की शिफ्टिंग में विलम्ब के कारण।
4	132 केवी एसएस मीरगंज, बरेली	23-सितम्बर-19	13-दिसम्बर-19	2	भूमि के लिए कच्चे सम्पर्क मार्ग के सुदृढ़ीकरण में विलम्ब के कारण।
5	132 केवी एसएस कैसरगंज, बहराइच	23-सितम्बर-19	18-जनवरी-20	3	स्विच गियर, स्विच यार्ड लाइन एवं डिस्कॉम के आवासीय भवनों की शिफ्टिंग में विलम्ब के कारण।
6	220 केवी एसएस किदवईनगर, कानपुर	27-मई-19	27-जुलाई-19	2	प्रस्तावित भूमि पर 45 वृक्षों की कटाई के लिए वन विभाग से एनओसी मिलने में विलम्ब के कारण।
7	220 केवी एसएस टूण्डला	18-सितम्बर-19	20-जनवरी-20	4	भूमि विवाद के कारण।
8	220 केवी एसएस फरूखाबाद	10-जून-20	24-अगस्त-20	2	सम्पर्क मार्ग पर पुलिया के निर्माण में विलम्ब के कारण।
9	400 केवी एसएस मछलीशहर, जौनपुर	5-सितम्बर-16	21-अक्टूबर-19	38	हस्तान्तरण के समय, चयनित भूमि दो बार अनुपयुक्त पायी गयी। पेड़ों को हटाने के लिए वन विभाग की रोक और भूमि पर कुछ अदालती प्रकरणों के कारण पहली भूमि, नहीं सौंपी जा सकी। रेलवे द्वारा प्रस्तावित स्थल पर अंडरपास के निर्माण के लिए भारी विद्युत उपकरणों की आवाजाही पर प्रतिबंध के कारण दूसरी भूमि, अनुपयुक्त पायी गयी।
	भूमि हस्तान्तरित करने में विलम्ब की सीमा			**2 से 38 माह**	

स्रोत:कम्पनी द्वारा दी गयी सूचना

परिशिष्ट-4.2

(प्रस्तर 4.1.9.2 में संदर्भित)

विभिन्न प्राधिकरणों को एनओसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	पारेषण लाइन का नाम	प्रदान किये जाने/ आवंटन की तिथि	कम्पनी के एसओपी के अनुसार अनुमन्य 12 सप्ताह के पश्चात् एनओसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की देय तिथि	प्राधिकरण का नाम जिनसे एनओसी ली जानी थी	एनओसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	देय तिथि से आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब (माह में)
1	220 केवी एससी लाइन जौनपुर-गज़ोखर की लीलो	17-12-2019	10-03-2020	एनएचएआई	07-09-2020	6
2	220 केवी डीसी लाइन आज़मगढ़-भदोही के एक सर्केट की लीलो	17-12-2019	10-03-2020	एनएचएआई	07-09-2020	6
				रेलवे	24-08-2020	6
				पीजीसीआईएल	29-10-2020	8
3	132 केवी एससी लाइन मछलीशहर जौनपुर-बादलापुर	17-12-2019	10-03-2020	एनएचएआई	26-08-2020	6
				रेलवे	24-08-2020	6
4	132 केवी मछलीशहर जौनपुर-साहगंज 132 केवी डीसी लाइन	17-12-2019	10-03-2020	एनएचएआई	26-08-2020	6
				रेलवे	24-08-2020	6
5	220 केवी पनकी-भौती पीजीसीआईएल लाइन की लीलो लाइन	24-05-2021	16-08-2021	पीडब्ल्यूडी	02-12-2021	4
6	132 केवी बुधना-खरद लाइन शामली (400) की लीलो-16 किलोमीटर	18-01-2020	11-04-2020	एनएचएआई	01-10-2020	6
				पीजीसीआईएल (क्रॉसिंग-1)	19-06-2020	2
				पीजीसीआईएल (क्रॉसिंग-2)	19-06-2020	2
7	132 केवी कनियान-शामली (400) एससी लाइन -26 किलोमीटर	01-02-2020	25-04-2020	एनएचएआई	01-10-2020	5
				पीजीसीआईएल (क्रॉसिंग-1)	06-08-2020	3
				पीजीसीआईएल (क्रॉसिंग-2)	06-08-2020	3
				पीजीसीआईएल (क्रॉसिंग-3)	19-06-2020	2
8	220 केवी एसएस वृन्दावन पर 132 केवी सोंख रोड-मथुरा-II लाइन की लीलो	17-12-2019	10-03-2020	रेलवे	17-07-2020	4
				एनएचएआई	21-07-2020	4
9	मेट्रो डिपो से इकोटेक-8 लाइन तक 132 केवी मल्टी सर्किट मोनोपेल	10-06-2022	02-09-2022	एनएचएआई	आवेदन करना शेष है	4 (दिसम्बर 2022 तक)
				जीनीडा	06-10-2022	1

क्र. सं.	पारेषण लाइन का नाम	प्रदान किये जाने/ आवंटन की तिथि	कम्पनी के एसओपी के अनुसार अनुमन्य 12 सप्ताह के पश्चात् एनओसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की देय तिथि	प्राधिकरण का नाम जिनसे एनओसी ली जानी थी	एनओसी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	देय तिथि से आवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब (माह में)
10	132 केवी टूण्डला-बड़हन लाइन की लीलो	30-01-2020	23-04-2020	गेल	24-12-2020	8
				रेलवे	31-12-2020	8
				पीजीसीआईएल	14-01-2021	9
11	132 केवी रीवा रोड (220) ओपीएच जीआईएस लाइन यूसी और आवेरहेड की लीलो	14-10-2020	06-01-2021	आईओसीएल	16-08-2021	7
12	132 केवी फतेहगढ़-कायमगंज लाइन की लीलो	15-02-2021	10-05-2021	रेलवे	24-06-2021	2

स्रोत:कम्पनी द्वारा दी गयी सूचना

परिशिष्ट-4.3

(प्रस्तर 4.1.11.5 में संदर्भित)

परफॉरमेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) की कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रदान करने की तिथि	निविदा मूल्य	प्रदान किये गये अनुबन्ध का मूल्य	निविदा मूल्य से कम पर किया गया अनुबंध (प्रतिशत में)	उ.प्र. सरकार के आदेश के अनुसार देय पीबीजी	ठेकेदार द्वारा जमा की गयी पीबीजी	पीबीजी की कम वसूली	कार्य की समाप्ति की वास्तविक तिथि	जमा की गयी पीबीजी की वैधता
1	2	3	4	5	6	7 = (5*6)/100	8	9 = (7-8)	10	11
1	132/33 केवी उपकेन्द्र कैराना	29-05-2019	13.08	10.01	23.47	2.35	0.85	1.45	कार्य प्रगति पर	24-07-2023
2	220/132/33 केवी उपकेन्द्र वृंदावन	14-12-2018	34.87	24.40	30.03	7.33	2.44	4.89	22-08-2022	22-08-2023
3	220/33 केवी जीआईएस उपकेन्द्र किदवई नगर	27-05-2019	59.44	37.76	36.47	13.97	3.78	10.19	30-09-2022	30-09-2023
योग								**16.53**		

स्रोत: कम्पनी द्वारा दी गयी सूचना

परिशिष्ट- 4.4

(प्रस्तर 4.1.11.6 में संदर्भित)

बिलों से रॉयल्टी काटे बिना ठेकेदारों को किये गये भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सिविल कार्य का विवरण	फर्म का नाम	आरसीसी कार्य 1:1:2 (घनमीटर में)	आरसीसी कार्य 1:1.5:3 (घनमीटर में)	कंक्रीटिंग 1:4:8 मिक्स (घनमीटर में)	कंक्रीटिंग 1:6:12 मिक्स (घनमीटर में)	प्रथम श्रेणी ब्रिक कार्य 1:6 मिक्स (घनमीटर में)	प्रथम श्रेणी ब्रिक कार्य 1:4 मिक्स (घनमीटर में)	कॉलम 5 से 10 के मिक्स में प्रयुक्त कुल मोटी रेत* (घनमीटर में)	कॉलम 5 से 8 के मिक्स में प्रयुक्त कुल पत्थर गिट्टी** (घनमीटर में)	मोटी रेत के लिये ₹ 150 प्रति घन मीटर एवं पत्थर गिट्टी के लिये ₹ 160 प्रति घन मीटर की दर से काटी जाने योग्य रॉयल्टी की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11x150) + (12x160)
1	400/220 केवी उपकेन्द्र भौखरी बस्ती	वेल फाउंडेशन का निर्माण	मैसर्स अमित कंस्ट्रकशन कम्पनी (आर 6 एवं आर 7)	510.24	13028.42	0	0	0	0	5936.60	11482.35	2727666.00
		वेल फाउंडेशन का निर्माण	मैसर्स टेक्निकल कंस्ट्रकशन कम्पनी (आर 1 एवं आर 8)	510.24	13927.64	0	0	0	0	6332.26	12246.69	2909309.40
		वेल फाउंडेशन का निर्माण	मैसर्स टीआरजी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (आर 4 एवं आर 5)	510.24	12910.75	0	0	0	0	5884.83	11382.33	2703897.30
		वेल फाउंडेशन का निर्माण	मैसर्स कृष्णा एसोसियेट्स (आर 2 एवं आर 3)	510.24	14658.73	0	0	0	0	6653.94	12868.11	3056988.60
		सुरक्षा दीवार, हट का निर्माण एवं अन्य सिविल कार्य	मैसर्स यति इंटरप्राइजेज	0	872.19	0	176.06	0	0	468.27	908.62	215619.70
		उपकेन्द्र का निर्माण (सिविल भाग)	मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	0	8556.09	1582.16	0	957.35	823.16	5052.32	8775.73	2161964.80##

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सिविल कार्य का विवरण	फर्म का नाम	आरसीसी कार्य 1:1:2 (घनमीटर में)	आरसीसी कार्य 1:1.5:3 (घनमीटर में)	कंक्रीटिंग 1:4:8 मिक्स (घनमीटर में)	कंक्रीटिंग 1:6:12 मिक्स (घनमीटर में)	प्रथम श्रेणी ब्रिक कार्य 1:6 मिक्स (घनमीटर में)	प्रथम श्रेणी ब्रिक कार्य 1:4 मिक्स (घनमीटर में)	कॉलम 5 से 10 के मिक्स में प्रयुक्त कुल मोटी रेत* (घनमीटर में)	कॉलम 5 से 8 के मिक्स में प्रयुक्त कुल पत्थर गिट्टी** (घनमीटर में)	मोटी रेत के लिये ₹ 150 प्रति घन मीटर एवं पत्थर गिट्टी के लिये ₹ 160 प्रति घन मीटर की दर से काटी जाने योग्य रॉयल्टी की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11x150) + (12x160)
2	132/33 केवी जीआईएस उपकेन्द्र करेली, प्रयागराज	उपकेन्द्र का निर्माण (सिविल भाग)	मैसर्स आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	0	1379.29	0	0	0	0	606.89	1172.40	278617.50
		सुरक्षा दीवार, सुरक्षा फाटक का निर्माण एवं अन्य सिविल कार्य	मैसर्स कमलेश एसोसियेट्स	0	101.39	17.40	43.52	0	233.35	137.38	144.06	43656.60
3	220/132/33 केवी उपकेन्द्र फरुख्खाबाद का निर्माण	उपकेन्द्र का निर्माण (सिविल भाग)	मैसर्स मंगल इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज	0	2124.88	1729.71	163.83	172.2	1396.67	2319.33	3605.01	924701.10
		सुरक्षा दीवार, सुरक्षा फाटक का निर्माण एवं अन्य सिविल कार्य	मैसर्स कृष्णा एसोसियेट्स	0	670.87	0	0	533.19	497.33	573.42	570.24	177251.40
4	132/33 केवी मीरगंज बरेली उपकेन्द्र	उपकेन्द्र का निर्माण (सिविल भाग)	मैसर्स मदन कॉन्ट्रैक्टर्स	0	1413.13	179.16	256.07	214.19	728.12	1090.49	1614.63	421914.30
		सम्पर्क मार्ग का निर्माण	मैसर्स अजय कंस्ट्रक्शन, बरेली	0	14.91	74.78	15.19	0	114.4	82.88	98.15	28136.00
5	220/132 केवी वृन्दावन, मथुरा उपकेन्द्र	उपकेन्द्र का निर्माण (सिविल भाग)	मैसर्स एसएजी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	0	2467.59	0	1439.14	536.84	2287.9	2539.21	3464.63	935222.30
		सुरक्षा दीवार, सुरक्षा हट का निर्माण एवं अन्य सिविल कार्य	मैसर्स कुनाल एण्ड कम्पनी	0	750.85	0	0	424.09	0	444.88	638.22	168847.20

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सिविल कार्य का विवरण	फर्म का नाम	आरसीसी कार्य 1:1:2 (घनमीटर में)	आरसीसी कार्य 1:1.5:3 (घनमीटर में)	कंक्रीटिंग 1:4:8 मिक्स (घनमीटर में)	कंक्रीटिंग 1:6:12 मिक्स (घनमीटर में)	प्रथम श्रेणी ब्रिक कार्य 1:6 मिक्स (घनमीटर में)	प्रथम श्रेणी ब्रिक कार्य 1:4 मिक्स (घनमीटर में)	कॉलम 5 से 10 के मिक्स में प्रयुक्त कुल मोटी रेत* (घनमीटर में)	कॉलम 5 से 8 के मिक्स में प्रयुक्त कुल पत्थर गिट्टी** (घनमीटर में)	मोटी रेत के लिये ₹ 150 प्रति घन मीटर एवं पत्थर गिट्टी के लिये ₹ 160 प्रति घन मीटर की दर से काटी जाने योग्य रॉयल्टी की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11x150) + (12x160)
6	उपकेन्द्र छाता की क्षमता वृद्धि	क्षमता वृद्धि के सिविल कार्य	मैसर्स राहुल अग्रवाल	0	343.96	0	253.79	0	0	273.16	533.47	126329.20
7	400/220/132 केवी शामली उपकेन्द्र	उपकेन्द्र का निर्माण (सिविल भाग)	मैसर्स भेल	0	11311.21	3415.85	1134.41	2152.04	279.77	7920.12	13937.28	3417982.80
		सुरक्षा दीवार, सुरक्षा हट का निर्माण एवं अन्य सिविल कार्य	मैसर्स कृष्णा एसोसियेट्स	0	820.76	0	99.99	781.183	0	620.05	792.64	219829.90
8	132/33 केवी कैराना, शामली उपकेन्द्र	उपकेन्द्र का निर्माण (सिविल भाग)	मैसर्स लक्ष्मी ट्रांसफार्मर एण्ड इलेक्ट्रिकल	0	966.29	14.02	412.93	161.29	664.11	853.38	1226.95	324319.00
		सुरक्षा दीवार, सुरक्षा हट का निर्माण एवं अन्य सिविल कार्य (भाग-1)	मैसर्स श्वेता चौधरी	0	241.29	0	27.71	211.48	0	176.57	231.42	63512.70
		सुरक्षा दीवार का निर्माण एवं अन्य सिविल कार्य (भाग-2)	मैसर्स राज इन्फ्रास्ट्रक्चर्स	0	260.73	0	28.28	251.51	0	196.20	248.49	69188.40
9	132/33 केवी बघरा, मुजफ्फरनगर	उपकेन्द्र का निर्माण (सिविल भाग)	मैसर्स गुप्ता इंडस्ट्रीज	0	815.54	21.81	745.97	260.719	748.45	1000.50	1422.60	377691.00
		सुरक्षा दीवार का निर्माण एवं अन्य सिविल कार्य	मैसर्स राजेन्द्र प्रसाद एण्ड संस	0	265.39	0	0	348.08	29.85	218.81	225.58	68914.30

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सिविल कार्य का विवरण	फर्म का नाम	आरसीसी कार्य 1:1:2 (घनमीटर में)	आरसीसी कार्य 1:1.5:3 (घनमीटर में)	कंक्रीटिंग 1:4:8 मिक्स (घनमीटर में)	कंक्रीटिंग 1:6:12 मिक्स (घनमीटर में)	प्रथम श्रेणी ब्रिक कार्य 1:6 मिक्स (घनमीटर में)	प्रथम श्रेणी ब्रिक कार्य 1:4 मिक्स (घनमीटर में)	कॉलम 5 से 10 के मिक्स में प्रयुक्त कुल मोटी रेत* (घनमीटर में)	कॉलम 5 से 8 के मिक्स में प्रयुक्त कुल पत्थर गिट्टी** (घनमीटर में)	मोटी रेत के लिये ₹ 150 प्रति घन मीटर एवं पत्थर गिट्टी के लिये ₹ 160 प्रति घन मीटर की दर से काटी जाने योग्य रॉयल्टी की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11x150) + (12x160)
10	132/33 केवी उपकेन्द्र तिलोई	आवासीय भवनों का निर्माण	मैसर्स जेएमडी इन्फ्रास्ट्रक्चर	0	57.29	0	0	309.95	27.65	116.36	48.70	25246.00##
		रिटेनिंग वाल का निर्माण	मैसर्स जेएमडी इन्फ्रास्ट्रक्चर	0	174.88	0	0	31.80	0	85.53	148.65	36613.50##
		सुरक्षा दीवार का निर्माण	मैसर्स दिव्यांश कंस्ट्रक्शन एण्ड डिव. प्राइवेट लिमिटेड	0	144.21	0	0	487.49	0	195.07	122.58	48873.30
		सम्पर्क मार्ग का निर्माण	मैसर्स वर्मा इंटरप्राइजेज	0	13.54	0	0	67.50	0.05	24.20	11.51	5471.60
11	132/33 केवी उपकेन्द्र एफसीआई-II गोरखपुर	केन्द्रीय कक्ष भवन का निर्माण	मैसर्स कामाख्या एसोसिएट्स	0	192.01	0	0	195.18	84.25	159.93	163.21	50103.10
		स्विचयार्ड का निर्माण एवं सम्बंधित कार्य	मैसर्स प्रोफिसिएन्ट वर्किंग जोन	0	1249.68	188.78	158.81	0	343.8	815.19	1392.44	345068.90
		चैन लिंक फैंसिंग का निर्माण	मैसर्स यति श्री इंटरप्राइजेज	0	75.31	0	71.88	6.29	200.16	123.38	132.30	39675.00
12	220/33 केवी उपकेन्द्र किदवई नगर	बाउंड्री वाल एवं उपकेन्द्र (सिविल भाग) का निर्माण	मैसर्स रिलाएंस इलेक्ट्रिक वर्क्स	0	1427.24	0	0	575.26	264.72	854.78	1213.15	322321.00
		कार्यालय का निर्माण एवं अन्य सम्बंधित सिविल कार्य	मैसर्स माँ वैष्णव इन्फ्रा कॉन्ट्रैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	0	434.94	0	0	508	40.28	339.41	369.70	110063.50##

क्र. सं.	परियोजना का नाम	सिविल कार्य का विवरण	फर्म का नाम	आरसीसी कार्य 1:1:2 (घनमीटर में)	आरसीसी कार्य 1:1.5:3 (घनमीटर में)	कंक्रीटिंग 1:4:8 मिक्स (घनमीटर में)	कंक्रीटिंग 1:6:12 मिक्स (घनमीटर में)	प्रथम श्रेणी ब्रिक कार्य 1:6 मिक्स (घनमीटर में)	प्रथम श्रेणी ब्रिक कार्य 1:4 मिक्स (घनमीटर में)	कॉलम 5 से 10 के मिक्स में प्रयुक्त कुल मोटी रेत* (घनमीटर में)	कॉलम 5 से 8 के मिक्स में प्रयुक्त कुल पत्थर गिट्टी** (घनमीटर में)	मोटी रेत के लिये ₹ 150 प्रति घन मीटर एवं पत्थर गिट्टी के लिये ₹ 160 प्रति घन मीटर की दर से काटी जाने योग्य रॉयल्टी की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(11x150) + (12x160)
13	400 केवी उपकेन्द्र मसौली का सुदृढ़ीकरण	फाउंडेशन एवं प्लिन्थ का निर्माण	मैसर्स कमलेश कुमार	0	234.94	0	0	0	92.9	128.46	199.70	51221.00
योग				**2040.96**	**91905.94**	**7223.67**	**5027.58**	**9185.63**	**8856.92**	**52223.80**	**91391.54**	**22456216.40**
##घटाया: लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद क्र. सं. 1, 10 और 12 पर पर दर्शाए चार कार्यों में ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराये गये इएमएम-11 का मूल्य												2333887.80
योग												**20122328.60**

स्रोत: कम्पनी द्वारा दी गयी सूचना

***कुल मोटी रेत (कॉलम 5 से 10 में दर्शाये गये मिक्स में प्रयुक्त) की मात्रा की गणना 1:1:2 (कॉलम-5), 1:1.5:3 (कॉलम-6), 1:4:8 (कॉलम-7), 1:6:12 (कॉलम-8), 1:6 (कॉलम-9) एवं 1:4 (कॉलम-10) के लिये क्रमशः 0.40, 0.44, 0.51, 0.48, 0.27 एवं 0.27 प्रति घनमीटर की दर से की गयी है।**

****पत्थर गिट्टी (कॉलम 5 से 8 में दर्शाये गये मिक्स में प्रयुक्त) की मात्रा की गणना 1:1:2, 1:1.5:3, 1:4:8 एवं 1:6:12 के लिये क्रमशः 0.80, 0.85, 0.95 एवं 0.95 प्रति घनमीटर की दर से की गयी है।**

परिशिष्ट-4.5
(प्रस्तर 4.1.11.7 में संदर्भित)
ठेकेदारों के बिलों से कम/नहीं काटे गये परिसमापन हर्जाने को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	फर्म का नाम	खण्ड का नाम	अनुबंध मूल्य	आशय पत्र के अनुसार निर्धारित पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	पूर्ण होने में विलम्ब (सप्ताह में)	ठेकेदार के स्तर पर विलम्ब (सप्ताह में)[17]	बिलों से कटौती योग्य परिसमापन हर्जाना (₹ करोड़ में)	काटा गया वास्तविक परिसमापन हर्जाना (₹ करोड़ में)	कम/नहीं काटा गया परिसमापन हर्जाना (₹ करोड़ में)
अ : उपकेन्द्र											
1	400 केवी उपकेन्द्र मछलीशहर, जौनपुर	मैसर्स जेपडेक इन्फ्राटेक लिमिटेड	वि.पा.खं.-II, जौनपुर	130.99	20-अक्टूबर-21	06-दिसम्बर-22	59	33	13.10	0	13.1
2	400 केवी उपकेन्द्र भौखरी, बस्ती	मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	वि.पा.खं.-I, बस्ती	168.56	09-अप्रैल-20	17-मार्च-21	49	36	16.86	0.53	16.33
3	400 केवी जीआइएस उपकेन्द्र शामली	मैसर्स भेल	वि.पा.खं., शामली	157.99	11-जनवरी-21	26-जनवरी-22	54	28	15.80	0	15.8
4	220/132/33 केवी उपकेन्द्र फर्रुखाबाद	मैसर्स मंगल इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड	वि.पा.खं.,फतेहगढ़	19.35	23-फरवरी-22	02-अगस्त-22	21	8	0.77	0.60	0.17
5	220/132/33 केवी उपकेन्द्र गोला, लखीमपुर	मैसर्स स्तम्भ पॉवर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	वि.पा.खं., लखीमपुर	21.16	29-मार्च-21	31-अगस्त-21	22	9	0.95	0	0.95
6	220 केवी उपकेन्द्र किदवई नगर, कानपुर	मैसर्स रिलायंस इलेक्ट्रिक वर्क्स	220 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड, पनकी	31.99	26-जनवरी-21	30-सितम्बर-22	87	74	3.2	0.66	2.54
7	132 केवी उपकेन्द्र कैराना, शामली	मैसर्स लक्ष्मी ट्रांसफार्मर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स	वि.पा.खं., शामली	8.49	16-जून-20	13-दिसम्बर-20	26	13	0.55	0	0.55
8	132 केवी उपकेन्द्र तिलोई, अमेठी	मैसर्स लक्ष्मी ट्रांसफार्मर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स	वि.पा.खं., सुल्तानपुर	9.13	26-सितम्बर-20	16-मार्च-21	24	11	0.50	0.06	0.44
9	132 केवी उपकेन्द्र इटियाथोक, गोंडा	मैसर्स सुमाजा इलेक्टो इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	वि.पा.खं., गोंडा	8.76	19-जून-20	30-जनवरी-21	32	19	0.83	0	0.83

[17] कोरोना महामारी हेतु दिए गए समय-विस्तार, यूपीपीटीसीएल द्वारा दिये गये समय-विस्तार और कम्पनी द्वारा एनओसी प्राप्त करने में लगे समय पर विचार करने के उपरांत।

क्र. सं.	परियोजना का नाम	फर्म का नाम	खण्ड का नाम	अनुबंध मूल्य	आशय पत्र के अनुसार निर्धारित पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	पूर्ण होने में विलम्ब (सप्ताह में)	ठेकेदार के स्तर पर विलम्ब (सप्ताह में)[17]	बिलों से कटौती योग्य परिसमापन हर्जाना (₹ करोड़ में)	काटा गया वास्तविक परिसमापन हर्जाना (₹ करोड़ में)	कम/नहीं काटा गया परिसमापन हर्जाना (₹ करोड़ में)
10	132/33 केवी जीआइएस उपकेन्द्र करेली, प्रयागराज	मैसर्स आर. एस. इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	वि.पा.खं.-II, प्रयागराज	20.49	13-नवम्बर-20	28-जुलाई-22	89	76	2.05	0.75	1.3
योग (अ)									**54.61**	**2.60**	**52.01**
ब. पारेषण लाइनें											
11	बहराइच (220) - कैसरगंज (132) 132 केवी डीसी (जेब्रा) लाइन -35 कि.मी.	मैसर्स आर. एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	अ.अ., वि.पा.खं., बहराइच	9.4	27-सितम्बर-20	04-मार्च-21	22	9	0.42	0.03	0.39
12	कर्नैलगंज (गोंडा) - कैसरगंज (बहराइच) 132 केवी डीसी (जेब्रा) लाइन - 25 कि.मी.	मैसर्स आर. एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	अ.अ., वि.पा.खं., बहराइच	6.71	25-जून-20	13-अप्रैल-21	41	28	0.67	0	0.67
13	निबकरोरी- मैनपुरी (पीजीसीआईएल) 220 के.वी. लाइन का लीलो	मैसर्स आर. एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	अ.अ., वि.पा.खं., फतेहगढ़	5.78	16-दिसम्बर-20	03-अगस्त-22	85	72	0.58	0.02	0.56
14	फतेहगढ़-कायमगंज लाइन का 220 केवी उपकेन्द्र फर्रुखाबाद पर लीलो	मैसर्स आर. एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	अ.अ., वि.पा.खं., फतेहगढ़	4.08	14-अक्टूबर-21	02-अगस्त-22	42	9	0.18	0.01	0.17
15	बुधना- खरद 132 केवी लाइन का शामली पर लीलो	मैसर्स नवदुर्गा इलेक्ट्रो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	अ.अ., वि.पा.खं., शामली	3.44	17-सितम्बर-20	09-जुलाई-21	42	10	0.17	0	0.17
16	कनियान-शामली (400) 132 के.वी. लाइन	मैसर्स नवदुर्गा इलेक्ट्रो कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	अ.अ., वि.पा.खं., शामली	5.16	17-सितम्बर-20	04-सितम्बर-21	50	18	0.46	0	0.46
17	132 केवी अमावां-जगदीशपुर लीलो लाइन	मैसर्स मान स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड	वि.पा.खं, सुल्तानपुर	3.86	29-सितम्बर-20	16-मार्च-21	24	11	0.21	0.05	0.16
18	132 केवी गोला-बन्डा लीलो लाइन	मैसर्स यूनिटेक पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड	वि.पा.खं., लखीमपुर	3.01	31-अगस्त-19	05-फरवरी-22	127	114	0.30	0.03	0.27

क्र. सं.	परियोजना का नाम	फर्म का नाम	खण्ड का नाम	अनुबंध मूल्य	आशय पत्र के अनुसार निर्धारित पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	पूर्ण होने में विलम्ब (सप्ताह में)	ठेकेदार के स्तर पर विलम्ब (सप्ताह में)[17]	बिलों से कटौती योग्य परिसमापन हर्जाना (₹ करोड़ में)	काटा गया वास्तविक परिसमापन हर्जाना (₹ करोड़ में)	कम/नहीं काटा गया परिसमापन हर्जाना (₹ करोड़ में)
19	132 केवी शाहजहाँपुर-गोला लाइन का 220 केवी गोला उपकेन्द्र पर लीलो	मैसर्स यूनिटेक पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड	वि.पा.खं., लखीमपुर	4.01	31-अगस्त-19	31-अगस्त-21	105	92	0.40	0.02	0.38
20	132 केवी हाटा- एफसीआई-II डीसी लाइन-1	मैसर्स आर. एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	वि.पा.खं.-I, गोरखपुर	10.74	03-जून-20	18-अप्रैल-22	98	50	1.07	0.25	0.82
21	पनकी-भौति पीजी लाइन का 220 केवी उपकेन्द्र किदवईनगर, कानपुर पर लीलो	मैसर्स एल. एस. केबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	220 के.वी. उपकेन्द्र खण्ड, पनकी	29.1	23-नवम्बर-21	28-सितम्बर-22	44	5	0.73	0.12	0.61
22	सोनिक- चकलवंशी द्वितीय सर्किट लाइन	मैसर्स यूनिटेक पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड	वि.पा.खं., उन्नाव	4.66	30-अप्रैल-19	31-जनवरी-20	40	27	0.47	0	0.47
23	सोनिक- चकलवंशी लाइन के द्वितीय सर्किट का स्ट्रिंगिंग	मैसर्स गायत्री गंगा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	वि.पा.खं., उन्नाव	0.32	27-मई-19	30-जनवरी-20	35	22	0.03	0	0.03
24	गोरखपुर (पीजी)- लखनऊ (पीजी) 400 केवी लाइन के तृतीय एवम् चतुर्थ सर्किट का लीलो	मैसर्स आर. एस. इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	वि.पा.खं.-I, बस्ती	51.67	16-सितम्बर-19	31-जुलाई-21	98	98	5.17	0	5.17
25	आगरा-फ़िरोज़ाबाद लाइन का लीलो एवं 132 केवी बरहन-टूण्डला लाइन का लीलो	मैसर्स मान स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड	वि.पा.खं., फ़िरोज़ाबाद	0.55	29-अक्टूबर-20	17-दिसम्बर-21	59	38	0.05	0.01	0.04
26	132 केवी रीवा रोड (220) ओपीएच जीआईएस भूमिगत लाइन का लीलो	मैसर्स स्टरलाईट पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड	वि.पा.खं.-II, प्रयागराज	3.69	13-जुलाई-21	15-सितम्बर-22	61	41	0.37	0.15	0.22
27	132 केवी रीवा रोड (220) ओवरहेड लाइन का जीआईएस करेली लाइन पर लीलो	मैसर्स मार्क विजन लिमिटेड	वि.पा.खं.-II, प्रयागराज	0.98	08-जून-21	27-जुलाई-22	59	39	0.1	0	0.1

क्र. सं.	परियोजना का नाम	फर्म का नाम	खण्ड का नाम	अनुबंध मूल्य	आशय पत्र के अनुसार निर्धारित पूर्णता तिथि	वास्तविक पूर्णता तिथि	पूर्ण होने में विलम्ब (सप्ताह में)	ठेकेदार के स्तर पर विलम्ब (सप्ताह में)[17]	बिलों से कटौती योग्य परिसमापन हर्जाना (₹ करोड़ में)	काटा गया वास्तविक परिसमापन हर्जाना (₹ करोड़ में)	कम/नहीं काटा गया परिसमापन हर्जाना (₹ करोड़ में)
28	132 केवी डीसी बलरामपुर-इटियाथोक लाइन	मैसर्स यूनिटेक पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड	वि.पा.खं., गोंडा	5.93	30-अप्रैल-19	06-फरवरी-22	144	129	0.59	0.32	0.27
29	132 केवी सोंख रोड - मथुरा-II लाइन का 220 केवी वृन्दावन पर लीलो	मैसर्स मान स्ट्रक्चरल प्राइवेट लिमिटेड	वि.पा.खं., मथुरा	5.41	03-अगस्त-20	25-अगस्त-22	107	24	0.54	0.12	0.42
योग (ब)									**12.51**	**1.13**	**11.38**
योग (अ+ब)									**67.12**	**3.73**	**63.39**

स्रोत:कम्पनी द्वारा दी गयी सूचना

परिशिष्ट-4.6
(प्रस्तर 4.2 में संदर्भित)
जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड से विद्युत शुल्क वसूल नहीं किये जाने के कारण राजकोष को हुई हानि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ धनराशि में)

क्र.सं.	माह	डिमांड चार्ज	एनर्जी चार्ज	कुल	विद्युत शुल्क
1	2	3	4	5 = (3+4)	6=(5 x 7.5%)
1	जून-19	9000000	4816245	13816245	1036218
2	जुलाई-19	9000000	5112485	14112485	1058436
3	अगस्त-19	9000000	5582605	14582605	1093695
4	सितम्बर-19	9000000	4037005	13037005	977775
5	अक्टूबर-19	9000000	4446230	13446230	1008467
6	नवम्बर-19	9000000	3553916	12553916	941544
7	दिसम्बर-19	9000000	3859196	12859196	964440
8	जनवरी-20	9000000	3967740	12967740	972581
9	फरवरी-20	9000000	3764220	12764220	957317
10	मार्च-20	9000000	3391100	12391100	929333
11	अप्रैल/मई-20	18000000	6456568	24456568	1834243
12	जून-20	9000000	3750652	12750652	956299
13	जुलाई-20	9000000	3336828	12336828	925262
14	अगस्त-20	9000000	3737084	12737084	955281
15	सितम्बर-20	9000000	3689596	12689596	951720
16	अक्टूबर-20	9000000	3669244	12669244	950193
17	नवम्बर-20	9000000	3560700	12560700	942053
18	दिसम्बर-21	9000000	3513212	12513212	938491
19	जनवरी-21	9000000	3391100	12391100	929333
20	फरवरी-21	9000000	3350396	12350396	926280
21	मार्च-21	9000000	2916220	11916220	893717
22	अप्रैल-21	9000000	3391100	12391100	929333
23	मई-21	9000000	3458940	12458940	934421
24	जून-21	9000000	3458940	12458940	934421
25	जुलाई-21	9000000	3594620	12594620	944597
26	अगस्त-21	9000000	3933820	12933820	970037
27	सितम्बर-21	9000000	3865980	12865980	964949
28	अक्टूबर-21	9000000	4476540	13476540	1010741
29	नवम्बर-21	9000000	3594620	12594620	944597
30	दिसम्बर-21	9000000	2916220	11916220	893717
31	जनवरी-22	9000000	3391100	12391100	929333
32	फरवरी-22	9000000	3391100	12391100	929333
33	मार्च-22	9000000	2916220	11916220	893717
34	अप्रैल-22	9000000	3187580	12187580	914069
35	मई-22	9000000	3662460	12662460	949685
36	जून-22	9000000	4205180	13205180	990389
37	जुलाई-22	9000000	3662460	12662460	949685
38	अगस्त-22	9000000	2509180	11509180	863189
39	सितम्बर/अक्टूबर-22	18000000	520105	18520105	1389008
40	नवम्बर-22	9000000	2988160	11988160	899112
योग					**39377000**

परिशिष्ट-4.7

(प्रस्तर 4.2 में संदर्भित)

प्रोटेक्टिव लोड प्रभारों को आरोपित न करने वाले विवरण को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	माह	मांग (केवीए में)	दर (₹ में)	प्रोटेक्टिव लोड प्रभार आरोपित न करना (₹ में)
1	मार्च-21	3337.50	290	967875
2	अप्रैल-21	3337.50	290	967875
3	मई-21	3398.00	290	985420
4	जून-21	3337.50	290	967875
8	जुलाई-21	3337.50	290	967875
9	अगस्त-21	3656.00	290	1060240
10	सितम्बर-21	3337.50	290	967875
11	अक्टूबर-21	3337.50	290	967875
12	नवम्बर-21	3337.50	290	967875
13	दिसम्बर-21	3337.50	290	967875
14	जनवरी-22	3402.00	290	986580
15	फरवरी-22	3464.00	290	1004560
16	मार्च-22	3350.00	290	971500
17	अप्रैल-22	3380.00	290	980200
18	मई-22	3346.00	290	970340
19	जून-22	3337.50	290	967875
20	जुलाई-22	3534.00	290	1024860
21	अगस्त-22	3566.00	290	1034140
22	सितम्बर-22	4458.00	290	1292820
23	अक्टूबर-22	3916.00	290	1135640
24	नवम्बर-22	4246.00	290	1231340
25	दिसम्बर-22	4450.00	290	1290500
26	जनवरी-23	3644.00	290	1056760
27	फरवरी-23	3626.00	290	1051540
28	मार्च-23	3618.00	290	1049220
29	अप्रैल-23	3636.00	290	1054440
30	मई-23	3648.00	290	1057920
योग				**27948895**

परिशिष्ट-5.1

(प्रस्तर 5.1.2.1 में संदर्भित)

अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों की अनियमित पार्किंग को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	कार्यों पर अग्रिम भारित करने की तिथि	कार्यों की संख्या	कार्यों को भारित कर तेल कम्पनियों के पास जमा की गयी धनराशि (₹ में)	बिटुमिन का उपभोग (मात्रा मीट्रिक टन में)	बिटुमिन का उपभोग (धनराशि ₹ में)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्दर प्राप्त बिटुमिन		खण्ड द्वारा अपनी सुविधानुसार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बाद प्राप्त बिटुमिन		माह जिसमें बिटुमिन निर्गत किया गया	तेल कम्पनियों को दिये गये अग्रिम माह से बिटुमिन की प्राप्ति में लगा समय (माह में)	वर्ष 2019-20 से 2022-23[18] तक तेल कम्पनियों से प्राप्त रिफंड (धनराशि ₹ में)
								मात्रा मीट्रिक टन में	धनराशि ₹ में	मात्रा मीट्रिक टन में	धनराशि ₹ में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	अधि. अभि., नि.ख.-2, बिजनौर	2019-20	29.03.2020 एवं 31.03.2020	73	77875725	0.86	27664	**0**	**0**	0.860	27664	07/20 से 08/20	4 से 5	**73445816**
		2020-21	31.03.2021	47	18380205	46.608	2391625	**0**	**0**	46.608	2391625	07/21 से 04/22	4 से 13	
		2021-22	29, 30 एवं 31.03.2022	76	37015322	283.04	15520892	**0**	**0**	283.040	15520892	06/22 से 09/22	3 से 6	
योग				**196**	**133271252**	**330.508**	**17940181**	**0**	**0**	**330.508**	**17940181**		**3 से 13**	
2	अधि. अभि., प्रा.ख., देवरिय	2019-20	5.02.2020 एवं 31.03.2020	111	120000000	1396.600	5578409	**0**	**0**	1396.600	5578409	08/20 से 06/22	5 से 27	0
		2020-21	18 एवं 24.03.2021	130	60000000	1061.985	85633372	**0**	**0**	1061.985	85633372	04/21 से 05/22	1 से 14	
		2021-22	25, 28, 30 एवं 31.03.2022	169	90995000	750.095	45622492	**0**	**0**	750.095	45622492	04/22 से 02/23	1 से 11	
	योग			**410**	**270995000**	**3208.680**	**187039873**	**0**	**0**	**3208.680**	**187039873**		**1 से 27**	
3	अधि. अभि., नि.ख.-2, फतेहपुर	2019-20	17, 18, 21, 24, 26, 30 एवं 31.03.2020	64	86273612	263.902	10811274	0	0	263.902	10811274	05/20 से 12/22	2 से 33	**160000000**

[18] तेल कम्पनियों से प्राप्त रिफंड में वर्ष 2022-23 तक के रिफंड को भी अद्यतन स्थिति में सम्मिलित किया गया है।

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	कार्यों पर अग्रिम भारित करने की तिथि	कार्यों की संख्या	कार्यों को भारित कर तेल कम्पनियों के पास जमा की गयी धनराशि (₹ में)	बिटुमिन का उपभोग (मात्रा मीट्रिक टन में)	बिटुमिन का उपभोग (धनराशि ₹ में)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्दर प्राप्त बिटुमिन		खण्ड द्वारा अपनी सुविधानुसार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बाद प्राप्त बिटुमिन		माह जिसमें बिटुमिन निर्गत किया गया	तेल कम्पनियों को दिये गये अग्रिम माह से बिटुमिन की प्राप्ति में लगा समय (माह में)	वर्ष 2019-20 से 2022-23[18] तक तेल कम्पनियों से प्राप्त रिफंड (धनराशि ₹ में)
								मात्रा मीट्रिक टन में	धनराशि ₹ में	मात्रा मीट्रिक टन में	धनराशि ₹ में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2020-21	20, 21, 23, 27 एवं 30.03.2021	19	46447653	340.721	17580400	21.955	1021141	318.766	16559259	03/21 से 11/21	2 से 8	
		2021-22	13.12.2021, 24, 26, 28, 29 एवं 30.03.2022	38	30524000	259.708	14968194	160.56	8895272	99.148	6072922	12/21 से 06/22	1 से 3	
	योग			**121**	**163245265**	**864.331**	**43359868**	**182.515**	**9916413**	**681.816**	**33443455**		**1 से 33**	
4	अधि. अभि., नि.ख.(भवन), लखनऊ	2019-20	31.03.2020	10	19609680	0	0	0	0	0	0	0		**65000000**
		2020-21	31.03.2021	111	77852000	28.448	1556117	0	0	28.448	1556117	11/21	8	
	योग			**121**	**97461680**	**28.448**	**1556117**	**0**	**0**	**28.448**	**1556117**		**8**	
5	अधि. अभि., प्रा.ख., महराजगंज	2019-20	31.03.2020	3	17105000	124.823	4119158	0	0	124.823	4119158	08/20	5	**90000000**
		2021-22	27.03.2022	66	44483000	459.504	29215091	0	0	459.504	29215091	05/22 से 12/22	2 से 9	
	योग			**69**	**61588000**	**584.327**	**33334249**	**0**	**0**	**584.327**	**33334249**		**2 से 9**	
6	अधि. अभि., प्रा.ख., मऊ	2019-20	31.03.2020	64	12875000	86.942	3251505	0	0	86.942	3251505	06/20 से 03/21	3 से 12	**16657895**
		2020-21	31.03.2021	10	9100000	46.730	2633834	0	0	46.73	2633834	10/21 से 05/22	7 से 14	
		2021-22	31.03.2022	10	4500000	87.810	4495092	0	0	87.81	4495092	07/22 से 01/23	4 से 10	
	योग			**84**	**26475000**	**221.482**	**10380431**	**0**	**0**	**221.482**	**10380431**		**3 से 14**	
7	अधि. अभि., नि.ख.-3, प्रयागराज	2019-20	05, 12, 17 एवं 31.03.2020	163	110900000	162.083	4882765	0	0	162.083	4882765	06/20 से 01/21	3 से 10	**123500000**

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	कार्यों पर अग्रिम भारित करने की तिथि	कार्यों की संख्या	कार्यों को भारित कर तेल कम्पनियों के पास जमा की गयी धनराशि (₹ में)	बिटुमिन का उपभोग (मात्रा मीट्रिक टन में)	बिटुमिन का उपभोग (धनराशि ₹ में)	सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्दर प्राप्त बिटुमिन		खण्ड द्वारा अपनी सुविधानुसार सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के बाद प्राप्त बिटुमिन		माह जिसमें बिटुमिन निर्गत किया गया	तेल कम्पनियों को दिये गये अग्रिम माह से बिटुमिन की प्राप्ति में लगा समय (माह में)	वर्ष 2019-20 से 2022-23[18] तक तेल कम्पनियों से प्राप्त रिफंड (धनराशि ₹ में)
								मात्रा मीट्रिक टन में	धनराशि ₹ में	मात्रा मीट्रिक टन में	धनराशि ₹ में			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		2020-21	04, 25 एवं 31.03.2021	70	36800000	32.290	1599138	0	0	32.290	1599138	06/21 से 02/22	3 से 11	
		2021-22	10 एवं 28.03.2022	195	120000000	38.339	1826521	0	0	38.339	1826521	07/22 से 12/22	4 से 9	
	योग			**428**	**267700000**	**232.712**	**8308424**	**0**	**0**	**232.712**	**8308424**		**3 से 11**	
8	अधि. अभि., प्रा.ख., प्रयागराज	2019-20	24.03.2020	14	24605528	121.460	4837440	0	0	121.460	4837440	05/20 से 12/21	2 से 21	**131308879**
		2020-21	31.03.2021	1	1227815	25.413	1227815	0	0	25.413	1227815	01/22	10	
		2021-22	31.03.2022	321	131308879	0	0	0	0	0	0	0		
	योग			**336**	**157142222**	**146.873**	**6065255**	**0**	**0**	**146.873**	**6065255**		**2 से 21**	
महा योग				**1765**	**1177878419**	**5617.361**	**307984398**	**182.515**	**9916413**	**5434.846**	**298067985**		**1 से 33**	**659912590**

परिशिष्ट-5.2

(प्रस्तर 5.1.2.2 में संदर्भित)

तेल कम्पनियों के पास अभी भी बकाया पड़ी धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	इकाई का नाम	जनपद	आईओसीएल के पास बकाया धनराशि (₹ में)	आईओसीएल के पास बकाया की तिथि	एचपीसीएल के पास बकाया धनराशि (₹ में)	एचपीसीएल के पास बकाया की तिथि	तेल कम्पनियों के पास बकाया कुल धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अधि.अभि., प्रा.ख., बहराइच	बहराइच	297368	जून 2023	836875	जून 2023	1134243
2	अधि.अभि., प्रा.ख., बस्ती	बस्ती	1991194	जून 2023			1991194
3	अधि.अभि., नि.ख.-2, बिजनौर (नजीबाबाद)	बिजनौर	34647	जून 2023			34647
4	अधि.अभि., प्रा.ख., देवरिया	देवरिया	0	जून 2023			0
5	अधि.अभि., नि.ख.-2, फतेहपुर	फतेहपुर	15774331	जून 2023			15774331
6	अधि.अभि., नि.ख.(भवन), लखनऊ	लखनऊ	21018	जून 2023	132705	जून 2023	153723
7	अधि.अभि., प्रा.ख., महराजगंज	महराजगंज	0	जून 2023	0	जून 2023	0
8	अधि.अभि., प्रा.ख., मऊ	मऊ	51340738	जून 2023			51340738
9	अधि.अभि., नि.ख.-3, प्रयागराज	प्रयागराज	2220735	जून 2023	0	जून 2023	2220735
10	अधि.अभि., प्रा.ख., प्रयागराज	प्रयागराज	9575885	जून 2023	21436886	जून 2023	31012771
	योग		**81255916**		**22406466**		**103662382**

परिशिष्ट-5.3
(प्रस्तर 5.1.2.3 में संदर्भित)
आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	आवंटन का विवरण								कुल धनराशि लाख में	
			मार्च से पूर्व आवंटन		1 से 15 मार्च के मध्य आवंटन		16 से 25 मार्च के मध्य आवंटन		26 से 31 मार्च के मध्य आवंटन			
			मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अधि.अभि., नि.ख.-2, फतेहपुर	2019-20	17	811.51	22	47.49	24	184.30	1	60.86	64	1104.16
		2020-21	11	380.11	4	58.80	4	220.25	0	0	19	659.16
		2021-22	22	656.68	0	0	16	52.60	0	0	38	709.28
योग			**50**	**1848.30**	**26**	**106.29**	**44**	**457.15**	**1**	**60.86**	**121**	**2472.60**
2	अधि.अभि., प्रा.ख., प्रयागराज	2019-20	5	355.64	0	0	5	2.21	4	3.75	14	361.60
		2020-21	1	70.02	0	0	0	0	0	0	1	70.02
		2021-22	154	1745.44	4	165.20	163	655.52	0	0	321	2566.16
योग			**160**	**2171.10**	**4**	**165.20**	**168**	**657.73**	**4**	**3.75**	**336**	**2997.78**
3	अधि.अभि., प्रा.ख., महाराजगंज	2020-21	18	287.46	0	0	0	0	0	0	18	287.46
		2021-22	24	278.54	0	0	42	166.29	0	0	66	444.83
योग			**42**	**566.00**	**0**	**0**	**42**	**166.29**	**0**	**0**	**84**	**732.29**
4	अधि.अभि., प्रा.ख., देवरिया	2019-20	12	351.14	6	221.61	82	840.88	0	0	100	1413.63
		2020-21	0	0	0	0	126	564.06	0	0	126	564.06
		2021-22	62	860.05	7	42.85	95	337.15	0	0	164	1240.05
योग			**74**	**1211.19**	**13**	**264.46**	**303**	**1742.09**	**0**	**0**	**390**	**3217.74**
5	अधि.अभि., नि.ख.(भवन), लखनऊ	2019-20	6	158.40	0	0	4	96.34	0	0	10	254.74
		2020-21	17	772.47	4	650.43	52	685.23	29	179.15	102	2287.28
योग			**23**	**930.87**	**4**	**650.43**	**56**	**781.57**	**29**	**179.15**	**112**	**2542.02**

क्र. सं.	इकाई का नाम	वर्ष	आवंटन का विवरण								कुल धनराशि लाख में	
			मार्च से पूर्व आवंटन		1 से 15 मार्च के मध्य आवंटन		16 से 25 मार्च के मध्य आवंटन		26 से 31 मार्च के मध्य आवंटन			
			मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	अधि.अभि., नि.ख.-3, प्रयागराज	2019-20	52	2388.57	46	251.77	61	67.19	0	0	159	2707.53
		2020-21	50	1568.94	4	2.66	10	262.83	0	0	64	1834.43
		2021-22	95	1759.04	40	530.69	55	204.45	1	15.00	191	2509.18
योग			**197**	**5716.55**	**90**	**785.12**	**126**	**534.47**	**1**	**15.00**	**414**	**7051.14**
7	अधि.अभि., नि.ख.,-2, बिजनौर (नजीबाबाद)	2019-20	24	3608.29	24	77.96	14	272.31	10	983.36	72	4941.92
		2020-21	13	590.33	24	113.37	9	118.81	0	0	46	822.51
		2021-22	22	346.56	0	0	44	149.36	9	338.24	75	834.16
योग			**59**	**4545.18**	**48**	**191.33**	**67**	**540.48**	**19**	**1321.60**	**193**	**6598.59**
		2019-20	**116**	**7673.55**	**98**	**598.83**	**190**	**1463.23**	**15**	**1047.97**	**419**	**10783.58**
		2020-21	**110**	**3669.33**	**36**	**825.26**	**201**	**1851.18**	**29**	**179.15**	**376**	**6524.92**
		2021-22	**379**	**5646.31**	**51**	**738.74**	**415**	**1565.37**	**10**	**353.24**	**855**	**8303.66**
महायोग			**605**	**16989.19**	**185**	**2162.83**	**806**	**4879.78**	**54**	**1580.36**	**1650**	**25612.16**
				धनराशि प्रतिशत		**धनराशि प्रतिशत**		**धनराशि प्रतिशत**		**धनराशि प्रतिशत**		**धनराशि प्रतिशत**
प्रतिशत		**2019-20**	**27.68**	**71.16**	**23.39**	**5.55**	**45.35**	**13.57**	**3.58**	**9.72**	**100**	**100**
		2020-21	**29.26**	**56.24**	**9.57**	**12.65**	**53.46**	**28.37**	**7.71**	**2.75**	**100**	**100**
		2021-22	**44.33**	**68.00**	**5.96**	**8.90**	**48.54**	**18.85**	**1.17**	**4.25**	**100**	**100**

नोटः प्रा.ख., महाराजगंज से वर्ष 2019-20 तथा नि.ख. (भवन) लखनऊ से वर्ष 2021-22 के आवंटन की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी।

परिशिष्ट-5.4

(प्रस्तर 5.1.2.3 में संदर्भित)

वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान मार्च माह में दिये गये अग्रिमों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	इकाई का नाम	मार्च से पूर्व दिये गये अग्रिम (₹ में)	मार्च में दिये गये अग्रिम (₹ में)	योग (₹ में)
1	2	3	4	5
1	अधि.अभि., प्रा.ख., बहराइच	15000000	277770000	292770000
2	अधि.अभि., नि.ख.,-2, बिजनौर (नजीबाबाद)	0	133271252	133271252
3	अधि.अभि., प्रा.ख., बस्ती	50000000	392204000	442204000
4	अधि.अभि., प्रा.ख., देवरिया	20000000	250995000	270995000
5	अधि.अभि., नि.ख.-2, फतेहपुर	10000000	153245265	163245265
6	अधि.अभि., नि.ख.(भवन), लखनऊ	0	97461680	97461680
7	अधि.अभि., प्रा.ख., महराजगंज	0	61588000	61588000
8	अधि.अभि., प्रा.ख., मऊ	0	26475000	26475000
9	अधि.अभि., नि.ख.-3, प्रयागराज	0	267700000	267700000
10	अधि.अभि., प्रा.ख., प्रयागराज	0	157142222	157142222
योग		**95000000**	**1817852419**	**1912852419**
दिये गये कुल अग्रिम का प्रतिशत		**4.97**	**95.03**	

परिशिष्ट-5.5

(प्रस्तर 5.2 में संदर्भित)

सड़क की परत में डेंस बिटुमिनस मैकडैम एवं बिटुमिनस कंक्रीट की अधिक मोटाई को दर्शाने वाला विवरण

क्र.स.	विवरण	प्राक्कलन के अनुसार	लेखापरीक्षा के अनुसार	अन्तर
1	3	4	5	6=4-5
1	प्रतिदिन वाणिज्यिक वाहन की संख्या (P)	1436	1436	
2	वार्षिक वृद्धि (r)	7.5	5	
3	डिजाइन लाइफ (*n*)	15	15	
4	03 वर्षों के बाद अनुमानित यातायात (A)= P $(1+r)^8$	1784.00	1662.35	
5	लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर (D)	0.50	0.50	
6	वाहन क्षति फैक्टर (F)	10	3.5	
7	स्टैंडर्ड एक्सल की डिजाइन ट्रैफिक संचयी संख्या (N) $=\frac{365[(1+r)^n - 1] \times A \times D \times F}{r}$	85036172	22907857	
8	**परत की मोटाई** मिलियन स्टैंडर्ड एक्सल में (एमएसए)	85	22.90	
	जीएसबी (एमएम)	260	260	
	डब्ल्यूएमएम (एमएम)	250	250	
	डीबीएम (एमएम)	146	105	**41**
	बीसी (एमएम)	50	40	**10**
योग (एमएम)		**706**	**650**	**51**

परिशिष्ट-5.6

(प्रस्तर 5.2 में संदर्भित)

सड़क की अतिरिक्त परत की मोटाई पर परिहार्य व्यय को दर्शाने वाला विवरण

विवरण	निष्पादित मात्रा (घनमीटर में)	वास्तविक आवश्यक मात्रा (घनमीटर में)	अन्तर (घनमीटर में)	दर प्रति घनमीटर (₹ में)	अतिरिक्त व्यय (₹ में)
1	2	3	4 = (2-3)	5	6 = (4x5)
डीबीएम	23687.36	17035.43[19]	6651.93	7951.81	52894883.49
बीसी	8257.86	6606.29[20]	1651.57	9559.80	15788678.89
योग					**68683562.38**

[19] 23687.36 घनमीटर X 105एमएम/146एमएम = 17035.43 घनमीटर।

[20] 8257.86 घनमीटर X 40एमएम/50एमएम = 6606.29 घनमीटर।

परिशिष्ट-5.7
(प्रस्तर 5.3 में संदर्भित)
ठेकेदारों से सांविधिक बकायों की कम/गैर-वसूली को दर्शाने वाला विवरण

(धनराशि ₹ में)

क्र.स.	ठेकेदार का नाम	अनुबंध मूल्य	चार प्रतिशत की दर से देय स्टाम्प शुल्क	अनुबंध की तिथि/स्टाम्प शुल्क भुगतान की देय तिथि	भुगतान किया गया स्टाम्प शुल्क		बकाया स्टाम्प शुल्क		विलम्ब की अवधि माह में	1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज	एक प्रतिशत की दर से लिया जाने वाला पंजीकरण शुल्क
					धनराशि	तिथि	धनराशि	तिथि			
1	मेसर्स ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड[21]	4657566898	186302680	12/09/2018		-	-	-	-	-	46575670
2	मेसर्स सहकार ग्लोबल लिमिटेड	8450190000	338007600	13/10/2020	84501900	29/12/2020	338007600	29/12/2020	2	**10140228**	84501900
					42250950	29/05/2021	253505700	29/05/2021	5	19012928	
					20000000	7/7/2021	211254750	7/7/2021	1	3168821	
					22250950	30/06/2022	191254750	30/06/2022	12	34425855	
					30000000	26/08/2022	169003800	26/08/2022	2	5070114	
							139003800	28/02/2023	6	12510342	
उप-योग					**199003800**		**139003800**			**84328288**	**84501900**
3	मेसर्स इंद्रदीप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड	3897899999	155916000	14/10/2022	80000000	15/11/2022	155916000	15/11/2022	01	2338740	38979000
					40000000	03/03/2023	75916000	03/03/2023	03	3416220	
					40000000	19/05/2023	35916000	19/05/2023	02	1077480	
उप-योग					**160000000**					**6832420**	**38979000**
महा योग										**91160728**	**170056570**

कुल हानि = भुगतान न किया गया स्टाम्प शुल्कः ₹ 139003800 + भुगतान न किए गये/विलम्बित भुगतान स्टाम्प शुल्क पर ब्याजः ₹ 91160728 + न लिया गया पंजीकरण शुल्कः ₹ 170056570 - 19.05.2023 को मेसर्स इंद्रदीप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड द्वारा भुगतान किया गया अतिरिक्त स्टाम्प शुल्कः ₹ 4084000 = ₹ 396137098।

[21] मेसर्स ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड के प्रकरण में, जिलाधिकारी, लखनऊ ने ब्याज सहित कम स्टाम्प शुल्क जमा करने का आदेश दिया (सितम्बर 2021) तथापि इस पर विचार नहीं किया गया है।

परिशिष्ट-5.8

(प्रस्तर 5.6 में संदर्भित)

विद्युत प्रभार के परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

माह	अनुबंधित/ स्वीकृत भार (केवीए में)	दर/ केवीए	बिल की गयी मांग (केवीए में)	मांग/निर्धारित प्रभारों के रूप में भुगतान की गई धनराशि (₹ में)	वास्तविक उपभोग किया गया भार (केवीए में)	उचित भार अर्थात् 490 केवीए (पिछले बिलों के आधार पर 490 केवीए का 0.75 या वास्तविक उपभोग, जो भी अधिक हो, पर विचार किया गया) के अनुसार देय निर्धारित/मांग प्रभार	भुगतान किया गया अधिक मांग प्रभार/ निर्धारित प्रभार (₹ में)	अधिक भुगतान किये गये मांग प्रभार पर ईडी का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.38 प्रतिशत/ 4.28 प्रतिशत[22] की दर से नियामक अधिभार-I का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.84 प्रतिशत/ 3.71 प्रतिशत[23] की दर से नियामक अधिभार- II का परिहार्य भुगतान (₹ में)	कुल परिहार्य भुगतान (₹ में)
1	2	3	4= कॉलम 2 x 0.75	5	6	7	8 = (5-7)	9= (8 का 7.5 प्रतिशत)	10	11	12= (8+ 9+10+11)
जनवरी-13	888.88	270	666.66	180090.00	122.4	99225.00	80865.00	6064.88	-	-	86929.88
फरवरी-13	888.88	270	666.66	180090.00	160.8	99225.00	80865.00	6064.88	-	-	86929.88
मार्च-13	888.88	270	666.66	180090.00	91.2	99225.00	80865.00	6064.88	-	-	86929.88
अप्रैल-13	888.88	270	666.66	180090.00	188.4	99225.00	80865.00	6064.88	-	-	86929.88
मई-13	888.88	270	666.66	180090.00	342	99225.00	80865.00	6064.88	-	-	86929.88
जून.13	888.88	270	666.66	180090.00	380.4	102708.00	77382.00	5803.65	-	2870.87	86056.52
जुलाई-13	888.88	270	666.66	180090.00	368.4	99468.00	80622.00	6046.65	-	2991.08	89659.73
अगस्त-13	888.88	270	666.66	180090.00	346.8	99225.00	80865.00	6064.88	-	3000.09	89929.97
सितम्बर-13	888.88	270	666.66	180090.00	380.4	102708.00	77382.00	5803.65	-	2870.87	86056.52
अक्टूबर-13	888.88	270	666.66	180090.00	357.6	99225.00	80865.00	6064.88	-	3000.09	89929.97
नवम्बर-13	888.88	270	666.66	180090.00	358.8	99225.00	80865.00	6064.88	-	3000.09	89929.97
दिसम्बर-13	888.88	270	666.66	180090.00	210	99225.00	80865.00	6064.88	-	3000.09	89929.97

[22] नियामक अधिभार-I 12.10.2014 से 27.06.2015 के अवधि के दौरान 2.38 प्रतिशत के दर से एवं 28.06.2015 से 11.09.2019 के अवधि के दौरान 4.28 प्रतिशत की दर से लागू था।

[23] नियामक अधिभार-II 10.06.2013 से 11.10.2014 के अवधि के दौरान 3.71 प्रतिशत के दर से एवं 12.10.2014 से 09.04.2016 के अवधि के दौरान 2.84 प्रतिशत की दर से लागू था।

माह	अनुबंधित/ स्वीकृत भार (केवीए में)	दर/ केवीए	बिल की गयी मांग (केवीए में)	मांग/निर्धारित प्रभारों के रूप में भुगतान की गई धनराशि (₹ में)	वास्तविक उपभोग किया गया भार (केवीए में)	उचित भार अर्थात् 490 केवीए (पिछले बिलों के आधार पर 490 केवीए का 0.75 या वास्तविक उपभोग, जो भी अधिक हो, पर विचार किया गया) के अनुसार देय निर्धारित/मांग प्रभार	भुगतान किया गया अधिक मांग प्रभार/ निर्धारित प्रभार (₹ में)	अधिक भुगतान किये गये मांग प्रभार पर ईडी का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.38 प्रतिशत/ 4.28 प्रतिशत[22] की दर से नियामक अधिभार-I का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.84 प्रतिशत/ 3.71 प्रतिशत[23] की दर से नियामक अधिभार- II का परिहार्य भुगतान (₹ में)	कुल परिहार्य भुगतान (₹ में)
1	2	3	4= कॉलम 2 x 0.75	5	6	7	8 = (5-7)	9= (8 का 7.5 प्रतिशत)	10	11	12= (8+ 9+10+11)
जनवरी-14	888.88	270	666.66	180090.00	109.2	99225.00	80865.00	6064.88	-	3000.09	89929.97
फरवरी-14	888.88	270	666.66	180090.00	152.4	99225.00	80865.00	6064.88	-	3000.09	89929.97
मार्च-14	888.88	270	666.66	180090.00	105.6	99225.00	80865.00	6064.88	-	3000.09	89929.97
अप्रैल-14	888.88	270	666.66	180092.70	207.6	99225.00	80867.70	6065.08	-	3000.19	89932.97
मई-14	888.88	270	666.66	180090.00	342.0	99225.00	80865.00	6064.88	-	3000.09	89929.97
जून-14	888.88	270	666.66	180090.00	346.8	99225.00	80865.00	6064.88	-	3000.09	89929.97
जुलाई-14	888.88	270	666.66	180090.00	374.4	101088.00	79002.00	5925.15	-	2930.97	87858.12
अगस्त-14	888.88	270	666.66	180090.00	350.4	99225.00	80865.00	6064.88	-	3000.09	89929.97
सितम्बर-14	888.88	270	666.66	180090.00	357.6	99225.00	80865.00	6064.88	-	3000.09	89929.97
अक्टूबर-14	888.88	270	666.66	180090.00	362.4	99225.00	80865.00	6064.88	1924.59	2,296.57	91151.03
नवम्बर-14	888.88	270	666.66	180041.40	326.4	99225.00	80816.40	6061.23	1923.43	2295.19	91096.25
दिसम्बर-14	888.88	270	666.66	180022.50	324	99225.00	80797.50	6059.81	1922.98	2294.65	91074.94
जनवरी-15	888.88	270	666.66	180022.50	125.58	99225.00	80797.50	6059.81	1922.98	2294.65	91074.94
फरवरी-15	888.88	270	666.66	180022.50	156.54	99225.00	80797.50	6059.81	1922.98	2294.65	91074.94
मार्च-15	888.88	270	666.66	180022.50	105.54	99225.00	80797.50	6059.81	1922.98	2294.65	91074.94
अप्रैल-15	888.88	270	666.66	180022.50	285.66	99225.00	80797.50	6059.81	1922.98	2294.65	91074.94
मई-15	888.88	270	666.66	180022.50	381.78	103080.60	76941.90	5770.64	1831.22	2185.15	86728.91
जून-15	888.88	270	666.66	180022.50	375.06	101266.20	78756.30	5906.72	3370.77	2236.68	90270.47
जुलाई-15	888.88	270	666.66	180022.50	420.78	113610.60	66411.90	4980.89	2842.43	1886.10	76121.32
अगस्त-15	888.88	270	666.66	180022.50	415.74	112249.80	67772.70	5082.95	2900.67	1924.74	77681.07

माह	अनुबंधित/ स्वीकृत भार (केवीए में)	दर/ केवीए	बिल की गयी मांग (केवीए में)	मांग/निर्धारित प्रभारों के रूप में भुगतान की गई धनराशि (₹ में)	वास्तविक उपभोग किया गया भार (केवीए में)	उचित भार अर्थात् 490 केवीए (पिछले बिलों के आधार पर 490 केवीए का 0.75 या वास्तविक उपभोग, जो भी अधिक हो, पर विचार किया गया) के अनुसार देय निर्धारित/मांग प्रभार	भुगतान किया गया अधिक मांग प्रभार/ निर्धारित प्रभार (₹ में)	अधिक भुगतान किये गये मांग प्रभार पर ईडी का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.38 प्रतिशत/ 4.28 प्रतिशत[22] की दर से नियामक अधिभार-I का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.84 प्रतिशत/ 3.71 प्रतिशत[23] की दर से नियामक अधिभार- II का परिहार्य भुगतान (₹ में)	कुल परिहार्य भुगतान (₹ में)
1	2	3	4= कॉलम 2 x 0.75	5	6	7	8 = (5-7)	9= (8 का 7.5 प्रतिशत)	10	11	12= (8+ 9+10+11)
सितम्बर-15	888.88	270	666.66	180022.50	387.24	104554.80	75467.70	5660.08	3230.02	2143.28	86501.08
अक्टूबर-15	888.88	270	666.66	180022.50	378.78	102270.60	77751.90	5831.39	3327.78	2208.15	89119.23
नवम्बर-15	888.88	270	666.66	180022.50	365.22	99225.00	80797.50	6059.81	3458.13	2294.65	92610.09
दिसम्बर-15	888.88	270	666.66	180022.50	158.58	99225.00	80797.50	6059.81	3458.13	2997.59	93313.03
जनवरी-16	888.88	270	666.66	180022.50	158.58	99225.00	80797.50	6059.81	3458.13	2294.65	92610.09
फरवरी-16	888.88	270	666.66	180022.50	111.06	99225.00	80797.50	6059.81	3458.13	2294.65	92610.09
मार्च-16	888.88	270	666.66	180022.50	161.10	99225.00	80797.50	6059.81	3458.13	2294.65	92610.09
अप्रैल-16	888.88	270	666.66	180022.50	257.70	99225.00	80797.50	6059.81	3458.13	2294.65	92610.09
मई-16	888.88	270	666.66	180022.50	348.96	99225.00	80797.50	6059.81	3458.13	-	90315.45
जून-16	888.88	270	666.66	180022.50	395.22	106709.40	73313.10	5498.48	3137.80	-	81949.38
जुलाई-16	888.88	270	666.66	180022.50	379.32	102416.40	77606.10	5820.46	3321.54	-	86748.10
अगस्त-16	888.88	270	666.66	180022.50	468.42	126473.40	53549.10	4016.18	2291.90	-	59857.18
सितम्बर-16	888.88	270	666.66	180022.50	379.14	102367.80	77654.70	5824.10	3323.62	-	86802.42
अक्टूबर-16	888.88	360	666.66	240030.00	377.94	136058.40	103971.60	7797.87	4449.98	-	116219.45
नवम्बर-16	888.88	360	666.66	240030.00	364.98	132300.00	107730.00	8079.75	4610.84	-	120420.59
दिसम्बर-16	888.88	360	666.66	240030.00	170.16	132300.00	107730.00	8079.75	4610.84	-	120420.59
जनवरी-17	888.88	360	666.66	240030.00	111.72	132300.00	107730.00	8079.75	4610.84	-	120420.59
फरवरी-17	888.88	360	666.66	240030.00	123.00	132300.00	107730.00	8079.75	4610.84	-	120420.59
मार्च-17	888.88	360	666.66	240030.00	91.74	132300.00	107730.00	8079.75	4610.84	-	120420.59
अप्रैल-17	888.88	360	666.66	240030.00	184.80	132300.00	107730.00	8079.75	4610.84	-	120420.59

माह	अनुबंधित/ स्वीकृत भार (केवीए में)	दर/ केवीए	बिल की गयी मांग (केवीए में)	मांग/निर्धारित प्रभारों के रूप में भुगतान की गई धनराशि (₹ में)	वास्तविक उपभोग किया गया भार (केवीए में)	उचित भार अर्थात् 490 केवीए (पिछले बिलों के आधार पर 490 केवीए का 0.75 या वास्तविक उपभोग, जो भी अधिक हो, पर विचार किया गया) के अनुसार देय निर्धारित/मांग प्रभार	भुगतान किया गया अधिक मांग प्रभार/ निर्धारित प्रभार (₹ में)	अधिक भुगतान किये गये मांग प्रभार पर ईडी का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.38 प्रतिशत/ 4.28 प्रतिशत[22] की दर से नियामक अधिभार-I का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.84 प्रतिशत/ 3.71 प्रतिशत[23] की दर से नियामक अधिभार- II का परिहार्य भुगतान (₹ में)	कुल परिहार्य भुगतान (₹ में)
1	2	3	4= कॉलम 2 x 0.75	5	6	7	8 = (5-7)	9= (8 का 7.5 प्रतिशत)	10	11	12= (8+ 9+10+11)
मई-17	888.88	360	666.66	240030.00	406.20	146232.00	93798.00	7034.85	4014.55	-	104847.40
जून-17	888.88	360	666.66	240030.00	414.42	149191.20	90838.80	6812.91	3887.90	-	101539.61
जुलाई-17	888.88	360	666.66	240030.00	447.78	161200.80	78829.20	5912.19	3373.89	-	88115.28
अगस्त-17	888.88	360	666.66	240030.00	427.14	153770.40	86259.60	6469.47	3691.91	-	96420.98
सितम्बर-17	888.88	360	666.66	240030.00	423.48	152452.80	87577.20	6568.29	3748.30	-	97893.79
अक्टूबर-17	888.88	360	666.66	240030.00	434.22	156319.20	83710.80	6278.31	3582.82	-	93571.93
नवम्बर-17	888.88	360	666.66	240030.00	395.34	142322.40	97707.60	7328.07	4181.89	-	109217.56
दिसम्बर-17	888.88	400	666.66	240030.00	228.00	147000.00	93030.00	6977.25	3981.68	-	103988.93
जनवरी-18	888.88	400	666.66	240030.00	111.96	147000.00	93030.00	6977.25	3981.68	-	103988.93
फरवरी-18	888.88	400	666.66	266700.00	143.76	147000.00	119700.00	8977.50	5123.16	-	133800.66
मार्च-18	888.88	400	666.66	266700.00	105.48	147000.00	119700.00	8977.50	5123.16	-	133800.66
अप्रैल-18	888.88	400	666.66	266700.00	330.48	147000.00	119700.00	8977.50	5123.16	-	133800.66
मई-18	888.88	400	666.66	266700.00	358.98	147000.00	119700.00	8977.50	5123.16	-	133800.66
जून-18	888.88	400	666.66	266700.00	414.36	165744.00	100956.00	7571.70	4320.92	-	112848.62
जुलाई-18	888.88	400	666.66	266700.00	454.20	181680.00	85020.00	6376.50	3638.86	-	95035.36
अगस्त-18	888.88	400	666.66	266700.00	418.80	167520.00	99180.00	7438.50	4244.90	-	110863.40
सितम्बर-18	888.88	400	666.66	266700.00	413.16	165264.00	101436.00	7607.70	4341.46	-	113385.16
अक्टूबर-18	888.88	400	666.66	266700.00	380.46	152184.00	114516.00	8588.70	4901.28	-	128005.98
नवम्बर-18	888.88	400	666.66	266700.00	375.48	150192.00	116508.00	8738.10	4986.54	-	130232.64
दिसम्बर-18	888.88	400	666.66	266700.00	224.76	147000.00	119700.00	8977.50	5123.16	-	133800.66

माह	अनुबंधित/ स्वीकृत भार (केवीए में)	दर/ केवीए	बिल की गयी मांग (केवीए में)	मांग/निर्धारित प्रभारों के रूप में भुगतान की गई धनराशि (₹ में)	वास्तविक उपभोग किया गया भार (केवीए में)	उचित भार अर्थात् 490 केवीए (पिछले बिलों के आधार पर 490 केवीए का 0.75 या वास्तविक उपभोग, जो भी अधिक हो, पर विचार किया गया) के अनुसार देय निर्धारित/मांग प्रभार	भुगतान किया गया अधिक मांग प्रभार/ निर्धारित प्रभार (₹ में)	अधिक भुगतान किये गये मांग प्रभार पर ईडी का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.38 प्रतिशत/ 4.28 प्रतिशत[22] की दर से नियामक अधिभार-I का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.84 प्रतिशत/ 3.71 प्रतिशत[23] की दर से नियामक अधिभार- II का परिहार्य भुगतान (₹ में)	कुल परिहार्य भुगतान (₹ में)
1	2	3	4= कॉलम 2 x 0.75	5	6	7	8 = (5-7)	9= (8 का 7.5 प्रतिशत)	10	11	12= (8+ 9+10+11)
जनवरी-19	888.88	400	666.66	266700.00	99.90	147000.00	119700.00	8977.50	5123.16	-	133800.66
फरवरी-19	888.88	400	666.66	266700.00	106.26	147000.00	119700.00	8977.50	5123.16	-	133800.66
मार्च-19	888.88	400	666.66	266700.00	81.06	147000.00	119700.00	8977.50	5123.16	-	133800.66
अप्रैल-19	888.88	400	666.66	266700.00	125.04	147000.00	119700.00	8977.50	5123.16	-	133800.66
मई-19	888.88	400	666.66	266700.00	392.10	156840.00	109860.00	8239.50	4702.01	-	122801.51
जून-19	888.88	400	666.66	266700.00	400.32	160128.00	106572.00	7992.90	4561.28	-	119126.18
जुलाई-19	888.88	400	666.66	266700.00	481.38	192552.00	74148.00	5561.10	3173.53	-	82882.63
अगस्त-19	888.88	400	666.66	266700.00	463.32	185328.00	81372.00	6102.90	3482.72	-	90957.62
सितम्बर-19	888.88	430	666.66	266700.00	429.18	184547.40	82152.60	6161.45	3516.13	-	91830.18
अक्टूबर-19	888.88	430	666.66	280035.00	383.22	164784.60	115250.40	8643.78	4932.72	-	128826.90
नवम्बर-19	888.88	430	666.66	286702.50	344.70	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
दिसम्बर-19	888.88	430	666.66	286702.50	116.88	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
जनवरी-20	888.88	430	666.66	286702.50	288.06	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
फरवरी-20	888.88	430	666.66	286702.50	143.40	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
मार्च-20	888.88	430	666.66	286702.50	78.42	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
अप्रैल-20	888.88	430	666.66	286702.50	163.98	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
मई-20	888.88	430	666.66	286702.50	152.16	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
जून-20	888.88	430	666.66	286702.50	371.52	159753.60	126948.90	9521.17	-	-	136470.07
जुलाई-20	888.88	430	666.66	286702.50	392.52	168783.60	117918.90	8843.92	-	-	126762.82
अगस्त-20	888.88	430	666.66	286702.50	362.46	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31

माह	अनुबंधित/ स्वीकृत भार (केवीए में)	दर/ केवीए	बिल की गयी मांग (केवीए में)	मांग/निर्धारित प्रभारों के रूप में भुगतान की गई धनराशि (₹ में)	वास्तविक उपभोग किया गया भार (केवीए में)	उचित भार अर्थात् 490 केवीए (पिछले बिलों के आधार पर 490 केवीए का 0.75 या वास्तविक उपभोग, जो भी अधिक हो, पर विचार किया गया) के अनुसार देय निर्धारित/मांग प्रभार	भुगतान किया गया अधिक मांग प्रभार/ निर्धारित प्रभार (₹ में)	अधिक भुगतान किये गये मांग प्रभार पर ईडी का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.38 प्रतिशत/ 4.28 प्रतिशत[22] की दर से नियामक अधिभार-I का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.84 प्रतिशत/ 3.71 प्रतिशत[23] की दर से नियामक अधिभार- II का परिहार्य भुगतान (₹ में)	कुल परिहार्य भुगतान (₹ में)
1	2	3	4= कॉलम 2 x 0.75	5	6	7	8 = (5-7)	9= (8 का 7.5 प्रतिशत)	10	11	12= (8+ 9+10+11)
सितम्बर-20	888.88	430	666.66	286702.50	378.84	162901.20	123801.30	9285.10	-	-	133086.40
अक्टूबर-20	888.88	430	666.66	286702.50	377.76	162436.80	124265.70	9319.93	-	-	133585.63
नवम्बर-20	888.88	430	666.66	286702.50	353.16	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
दिसम्बर-20	888.88	430	666.66	286702.50	92.76	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
जनवरी-21	888.88	430	666.66	286702.50	110.70	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
फरवरी-21	888.88	430	666.66	286702.50	151.20	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
मार्च-21	888.88	430	666.66	286702.50	117.06	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
अप्रैल-21	888.88	430	666.66	286702.50	287.76	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
मई-21	888.88	430	666.66	286702.50	320.16	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
जून-21	888.88	430	666.66	286702.50	160.50	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
जुलाई-21	888.88	430	666.66	286702.50	385.62	165816.6	120885.90	9066.44	-	-	129952.34
अगस्त-21	888.88	430	666.66	286702.50	395.94	170254.2	116448.30	8733.62	-	-	125181.92
सितम्बर-21	888.88	430	666.66	286702.50	369.18	158747.4	127955.10	9596.63	-	-	137551.73
अक्टूबर-21	888.88	430	666.66	286702.50	386.16	166048.8	120653.70	9049.03	-	-	129702.73
नवम्बर-21	888.88	430	666.66	286702.50	367.00	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
दिसम्बर-21	888.88	430	666.66	286702.50	154.98	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
जनवरी-22	888.88	430	666.66	286702.50	113.88	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
फरवरी-22	888.88	430	666.66	286702.50	155.10	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
मार्च-22	888.88	430	666.66	286702.50	129.90	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
अप्रैल-22	888.88	430	666.66	286702.50	352.92	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31

माह	अनुबंधित/ स्वीकृत भार (केवीए में)	दर/ केवीए	बिल की गयी मांग (केवीए में)	मांग/निर्धारित प्रभारों के रूप में भुगतान की गई धनराशि (₹ में)	वास्तविक उपभोग किया गया भार (केवीए में)	उचित भार अर्थात् 490 केवीए (पिछले बिलों के आधार पर 490 केवीए का 0.75 या वास्तविक उपभोग, जो भी अधिक हो, पर विचार किया गया) के अनुसार देय निर्धारित/मांग प्रभार	भुगतान किया गया अधिक मांग प्रभार/ निर्धारित प्रभार (₹ में)	अधिक भुगतान किये गये मांग प्रभार पर ईडी का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.38 प्रतिशत/ 4.28 प्रतिशत[22] की दर से नियामक अधिभार-I का परिहार्य भुगतान (₹ में)	2.84 प्रतिशत/ 3.71 प्रतिशत[23] की दर से नियामक अधिभार- II का परिहार्य भुगतान (₹ में)	कुल परिहार्य भुगतान (₹ में)
1	2	3	4= कॉलम 2 x 0.75	5	6	7	8 = (5-7)	9= (8 का 7.5 प्रतिशत)	10	11	12= (8+ 9+10+11)
मई-22	888.88	430	666.66	286702.50	385.62	165816.60	120885.90	9066.44	-	-	129952.34
जून-22	888.88	430	666.66	286702.50	397.08	170744.40	115958.10	8696.86	-	-	124654.96
जुलाई-22	888.88	430	666.66	286702.50	428.64	184315.20	102387.30	7679.05	-	-	110066.35
अगस्त-22	888.88	430	666.66	286702.50	421.98	181451.40	105251.10	7893.83	-	-	113144.93
सितम्बर-22	888.88	430	666.66	286702.50	404.16	173788.80	112913.70	8468.53	-	-	121382.23
अक्टूबर-22	888.88	430	666.66	286702.50	386.16	166048.80	120653.70	9049.03	-	-	129702.73
नवम्बर-22	888.88	430	666.66	286702.50	336.00	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
दिसम्बर-22	888.88	430	666.66	286702.50	121.98	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
जनवरी-23	888.88	430	666.66	286702.50	118.92	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
फरवरी-23	888.88	430	666.66	286702.50	193.50	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
मार्च-23	888.88	430	666.66	286702.50	114.72	158025.00	128677.50	9650.81	-	-	138328.31
विद्युत प्रभार का कुल परिहार्य भुगतान							**12496196.40**	**937214.72**	**230718.08**	**90784.93**	**13754914.13**

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/uttar-pradesh